(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का 11वां दिवस [संख्या 8

1] [2

गुरुवार:

दिनांक 18 मार्च, 1976.

विधान सभा की बैठक म० पू० 11:00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, कृषि, सिंचाई, सहकारिता, खनिज, भेड़ व ऊन, विद्युत, नगर-आयोजन, सैनिक-कल्याण, स्वायत्त शासन, वाणिज्य एवं कर, आबकारी, खाद्य, पंचायत, जनस्वास्थ्य, कारागृह एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

कोटा में थर्मल पावर प्लान्ट की योजना

134. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा):** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित करने की दिशा में पिछले सत्र के पश्चात् क्या प्रगति हुई है?

(2) क्या योजना आयोग एवं ऊर्जा मंत्रालय ने प्रस्तावित योजना को क्लियरेन्स दे दिया है? अगर हां, तो कब और अगर नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार योजना आयोग एवं ऊर्जा मंत्रालय की सहायता के बिना भी धरातल पावर प्लान्ट स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) मामला अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। यह प्रश्न अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(3) राज्य सरकार थर्मल पावर प्लान्ट लगाने के लिए पूर्णरूपेण प्रयत्नशील है पर योजना आयोग व ऊर्जा मंत्रालय की स्वीकृति के बिना प्लान्ट लगाना संभव नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह कब से विचाराधीन है?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह कब से विचाराधीन है? यह प्रश्न इस सत्र में और गये सत्र में बराबर चलता आ रहा

(श्री ओंकारलाल चौहान)
है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कब तक चलेगा और कब तक फाइनल निर्णय हो जायेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले सत्र में जब यह प्रश्न आया था तब भी इसका उत्तर दिया था और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी निवेदन किया था कि इस प्रश्न पर जितनी कम चर्चा की जायेगी उतना ही लाभदायक होगा। मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि गत सत्र में यह प्रश्न आया, उसके बाद जो कार्यवाही हुई है, उससे हमने प्रगति की है और मुझे विश्वास है कि हमें बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी और कोटा में थर्मल प्लान्ट जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : नैतिक बल के लिए हमने यहां पर निवेदन किया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री ओंकारलाल चौहान : विधान सभा के सारे सदस्य यह पूछते हैं क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पार्टेन्ट है इसलिए राज्य सरकार इस प्रश्न को टॉप प्रॉयोरिटी देकर इसे पूरा कराये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राज्य सरकार, जो बीस सूत्री कार्यक्रम का 8/9वां पाइन्ट है, जिसमें पावर बढ़ाने की बात कही गयी है, उसके अन्तर्गत इस प्रोजेक्ट की इम्पार्टेन्स को देखते हुए भारत सरकार के सम्मख यह बात रखगी ? क्या राज्य सरकार इस दृष्टि से इस पर विचार करने को तैयार है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : राज्य सरकार ने कई बार इस दिशा में प्रयत्न किया है। राज्य सरकार इस बात पर पूरी तरह से जागरूक है और यह मानती है कि कोटा में थर्मल प्लान्ट का होना राजस्थान के लिए आवश्यक है। जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पावर जनरेशन की जो बात कही गयी है उसमें कोटा के थर्मल प्लान्ट के लिए भी कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए बार-बार भारत सरकार को कहा गया है कि राजस्थान में हाईडल पावर है वह मानसून पर डिपेन्ड करती है तथा जो एटोमिक पावर प्रोजेक्ट है वह सक्सेसफुल्ली नहीं चल रहा है। उसकी पावर संदिग्ध रहती है इसलिए दूसरे स्थाई सोर्स की आवश्यकता रहती है। इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है और थर्मल प्लान्ट के बारे में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से चर्चा हुई है और उन्हीं से हुई चर्चा के आधार पर यहां यह आश्वासन दिया है कि प्रगति हो रही है और इसमें जल्दी ही सफलता मिलने की संभावना है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती उषा प्रकाश।

पंचायत समिति बैर के प्रधान द्वारा वेतन एवं भत्ते में अनियमितता

135. श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री राम-

(श्रीमती उषा प्रकाश)
स्वरूप गुप्ता, प्रधान, पंचायत समिति, बैर, जिला भरतपुर नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो वे इस पद पर कब से कब तक रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री गुप्ता ने पंचायत समिति के प्रधान और न्यास के अध्यक्ष आदि दोनों ही पदों पर एक साथ कार्य किया था और दोनों ही पदों के वेतन और भत्ते लिये थे ? यदि हां, तो न्यास के अध्यक्ष और पंचायत समिति के प्रधान के पद पर उस अवधि के दौरान लिये गये वेतन और भत्ते की रकम अलग-अलग बतावें।

(3) क्या राज्य सरकार इस प्रकार एक ही समय में दोनों स्थानों के भत्ते व वेतन उठाने को अनियमित या गलत मानती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) श्री रामस्वरूप गुप्ता, प्रधान, पंचायत समिति, बैर नगर विकास न्यास, भरतपुर के अध्यक्ष 22-1-67 से 21-1-70 तक रहे।

(2) जी हां। न्यास से 500 रुपये प्रति मास भत्ता व पंचायत समिति से 200 रुपये प्रति मास भत्ता दिया जाता था।

(3) जी नहीं।

श्रीमती उषा प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या एक ही व्यक्ति दोनों जगह से भत्ता या वेतन उठा सकता है ? वैसे इसका प्रावधान है परन्तु जैसा कि आपको विदित है विधायक, संसद सदस्य, जिला प्रमुख या प्रधान होता है तो शायद उसके लिये दोनों जगह से भत्ता उठाने का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगी कि अर्बन और रूरल दोनों स्थानों पर काम किया तो क्या वास्तव में उसने इन दोनों जगह की ड्यूटीज को निभाया है ? यह कैसे संभव हो सकता है ? यह दोनों जगह से जो भत्ता उठाया गया है क्या यह कानून-सम्मत है ? कृपया इस विषय पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें। दूसरे अगर यह कानून-सम्मत नहीं है तो क्या आप इस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां, यह कानूनन सही था। जब इनको भरतपुर नगर विकास न्यास का अध्यक्ष बनाया गया था तो उसी समय राज्य सरकार ने विधि विभाग से परामर्श लिया था और विधि विभाग ने इस को कानून-सम्मत बताया है इसलिए यह मैं कानून के अनुसार ठीक मानता हूं। दूसरा प्रश्न आपने यह किया है कि जिला परिषद् के प्रमुख जो एम० पी० या एम० एल० ए० होते हैं वे दोनों जगह से भत्ते या वेतन नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जो जिला परिषद् एक्ट बना है उसमें यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि वे एक ही जगह से आनरेरियम ड्रा करेंगे चाहे तो जिला परिषद् से या एम० पी० या एम० एल० ए० का।

श्रीमती उषा प्रकाश : क्या यह सही है कि एक ही व्यक्ति दो जगह पर नियुक्त हो सकता है और दोनों जगहों से भत्ते उठा सकता है ?

श्री रामनारायण चौधरी : कानूनी राय है कि दोनों जगह से उठा सकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वर्तमान कानून के प्रावधानों के अनुसार तो यह सही है। लेकिन क्या राज्य सरकार भविष्य के लिए यह नीति निर्धारित करेगी कि एक ही व्यक्ति को दो दो पदों पर नहीं रखा जावे ? क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि इसके लिए नीति निर्धारित कर दी जावे और इस प्रकार के जो वर्तमान में नियम हैं उनमें संशोधन कर दिया जावे ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। जहां तक मेरी स्वयं की राय है, राज्य सरकार की राय अभी मैं नहीं बता सकता, यह उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्रीमती उषा प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर नहीं आया है। क्या सरकार यह मानती है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट सिटी में होता है, और दूसरी तरफ पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र रूरल एरिया में होता है, इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति एक ही समय पर रहे तो क्या एक ही व्यक्ति दोनों स्थानों पर एक ही समय पर ड्यूटी दे सकता है और अपने कार्य के साथ न्याय कर सकता है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत पुराना है और इसका अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मैं स्वयं यह मानता हूं कि यह उचित नहीं है कि एक ही व्यक्ति को जिला प्रमुख या प्रधान और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाये। आगे का जहां तक का सवाल है हम इस पर ध्यान रखेंगे। अब यह बात बहुत पुरानी हो गई है। यह 67 का मामला है और आज 76 चल रहा है। नौ वर्ष पुराना यह मामला है। इसलिए जो जानकारी मैंने दी है, वह मैं समझता हूं काफी है। आगे का प्रश्न है तो इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि एक ही व्यक्ति को प्रधान/जिला प्रमुख व यू० आई० टी० का अध्यक्ष वगैरह नहीं बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती निर्मला कुमारी।

सेवा निवृत्त सैनिकों को कृषि भूमि एवं आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

136. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़)** : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त विकलांग या खेत रहे सैनिक परिवारजनों को किसी और तरह की आर्थिक सहायता पहुंचाने का राज्य सरकार ने नियम बना रखा है ? यदि हां, तो वह सहायताएं क्या हैं ?

(2) इसी नियम के तहत कृषि भूमि के आवंटन में भी सेवा-निवृत्त सैनिकों को प्राथमिकता दी जाये, इसका क्या कोई प्रावधान है ?

(3) क्या सैनिक या खेत रहे सैनिक के परिवारजनों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन में भी प्राथमिकता दी जाती है ?

(4) यदि हां, तो क्या राजस्थान के सभी जिला प्रशासकों के पास इस तरह के आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाते रहे हैं ?

Page No 5

(5)

राज्य मन्त्री, सैनिक कल्याण (श्री जुझार सिंह) : (i) जी हां। राज्य सरकार की आज्ञा संख्या डी/एस/रेवे०/एल०/ग्रार०/एस० एस०बी०/650, दिनांक 30-9-75 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों एवं स्थाई विकलांग सैनिकों को नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:—

1. जूनियर कमिशंड अधिकारी और इस रेंक के ऊपर के अधिकारी (क) 1,000/- रुपया नकद व 1,500/- रुपये के सुरक्षा प्रमाण-पत्र (ख) साढ़े बारह बीघा सिंचित या 25 बीघा असिंचित भूमि का आवंटन।

2. अन्य पद (क) 1,000/- रुपया नकद व 1,000/- रुपये के सुरक्षा प्रमाण-पत्र।

(ख) साढ़े बारह बीघा सिंचित या 25 बीघा असिंचित भूमि का आवंटन।

3. राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों व विकलांग सैनिकों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(2) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत नॉन-कमीशन्ड भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन के लिए 5वीं प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(3) जी हां। राजस्थान डिस्पोजल ऑफ अर्बन लैण्ड रूल्स, 1974 के नियम 17 के अन्तर्गत राजस्थान के मूल निवासी सैनिकों अथवा भूतपूर्व सैनिकों व देश की सीमा सुरक्षा करते खेत रहे सैनिकों के परिवारों को आवंटन के लिए सुरक्षित भू-खण्डों में से रिहायशी मकान बनाने के लिए 10 प्रतिशत भू-खण्ड रियायती दर पर आवंटन करने का प्रावधान है, इस नियम के अन्तर्गत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व खेत रहे सैनिकों के परिवारों को भू-खण्ड आवंटन निम्न प्राथमिकता से किए जाते हैं:—

1. देश की सीमा-रक्षा करते रहे सैनिकों की विधवाएं व उनके आश्रित,

2. विकलांग सैनिक,

3. अन्य सैनिक,

4. जी हां।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस प्रकार के आदेश दिये तो, यह आपके सब जिलों के लिए होते हैं तो निश्चित रूप से चित्तौड़ जिले में भी पहुंच गये होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में यह देखने को मिला है कि जहां पर भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन हुआ है उस आवंटन को निरस्त किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार से यह आश्वासन दे सकते हैं कि वहां पर जो सैनिक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा की उनकी भूमि इस प्रकार से निरस्त नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : Question not to be repeated.

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जो सैनिक खेत हुए हैं और जिनको पेन्शन मिलती है, यदि उनको 300 रुपये से कम मिलती है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
में विशेष सुविधा देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चित्तौड़ जिले में यह नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो नियम उन्होंने बताये हैं उनके तहत कितनी कृषि योग्य भूमि अब तक इनको मिली है और कितनी मकान बनवाने के लिए जमीनें शहरों में मिली हैं ? राजस्थान के अन्दर कितनी दी गई हैं, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है तो सैनिकों की तीन कैटेगरीज हैं एक तो ऐसे सैनिक जो कि लड़ाई में मारे गये हों उनकी फेमिलीज को जमीनें एलॉट करने का प्रश्न है या जो पर्मानेन्टली डिसएबल्ड हो गये हैं उनको जमीन एलॉट करने का प्रश्न है या गैलान्ट्री एवार्ड होल्डर्स हैं। इन तीन कैटेगरीज को निश्चित तौर से जमीन देने का प्रश्न है।

दूसरी कैटेगरी में वह सैनिक आते हैं जो फोर्स से नार्मल कोर्स में रिटायर होकर घर पर बैठे हैं। उनको भी प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जमीन उपलब्ध होने पर जमीन उनको मिलती है न कि उनके लिए जमीन उपलब्ध की जायगी। यदि गांव में जमीन उपलब्ध हुई तो प्रायोरिटी लिस्ट में पांचवें नम्बर पर वे आते हैं। वहां पर उस कैटेगरी में आते हैं तो जमीन उपलब्ध कराई जाती है।

जहां तक उन्होंने पूछा है कि चित्तौड़ जिले में किन्हीं सिपाहियों को दी हुई जमीनें वापिस ली जा रही हैं तो मेरी जानकारी में तो अभी कोई नहीं है। यदि कोई वे स्पेसिफिक केस देंगी तो पूछताछ कर ली जायगी कि किन कारणों से ऐसा किया जा रहा है। गवर्नमेंट एलाटेड जमीन वापिस लिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि वह कोई केस देंगी तो जानकारी कराऊंगा कि किन वजहों से उनकी भूमि निरस्त की जा रही है।

श्री नत्थासिंह यादव (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेंट्री का नोटिस ही नहीं फरमाया माननीय मंत्रीजी ने। ऐसी भी क्या नाराजगी है ?

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय सदस्या कह कर जवाब दे दिया।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन अभी तक जिन किल्ड इन एक्शन या पर्मानेन्टली डिसएबल्ड या गेलान्ट्री एवार्ड होल्डर्स को भूमि दी गई है उनकी संख्या 1177 के करीब है और उनको करीब 16719 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है राजस्थान केनाल और प्रोजेक्ट एरियाज में और 118 बीघा और 10 बिस्वा कोटा में सात सैनिकों को, जो उस कैटेगरी—किल्ड इन एक्शन, पर्मानेन्टली डिसएबल्ड और गेलान्ट्री एवार्ड होल्डर में आते हैं, उपलब्ध कराई है।

श्री नत्थासिंह : माननीय उपाध्यक्ष—

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल एरिया में जो जमीनें अब एलाट की जायेंगी उसमें रिटायर्ड फौजी पेन्शनर्स, जिनकी पेन्शन 200 रुपये के करीब है, की मांग को स्वीकार किया जायगा ?

श्री जुझारसिंह : अभी यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मोहरसिंह : 25 तारीख को जमीनें एलॉट होने को " तो कब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा ? अगर यह मामला आज दिन तक विचाराधीन रहेगा तो फौजी पेन्शनर्स जमीन पाने से वंचित रह जायेंगे। इसका सरकार क्या जवाब देती है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा है कि सैनिकों को बेदखल किया जा रहा है और माननीय मंत्री को जानकारी नहीं है तो शायद माननीय राजस्व मंत्रीजी को जानकारी होगी तो वह फर्मा दें।

श्री नत्थीसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से यही पूछूंगा कि जो एलॉटमेंट करते हैं फौजियों के लिए वह कितना कम से कम भूमि का करते हैं ? क्या जो फिगर्स आपने अभी दिये हैं राजस्थान में एलॉटमेंट करने के वह भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग फिगर्स हैं या एक ही हैं ? कम से कम कितनी है ?

श्री जुझारसिंह : जहां तक जमीन का प्रश्न है कि कितनी दी जायगी तो मैंने तीन कैटेगरीज—किल्ड इन एक्शन, पर्मानेन्टली डिसएबल्ड, गैलान्ट्री एवार्ड होल्डर के लिए बताया है कि कितनी कितनी जमीन दी जायगी वह 12½ बीघा सिंचित और 25 बीघा असिंचित जो किल्ड इन एक्शन और पर्मानेन्टली डिसएबल्ड हैं उनको और 25 बीघा सिंचित और 50 बीघा असिंचित जो गैलान्ट्री एवार्ड होल्डर्स हैं उनको । इनका यह रेश्यो है । और जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं उनको जो दूसरे भूमिहीनों को एलॉट की जाती है उतनी ही उनको दी जाती है और कोई स्पेशल रियायत नहीं है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि गैलान्ट्री एवार्ड होल्डर हैं या पर्मानेन्टली डिसएबल्ड हो गये हैं या किल्ड इन एक्शन हैं? उनकी टोटल संख्या कितनी है और उनमें से कितने लोगों को भूमि आवंटित की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा सप्लीमेंट्री था उसका जो दूसरा आइटम है उसका जवाब नहीं आया है । 18 तारीख को संयुक्त आयोग गया था और उसने जो एप्लीकेशन्स रिजेक्ट कर दी थीं उनकी अपील आज बीकानेर में सुनी जा रही है और आप कह रहे हैं कि, मासलन विचाराधीन है । ऐसे पेन्शनर का जिनकी पेन्शन 200 रुपये के करीब है, जमीन आवंटन से वंचित रह जायेंगे । उनका जवाब आज ही दीजियेगा कि क्या कर रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : जो गवर्नमेंट के विचाराधीन मामले हैं उनका फैसला मैं यहां

(श्री जुझारसिंह)

पर देने में असमर्थ हूं। यह बात आपकी नोट कर ली गई है। उस एरिया में आवंटन खत्म होने वाला नहीं है आग भी चलेगा और आपकी इस बात को ध्यान में रखा जायगा।

श्री मोहरसिंह : आज 18 तारीख को उनकी सुनवाई है और 25 तारीख को उनको नम्बर वगैरह बताये जायेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय उपाध्यक्षजी, बीकानेर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जहां पहले राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि आवंटित होती थी वहां पर कोई एक्स-सर्विसमेन लैण्डलेस की डेफिनेशन में आता है तो भूमि उसको पहले ही मिल सकती थी। अब 18 तरीख को जिन एप्लीकेशन्स को देखा जा रहा है वह वह हैं जो कि एलिजिबल होकर आई हैं। वहां पर जिनकी जांच हुई थी और तहसीलदार ने सर्टिफिकेट दिया है कि यह लोग भूमिहीन हैं उनकी जांच 18 तारीख को कालोनाइजेशन कमिश्नर द्वारा इस प्रकार से बीकानेर में हो रही है। उसमें भी उनके पास के जो पड़ौसी तीन जिले हैं उनमें जो भूमिहीन हैं उनकी भी दरख्वास्तें कन्सीडर हो रही हैं। उनमें अगर कोई भूमिहीन हुआ एक्स-सर्विसमेन ही भूमिहीन के रूप में उसके केस को कन्सीडर किया जायगा, उसको कहीं डिवार नहीं किया गया है, क्योंकि एक्स-सर्विसमेन भूमिहीन है वह जो दूसरे भूमिहीन हैं उनकी ही तरह भूमिहीन हैं। प्रश्न जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन है वह यह है कि जहां पर कुछ कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन किया गया था राजस्थान कैनाल में तो एक्स-सर्विसमेन के लिए रिजर्वेशन किया जाना चाहिए कि नहीं। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस पर निर्णय ले लिया जायगा और निर्णय लेने के बाद में कानून में उस तरह का संशोधन होगा। उनके केसेज को आज इनके साथ में कन्सीडर हम नहीं करेंगे।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि माननीय मंत्रीजी ने जैसा फर्माया कि एक्स-मिलिट्रीमैन को जो जमीन दी जाती है उसमें एक समस्या आ जाती है कि कालोनाइजेशन दफतर वाले एक्स-सर्विसमेन को भूमिहीन मानते ही नहीं हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें पेन्शन मिलती है और तुम भूमिहीन नहीं हो। वहां पर यह झगड़ा पड़ता है। यदि आपके पास में इसके लिए कोई क्लेरिफिकेशन हो तो यहां पर कर दें या वहां पर फर्मा दें।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि जिन सैनिकों को बहुत कम पेन्शन मिलती है अर्थात् 200 रुपये से कम पेन्शन मिलती वे यदि रिटायर हो गये तो उनके लिए पर्मानेन्टली भूमि एलॉट करने का नहीं सोचते हैं और ठीक नहीं समझते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान एग्रीकलचर लैंण्ड एलाटमेंट के रूल्स में जो प्रायोरिटी है उसमें 200 रुपये की पेन्शन का है कि नहीं यह मुझे नहीं मालूम है। मुझे मालूम नहीं कि उनको पेन्शन कम मिलती है क्योंकि अभी कुछ पेन्शन रिवाइज्ड हुई हैं, लेकिन कमीशन्ड आफिसर से नीचे जो नान-कमीशन्ड आफिसर्स हैं उनको एलिजिबल माना है, और मैं समझता हूं कि नान-कमीशन्ड आफिसर्स

(श्री परसराम मदेरणा)
में जो सूबेदार की रैंक तक के लोग हैं उन लोगों को एलिजिबल रूल में बना रखा है और राज्य सरकार के लिए इन्साफ का यह तकाजा है।

श्री गोपाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मोहरसिंह : जिनकी पेन्शन 200 या सवा 200 हो, जिनके पास जमीन 6 बीघा ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनकी आमदनी कम हो।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : गंगानगर का एक मामला था। एक एक्स मिलट्री मैन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां रहता था।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : वहां नहीं रहता था। आज आपका जवाब डिफरेण्ट सा है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : पेन्शन के नियम अलग अलग हैं। आप यह करते हैं कि सूबेदार रैंक वाले को ही जमीन दी जाएगी। जिनको 130 या रुपये 200 पेन्शन मिलती है, उनके लिए क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी विचार करने का कोई इरादा नहीं है।

मैं इसलिए कह रहा था, नान-कमीशन इसलिए रखा है, कि 200 रुपये इनकम होती है या 250 रुपये पेन्शन मिलती है। यह जो बात कहते हैं, वह अलग बात है। 6 बीघा जमीन है वह भूमिहीन है या वह कैप्टेन है। गंगानगर का यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। रूल्स में प्रावधान है, इसकी मैं जानकारी कर रहा हूं। जिसको रखा है, वह कैसा सर्विसमैन होना चाहिए आर्मी का और 15 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए आर्मी की। कोई आदमी साल डेढ़ साल में चला आता है। नान-कमीशन्ड होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो नहीं है। उषा जी के पास आथोरिटी होगी।

आमेर बाई पास सड़क का कार्य

137. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) [सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) की अनुपस्थिति में] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नेशनल हाई वे आठ दिल्ली से जयपुर मार्ग के बीच में आमेर है और जन सुरक्षा की दृष्टि से यहां से एक बाई पास स्वीकृत हुआ है तथा उस पर काफी काम हो भी चुका है ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बाई पास का कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब यह कार्य कब तक चालू कर पूरा कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां। आमेर बाई पास का कार्य बंध की घाटी व दिल्ली की ओर से 0/0 से 30 चेन के भाग को छोड़कर पूर्ण हो चुका है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) बंध की घाटी का कार्य प्रगति पर है। चेन 0/0 से 30 चेन के भाग का कार्य भूमि अवाप्तगी के बारे में उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्रीमती उषा प्रकाश : यह जमीन एक्वायर कर ली गई है। जमीन से उनको महरूम कर दिया गया है। फिर भी बाई पास नहीं मिल रहा है। आये दिन घटनायें होती हैं। अभी चार पांच दिन पहले घटना हुई। राज्य सरकार क्या यह उचित नहीं समझती कि बाई पास पूरा करा दिया जाये?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी जमीन है, उनको मुआवजा दे दिया गया है। वह महरूम नहीं हुए हैं। बाई पास इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे आर्डर आ गया। जब तक वह नहीं हट जाता है तब तक बाई पास के बारे में 0/0 से 30 चेन तक निकाला जा सकता है। कोई रुकावट नहीं है। केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें राज्य सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट को इस बात की दरख्वास्त दी है। लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं माना है। कहा गया कि इससे भी ज्यादा इम्पार्टेन्ट केसेज उनके पास हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या उनको भी आदेश दिये गये हैं कि हैवी ट्रेफिक है। उसको उधर डाइवर्ट कर दें। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है, घनी बस्ती से होकर रास्ता है। क्या राज्य सरकार इस बात के आदेश देगी?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, उनको सूचना दी गई है। माननीय सदस्या कह रही हैं कि उनको सूचना नहीं है तो फिर दे दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

केकड़ी बस स्टेन्ड पर आवासीय भू-खण्ड

188. **श्रीमती जमना सोलंकी** (केकड़ी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगरपालिका ने बस स्टेण्ड, केकड़ी पर उगम कंवर को आवासीय भू-खण्ड लीज पर दिया था?

(2) क्या उगम कंवर की इस आवासीय भूमि पर कभी कोई निर्माण हेतु कोई आज्ञा नगरपालिका ने दी है?

(3) क्या पड़त जमीन जिसकी कीमत 4,009 रु० है, केवल 90 रुपये में फर्जी मलबा बताकर श्री गुरबक्षसिंह को हस्तान्तरित कर दी गई?

(4) क्या इस प्रकार से फर्जी मलबा बताकर नगरपालिका की भूमि हस्तान्तरित कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कार्यवाही करेगी?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) दिनांक 23-4-67 को पक्की दुकान तामीर करने की इजाजत नगरपालिका के द्वारा दी गई थी।

(3) नगरपालिका के अनुसार इस जमीन की कीमत 4,000 रु० नहीं है।

(श्री रामनारायण चौधरी)
श्रीमती उगम कंवर ने श्री गुरबक्षसिंह को दिनांक 27-3-74 को इस भू-खण्ड के मलबे को 90 रु० में विक्रय किया था।

(4) इस सम्बन्ध में जांच कार्यवाही की जा रही है। दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती जमुना सोलंकी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि 4,000 रु० की लागत की जमीन नहीं है, यह सच नहीं है लेकिन 4,000 रु० से ज्यादा कीमत पड़ती है। इसको दूसरे को बेचान करना कहां तक उचित है? इसकी जांच करा कर दोषी व्यक्तियों को सजा दें।

श्री रामनारायण चौधरी : उनका कहना है कि 90 रु० में बेची नहीं गयी है। 90 रु० में मलबा दिया गया है। यह श्रीमती उगम कंवर को लीज पर दी गई है जिसकी अवधि 1979 तक है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : 90 रुपये में मलबा दे दिया गया है। म्युनिसिपैलिटी के जो लीज होल्डर हैं तो इस तरह से दूसरे को ट्रान्सफर क्यों की गई है? क्या यह जानकारी हासिल करना सब्जेक्ट ग्रॉफ दी हाउस नहीं है?

श्री रामनारायण चौधरी : यह जमीन उगम कंवर को 1965 में 7 साल के लिए लीज पर दी गई थी। 1972 में इसका फिर रिन्युअल सात साल के लिए हुआ है, जिसकी अवधि 1979 तक के लिए होगी। इस प्रकार से उगम कंवर से गुरबक्षसिंह ने उन्हीं शर्तों पर ले ली। नगरपालिका ने उन्हीं शर्तों पर गुरबक्षसिंह को लीज पर ट्रांसफर कर दिया है।

श्रीमती उषा प्रकाश : यह ट्रांसफर क्या उचित था?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह नहीं दे सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर यह सही है कि ओरिजनल लीज 1965 में दी गई है। और 7 वर्ष के लिए दी गई है तो उगम कंवर को फर्दर सब-लेट करने का उन्हीं शर्तों पर कोई अधिकार नहीं दिया गया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसने सब-लीज पर दी है। यह म्युनिसिपल रूल्स के खिलाफ है।

श्री मानकचन्द सोगानी : अजमेर पूर्व जहां तक उगम कंवर ने गलती की है सो तो है ही, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने उसको कैसे स्वीकार किया है डी० एल० बी० से उसको अनुमति कैसे मिली, इसका क्या जवाब है?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : क्या म्युनिसिपैलिटी से उस जमीन को हस्तान्तरित करने की इजाजत ली गई थी, लीजी को ट्रान्सफर करने का कोई राइट नहीं है।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि उस जमीन की साइज क्या है और उस के अड़ोस पड़ौस में कौन कौन हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : बीस गज कुल जमीन है, जैसा कि मैंने, उपाध्यक्ष महोदय,

Page No 12

(12)

(श्री रामनारायण चौधरी)
प्रश्न (4) के जवाब में भी दिया है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। और यह पाया गया कि नियमों के खिलाफ हुआ है तो उचित कार्यवाही की जायगी और लीज को कैन्सिल करने की भी कार्यवाही की जायगी।

श्रीमती जमुना सोलंकी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इतना और बता दें कि यह कार्यवाही कितने समय में हो जायगी, मेरे प्रश्न का जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : कब तक हो जायेगी ?

कई माननीय सदस्य : अश्रव्य।

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या 139

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ? श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट : श्री रामानन्द अग्रवाल।

आबादी भूमि का कन्वर्शन चार्जेज

140. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के भू.पू. महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह ने अपनी कोठी फूलबाग कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराये बिना ही बना ली है ?

(2) उक्त कोठी फूलबाग का क्षेत्रफल कितने वर्ग गज है और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलॉटमेंट लैण्ड कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड फार रेजीडेन्शियल एन्ड कामर्शियल पर्पजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1971 के तहत इनके कितने कन्वर्शन चार्जेज बनते हैं ?

(3) क्या उक्त श्री प्रतापसिंह ने रिहायशी कार्य के लिये या कोई व्यापारिक कार्य के लिये भी कृषि भूमि का परिवर्तन किया हुआ है ? यदि हां, तो वह क्षेत्रफल कितना है और उसका कन्वर्शन चार्जेज कितना बनता है ?

(4) क्या उक्त श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध प्रश्न संख्या 2 में वर्णित नियमों के तहत कन्वर्शन चार्जेज वसूल करने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में पुरानी वसूलियां वसूल करने के आदेश जिलाधीशों को आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद दिये थे ? यदि हां, तो उक्त भू. पू. महाराजकुमार श्री प्रतापसिंह से यह कन्वर्शन चार्जेज कब वसूल किये गये ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) क्षेत्रफल 1,16,311 वर्ग गज है जिसके कन्वर्शन चार्जेज अनुमानतः 46,55,197 रुपये 80 पैसे बनते हैं।

(श्री मूलचन्द मीणा)

(3) श्री प्रतापसिंह द्वारा रिहायशी एवं व्यापारिक कार्य के लिये दिये गये कृषि भूमि के परिवर्तन व अनुमानित चार्जेज का विवरण निम्न प्रकार है:—

किस्म	क्षेत्रफल (वर्ग मील)	कनवर्शन चार्जेज
रिहायशी	72,751	14,40,469.80
व्यापारिक	43,560	32,14,728.00
योग ..	1,16,311	रु० 46,55,197.80

(4) जी हां, श्री प्रतापसिंह को नोटिस दिया गया है और मामला अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधीश के समक्ष विचाराधीन है।

(5) जी हां, अनधिकृत परिवर्तन नियमित करने योग्य है अथवा नहीं। व यदि है तो परिवर्तन शुल्क क्या हो यह मामला जिलाधीश के पास विचाराधीन है ? अतः तब तक वसूली का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि श्री प्रतापसिंहजी को पहले वसूली का नोटिस कौनसी तारीख को दिया गया है ?

राजस्व मन्त्री: (श्री परसराम मदेरणा) : श्री प्रतापसिंह को पहला नोटिस 10-1-74 को दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 10-1-74 के बाद दो साल और दो महीने गुजर गये, अब तक वसूली करने की ओर क्या क्या कार्यवाही हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : उनका आब्जेक्शन यह था कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आब्जेक्शन कौनसी तारीख का है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न चार में इस प्रकार है कि क्या उक्त श्री प्रतापसिंह के विरुद्ध प्रश्न संख्या 2 में वर्णित नियमों के तहत कन्वर्शन चार्जेज वसूल करने की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? इस सम्बन्ध में जो जो एक्शन आपने लिये हैं वह आपको बतलाने चाहिए, कौन कौन सी तारीख को यह कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई तो इसका जस्टीफिकेशन बताना चाहिए। एक तरफ तो आप 4.6 लाख रुपये वसूली योग्य बता रहे हैं, आज छोटे-छोटे काश्तकारों की कुर्कियां की जाती हैं, उनके गाय, भैंस और बैल बेचे जाते हैं और दूसरी तरफ युवराज के विरुद्ध 47 लाख रुपये आप ड्यू बता रहे हैं। आज जहां पर बीस सूत्री कार्यक्रम के अमल पर लगे हुए हैं तो यह भी उसका एक अंग समझना चाहिए कि जो लोग वसूली नहीं दे रहे हैं उनसे वसूली करनी है माननीय वित्त मन्त्री ने ऐसा ही एक अभियान चला कर वसूली भी की है तो फिर आपका विभाग क्यों नहीं इसमें सहयोग देता है ? 47 लाख रुपये वसूल करने में आपको क्यों दिक्कत आ रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : बीस सूत्री कार्यक्रम का यह वसूली का कोई सूत्र नहीं है। वसूली तो सरकार के नियमों के अनुसार

(श्री परसराम मदेरणा)
पहले से ही होती रही है और लेण्ड रेवेन्यू के जो भी एरियर होते हैं उनकी वसूली होनी चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई आर्थिक आफेन्स करते हैं या जो टैक्स ड्यू है उनकी चोरी हुई है उसके सम्बन्ध में कदम उठाये जाने चाहिए और अभी तो उनकी प्रोपर्टी को वेल्यूएट करने की बात भी है, इसके अलावा जो ब्लेक-मनी के थ्रू गवर्नमेंट का लॉस करते हैं, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इमर्जेन्सी होने के बाद से रिकवरी शुरू हो गई है, यह सही नहीं है। रिकवरी करने का तो एक पर्टीक्यूलर पीरियड होता है और नियम होते हैं उनके अनुसार रिकवरी होती रही है और अभी भी हो रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम में कोई रिकवरी का सूत्र अलग से नहीं है, आर्थिक का तो है। और एक क्वेश्चन के जवाब में वित्त मन्त्रीजी ने कहा भी है कि तीन करोड़ की अधिक वसूली की है।

श्री प्रतापसिंहजी, एक्स-राजकुमार, उनसे कन्वर्शन चार्जेज की डिमाण्ड बने और उसकी वसूली की जाय यह मामला कलेक्टर के पास विचाराधीन है, इसमें कानूनी मुद्दे भी हैं। क्योंकि पहले उनको यह मानकर नोटिस दिया गया था कि वह जमीन किसकी है, उसके सम्बन्ध में कलेक्टर ने यह महसूस किया कि 90(ए) का हवाला दिया है, उसमें उनको लिया जाना चाहिए। यह गवर्नमेन्ट की सिवाय चक की जमीन है यह अलग है इसके अलग-अलग रूल्स और अलग-अलग प्रावधान है। अब अगर यह प्राइवेट प्रोपर्टी है, और कोवेनेन्ट के अन्दर सरकारी जमीन का उल्लेख है और फूल-बाग के अन्दर जो छतरी बनी हुई है वह उनकी प्रोपर्टी है. अब उनके दिमाग में यह है कि रिकार्ड से देखा कि सिवाय चक की जमीन होनी चाहिये। इसलिए डिमाण्ड में परिवर्तन की बात सोच रहे हैं और यह मामला सारा जिलाधीश के विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्रीजी को यह बताना चाहिये कि यह जमीन किस प्रकार की है, इनकी है या सरकारी है। सरकारी जमीन हुई तो उनसे एडीशनल वसूली की जाय। मैंने केलकुलेट करके हिसाब लगाया है कि यदि यह उनकी जमीन खुद की भी है तो 44 लाख 45 हजार 838 रु० बनते हैं और सरकार की है तो डेढ़ रुपये गज के हिसाब से और ज्यादा वसूली करेंगे तो 2 लाख दस हजार एक सौ और कुछ रुपये ज्यादा वसूल करेंगे। यह महाराज कुमार का ऐतराज है क्या कि आप ज्यादा वसूली करना चाहते हैं? महाराज कुमार को ज्यादा से ज्यादा यह ऐतराज हो सकता है कि यह जमीन मेरी है तो यह दो लाख रुपया छोड़िये। जो अन-कन्ट्रोवर्शियल है, 44,45,838 इस सारे को पेंडिंग क्यों कर दिया? डिस्प्यूट तो दो लाख का है, मंत्री महोदय यह समझें कि वह ढाई रुपया फी गज आप ज्यादा ले सकते हैं, अगर आपकी जमीन है। आपके हिसाब से 18 रुपया रेजिडेंशियल का है और सरकारी जमीन का 19 रुपया है, कार्मशियल का 72 रुपया है, सरकारी जमीन का 73.50 रुपये हैं। यह रूल्स के मुताबिक डेढ़ रुपये का फर्क है, तो यह आर्डर क्यों नहीं देते कि वसूल कर लिया जाय? फार द टाईम बीग इसे अनकन्ट्रोवर्शियल मान कर 44,45,838 वसूल कर लिये जायं और दो लाख फैसला होने के बाद वसूल हो जायं, इसमें क्या आपत्ति है?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कानूनी मुद्दा है, दो तरह की डिमान्ड मान लें, यह सिवाय चक जमीन मान सकते हैं, सिवाय चक जमीन हो तो दो लाख का फर्क पड़ेगा, नहीं मानेंगे सिवाय चक जमीन तो फर्क नहीं पड़ेगा । सरकारी डिमाण्ड होती है वह फर्म डिमाण्ड होती है, रुपये पैसे में । विवरिंग वे में अनकन्ट्रोवर्शियल मान कर अभी वसूल कर लें और बाद में फैसला ले लें यह उचित नहीं है । डिसीजन यह लेना पड़ेगा, कलेक्टर को रूल्स के अन्तर्गत फैसला लेना पड़ेगा, वह यह लेना पड़ेगा कि यह सरकारी जमीन है या उनकी जमीन है । सरकारी जमीन है तो उसकी फर्म डिमाण्ड बनेगी, सरकारी जमीन नहीं है तो भी फर्म डिमाण्ड बनेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि 31-12-75 को कलेक्टर ने लैंड रिफार्म्स एण्ड लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत फैसला दे दिया है, महाराज कुमार की जमीन मान ली है और 44,45,838 की वसूली होने का इनडाइरेक्ट फैसला हो गया है ? यह फैसला 31-12-75 को किया है, वह तमाम प्रापर्टी इनकी है, नाजायज है उसका फैसला दिया है जमीन को कब्जे में मान कर, उसकी काश्त मान कर खातेदारी मान ली है । यह इनडाइरेक्टली फैसला हो गया है तो 45 लाख रुपया सरकार का है, वह क्यों छोड़े हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड लैंड इक्वीजीशन एक्ट के तहत जो फैसला है, वह डिफरेंट है । इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है । सवाल कन्वेंशन का है । उसमें क्या मान लिया है, क्या नहीं यह फैसला मेरे पास नहीं है । क्या फाईडिंग दी हैं, वह उनका पूरा जजमेंट मेरे सामने नहीं है क्योंकि दोनों का सम्बन्ध है, पहले रेगुलेराइजेशन की बात का नोटिस किया, उसके बाद रिकार्ड देख कर दिमाग में यह बात आयी । हम सोचते हैं कि इस मुद्दे का फैसला हो जाय तो फर्म डिमाण्ड कायम कर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने ऊपर से आदेश दिया है कि इस प्रकार की वसूली अभी से न की जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने ऐसा आदेश नहीं दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि कलेक्टर की चिट्ठी आयी है कि इस प्रकार की वसूली महाराजकुमार के खिलाफ पेंडिंग है, उसकी वसूली करनी है ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आपकी जानकारी में क्या है, सरकार की 45 लाख की वसूली पेंडिंग है और सरकार वसूल नहीं कर रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार का लैटर आया है, जिसके ऊपर सरकार ने ऊपर से स्टे आर्डर दिया है । क्वेश्चन यह है यह मेरी इन्फार्मेशन में नहीं है । आप इन्फार्मेशन ले सकते हैं । जो क्वेश्चन का पार्ट है उसका दायरा ज्यादा विस्तृत हो जाता है इससे, ऐसा लैटर सरकार के पास आया है क्या ? सरकार ने, मैं जहां तक सोचता हूं, कोई स्टे आर्डर की बात नहीं की है । मेरी सेक्रेटरी से कल बात हुई है, कलेक्टर से आज बात की है । अगर ऐसा होता तो वह बता देते

(श्री परसराम मदेरणा)
कि सरकार ने आदेश दे दिया है, रिकवरी न की जाय। गवर्नमेन्ट का लैटर आया हुआ होगा-यह मेरी जानकारी में नहीं है, लैटर दिया होगा-हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे जानकारी नहीं है। हर एक क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन ऑपरेटिव, रिलेटिव प्रश्न हो तो जवाब दे सकता हूं। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते, बीसों बात आपकी जानकारी में है, जिनका क्वेश्चन में उल्लेख नहीं किया है, अंकित नहीं किया है, उनका जवाब में दे सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमल कमेटी में यह प्रश्न उठाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

भेड़ व ऊन सुपरवाइजर, दौसा की कार्यालय में अनुपस्थिति

141. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)**: क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री पी.डी. ओझा (जो वर्तमान में दौसा भेड़ ऊन विभाग में सुपरवाइजर हैं) अपने कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहे ?

(2) क्या आपकी अनुपस्थिति के स्थानों पर एस०डी०एम०, दौसा व जिला भेड़ ऊन अधिकारी, जयपुर ने क्रास बना दिये हैं ? यदि हां, तो किन तिथियों में ?

(3) क्या सरकार ने इस बाबत कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि श्री ओझा प्रायः बिना छुट्टी व अनुमति लिये मुख्यालय छोड़ देते हैं और जयपुर आते रहते हैं ? यदि नहीं, तो वे कितनी बार जयपुर आये व इस बाबत छुट्टी व अनुमति किससे ली ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि श्री ओझा व अन्य सरकारी कर्मचारी एक ही रजिस्टर में हाजिरी बनाते थे ?

(6) क्या श्री ओझा की अनुपस्थिति में अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा क्रास लगा देने के कारण उन्होंने अपनी हाजिरी के लिये अलग रजिस्टर बना लिया है तथा जिसे वे ताले में बन्द रखते है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(7) क्या इस प्रकार ताले में रजिस्टर रखना उचित व नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो फिर श्री ओझा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन (श्री मन्शीलाल महावीर) : (1) जी नहीं। श्री ओझा केवल दिनांक 1-9-75 से दिनांक 3-9-75 तक अनुपस्थित रहे।

(2) जी हां। सूची 'अ' संलग्न है।

(3) अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

(श्री मुंशीलाल महावर)

(4) जी हां। सूची 'ब' सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(5) जी हां।

(6) जी हां। 1 जनवरी, 76 से।

(7) जी नहीं। उन्हें आवश्यक हिदायत कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं पूछना चाहता हूं कि तारीख 3-7-75 से 24-1-76 तक 25 दिन लगातार सिर्फ जयपुर विदाउट परमिशन आये और तारीख 1-9-75 से 3-9-75 तक बिना किसी कारण के गैर हाजिर रहे और एस० डी० एम० दौसा ने उनके ऊपर क्रास लगाये ? यह बात अलग है, विदाउट परमिशन और यहां आने पर एस० डी० एम० द्वारा क्रास लगाना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा गैर हाजिर पाने पर क्रास लगाना, उसके बावजूद अपना अलग हाजिरी रजिस्टर बनाकर उसको लॉक में रखना—इसके बारे में क्या कार्यवाही करने की डाइरेक्टर के स्तर पर सिफारिश की गई और आपने क्या निर्णय लिया ?

श्री मुंशीलाल महावर : जैसा कि दौसा से आने वाले माननीय सदस्य श्री सामरिया ने ओझा प्रसार अधिकारी के बारे में पूछा है, जब जब अनुपस्थित रहा 1-9-75 से 3-9-75 तक तो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट दौसा ने और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्रास का निशान लगाया है। उसके सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही चालू है। दूसरे विदाउट परमिशन आया, और अलग से रजिस्टर खोल कर उसमें हाजरी करना शुरू कर दिया है—उसके बारे में हमारे यहां से दिनांक 14-3-76 को वार्निंग दे दी गई है और जब जब विदाउट परमिशन आया है उसके औचित्य के बारे में, किस वजह से बिना परमिशन के आया है, दवाई लेने आ गया है, या मीटिंग में आया है, या भेड़ों में बीमारी फैल जाने की वजह से इमीजियेटली मेडीशन लेने आ गया है। इसके बारे में सरकार पूरी जांच करके फाइनल निर्णय लेगी और नियमानुसार जो कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह सही है कि जो कुछ कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डाइरेक्टर ने आपको प्रपोज की उस कार्यवाही के बारे में आपने इसलिए मना कर दिया कि आप उस व्यक्ति से डरते हैं, वह आपके गुरु का आदमी है ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रसार अधिकारी से मैं डरता हूं ऐसी बात नहीं है। मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम हूं; लेकिन कोई प्रस्ताव आया नहीं था अगर डाइरेक्टर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखें तो मैं जरूर नियमानुसार निर्णय लूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसके बारे में आप कब तक निर्णय ले लेंगे ? यह बहुत बड़ा काम नहीं है, आप रजिस्टर मंगा लीजिये, उसमें अनुपस्थित है, वह विदाउट परमिशन आया है, तीन महीने में पच्चीस बार विदाउट परमिशन जयपुर में रहा। मैंने कहा कि आप अक्षम हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं

Page No 18

(18)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कर सकते हैं। आप यह फर्मा दें कि आप निर्णय कब तक ले लेंगे? जब तक मिनिस्टर रहेंगे तब तक ले लेंगे, 1977 तक ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आयन्दा भी मिनिस्टर रहेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस पीरियड में ले लेंगे ?

श्री मुंशीलाल महावर : जैसा मैंने निवेदन किया है, जिन-जिन तारीखों को अनुपस्थित रहा है, उसके बारे में अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : विचाराधीन कार्यवाही की अवधि तो कोई हो।

श्री मुंशीलाल महावर : विदाउट परमिशन आया है, मैंने स्पष्ट बता दिया है, उसके औचित्य पर विचार किया जायेगा। दोषी पाया जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी, कोई किसी की परवाह नहीं की जायेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ? अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन कब तक रहेगी ? क्या इतनी बड़ी समस्या है जो दिमाग में बैठ नहीं रही है ? अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है, यह कब तक चलेगी ?

एक माननीय सदस्य : अगले सत्र के शुरू होने तक।

श्री मुंशीलाल महावर : मैंने निवेदन कर दिया है, विचाराधीन है उस पर जल्दी निर्णय ले लेंगे। फिर भी माननीय सदस्य बेकार परेशान हैं। उन्हें छोटे अधिकारी से प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह आपकी परेशानी है, आपके बहुत लम्बे चौड़े डाइरेक्शन हैं वह कुछ नहीं है। मैं परेशान किसी वजह से नहीं हूं। मैं डाइरेक्ट बता रहा हूं, मैंने बताया है कि 25 दिन वह गैर हाजिर रहा, अलग रजिस्टर खोल कर उसे ताले में रखता है। उसने गवाही दे दी। मैं परेशान नहीं हूं। आपको जरूर है परेशानी। मैं आपकी सरकार से परेशान नहीं हूं। मुझे कौन परेशान कर सकता है। वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति के दबाव के कारण आप अनुशासनात्मक कार्यवाही को विचाराधीन कब तक रखेंगे—इसलिए परेशान हो गया।

श्री मुंशीलाल महावर : अलग से यदि तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो उचित कार्यवाही की जायगी लेकिन ख्वामख्वाह आरोप लगाना; मैं समझता हूं, उचित नहीं है। वह इलाज कराने गये थे, दवाइयां किसी दुकान पर रख गए तो पुलिस में एफ० आई० आर० भी दर्ज करवाई है मैं समझता हूं, एक तरफ भेड़ों में ज्यादा बीमारी फैली हुई है और वह भागादौड़ी कर रहा हो और उसके खिलाफ आपने कार्यवाही की है या करवाई है......

(शोरगुल)

श्री मूलचन्द सामरिया : मंत्री स्तर की बात कर रहे हैं या..

श्री श्रीराम गोटेवाला : राज्य मन्त्री के स्तर की बातें हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया: मंत्रीजी कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट करवाई है, मैं उसके खिलाफ प्रिजुडिस हूं। क्या मुझे अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा प्रश्न पूछूं जिसका जवाब हां या ना में आए? मेरे प्रश्न का जवाब करीब हां ही है। इस प्रश्न के अलावा जो दवाइयों की चोरी का केस पुलिस में रजिस्टर हुआ, इसकी रिपोर्ट के लिए एक्सप्लेनेशन वहां की पुलिस मांगे, एक्सप्लेनेशन के बदले में आप सिफारिश करें, उनको छुड़वायें, मंत्री की हैसियत से सदन में स्टेटमेंट दें कि वह दवाइयां देने जा रहा था, दुकान पर रखी इसलिए चोरी नहीं थी, क्या मंत्री का यह जवाब पुलिस को प्रिजुडिस नहीं करेगा? I want your ruling.

श्री मुंशीलाल महावर: अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

आवासीय भूखण्डों का नियमन

142. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि बालोतरा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं० 7, 6, 8, 2 व 5 में लगभग 1500 लोगों को आवासीय भूखण्डों को नियमित करने के आदेश जुलाई 1971 में राज्य सरकार ने किये थे? यदि हां, तो इन आदेशों की अनुपालना में अब तक कितने लोगों को पट्टे दिये जा चुके हैं?

(2) बालोतरा नगरपालिका क्षेत्र में पट्टे देने में विलम्ब होने का क्या कारण है? क्या सरकार पट्टे देने के सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) जी हां। 84 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

(2) नगरपालिका द्वारा ले आउट प्लान भूखण्डों पर किए गए कब्जों के कारण पुनः बनाया जा रहा है क्योंकि पूर्व के ले आउट प्लान को वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया।

श्रीमती मदनकौर: 5 वर्षों में केवल 84 पट्टे दिए गए। इससे अपने आप में बात साफ है कि नगरपालिका के सामने किसी न किसी प्रकार की कठिनाई है जिसकी वजह से वह पट्टे नहीं दे पा रही है और नगरपालिका ने राज्य सरकार से इस संबंध में टाउन प्लानर का कैम्प बालोतरा में रखने और एक अतिरिक्त ओवरसीयर की मांग की, क्या यह सही है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की?

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, अलग से ओवरसीयर की व्यवस्था कर दी गई है, वह बालोतरा जाएगा और वहीं रहकर इस ले आउट प्लान को तैयार करेगा। डिप्टी टाउन प्लानर जोधपुर को आदेश दे रहे हैं कि बालोतरा में कैम्प रखें और ले आउट प्लान, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय करें और नगरपालिका को सुपुर्द करें ताकि नगरपालिका बचे हुए भूखण्डों की पट्टेदारी कर सके।

Page No 20

(20)

श्रीमती मदनकौर : कम से कम आप समय निर्धारित कर दें—एक महीना, दो महीने, तीन महीने। कब वह बालोतरा में कैम्प रख पायेगा ? काफी समय से नगर-पालिका निवेदन कर रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने 15 दिन का नाम लिया है। डिप्टी टाउन प्लानर एक सप्ताह में वहां पहुंच जायगा और 15 दिन वहां रहेगा, नगरपालिका से कन्सल्टेशन करके, ले आउट तैयार करके नगरपालिका को दिया जायगा। एक सप्ताह में वह पहुंच जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ।

चौहान इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन, गोटन (नागौर) पर वाणिज्य कर की बकाया

143. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या वाणिज्य एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चौहान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, गोटन, जिला नागौर पर वाणिज्य कर की कुल कितनी रकम दिनांक 1 मार्च, 1976 तक बकाया है तथा कौनसे वर्ष तक का असेसमेंट हो चुका है ?

(2) पिछले वर्ष का असेसमेंट का ब्योरा व उसमें से कितना भुगतान किया, कितना बकाया है, उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्बंधित कॉरपोरेशन पर यह सेल्स टैक्स की रकम किस धंधे की बकाय है ? बकाया रकम की वसूली के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए ?

(4) क्या इस कॉरपोरेशन के पास गोटन, जिला नागौर में चूने के पत्थर की लीज है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस कॉरपोरेशन की लीज को रद्द करने के लिए कभी संबंधित विभाग को लिखा था ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) मैसर्स चौहान इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन गोटन, जिला नागौर पर बिक्री कर की बकाया, उसके द्वारा दिए गए प्रपत्रों के अनुसार जिनमें वर्ष 1971-72 की रकम प्रपत्र पेश नहीं होने से सम्मिलित नहीं है, रु० 42,496.86 रहती है। वर्ष 1965-66 से 1966-70 तक का पूर्ण कर निर्धारण किया जा चुका है तथा वर्ष 1970-71, 1974-75 व 1975-76 की कुछ तिमाहियों का प्रावधिक (प्रोविजनल) कर निर्धारण किया गया है।

(2) पिछले दस वर्षों में किए गए कर निर्धारण, इनमें निकाली गई मांग तथा व्यवसायी द्वारा जमा की गई रकम का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

वर्ष 1970-71 से 1975-76 तक के बकाया कर निर्धारण करने की कार्यवाही चल रही है।

(3) व्यवसायी के विरुद्ध कली व चूने की बिक्री पर देय कर की बकाया है। इसके कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

(4) हां लीज है। इसे रद्द करने के लिए नहीं लिखा गया।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं पूछना चाहता हूं कि 1971-72 के प्रपत्र पेश नहीं किए गए उसके लिए क्या कार्यवाही की है ? और 1972-73 में प्रपत्र प्रस्तुत हुए, असेसमेंट हुआ था तो उससे पूर्व वर्ष के प्रपत्र क्यों नहीं मांगे गए ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्षजी, निश्चित रूप से इसमें गलती रही है। जिन अधिकारियों ने इस केस को डील किया है उनकी गलती रही है। 1971-72 के रिटर्न्स न आने के बावजूद भी उन पर कठोर कार्यवाही नहीं की गई। मैं माननीय सदस्य का इस बात के लिए आभारी हूं कि वह यह बात सरकार के ध्यान में लाए। हम इस पर उचित व कठोर कार्यवाही कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : अब क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? कब तक कर लेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : आप ख्वामख्वाह उतावले हो रहे हैं। मैंने माननीय सदस्य का आभार प्रकट किया है कि वह मेरे ध्यान में यह केस लाए हैं। मैंने कहा है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सन् 1970-71 से जो करीब 30,000) रु० की धनराशि बकाया है, क्या उस पर ब्याज लगाने का भी प्रावधान है पेनल इन्ट्रेस्ट वगैरह ?

श्री चन्दनमल बैद : जो 1971-72 की रकम बकाया है उसके लिये प्रावधान यह है कि जितनी रकम बकाया है उसकी 50 पर्सेन्ट तक पेनल्टी लगाई जा सकती है और 50 प्रतिशत तक ब्याज लगाया जा सकता है। तो जितनी रकम बकाया निकलेगी उससे दूनी रकम निश्चित रूप से वसूल की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर आगोर की सीमा में कृषि भूमि का बेचान

144. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर नगरपालिका की सीमा से लगती हुई महावीर कोलोनी के समीप बाड़मेर आगोर की सीमा में किन किन व्यक्तियों ने सन् 1973 से लगायत आज तक कितनी कितनी कृषि भूमि खातेदारों से खरीद की है ? सूची मय प्रत्येक की खरीद की राशि का विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त खरीददारों ने कितनी कितनी भूमि किस किस राशि में कृषि उपज मंडी बाड़मेर को बेची है, का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या कृषि उपज मंडी, बाड़मेर के कार्यालय हेतु निजी स्तर पर खरीदी गई कृषि भूमि को मंडी के अधिकारियों द्वारा आबादी में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार को निवेदन किया है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(4) क्या यह सही है कि यदि इस भूमि को प्राप्त करने हेतु इन अधिकारियों द्वारा पहिले से जिलाधीश बाड़मेर को निवेदन करके भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती तो मंडी को बहुत ही लाभ होता और इस भूमि का नगण्य मूल्य

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
ग्रदा करना पड़ता ग्रौर वह कदम नियमों के ग्रनुरूप भी होता ?

(5) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी के ग्रधिकारियों द्वारा यह भूमि क्रय करने के बाद ग्रासपास के कृषकों ने कृषि भूमि खेतों के छोटे छोटे खंड करके भारी कीमत में बेचान करने शुरू कर दिए हैं ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या इस प्रकार किए गए कृषि भूमि के बेचान राजस्थान काश्तकारी ग्रधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है ?

(7) क्या राज्य सरकार इस प्रकार कृषि भूमि के बेचानों द्वारा हस्तानान्तरित की गई भूमि को ग्राबादी में परिवर्तन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या इससे ग्रनुचित कार्यवाही करने वालों को बल नहीं मिलेगा ?

(8) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रनुचित कार्यवाही को रोकने ग्रथवा निरस्त करने के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(9) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी के लिए खरीद की गई भूमि के पास बाड़मेर नगरपालिका ने काश्तकारों के राज्य सरकार के माध्यम से ग्रवाप्त करके 35 रुपए प्रति बीघा जमीन के हिसाब से प्राप्त की है जब कि कृषि उपज मंडी के लिए खरीद की गई जमीन एक हजार रुपये प्रति बीघा से भी ग्रधिक कीमत पर खरीदी गई है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचंद मीणा) : (1) बाड़मेर नगरपालिका की सीमा से लगती हुई महावीर कॉलोनी के समीप बाड़मेर ग्रागोर की सीमा में जिन जिन व्यक्तियों ने सन् 1973 से ग्राज तक जितनी भूमि खातेदारों से खरीद की है उसकी सूची (क) खरीद की राशि दर्शाते हुए संलग्न है।

(2) उक्त खरीददारों में से केवल श्री लक्ष्मणदान एवं रामचन्द्र पुत्रान पदमदान ने तीन बीघा चार बिस्वा भूमि रु० 350) प्रति बीघा की दर से रु० 1120) में कृषि उपज मंडी बाड़मेर को बेची है।

(3) जी नहीं।

(4) ग्रवाप्ति की कार्यवाही के परिणामस्वरूप क्यां मुग्रावजा देना पड़ता, यह कह सकना संभव नहीं है।

(5) कुछ बेचान किए हैं। विवरण सूची (ख) में ग्रंकित है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(6) कौनसे बेचान राजस्थान काश्तकारी ग्रधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, इस हेतु जिलाधीश ने तहसीलदार को सर्वे करने का ग्रादेश दिया है।

(7) इस भूमि को ग्राबादी में परिवर्तन करने हेतु राजस्व विभाग को ग्रभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुग्रा है। ग्रतः कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(8) जो बेचान नियमों के विरुद्ध किए गए पाए जायेंगे उनमें बेचानकर्त्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश ने तहसीलदार को ग्रादेश दे दिए हैं।

(9) जी नहीं, नगरपालिका ने कृषि उपज मंडी की भूमि के पास महावीर

(श्री मूलचन्द मीणा)
नगर में काश्तकारों से निजी समझौते के द्वारा रु० 35) प्रति बीघा की दर से भूमि क्रय की थी। कृषि उपज मंडी ने 350) रु० प्रति बीघा की दर से भूमि क्रय की है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री वृद्धिचंद्र जैन : यह तो जवाब से स्पष्ट है कि कृषि उपज मंडी ने 350) रु० प्रति बीघा की दर से भूमि क्रय की है और नगरपालिका ने 35) रु० प्रति बीघा की दर से भूमि क्रय की थी तो जितनी पर्चेजेज व सेल्स हो रही हैं, खातेदारी जमीन की हो रही हैं और वह जमीन इस प्रकार से बेची जा रही है कि पट्टे की जमीन न होकर आबादी की जमीन होकर बेची जा रही है। इसलिए जो खरीद फरोख्त हो रहा है उसको नहीं होने दिया जाय, तहसीलदार से कार्यवाही करवाई है, यह तो अच्छा है लेकिन एक्वीजीशन की कार्यवाही करके आबादी की कार्यवाही गवर्नमेंट से नहीं होनी चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : राज्य सरकार के सामने आबादी भूमि के लिए और रिहायशी भूखंडों के लिए आवंटित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव राजस्व विभाग में नहीं आया है। दूसरी बात, यह सही है कि वहां पर आबादी पर्पजेज के लिए नगरपालिका ने जहां 35) रु० प्रति बीघा भूमि खरीदी है वहां उपज मंडी ने 350) प्रति बीघा भूमि खरीदी है। यह कृषि उपज मंडी के सोचने की बात है। राजस्व विभाग का कोई संबंध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि भूमि बेचान का मामला है उनमें तो फ्रेगमेन्टेशन की अलग अलग सीमा राजस्थान में निर्धारित की हुई है। जैसा कि माननीय सदस्य खुद काश्तकारी कानून के संबंध में जानते हैं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 66 के अन्तर्गत बाड़मेर के क्षेत्र में फ्रेगमेन्टेशन की जो भूमि का क्षेत्र है वह 40 एकड़ आता है। और यह 40 एकड़ भूमि सेक्शन 42 (ए) ऑफ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार निर्धारित की गयी थी और इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता। अगर वह व्यक्ति इसको बेचता है तो कानून की खिलाफवर्जी करता है। इसलिए कलेक्टर ने तहसीलदार को इस मामले को छानबीन करने को दे दिया है जिससे कि वह इसकी छानबीन करके पूरी कार्यवाही करे। फ्रेगमेन्टेशन कौन बेच सकता है इसके लिए फ्रेगमेन्टेशन की जमीन अगर किसी के पास फ्रेगमेन्टेशन से कम हैं तो वह फ्रेगमेन्टेशन एज ए होल को बेच सकता है और वह भी किसी अपने पास वाले को एडजोइनिंग कोई जमीन का मालिक पर्चेजर हो तो। बाकी नहीं बेच सकता है। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन्स दिये हैं जिनके अनुसार कोई व्यक्ति उस जमीन को बेच सकता है। उन एक्सेप्शन्स के अलावा नहीं बेच सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अपवाद हमारे यहां जयपुर में भी बहुत हैं। लोगों ने फ्रेगमेन्टेशन को बेच दिया है। तो उनके लिये कार्यवाही की जाती है। लेकिन जहां तक नगरपालिका और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच कोई झगड़े

Page No 24

(24)

(श्री परसराम मदेरणा)
का केस है तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है। हमारा उससे ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले में लघु एवं सीमान्त किसानों को बिजली के कनेक्शन

139. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): क्या विद्युत मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि बिजली के कनेक्शन देने में लघु एवं सीमान्त किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही जाती है? यदि हां, तो जयपुर जिले में ऐसे कितने कनेक्शन इस वर्ष दिये गये हैं व किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र में ? कृपया किसानों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लघु एवं सीमान्त किसान में कुछ फर्क है या दोनों की एक ही परिभाषा है ? कृपया स्पष्ट करें। क्या इन दोनों की परिभाषा हर जिले में एक ही है या अलग-अलग जिलों में अलग-अलग होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। लघु एवं सीमान्त किसान और अनुसूचित जाति-जन जाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। जयपुर जिले में इस प्रकार के जो कनेक्शन इस वर्ष दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। जिन किसानों के पास पांच एकड़ से कम भूमि है वे लघु किसानों की परिभाषा में आते हैं व जिन किसानों के पास ढाई एकड़ से कम भूमि है वे सीमान्त किसानों की परिभाषा में आते हैं। एक ही परिभाषा सारे राजस्थान में लागू है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में विदेशी पर्यटकों को सुविधा

52. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में कितने विदेशी पर्यटक आये ? वे किस किस देश के थे ? संख्यावार एवं वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने ऐसे क्या क्या कार्य किये हैं जिनसे विदेशी पर्यटक राजस्थान की तरफ लालायित हुए हैं ? उन्हें क्या 2 सुविधायें पिछले 5 वर्षों में नवीन दी गयी हैं और किस किस योजना पर कितना कितना खर्चा हुआ है ?

(3) क्या यह सच है कि पर्यटन की दृष्टि से रणथंभोर किला एवं सवाई माधोपुर का टाइगर प्रोजेक्ट एक आकर्षक स्थल है ? यदि हां, तो पर्यटन विकास तथा पर्यटकों

(श्री चेतराम)
की सुविधा के लिये यहां अब तक क्या क्या किया गया है और भविष्य की योजना का प्रारूप क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में गत पांच वर्षों में आये विदेशी पर्यटकों के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) राज्य सरकार में विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की ओर लालायित होने के लिये जो जो कार्य किये एवं गत पांच वर्षों में जो जो सुविधायें प्रदान कीं उनकी सूची खर्चेवार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां, पर्यटक विकास एवं पर्यटकों की सुविधा के लिये अब तक जो किया गया है तथा भविष्य की योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नागौर जिले की सहकारी समितियां

53. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले में कितनी सहकारी समितियां अब तक पंजीकृत की गई हैं ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) नागौर जिले में पंजीकृत सहकारी समितियों को कितना ऋण अब तक आवंटित किया जा चुका है जिसमें से कितना वसूल हो चुका है तथा कितना किस किस में बकाया है ? तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) जिले की कितनी पंजीकृत समितियां कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं ? सूची तहसीलवाइज पटल पर रखें।

(स्थगित किया गया)

नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा प्राचीन संस्थाओं से कर की वसूली

54. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा उन प्राचीन संस्थाओं को कर वसूली के नोटिस दिये गये हैं जो कि काफी समय से शैक्षणिक क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं की आय का एक मात्र स्रोत उनके अधीनस्थ भवन हैं जो कि दानी-मानी व्यक्तियों द्वारा दिए गए दान की राशि से निर्माण किए गए हैं और इसी आय से ये संस्थाएं सार्वजनिक हित के कार्यों का संचालन करती हैं ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा वसूल किए जाने वाले करों से उक्त संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्थाओं को नगर परिषद् द्वारा वसूल

(श्री अमृतलाल गहलोत)
किए जाने वाले करों से मुक्त रखने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नगरपालिका, तारानगर में सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा

55. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका, तारानगर (जिला चूरू) में किस किस व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है? कृपया सूची नाम और वल्दियत सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किस किस ने नाजायज कब्जों पर पक्के मकान बना रखे हैं और किन किन व्यक्तियों ने महज अपने रहने के लिये कच्ची झोंपड़ियां बना रखी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका, तारानगर उक्त नाजायज कब्जे हटाने के लिए सब पर एक समान नीति लागू कर रही है? यदि हां, तो क्या पिछड़े व कमजोर वर्ग के लिए फर्क नहीं करना चाहिये? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका द्वारा प्रमुख मार्गों व महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों से प्रभावशाली लोगों के नाजायज कब्जे हटाने के अभियान को सरकार ने बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्या? और यदि नहीं, तो क्या सारे कब्जे हटा दिए गए हैं?

(5) क्या यह सही है कि तारानगर के वार्ड नं० 9 में सिरस्यूं टाडा नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक चौक है जिसमें भी कुछ व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है?

(6) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका उक्त नाजायज कब्जे हटाने के बजाय उन व्यक्तियों को पट्टे देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से नगरपालिका को ऐसा करने से मना करेगी?

उत्तर

(1) जिन व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों को, जो अतिक्रमी भी नहीं है, अलग से भू-खण्ड दिए जा रहे हैं।

(4) जी नहीं। नगरपालिका ने बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमणों को

(स्वायत्त शासन मंत्री)

हटवाया है केवल पक्के मकानों के रूप में किए गए अतिक्रमणों को हटाया जाना शेष है ।

(5) जी हां, इस चौक में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा 83–26 वर्गमीटर भूमि पर पुख्ता अतिक्रमण किया हुआ है।

(6) नगरपालिका द्वारा पट्टा देने काबिल नहीं है । एवं इस भू-भाग से अतिक्रमण शीघ्र हटाने की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की जा रही है ।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

गंगनहर क्षेत्र की मंडियों में कपास की खरीद का प्रबन्ध

56. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि गंगनहर क्षेत्र में जहां पर कि खरीफ की मुख्य उपज कपास है वह कपास मंडियों में किसान द्वारा ले जाने के बाद करीब 6-7 दिन तक बोली नहीं होती और बोली हो जाने के 6-7 दिन के बाद तुलाई होती है, इधर तो काश्तकार को सर्दियों के दिनों में अपनी फसल की देखभाल के लिए सर्दी में रातों रहना पड़ता है और कपास की तुलाई हो जाने के बाद कपास की कीमत का भुगतान एक माह तक नहीं होता और कई दफा दो दो महीनों तक रकम नहीं मिलती जिससे बड़ी परेशानी होती है । तो सरकार इस संबंध में किसानों को उचित मूल्य दिलाने, बोली व तुलाई एक ही दिन हो जाने व कीमत का चुकारा समय पर हो जाने बाबत क्या क्या कदम उठा रही है ?

(2) साथ ही सरकार गंगनहर की कुल मंडियों में कपास की खरीद का प्रबंध क्यों नहीं कर रही है और यह प्रबंध कब तक सब मंडियों में कर देगी ?

उत्तर

(1) यह सच है कि गंगानगर क्षेत्र में खरीफ की मुख्य उपज कपास है परन्तु यह सही नहीं है कि मंडियों में किसान के लाने के बाद 6-7 दिन तक उसकी बोली नहीं होती तथा बोली हो जाती है तो 6-7 दिन तक तुलाई नहीं होती या भुगतान नहीं होता । कथित समस्या प्राय: शीर्ष विपणनकाल (पीक पीरीयड) में ही होती है, हमेशा नहीं । गंगानगर क्षेत्र की दो-तीन मंडियों को छोड़ कर (जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, रायसिंह नगर व पदमपुर में) शेष में उसी दिन बोली हो जाती है । बड़ी-बड़ी मंडियों में जहां शीर्ष विपणनकाल (पीक पीरीयड) में 6,000-7,000 क्विंटल से भी अधिक कपास प्रतिदिन आती है वहां 4,000-5,000 क्विंटल तक बिक जाती है । उसमें से कुछ शेष रह जाती है और उसके बिकने में तीन-चार दिन लग जाते हैं क्योंकि कपास के खरीददार अन्य जिन्सों की अपेक्षा सीमित होते हैं । कभी-कभी मंडी में विशेष मंदी की स्थिति में अथवा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग की कठिनाई जैसे कारणों से कुछ और समय भी लग जाता है और कभी-कभी पूरी रकम की कमी होने के कारण भी ऐसा होता है । बिक्री होने के बाद तुलाई उसी दिन या दूसरे दिन हो जाती है । जहां तक भुगतान का प्रश्न है, अधिकांश किसान कपास पर आढ़तियों से अग्रिम राशि प्राप्त कर लेते हैं जिसका भुगतान उसी दिन प्राप्त

Page No 28

(28)

(कृषि मंत्री)
करके अग्रिम का समायोजन कर देते हैं। भुगतान में विलम्ब होने के मामले कुछ ही मण्डियों, जैसे पदमपुर व केसरीसिंहपुर में हुए हैं जहां 10-15 दिन तक भुगतान होता है। अन्य मंडियों में ऐसी कोई शिकायत मण्डी समितियों को प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि मण्डियों में पीक पीरियड में माल अधिक आ जाता है और स्थान का अभाव रहता है या खरीददारों की कमी होती है। कपास की खरीद के लिए भारतीय कपास निगम आवश्यक खरीद करने में सक्षम न होने के कारण भी कठिनाई होती है। मंडियों में इस स्थिति में सुधार के लिए विस्तृत भू-खण्डों पर नई मंडियां बनाना आवश्यक है जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है। जैसे जैसे भू-खण्ड उपलब्ध हो जायेंगे, धनराशि की व्यवस्था कर मंडी विकास का कार्य किया जायेगा।

(2) गंगानगर में कपास खरीद का कार्य भारतीय कपास निगम द्वारा किया जाता है। उक्त निगम द्वारा इस जिले की मंडियों में कपास खरीद का कार्य आरम्भ किया गया है।

ब्यावर तहसील में डी० पी० ए० पी० की स्कीम

57. **श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-**

(1) ब्यावर तहसील में डी० पी० ए० पी० की स्कीम कब से लागू हुई? यह विभाग कब खुला और ब्यावर में काम करना कब से शुरू किया ?

(2) अब तक इस विभाग ने कितने कार्यों के तखमीनों को तैयार किया? ब्यावर क्षेत्र में कितने कार्यों के और मसूदा क्षेत्र में कितने कार्यों के एस्टीमेट बनाये गये ?

(3) ब्यावर क्षेत्र में विभाग सिचाई के साधन तैयार करने व छोटी-बड़ी रपटें जगह-जगह खोलने के लिये कितनी योजना बना चुका है ?

(4) क्या इस विभाग ने इस बात की ओर भी ध्यान दिया है कि पहाड़ी इलाके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भेड़ पालने के लिये दिये जाने की व्यवस्था कराई जाये ? यदि हां, तो कितने लोगों को भेड़ व अन्य जानवर देने की योजना है? भेड़पालन कार्य की इलाके में क्या सम्भावना है ?

उत्तर

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में डी० पी० ए० पी० स्कीम ब्यावर तहसील में वर्ष 1974-75 से लागू हुई। डी० पी० ए० पी० का पृथक से विभाग नहीं है।

(2) पृथक विभाग नहीं होने से विभाग द्वारा तखमीने बनाने का प्रश्न ही नहीं होता।

(3) कोई भी नहीं।

(4) ब्यावर में अभी तक कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का सर्वेक्षण व टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण किया जा रहा है। टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण के आधार पर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं। भू-जल सर्वेक्षण हेतु भी सोशियल वर्क एण्ड रिसर्च सैन्टर तिलोनिया को अनुदान दिया गया है। अभी भेड़ विकास कार्य का कार्यक्रम नहीं लिया गया है।

राजस्थान में अन-उपजाऊ भूमि

58. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी भूमि में कोई पैदावार नहीं होती है ?

(2) राज्य में कितनी हैक्टर भूमि ऐसी है जहां जोत नहीं होती है ?

(3) राज्य में कितने गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह वर्षा पर निर्भर हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 108.00 लाख हैक्टर में कोई पैदावार नहीं होती।

(2) राज्य में 193.04 लाख हैक्टर भूमि में कोई जोत नहीं होती है।

(3) कुल कृषिमय क्षेत्र के 15 प्रतिशत में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

59. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य की पिछले दस वर्षों में भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य की आय प्रति व्यक्ति वर्ष 1963-64 में 306 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 1972-73 में 590 रुपये हो गई। वर्ष 1973-74 में प्रति व्यक्ति आय 769 रुपये थी। 1963-64 से 1972-73 तक की राजस्थान तथा अन्य विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक सूचना संलग्न है। सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारा क्रम वर्ष 1972-73 में 8वें स्थान पर रहा है। जहां पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्य हमसे इस आधार पर आगे रहे हैं, उसी प्रकार कर्नाटक, मध्यप्रदेश व बिहार आदि राज्य हमारे स्तर से नीचे रहे हैं। अधिकतर राज्यों के आय के समंक संशोधित पद्धति पर आधारित हैं। केवल आसाम, बिहार, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश के समंक संशोधित पद्धति पर आधारित नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जोधपुर नगर में महामन्दिर रेल्वे स्टेशन से के० एन० हॉल तक सीवर लाइन का कार्य

60. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर से महामन्दिर रेल्वे स्टेशन से के० एन० हाल तक बन रही सीवर लाइन का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ?

(2) उपरोक्त कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

(3) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा एवं उस पर कितनी धनराशि कुल व्यय होगी ?

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जोधपुर नगर में महामन्दिर रेल्वे स्टेशन से के० एन० हाल तक लगाई जा रही सीवर लाइन का कार्य दिनांक 17-7-75 से प्रारम्भ हुआ है।

(2) उपरोक्त कार्य पर फरवरी, 76 तक 1,300.80 रु० धनराशि व्यय हो चुकी है।

(3) उपरोक्त कार्य माह अक्टूबर, 76 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा एवं उस पर कुल लगभग 4,14,551 रु० की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

चक 26 पी. बी. एन. तहसील सूरतगढ़ की भूमि का मामला

61. श्री गुरदयालसिंह संधू (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि श्री लीलू राम पुत्र श्री मामराज, निवासी पदमपुर द्वारा तारीख 28-7-61 को मु० नं० 361336 की 25 बीघे नहरी भूमि बोली द्वारा खरीदी गई थी जो चक 26 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ में थी और जिसका 1/4 हिस्सा पेशगी के रूप में 969 रु० में रसीद संख्या 88, पुस्तक संख्या 24193 पर दिनांक 28-7-61 को दाखिल कर दी गई थी मगर उस भूमि का उसे आज तक कब्जा न दिलाए जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सच है कि किसी जाली दस्तावेज (हलफनामा) की बिना पर उपरोक्त भूमि श्रीमती जसवन्त कौर आदि के नाम पर दर्ज कर दी गई ?

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि हरिजनों की होने के कारण उस पर कोई भी ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये जा सकते ?

(4) क्या यह सच है कि 1961 से आज तक श्री लीलू राम स्वयं को कब्जा दिलाने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश करता आ रहा है मगर उसे कब्जा नहीं दिलाया जा रहा ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि श्रीमती जसवन्त कौर का पति पुलिस अधिकारी है। इसी कारण यह सारी कार्यवाही साज-बाज से की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच करवा कर श्री लीलू राम को कब्जा दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री लीलू राम पुत्र श्री मामचंद, निवासी पदमपुर द्वारा तारीख 26-7-61 को मु. नं. 361337 की 25 बीघा नहरी भूमि नीलामी द्वारा खरीद की गई थी जो 26 पी. बी. एन. तहसील सूरतगढ़ में थी और चौथाई रकम रुपये 969 पेशगी के जमा करवाये हैं। श्री लीलू राम स्वयं ने दिनांक 4-12-61 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया था कि जो भूमि उसने नीलामी में खरीद की थी वह वास्तव में श्रीमती जसवन्त कौर, बलवीर कौर, जसपाल कौर और जंगीर कौर के पैसों से खरीदी थी मगर गलती से इकरारनामे में अपना नाम दर्ज कराया है जिसकी दुरुस्ती की जावे और बाकी की रकम उनसे वसूल की जावे

(उपनिवेशन मंत्री)
व पट्टा उन्हीं के नाम जारी किया जावे। अतः कब्जा दिलाया जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। श्री लीलूराम 1961 से निरन्तर प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को नहीं दे रहा है। जो भी प्रार्थना-पत्र श्री लीलूराम ने समय समय पर राज्य सरकार को भेजे उनका उत्तर उसे दे दिया गया।

(5) जी नहीं। जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि आवंटन की उच्चस्तरीय जांच

62. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर):** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उच्चस्तरीय जांच समिति, गंगानगर द्वारा तारीख 31-3-70 से 6-4-70 तक राजस्थान क्षेत्र के निरीक्षण के समय ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दूसरे भूमिहीनों के नाम आवण्टन करवाकर स्वयं काश्त कर रहे थे, जांच की है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से व्यक्ति थे किस-किस नाम से भूमि थी और उनमें से जिन्होंने ऐसी नाजायज भूमि कब्जे में ले रखी थी उनमें क्या जिला गंगानगर में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम समिति के सदस्य तथा उनकी धर्मपत्नी भी हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

उत्तर

गंगानगर परियोजना उच्चस्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के विचाराधीन है।

चक 25 बी. बी. की भूमि का मामला

63. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मु० नं० 22, चक 25 बी बी. जो श्री सोहनसिंह को भूमिहीन होने के कारण आवण्टित किया गया था उस पर श्री रघुवीरसिंह का कब्जा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री सोहनसिंह मर चुका है और श्री रघुवीरसिंह ने उसकी मृत्यु के बाद श्री सोहनसिंह के नाम से ही उस भूमि का जो भूमि की किश्तें न देने के कारण खारिज हो चुकी थी को बहाल करवाया और उस भूमि पर श्री रघुवीरसिंह का आज भी कब्जा है ?

(3) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। भूमि, किसके द्वारा किश्तें जमा कराकर, बहाल कराई गई उसकी जांच की जा रही है। इस भूमि पर रघुवीरसिंह का कब्जा आज भी हिस्सा ठेका पर है।

(राजस्व मंत्री)

(3) इस मामले की जांच अतिरिक्त जिलाधीश, गंगानगर द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के तहत की जा रही है ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन

64. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि 1969-70 के जिला गंगानगर किसान आन्दोलन के पश्चात् 25 मार्च, 1970 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने विधान सभा में यह घोषणा की थी कि जिला गंगानगर और विशेष कर राजस्थान नहर क्षेत्र में किसी भी भूमि को नीलाम द्वारा नहीं दी जायेगी और भूमिहीनों को दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 19-7-75 को माननीय मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि भूमिहीनों को दी जावेगी और नीलाम नहीं की जायेगी ? मगर राजस्थान सरकार ने अपने आदेश संख्या क्र.एफ-5।3।उपनि।75 बी।966 52-180, दिनांक 16-10-75 द्वारा उन नगरों की जिनकी जनसंख्या दस हजार से अधिक है, की आठ मील तक के क्षेत्र में भूमि का नीलाम कराये जाने के आदेश दिये हैं।

(3) क्या सरकार इन आदेशों को वापिस लेकर भूमिहीनों में आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । दिनांक 19-7-75 के आश्वासन की सूचना इस विभाग को नहीं है । 1970 में की गई घोषणा के आंशिक परिवर्तन में जिन नगरों की जनसंख्या 10 हजार से अधिक है, उनमें 8 मील की परिधि में पड़त सरकारी भूमि को राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये नीलामी से बेचने का निर्णय लिया गया । इन आदेशों को वापिस लेने का कोई विचार नहीं है।

श्रीगंगानगर के कलेक्टर कार्यालय में विचाराधीन अपीलें

65. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कलेक्टर व अतिरिक्त कलेक्टर, श्रीगंगानगर के कार्यालय में नाजायज भूमि आवण्टन के संबंध में एक जनवरी, 1976 को किस-किस समय से कितने दावे व अपीलें विचाराधीन थे ? इतने लम्बे समय से उनके निर्णय नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

1-1-76 को जिलाधीश और अतिरिक्त जिलाधीश के कार्यालय में निम्न प्रकार से भूमि आवंटन से संबंधित शिकायतों के मामले विचाराधीन थे :—

क्र० सं०	नाम अदालत	वर्ष 1973	74	75	योग
1.	जिलाधीश	1	8	127	136
2.	अति०जिलाधीश	1	—	20	21
	योग..	2	8	147	157

इन मामलों के विचाराधीन रहने के कारण मुख्यतः विपक्षियों का अनपस्थित रहना, आवंटन रिपोर्ट गंगानगर परियोजना उच्च.

(राजस्व मंत्री)

स्तरीय जांच समिति को भेजा हुवा होना, कुछ सूचनाएं और सबूत पेश करने के अवसर दिये जाना आदि हैं।

लाडनूं में बिजली उपभोक्ताओं के गलत बिलों की दुरुस्ती

66. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं में जो बिजली उपभोक्ताओं के बिल गलत बनाये जाते हैं उनकी दुरुस्ती वहां से 30 मील दूर डीडवाना जाकर करवानी पड़ती है जो कि उपभोक्ताओं को गलती से जारी किये गये बिल के भुगतान से अधिक मंहगा पड़ता है ? अगर हां, तो समय व पैसे की बरबादी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

(2) क्या सरकार बिल दुरुस्ती के लिए किसी एकाउन्टेंट अथवा समकक्ष अधिकारी का कार्यालय लाडनूं में रखने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बिजली उपभोक्ताओं के बिल सही बनाये जाते हैं। फिर भी गलती रहने पर आवश्यक दुरुस्ती उप-खण्ड कार्यालय में ही जहां सारा रिकार्ड रहता है, किया जाना संभव है।

(2) मण्डल द्वारा बनाये गये नार्म्स के अनुसार यदि लाडनूं में इतना कार्यभार होगा तो इस पर विचार किया जायेगा।

बुझारेल ग्राम के पास रपट का कार्य

67. श्री केशरी मल (ब्यावर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बुझारेल रपट के नाम से एक रपट बुझारेल ग्राम के पास पंचायत समिति जवाजा में बनाने का कार्य विभाग ने स्वीकार किया था ? यदि हां, तो इस पर कितना पैसा खर्च करना था और यह काम कब शुरू हुआ और उस पर कितना पैसा खर्च हुआ और काम कितना हुआ ?

(2) उक्त बाकी रहे काम को पूरा कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की ? क्या सरकार इस कार्य को पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बुझारेल रपट का कार्य पंचायत समिति, जवाजा में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अकाल राहत विभाग के माध्यम से 25-1-75 को शुरू किया गया था। इस कार्य की अनुमानित लागत 2.47 लाख रुपये आंकी गई है। इस पर अब तक 1.37 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है और 41.5 फुट ऊंची रपट के स्थान पर 33 फुट ऊंची रपट बनाई जा चुकी है।

(2) इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग रुपये 1,10,000 की धनराशि की आवश्यकता है। इस कार्य को एम० एफ० ए० एल० एजेन्सी के अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव किया गया था। स्वीकृति प्राप्त होने व धनराशि मिलने पर कार्य कराया जावेगा।

Page No 34

(34)

कोटपूतली तहसील के राष्ट्रीय मार्ग पर डामर का कार्य

68. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील की राष्ट्रीय मार्ग सं० 8 से हरियाणा सीमा तक जाने वाली सड़क पर डामर कराने हेतु सामान मौके पर पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो डामर का कार्य कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

रोड़ी मौके पर पड़ी हुई है। अर्थाभाव के कारण वर्ष 75-76 में डामर कार्य सम्भव नहीं हुआ है। वर्ष 76-77 में यदि धनराशि प्राप्त हुई, तो कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री गंगानगर जिले में हरिजन बस्तियों व ट्यूब वेल्स पर विद्युत हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

69. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्युत विभाग द्वारा गंगानगर जिले में आज तक कितनी बस्तियों में तथा कितनी हरिजन बस्तियों में और कितने ट्यूब वैल को विद्युत दी गई है ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें तथा आपातकाल स्थिति घोषित होने पर यह तीनों कार्य कितनी-कितनी संख्या में किये गये ?

(2) उपरोक्त तीनों मदों में कितने प्रार्थना-पत्र-पैंडिंग हैं और कब-कब से पैंडिग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने-कितने आपातकाल स्थिति घोषित होने के बाद स्वीकृत हुए और कितने पहले ?

उत्तर

(1) फरवरी, 76 तक गंगानगर जिले के 362 ग्राम विद्युतीकृत, हैं और 2,508 कुओं को विद्युत की सुविधा प्राप्त है। विद्युतीकृत अनुसूचित जाति व जन-जाति की बस्तियों की संख्या 39 हैं। वर्षवार सूची 'अ' व 'ब' संलग्न है। जुलाई, 75 में आपातकालीन स्थिति घोषित होने के पश्चात् 11 गांवों और 85 कुओं का विद्युत्तीकरण किया जा चुका है।

(2) इस समय जिले में 142 प्रार्थना-पत्र कुओं के कनेक्शन के पैण्डिग हैं। इसी प्रकार 9 प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जाति व जन-जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु पैण्डिग हैं। सूची 'स' व 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले में सड़कों पर व्यय

60. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1972 से 1975 तक सड़कों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त राशि में से जयपुर जिले में कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) जयपुर जिले के लिये अगले

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
वित्तीय वर्ष में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 से वर्ष 1974-75 तक सड़क निर्माण पर व्यय की गई धनराशि की सूची (अ) संलग्न है।

(2) वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक जयपुर जिले में व्यय की गई धनराशि की सूची (ब) संलग्न है।

(3) वर्ष 1976-77 से स्टेट प्लान व न्यूनतम आवश्यकता योजना के अन्तर्गत क्रमशः 4.00 लाख तथा 2.20 लाख रुपयों का प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गंगापुर सिटी के जे० ई० एन० कार्यालय की सहायक अभियन्ता के कार्यालय में पदोन्नति

71. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी स्थित जे० ई०एन० कार्यालय में विद्युत् खपत औद्योगिक विकास व उपभोक्ताओं और अन्य नई लाइनों के चालू करने तथा जिले के मध्य में स्थित होने के फलस्वरूप शीघ्र ही सहायक अभियन्ता के कार्यालय में पदोन्नत किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। मामला मण्डल के विचाराधीन है।

टोडाभीम–बालाजी मेहन्दीपुर सड़क पर बालाजी की घाटी पर व्यय

72. **श्री चेतराम** (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोडाभीम-बालाजी मेहन्दीपुर के मध्य सड़क पर बालाजी की घाटी के नाम पर 1956-57 से लेकर अब तक (वर्षवार) कितना रुपया खर्च किया गया है ? इस पर कितना कार्य हुआ है और कितना रुपया लगाकर यह घाटी आवागमन (मोटर, ट्रक, आदि) हेतु कब तक तैयार हो जावेगी ?

(2) क्या यह सच है कि जितना व्यय इस घाटी पर किया गया है उस राशि से साकरवाड़ा होकर पक्की सड़क बनकर तैयार हो सकती थी और वह सड़क सदैव सुरक्षित रहती ?

(3) क्या यह सच है कि इस घाटी के पूर्ण होने को जितनी धनराशि की आवश्यकता है उस धनराशि में कितने मील नई सड़क बन सकती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1960-61 से फरवरी, 1975 तक घाटी सुधार पर खर्च की गई धनराशि की सूचना संलग्न है।

उक्त धनराशि से घाटी कटाई तथा दोनों तरफ कुछ रिटेनिंग वाल का कार्य हुआ है। 3.00 लाख रुपये की धनराशि की प्राप्ति होने पर एक साल की अवधि में बनकर तैयार हो सकती है।

Page No 36

(36)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) साकरवाड़ा होकर पक्की सड़क निर्माण 7.00 लाख रुपया व्यय होने पर सम्भव थी।

(3) घाटी तैयार करने में लगभग 5.50 लाख की आवश्यकता थी, जिससे केवल 7 किलोमीटर सड़क तैयार हो सकती थी।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राज्य विद्युत् मण्डल में इंजीनियर्स के स्थानान्तरण

73. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जूनियर इन्जीनियर्स के स्थानांतरण के सम्बन्ध में क्या कोई आधार तय है, यदि कोई आधार तय नहीं है, तो क्यों? यदि हां, तो उस आधार-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) विद्युत् मण्डल, खण्ड जयपुर में कार्य करने वाले उक्त व्यक्तियों की सूची मय नाम और जबसे यहां कार्य कर रहे हैं, दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त व्यक्तियों में से जिनको इस मंडल खण्ड, जयपुर में तीन साल से अधिक हो गये हैं उनको जयपुर से बाहर स्थानान्तरण करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सामान्यतया 3 साल के बाद प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

(2) विद्युत् मण्डल के जयपुर में स्थित चार खण्ड, नगर संभाग (प्रथम व द्वितीय) व जिला खण्ड (प्रथम व द्वितीय) में वर्तमान में कार्यरत अधिशासी अभियंता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची संलग्न है।

(3) जिन अधिकारियों को एक ही पोस्ट पर 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं, उनका, प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, स्थानान्तरण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार और भी किये जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जयपुर जिले में गांवों का विद्युतीकरण

74. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में कौन-कौन से गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब इस योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों को प्रस्तावित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक जयपुर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

(4) अगले वित्तीय वर्ष में कितनी राशि खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से अब तक 232 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त नोर्मल प्रोग्राम के अन्तर्गत 664 और ग्राम भी विद्युतीकृत हैं। तहसीलवार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत 217 ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है। ग्रामों की संख्या की सूची 'ब' योजनावार संलग्न है। अभी हाल ही में स्वीकृत हुई योजनाओं के अतिरिक्त पंचायत समिति, दूदू की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन है। पंचायत समिति, फागी, चाकसू और आमेर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है।

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर करीब 176.490 लाख रुपये की राशि व्यय हो चुकी है।

(4) जयपुर वृत्त के अन्तर्गत आने वाले जयपुर जिले की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के लिए 40.288 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 1976-77 में किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने गत 16 मार्च को होली के मौके पर टोंक शहर में हुए झगड़े के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

अनुदान की मांगें

मांग सं० 37 व 45 का उपस्थापन

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,17,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,05,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 37 एवं 45 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री दीपंकर (लाडनूं) : 1. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306-लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर

(श्री दीपंकर)

जिले में सिंचाई हेतु लघु सिंचाई योजनायें बनाकर विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावांड़ा (फागी):

2. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306-लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में लघु सिंचन का सर्वेक्षण कराने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306-लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में लघु सिंचन के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सिंचाई के साधनों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में सिंचाई के साधनों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी-चाकसू तहसीलों के बांधों की मरम्मत कराने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी व चाकसू तहसीलों में सिंचाई हेतु नहरों को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी तहसील में अचूकूड़ा एनीकट बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग):

9. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306-लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु सिंचाई योजनाओं के विकास व प्रसार हेतु चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराने में विभाग द्वारा बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

11. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306-लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाबों की मोरियों को विभाग द्वारा ठीक न करने पर पानी के खराब हो जाने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री शंकरसिंह रावत)

दिया जाय (सिंचाई विभाग का पानी की देख-रेख पर पूर्ण नियंत्रण न होने से पानी मनमाने ढंग से सिंचाई करने पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) :

13. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद तहसील, जिला कोटा में कालपा, पलिया व पंचकुई ग्रामों के तालावों का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अटरू, जिला कोटा की ग्रमटसारण एवं छत्रपुरासारन को ठीक कराये जाने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गूगौर हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पार्वती नदी पर तहसील छबड़ा में निर्माण कराने हेतु बजट में प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील छबड़ा को हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना को स्वीकृत कर निर्माण कार्य के लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

17. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में लघु सिंचाई की गुंजाइश सिवाणा, बालोतरा, सिणधरी और धोरीमना पंचायत समितियों में होने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में लघु सिंचन के लिये जो प्रावधान सन् 1975-76 एवं सन् 1976-77 में किया है वह अपर्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में एग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन स्कीम के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के कार्यों में राज्य सरकार द्वारा अवहेलना तथा उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में भू-संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा जल विवाद को हल

(श्री वृद्धिचंद्र जैन)

करने में राज्य सरकार से विशेष सतर्कता बरतने हेतु सुझावों पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार के मध्य सन् 1973 में राजस्थान नहर के बारे में हुए समझौते पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को केन्द्रीय योजना में सम्मिलित कराये जाने के बारे में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर का पानी बाड़मेर जिले में पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सन् 1973–74 में अधिक वर्षा और बाढ़ आने के कारण मेली बांध के टूट जाने पर सिंचाई विभाग ने दुबारा जिस प्रकार बांध बनाया है वह पहिले से भी कमजोर है जिसके कारण असंतोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के विभिन्न जिलों में लिफ्ट केनाल के निर्माण की योजना के कारण बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में राजस्थान नहर का पानी कम या बिल्कुल उपलब्ध न होने के कारण उक्त सीमावर्ती जिलों में जनता में घोर असंतोष व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में लूणी नदी पर सिवाणा, पचपदरा एवं बाड़मेर तहसील में नई ठोकरों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त ठोकरों की मरम्मत न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परीयोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में लूणी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ से जो गांव तथा कस्बे प्रभावित होते हैं परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा उन गांवों और कस्बों को बाढ़ से बचाने के लिये कोई योजना नहीं बनाई है। अतः योजना के निर्माण का कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

29. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील

(श्री मानालाल)
रेलमगरा में सहकारिता के आधार पर सामूहिक सिंचाई हेतु कुआं बनाने व विद्युत् व्यवस्था के लिये ऋण हेतु चर्चा के लिये) ।

30. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव कुरज में बनास नदी पर एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिय) ।

31. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 331–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजसमन्द की नहर का पानी कुरज गांव के बीड़े में पहुंचा कर हजारों बीघा जमीन कृषि योग्य बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) :

32. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई की दरों में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

33. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई की दरों में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) :

34. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु कुओं को गहरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

35. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंभीरी नदी की नहरों के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) :

36. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत् परियोजनाओं को लागू किए जाने में योजनाबद्ध तरीका नहीं अपनाये जाने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को दिये जाने वाले ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

37. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पणहों, लुहाकनां, देवपुरा, आंतेला एवं पीपलोह के बांध निर्माण नहीं किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टंकू बंधा, बड़ोदिया, तहसील विराटनगर के कार्य को पूरा नहीं किया जाना तथा ग्राम में जाने हेतु रास्ते का निर्माण न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री हनुमान सहाय)

39. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ग्राम ढाणी जयसिंहपुरा में पानी के भराव को निकालने हेतु विगत 5 वर्षों से नाले नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षतिग्रस्त बांध बागावास चौरासी को विभाग द्वारा मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

41. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में खदानों व अन्य भू-संरक्षण सम्बन्धी बने धोरों को अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उस सम्बन्ध में कोई कदम न उठाने से भारी असंतोष पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई कर की दरों में returning cost, operational cost, maintenance व displacement costs को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त वृद्धि न करने से resource mobilisation पूर्ण रूप से नहीं होता और इसलिये आगे capital formation and further investment for development की गुंजाइश न रहने से जनता में भारी असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :

43. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में लघु सिंचाई कार्य की उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल भैरवा (पाटन) :

44. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की लघु सिंचाई योजनाओं को अब तक पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के अधूरे कार्यों को अब तक पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में छोटे-छोटे तालाबों व बंधों को अधिक सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री नन्दलाल बैरवा)

दिया जाय (तहसील केशवरायपाटन में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के ग्राम कंवरपुरा, जयथल, प्रतापगढ़ आदि में टेल पर पानी की रोक के लिये पाल नहीं बांधने से भूमि कटाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

48. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र, पंचायत समिति केशवरायपाटन व तालेड़ा के टेल के ग्रामों में समय-समय पर पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

49. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा चम्बल क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिये पुलियाओं का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चम्बल की मुख्य मुख्य नहरों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

51. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में बून्दी ब्रांच को आगे नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमाण्ड की असिंचित भूमि को अनकमाण्ड अब तक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

53. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जय (चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सीपेज एवं रसाव से भूमि खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

54. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा केशवरायपाटन में ड्रेनेज का कार्य अब तक चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

55. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बांसवाड़ा, तहसील केशवरायपाटन में बनाई गई माइनर में अब तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

56. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमाण्ड की मुख्य-मुख्य नहरों को अब तक पक्का नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

57. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में लघु सिंचन योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)

58. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332— बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में मध्यम सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण एवं उनकी क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर नेपड़ क्षेत्र में सिंचाई दर कायम करने में विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी नहर, माही नदी नहर एवं राजस्थान नहर योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन करने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में बड़ गांव एवं जेतपुरा नदियों की सिचाई योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोमी कोस बन्ध को शीघ्र मरम्मत करवा कर उस पर फाटक लगवाने हेतु चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणी इननडेशन कोस बन्ध स्कीम के तहत छोटे बंधों के बीच में लगाने के लिये खरीदे गए फाटकों के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लि)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

64. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306— लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की लघु सिंचाई योजनाओं में गति लाने हेतु चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साई योजना कार्य को जल्दी पूरा करने हेतु उचित प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पाली जिले में खौड़ (ढारिया) बांध की योजना की स्वीकृति कराने हेतु चर्चा के लिये]।

67. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के बांधों से सिंचाई हेतु किये जाने वाले पानी के वितरण हेतु निर्मित कमेटियों की बैठकें नियमानुसार न बुलाने की चर्चा के लिये)।

Page No 45

(45)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

63. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई के कार्य योजनाबद्ध नहीं किये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असिंचित क्षेत्रों के लिये सिंचाई की कोई व्यवस्था न कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह (मांडल) :

70. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्त त मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्यूब वेल बनाकर भूमि सिंचित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरे लघु सिंचाई कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई की बड़ी योजनाओं पर एस्टेब्लिशमेंट के खर्च में कमी करने पर चर्चा के लिये)।

श्री माथूराम (बागीदोरा) :

73. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में लघु सिंचन योजना बनाकर क्रियान्वयन कराने हेतु चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में माही बांध के निर्माण कार्य की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में माही बांध के निर्माण कार्य पर हो रहे धन, का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

श्री सूरजाराम (डूंगरगढ़) :

77. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में जिन स्थानों पर पानी मीठा है, खुले कुओं को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनकमाण्ड भूमि पर सिंचाई की कीमत न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री लूणाराम)

79. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के अन्दर श्री डूंगरगढ़ साइड में वृद्वाल की तरफ तथा सरदारशहर साइड में लखूवाली हेतु सर्वे करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

80. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाई कलां खुर्द के पास के तालाब प्रतिवर्षा से फूट जाने और सरकार द्वारा उसे न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाबों की नालियां न बनाने व मरम्मत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

82 मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बलाड तालाब (ब्यावर तहसील में) की नालियों के बनाने में सीमेंट के उपयोग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये]।

83. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टाटगढ़ के पास रपटों के न बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा से देवाता होकर जालिया तक फीडर बनाने के कार्य को लगातार टाला जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये) :

85. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुरे घाटा फीडर को पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सारोठ फीडर के अधूरे कार्य को पूरा न करने से बनी स्थिति पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बुआरेल रपट को अधूरा छोड़ देने से बनी स्थिति पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल से अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में पानी सिंचाई हेतु लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा का पानी सिंचाई हेतु राजस्थान में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) :

90. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के वरड़ इलाके के भीलों के छोटे-छोटे बांधों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में अभयपुरा बांध शीघ्र पूरा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी के वरधा बांध पर हुए व हो रहे व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ल्ड बैंक के तहत चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में अब तक कितना रुपया खर्च किया गया, उसके दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की बाईं मुख्य नहर को सवाई माधोपुर तक बढ़ाने की योजना की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की बाईं मुख्य नहर में लाइनिंग का कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की बाईं नहर भूमि में ड्रेनेज का कार्य कब तक शुरू करने व समाप्त की योजनाबद्ध तरीके से कराये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की बाईं नहर बार बार टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) :

98. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में हिण्डोली क्षेत्र की लघु सिंचाई की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में हिण्डोली क्षेत्र की सिंचाई की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर) :

100. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [परवतसर (नागौर) लघु सिचाई परियोजनाओं हेतु कुओं को गहरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

Page No 48

(48)

(श्री जेठमल बरबड़)

101. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील में अधूरे बांधों को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर):

102. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई हेतु कुओं को गहरा करने पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

103. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में भूमिगत जल साधनों की जांच और विकास पर अधिक ध्यान अभी तक नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक 533–सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना को केन्द्रीय सहायता से शीघ्र पूरा न किये जाने की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

105. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533–सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में निरन्तर आने वाली बाढ़ों पर बांध बनाकर नियन्त्रण न किये जाने की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

106. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में गंगा व नर्बदा का पानी सिंचाई हेतु लाने की असफलता पर चर्चा के लिए)।

107. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533–सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकासी तथा बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सिंचाई की सुविधाओं पर अभी तक ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

108. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 309–खाद्य और पोषाहार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में पोषाहार केन्द्रों की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की नदी परियोजनाओं में आवश्यक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

110. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन क्षेत्र की

(श्री उम्मेदीलाल)
ग्रामीण जनता को सिंचाई हेतु उचित सुविधा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

111. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिगत जल का सर्वेक्षण व अनुसंधान में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

112. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई हेतु कुओं को गहरा करना व निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

113. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के नल कूपों की स्थिति व और नये कुओं के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

114. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई हेतु तालाबों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

115. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के लघु कार्यों हेतु अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय नागौर में स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर):

116. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्यूब वैलों द्वारा जिला गंगानगर में सिंचाई किये जाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहर विभाग में सिल्टक्लीयरेन्स के नाम पर हो रही अनियमितताओं पर व जीरो के आगे पक्के बंड बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर से पूरा पानी न मिलने पर चर्चा के लिए)।

119. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई दरों की बढ़ोतरी होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर क्षेत्र में पक्के नाले बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में मोगे का पानी का नाका तब्दील करने की फीस

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
राजस्थान के दूसरे स्थानों से ज्यादा लेने पर चर्चा के लिये) ।

122. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में एक मोगे से दूसरे मोगे में भूमि तब्दील कराने की फीस अधिक मात्रा में वसूल की जाने पर चर्चा के लिये) ।

123. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुंगानहर क्षेत्र में असिंचित भूमि को सिंचित में परिवर्तित करने के लिये जमा कराई जा रही फीस राजस्थान के दूसरे नहरों से ज्यादा होने पर चर्चा के लिये) ।

124. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम कमीशन रिपोर्ट आज तक लागू न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

125. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बागों में मूंगफली व सोयाबीन की काश्त करने वाले काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी न देने पर चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 7 वाई में जो नाल 1971 से मंजूर हो चुका है उसे आज तक न खलवाने पर चर्चा के लिये) ।

127. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 342–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में गंगानगर से 10 मील तक की दूरी तक गन्ना व चुकन्दर बोने वाले को नहर का पानी अधिक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) :

128. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306–लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई प्रयोजनार्थ तहसील राजगढ़ (चूरू) में वर्षों से मांग के बावजूद भी कुओं पर बिजली नहीं दी जा रही इस कारण राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल को दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिधमुख नहर राजस्थान नहर से चूरू जिले में लिफ्ट नहर के निर्माण व जवाहर नहर से चूरू जिले में सिंचाई की व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

130. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332– बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिधमुख नहर योजना की क्रियान्विति में लगातार होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

131. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306– लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा

Page No 51

(श्री मीठालाल मीणा)
उप-खण्ड में सिंचाई की व्यवस्था बिलकुल ही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ढूंढ नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास नदी पर बांध बनाने की योजना पर कार्य प्रारंभ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमुवा रामगढ़ बांध से पुनः सिंचाई हेतु पानी देने पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

135. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोरेल सागर जयपुर सवाई माधोपुर की पूर्वी नहर के पानी के रिसाव को रोकने के लिये नहर को अन्दर से पक्की सीमेन्टेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):

136. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306—लघु सिंचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में लघु सिंचन योजनाओं की प्रगति नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूसरी पार्वती योजना का कार्य आरम्भ न किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़):

138. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राजस्थान नहर के समुचित पानी के उपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा भाखरा नहरों को जगह-जगह से काट कर राजस्थान के हक के पानी को उपयोग करने से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजाब सरकार द्वारा गंगनहर के पानी को उपयोग में लिये जाने से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332—बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
जाय (गंगनहर की उचित मरम्मत न किये जाने से गंगनहर क्षेत्र को पूरा पानी न मिलने से पैदा हुई स्थितियों पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की प्रथम स्टेज समाप्त होने के बावजूद प्रथम स्टेज में निर्मित की जाने वाली सारी शाखा नहरें, उप-नहरें और माईनर्स निर्मित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग द्वारा अपनी विभिन्न तहसीलों पर डी० ई० एफ० कैटेगरी के सक्षम काश्तकारों की भारी संख्या होने के बावजूद उनको पहले जमीन न देकर विभाग जो० कैटेगरी के हजारों प्रार्थना पत्र सक्षम करने के लिये एकत्रित कर चुका है, जिससे उत्पन्न गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर उपनिवेशन विभाग द्वारा टेक्नीकल आधार पर खारिज हजारों भूमिहीनों पर लाखों रुपया लगान लागू करने से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर डाईवर्शन केनाल के डिप्रेशन्स से होने वाले पानी के रिसाव से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

146. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी नाल व छोटी नाल को सिंचन के लिये ठीक नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लागू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज):

148. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):

149. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारह साल पूर्व टूटे हुये अलवर जिले के हरसोरा बांध नहीं बांधने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

150. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में मूंडल्या खेड़ी तालाब के अन्य नहरों की सफाई न करने एवं पैसे का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय झालावाड़ में राजपुरा-अलवा हिम्मतगढ़ और सामरिया की लघु सिंचाई (लिफ्ट) योजनायें अधूरी पड़ी रहने की से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में मध्यम सिंचाई योजनाओं भीमसागर बांध व हरिश्चन्द्र सागर के कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक):

153. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे बांधों की देख-भाल व नहर-मोरिया इत्यादि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकासी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक से बहकर आने वाले बनास नदी के पानी को उपयोग में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन):

155. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में एनीकट, तालाब व नहरों को पक्की बनाने पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भोपालसागर फीडर को पूर्ण नहीं कराने से सिंचाई में कमी है और जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया उस कार्य को अब तक प्रारंभ नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़):

157. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाबों व नहरों के संधारण एवं निर्माण के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

158. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में भोराई नला का टेंक, धन का बाड़ा, लवाकर का नाका, बलुवा का टेंक की नहर आदि का कार्य कराने पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा

(श्री देवीलाल)
लोडदा टैंक लेफ्ट नहर से कालीवाटी माइनर का अधूरा कार्य पूरा कराने पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में नठापाल का नवातालाब को दस फीट ऊंचा उठाने व नहरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

161. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में डाया योजना तथा जयसमंद फीडर का कार्य चालू कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :
162. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लघु सिंचाई योजनाओं, (अ) पाचना बांध, (ब) बनास पर बांध, (स) ग्रामीण बांधों की मरम्मत न कराने व सवाई माधोपुर जिले की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये] ।

163. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई साधनों की उपेक्षा और स्वीकृति-शुदा कार्यों को नहीं कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) :
164. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में साबी नदी बांध बनाकर सूखे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

165. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा क्षेत्र में किले के पास वाले बांध की ऊपरा ऊंची करके सम्बन्धित गांवों की सिंचाई व पानी की समस्या हल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

166. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा क्षेत्र में सिंचाई बांधों की मरम्मत करने में राज्य सरकार द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षाकृत नीति पर चर्चा के लिये) ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :
167. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीतोली नहर को पक्की बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

168. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कोटपूतली तहसील के दांतील बांध का निर्माण नहीं कराने पर चर्चा के लिये) ।

Page No 55

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

169. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में बनाड़ी बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

170. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंभीरी सिंचाई योजना की मुख्य नहरों की दुर्व्यवस्था पर तथा चित्तौड़गढ़ जिले की मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज जैन (बाली) :

171. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में सिंचाई के अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नत्थीसिंह (नदबई) :

172. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर व बयाना में सिंचाई साधनों को पूरा कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

173. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (4 पीडी व 5 पीडी पूंगलब्रांच पर भूमि धोरा धरती होने के कारण वहां पानी से सिंचाई नहीं हो सकती ऐसी भूमि को कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की छतरगढ़ नम्बर 2 के अधीनस्थ–ग्राम हंडी के ग्रामीणों को जो भूमि अलॉट की गई है उनमें पूंगल ब्रांच पर अभी तक मोगा नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र में भूमि का सर्वे नहीं किया जाकर अनकमांड भूमि को कमाण्ड बता कर काश्तकारों को अलॉट कर दी गई, इस पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचाई की दर बढ़ाना, मालिकाना बढ़ाना व भूमि की दुगुनी कीमत बढ़ाने से काश्तकारों में भारी निराशा व चिन्ता व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के

(श्री मस्थासिंह)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (2 डी०के०डी० छतरगढ़ नम्बर 2, जिला बीकानेर की अनकमाण्ड भूमि को सिंचाई विभाग ने कमाण्ड बता कर आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनाये के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के छतरगढ़ नम्बर 2 पी०बी० 4 में अनकमाण्ड भूमि को बताकर हरिजनों को भूमि आवंटन की गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :
179. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलोत्थान योजना लूणकरणसर-बीकानेर के चक प्लान्स के अनुसार ही उपनिवेशन क्षेत्र सीमित रखकर बाकी क्षेत्रों को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना की दांतोर शाखा के कार्य को बन्द कर दिया गया है, उस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) :
181. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी क्षेत्र के बन्धों की मरम्मत के बारे में चर्चा में लिये)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):
182. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ-साथ छोटी योजनाओं पर भी शीघ्र कार्य करवाना जिससे शीघ्र रिटर्न प्राप्त हो सके, इस पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर तहसील के अपूर्ण बांध ग्राम खण्डीप, ग्राम डोव के तालाबों को पूर्ण करवाने के क्रम में चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के सभी गैर-सरकारी एवम् सरकारी तालाबों को अपने हाथ में लेकर टूटे हुये तालाबों की मरम्मत करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [स्वीकृत बांध पाचना (गंभीरी नदी पर) का कार्य शीघ्र शुरू करने के क्रम में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332-बहुद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
जाय [दुर्गबिधरा (बन खेड़ा नदी पर] बांध के लिये सर्वे हो चुका है, उसकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान करवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई):

187. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई में पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा जारी रहने व क्षेत्रीय असंतुलन पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति बांदीकुई में रेहड़िया बांध का कार्य चार वर्षों से रुका पड़ा रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा):

189. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर एवं बाड़मेर जिलों में सिंचाई के साधन बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर):

190. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर निर्वाचन क्षेत्र में भीम सागर बांध व हरिश्चन्द्र बांध का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा):

191. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिधमुख नहर योजना के पानी के समझौते के लिये अग्रिम कार्यवाही शीघ्र किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर की अमरसिंह सिस्टम में अन्य भाखरा की नहरों के बराबर मोतीराम कमीशन के अनुसार सिंचाई क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 37 व 45 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सिंचाई की मांग के सम्बन्ध में वाद-विवाद चल रहा है। सिंचाई की मांग के सम्बन्ध में, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गंग कैनाल के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। गंग कैनाल राजस्थान में सबसे पुरानी नहर है। इस गंग कैनाल पर 3 करोड़ 15 लाख रुपये का 1923 से लेकर 1926 तक खर्चा किया गया था और जब यह गंग कैनाल बन रही थी उस समय की सरकार ने कुछ लोगों से वायदे भी किये थे। इसमें यह था कि जो लोग इस नहरी जमीन को खरीदेंगे उनसे वही कीमत ली जायगी और बाद में उनसे कोई दूसरे पैसे नहीं लिये जायेंगे। जो कीमत नहर बनने की लगेगी वही ली जायेगी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इन वायदों के बावजूद उस क्षेत्र के लोगों से

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

पैसा लिया गया और उस नहरी क्षेत्र के लोगों से 9 करोड़ रुपये उन लोगों से वसूल किया गया जब कि नहर बननी शुरू हुई तब उनसे यह वायदा नहीं किया था और, उपाध्यक्ष महोदय, उस नहरी कीमत ही 3 करोड़ 15 लाख रुपये बनाने में लगी।

उपाध्यक्ष महोदय, उस नहर की स्थिति अब बिलकुल ठीक नहीं है। नहर जगह जगह से टूट गई है तथा नहर की हालत ऐसी हो गई है कि उसमें पानी लाने की कैपेसिटी भी बहुत कम हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस हैड से नहर से पानी आता है वहां से राजस्थान में आते आते सीपेज बहुत अधिक हो जाता है जिससे नहरी क्षेत्र में पानी जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी पानी कम आने के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पानी बहुत कम मिलने की वजह से पानी बहुत कम मिल पाता है। मैं इसकी पूरी कहानी में तो नहीं पड़ना चाहता हूं क्योंकि वह बहुत ही लम्बी कहानी हो जावेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सन् 1929 में एक बार इस नहर के इन्जीनियर श्री वर्मा साहब थे उन्होंने इसकी हालत देखकर यह कहा था कि यह नहर अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। क्योंकि नहर जहां से आती है वहां से बीच बीच में टूट जाती थी और सीपेज भी, बहुत अधिक मात्रा में होता था। लोग पानी को बीच बीच में नहर तोड़कर ले लेते थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह तो यह नहर समाप्त हो जायेगी और यहां का पूरा नहरी एरिया उजड़ने लगेगा और फिर हमें यहां पर रहने वालों को दुबारा बसाना पड़ेगा। यह काम बहुत ही मुश्किल है। उपाध्यक्ष महोदय, तब यह तय किया कि इस नहर को अन्डरग्राउन्ड राजस्थान के बोर्डर तक पंजाब से लाया जाय पर खर्चा अधिक होने से नहीं किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर इसमें सीमेंट करने तथा उसके किनारों पर ऊंची ऊंची सीमेंट करने की बात हुई। कई जगह किनारों को ऊंचा भी किया गया लेकिन वह जल्दी टूट गयी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, उस गंग कैनाल की हालत बहुत खराब है उस ओर राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह भी है वहां पर कि नहरी क्षेत्र में सरकारी अधिकारी जिसको चाहे उसको पानी देते हैं और जिसको चाहे उसको पानी नहीं देते हैं जब कि स्थिति यह है कि जब से पौंग डेम बना है राजस्थान के पास पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 15 हजार क्यूसेक्स पानी वहां से मिलता है लेकिन हमारे यहां पर सिर्फ पौने नौ हजार क्यूसेक्स पानी ही काम में लिया जाता है और बाकी 6 हजार क्यूसेक्स पानी फालतू रहता है, उसको कोई काम में नहीं लिया जाता है और नहरी क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है कि लोगों को जो पानी की पारियां बांधी हुई हैं उसके अनुसार पानी नहीं मिलता है। पारियां बन्द पड़ी रहती हैं। वहां पर नहरी क्षेत्र में अधिकारियों की बहुत गड़बड़ है जिसके कारण आज गंग कैनाल के एरिया की हालत अच्छी नहीं, उसकी हालत दिन व दिन खराब होती जा रही है। राज्य

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
सरकार से मेरा यह निवेदन है कि उनकी हालत सुधारने के लिये ध्यान दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बार बार कहता आया हूं कि गंग कैनाल में पानी देने की पारियों की हालत अच्छी नहीं है। वहां पर ऑफिसर लोग अपनी मर्जी मुताबिक पानी देते हैं जिससे कि वहां के लोगों में काफी रोष है। वहां तो स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जमीन का मालिक कोई है पारी पानी की किसी की है और सरकारी अधिकारी उस मालिक को पानी नहीं देते हैं और दूसरे लोग ही पानी ले लेते हैं। कई बार स्थिति यह होती है कि लोग जमीन बेच देते हैं कहते हैं कि जमीन दे दी लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद भी आफिसर अपनी मर्जी के मुताबिक पानी देता है जब कि एग्रीमेंट के अनुसार उस व्यक्ति के खेत को पानी मिलना चाहिये जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। कब्जा किसी का है खेत पर पानी किसी को मिल रहा है तो इस प्रकार की गड़बड़ी हैं वहां पर जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आपको पानी के मामले के ज्यादा उदाहरण नहीं देकर सिर्फ एक मामले का उदाहरण देता हूं कि छंवली चक के पास एक गरीब नाई ने दो बीघा जमीन किसी से खरीदी थी उस नाई का नाम है अर्जुनसिंह। राज्य सरकार चाहे तो जांच करवाले। सरकारी अधिकारी उस गरीब का कब्जा होने के बावजूद भी उसकी पारी का पानी उसके खेत को नहीं देने देते हैं और दूसरा ही उस की पारी का पानी काम में लेता है। सिर्फ दो बीघा जमीन की बात है, उपाध्यक्ष महोदय। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं आपको पेश कर सकता हूं पर कोई सुनने वाला उन अधिकारियों के खिलाफ में नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि गंग नहर एरिया में हालत अच्छी नहीं है।

इसके अलावा यह भी हालत है कि एक ऑफिसर किसी की पानी की पारी बान्ध जाता है तो आने वाला ऑफिसर अपनी मर्जी होगी तो उस खाला को पानी देगा। जबकि स्थिति यह है कि किसी आदमी को कोई खाला की मन्जूरी होती है तो सिंचाई विभाग के पास पहले जाता है फिर कलेक्टर के पास जाता है और जब कलेक्टर मन्जूरी देता है तब उसका कब्जा मान लिया जाता है। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर एक 7 बाई गांव है जहां पर कि एक व्यक्ति को सन् 55 से मन्जूरी हुई थी लेकिन उस व्यक्ति को अभी तक भी पानी समय पर नहीं दिया जाता है। उसकी पानी की पारी को बन्द कर दिया गया है जब कि उस व्यक्ति को पानी की पारी लेने का हक है। वह व्यक्ति हकदार है राजस्थान गंग कैनाल के एरिया से और दूसरी कैनाल से पानी लेने का अगर राजस्थान इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट के अनुसार उसने खाला प्राप्त किया हो तो। मैं यह मानकर चलूंगा अगर आपने यह परम्परा डाल दी है कि जिन लोगों के खाले एक्वीजिशन एक्ट के तहत नहीं लिये गये वह खाली कर देंगे, क्योंकि कलेक्टर की मंजूरी हासिल कर ली गई है तो और किसी मंजूरी की जरूरत नहीं रहती है। मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिये यह अर्ज किया था। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं, हमारे उस क्षेत्र में कुछ एरिया को असिंचित से सिंचित में परिवर्तन

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
करने के लिये कुछ एप्लीकेशन्स चल रही हैं और एप्लीकेशन्स पर इतना ज्यादा खर्चा है ऑफिसर के खर्चे की बात नहीं कहता लेकिन जो सरकार कर रही है वह ज्यादा है। एक आदमी की जमीन नहर के साथ लगती है और 5-6 कुण्डों में है, उसको वही खर्च करना पड़ता है। एक मुरब्बे पर 125 रुपये देने पड़ते हैं जब कि राजस्थान के किसी भी दूसरे हिस्से में राजस्थान कैनाल है, भाखड़ा कैनाल है या दूसरी कैनाल्स हैं, इतना बड़ा खर्चा नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा, आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं आपसे अब एक अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक मैंने पानी की बात कही, पानी की दो बातें है—पानी की कमी नहीं है लेकिन हम पूरा पानी नहीं ले रहे और पूरा इसलिये नहीं ले रहे हैं कि नहरों की हालत अच्छी नहीं है और दूसरी राजस्थान कैनाल आप बना नहीं सकते और न अभी वर्षों तक बनेगी। बजट में 9 करोड़ रुपये का अभी घाटा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब तो राजस्थान कैनाल के बनने में कुछ तेजी आई है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : 162 करोड़ की जो राजस्थान कैनाल थी वह आज 331 करोड़ की हो गई। अगर जल्दी जल्दी बना लेते तो जो पोंग डेम का पानी वेस्ट जा रहा है, वह नहीं जाता और वह 9 करोड़ रुपये की कमी आने वाली नहीं थी यह दिखाया जाता है कि आज 9 करोड़ की कमी आ रही है और यह किसानों से पूरी होगी। तो मैं यह अर्ज करूंगा 162 करोड़ की नहर को आज 331 करोड़ बना देना और 40-45 करोड़ आज तक हम खर्चा कर चुके हैं और 185 करोड़ 50 लाख अभी और खर्च करना पड़ेगा इसका यह मतलब है जब हम पिछले सालों में 45 करोड़ के आस-पास खर्च कर चुके हैं और 185 करोड़ के खर्च करने के लिये जब टाइम आयेगा तो उसकी कीमत और बढ़ेगी यानि हमें इससे भी ज्यादा खर्चा करना होगा। फिर भी, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं यह खर्चा इतना नहीं बढ़ सकता है। राजस्थान कैनाल में बसने वाले को 20-20, 30-30 बोरे सीमेन्ट की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सीमेन्ट का थैला 5) रु० में मिल जाता है। जितना नहर में मिल जाता है उससे लगभग दुगुना लोगों के घरों में मिल रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं राजस्थान कैनाल को हम पूरा नहीं कर पायेंगे और पोंग का पानी फालतू चल रहा है और फिर कहते हैं वाटर रेट्स बढ़ने चाहियें तो मैं कहना चाहता हूं सरकार को ऐसी स्थिति पर भी ध्यान देना होगा कि सरकार की गलती के कारण पोंग डेम का पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है या किसानों की गलती के कारण नहीं हो रहा है। सरकार की गलती के कारण यह 1–2 वर्ष लेट बना लेकिन उसके पानी को प्रयोग में लाने के लिये डेम नहीं बना पाये। मुझे बताया जाय यह किसानों की गलती है या सरकार की ? तो किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिये।

अभी अभी वाटर रेट्स की बात आई और मुझे कुछ मंजूरी भारत सरकार की नजर आती है। भारत सरकार ने तंग किया है कि राजस्थान सरकार को कि आपको अपने रेट्स बढ़ानी होंगी।' मैंने राजस्थान के बजट को देखा—राजस्थान के बजट में देखा कि

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

हमने कूलर की कीमत इसलिए घटा दी कि पंजाब में 15 पर्सेन्ट कम थी, उसमें कमी कर दी लेकिन किसानों को रियायत नहीं दी। भारत सरकार के बजट को देख लें और यहां राजस्थान के बजट को देख लें-किसी ने किसानों को रियायत देने की कोशिश नहीं की बल्कि भारत सरकार ने मजबूर किया है कि वे अपने एरिया में इरिगेशन रेट्स बढ़ायें। मैं यह कहना चाहता हूं अगर कूलर पर ध्यान गया तो ट्रेक्टर पर भी ध्यान जाना चाहिये। पंजाब में ट्रेक्टर पर 1 पर्सेन्ट है और यहां ज्यादा क्यों? पंजाब में फर्टीलाइजर पर सेल्स टैक्स नहीं है यहां पांच पर्सेन्ट क्यों? जब दूसरे लोगों को टैक्स में रियायत देते हैं तो किसानों को रियायत देने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वाटर रेट्स बढ़ाना चाहते हैं तो वह सुविधा दे सकते हैं, जो पंजाब में सुविधा मिलती है। पंजाब में किसानों के पास साइड बिजनेस है-पॉल्ट्री फार्म का धन्धा वे करते हैं, सूअर पालने का वे धन्धा करते हैं, डेयरी का धन्धा वे करते हैं तो किसी के पास शहद की मक्खी पालने का साइड बिजनेस है लेकिन यहां पर हमारी सरकार ने किसानों के लिये कोई सुविधा प्रदान नहीं की है। मैं फिर अर्ज करूंगा जब हम वाटर रेट्स की बात करते हैं तो जो एक सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन है, उसकी रिपोर्ट को पढ़िये। उसमें साफ लिखा है, एक आदमी है मिस्टर चक्रवर्ती उन्होंने उदाहरण दिया है कि बैलगाड़ी जब चलती है तो वह सड़क को ज्यादा तोड़ती है लेकिन बैलगाड़ी पर टैक्स नहीं लगता है, उससे कम तोड़ता है ट्रेक्टर लेकिन उस पर टैक्स लगता है, क्योंकि वह टैक्स देने के काबिल है, तो उसने एक यह भी उदाहरण दिया है कि जब आप किसी क्षेत्र को पानी देना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि वहां के फार्मर को रिटर्न क्या मिलता है। आपको यह सोचना होगा। अगर आपने गन्ने का उदाहरण दिया है तो यह भी देखना होगा कि किस वाटर सोर्स से गन्ने को पानी मिलता है और आप साथ में यह भी सोचेंगे कि गन्ना इतना ज्यादा निकलता है और फिर गन्ने से कितनी राहत मिलती है और उससे कितनी शराब निकलती है और शराब निकलने के बाद भी जो चूरा निकलता है वह भी काम में आता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और उसके अनुसार टैक्सेज को भी ध्यान रखना होगा।

आपको भारत सरकार कहती है तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो जमीन आपने बेची है वह जमीन निकम्मी है। इस जमीन का दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सारे हिन्दुस्तान में सबसे निकम्मी जमीन इस क्षेत्र की है। मैं निवेदन करूंगा उनकी रिपोर्ट को पढ़िये।

श्री कंवरसैनजी लिखते हैं—

"It may be considered from the point of view of the farmer that the return to the farmer must commensurate with the cost he has to incur."

उन्होंने आगे चल कर यह भी लिखा है—

"The State may have to take special measures to ensure a reasonable margin to the farmer."

दूसरे लोगों की रिपोर्ट्स में भी कुछ ऐसा ही जिक्र है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

की किताब है। उन्होंने अपनी राय लिखी है कि रेट कम करने में फार्मर्स की ओर ध्यान रखा जा सकेगा। पैदावार का भी ध्यान रखना होगा और टैक्सेज के आवंटन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अर्ज करूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं देखता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे कम कपास हमारे यहां 75 में पैदा हुई है।

गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की रिपोर्ट है हरियाणा में 329 के० जी० पर हैक्टेयर, पंजाब में 370 और राजस्थान में 212 के० जी० कपास पर हैक्टेयर। इसी तरह से गेहूं की हालत है। गेहूं भी कम से कम पैदा होता है। एक माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि ट्यूब वैल का खर्चा नहरों के खर्चे से ज्यादा आता है। मेरा ख्याल है कि यह रिपोर्ट है "कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट" गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की निकाली हुई है। उसमें लिखा है कि पंजाब के अन्दर ट्यूबवैल से जो खर्चा होता है पर क्विन्टल 95 पैसा है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : राजस्थान में ट्यूबवैल से जो पानी प्राप्त होता है वह बहुत नीचे से प्राप्त होता है जब कि पंजाब में ऊंचा है पानी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंजाब में पानी ऊंचा नीचा है। लेकिन अबोहर में नीचा है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : ट्यूबवैल का खर्चा कम होना चाहिये जहां पानी ऊंचा है। अगर ट्यूबवैल और नहर का मुकाबला किया जाय तो ट्यूब वैल का 60 पैसा पर हैक्टेयर और नहर का खर्चा 72 पैसा पर हैक्टेयर और कुए पर 2.95 पर हैक्टेयर है। जिन ऑनरेबल वित्त मंत्रीजी ने यह कहा था कि खर्चा नहरों पर कम आता है, उनको चाहिए कि वे अपनी राय को बदल लें। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की लिखी हुई रिपोर्ट है। उन्होंने केलकुलेट करके बताया है। मैं अर्ज करूंगा उनकी निस्वत गंगानगर जिले में और इस क्षेत्र में ज्यादा खर्चा आता है। फिर वाटर युटिलाइजेशन सारे इन्डिया में हम अच्छा करते हैं, पंजाब अच्छा करता है, हरियाणा अच्छा करता है और गंगानगर अच्छा करता है। राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों की बात मैं नहीं कहूंगा। कई जगह ऐसी हैं इण्डिया में कि जो 10 पर्सेन्ट वाटर ही युटिलाइज करती है और हम 80 पर्सेन्ट वाटर युटिलाइज करते हैं। करप्शन भी बहुत है। दरख्तों की यदि नहर पर से कटाई न हो तो सबसे कम मेन्टीनेन्स का खर्चा आवे। गंगानगर में नहरों पर से सात लाख दरख्त कट गये। अब उतने नहीं कटते हैं जितने पहले कटते थे। अगर माननीय मंत्रीजी ध्यान दें तो यह बरबादी बच सकती है। हर बेलदार सुबह से शाम तक मिट्टी नहीं डालता है लेकिन वह दरख्त काट कर बेचता है और उसमें शेयर होल्डर्स हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहता। पंजाब सरकार को 81 मील लम्बी नहर दी हुई है। पंजाब सरकार को मेन्टीनेन्स के चार्जेज देते हैं लेकिन दरख्तों की कीमत वसूल नहीं कर सकते। यदि वसूल करते हैं तो गंग कैनाल का सारा मेन्टीनेन्स का खर्चा केवल दरख्तों की आमद से ही पूरा हो

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

सकता है। किसी और खर्च की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि करप्शन है, ज्यादा करप्शन है। दरख्तों की ओर ध्यान नहीं देते। आपने इसे एक छोटा सा मामला समझ लिया है। जो साथी लोग हैं वे इसको महसूस करके चलते हैं। यदि दरख्त कटना रुक जावेगा तो उसका असर हमारी वाटर रेट्स पर भी पड़ेगा। यही मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप वाटर रेट्स की ओर ध्यान देते समय भारत सरकार से जरूर बात करिये। जो हक हमारा है वह हमें मिलना चाहिये। दूसरे क्षेत्र के किसानों को जो सबसिडी मिलती है वह हमें मिलनी चाहिये। वाटर रेट्स इस प्रकार बढ़े यह होने वाली बात नहीं है।

मैं एक छोटा सा मामला ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में एस० डी० ओ०, सरदार साधुसिंह थे। 1 अप्रेल, 1950 में वह रिटायर हुए और 1951 में उनको दुबारा रखा और 52 में चले गये। उनको 320 दिन की छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिली है और 24 वर्ष से उनके कागजात पेन्डिंग चल रहे हैं। 76 में वे जेल में हैं। वे कहते हैं कि मैं मरूं उससे पहले मुझे मिल जाय तो अच्छा है।

तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो कमेटी बनायी है वाटर रेट्स पर गौर करने के लिये वह सिर्फ हमें खुश करने के लिये बनाई है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम वाटर रेट्स को रोकें। मैं फिर यह कहूंगा कि हम इन वाटर रेट्स को रोकें। फिगर्स देंगे आपको। आपको बतलायेंगे। कम होने की तो आशा नहीं है लेकिन फिर भी सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से बात करनी चाहिये। किसान इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हर तरह के टैक्सेज हैं उसके सिर पर। राजस्थान के किसान पर जितने टैक्सेज हैं उतने टैक्सेज और भारत के किसी दूसरे किसान पर नहीं हैं।

आखिर में यह कहता हुआ कि टैक्सेज के लिये दुबारा गौर करें और आप इन पर पुनः विचार करें। साथ ही यह भी गुजारिश करूंगा कि भारत सरकार से हमारे पक्ष में कुछ न कुछ कह कर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो मांगें हैं उनमें 37 और 45 दोनों के सिलसिले में संक्षेप में, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक बड़ी सिंचाई योजनायें उन सिंचाई योजनाओं के लिए राज्य सरकार की बड़ी रिपोर्टें हैं, बड़े कार्यक्रम हैं परन्तु हम यह निर्विवाद रूप से अनुभव करते हैं कि जो कल्पना हमने की है कि हम गंगा और यमुना का पानी लायेंगे और चूरू जिले, झुंझुनू जिले में सब में उनका पानी दे सकेंगे और यह कल्पना कभी साकार हो सकी तो मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के लिए सौभाग्य का दिन होगा अन्यथा वह योजनायें जरूर हैं लेकिन उनमें सुस्ती है और उनमें गति आना जरूरी है।

दूसरे नर्बदा जल का मामला किसी तरह से महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के बीच

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

में झगड़े में पड़ा हुआ है । मैं समझता हूं कि 1969 में जो भारत सरकार ने ट्रिब्युनल कायम किया उससे हम अपनी बात नहीं मनवा सके । वह ट्रिब्यूनल यहां आया भी और उससे हमारे अधिकारी भी मिले और उनको 'अपनी आवश्यकतायें भी अनुभव कराई हैं लेकिन जो प्रभाव उस ट्रिब्युनल के ऊपर महाराष्ट्र और गुजरात का है मैं समझता हूं कि राजस्थान का प्रभाव उतना सही नहीं उतरा है और हम अपने हित में कोई उनसे निर्णय करा सकें यह मैं समझता हूं सन्देहास्पद बात है । तो हमारी बड़ी योजनायें जो दूसरे प्रान्तों के साथ मिलकर बनी हैं उसमें सही प्रतिनिधित्व कर सकें और सही हितों को सुरक्षित रख सकें इस दिशा में कारगर उपाय समय पर हम नहीं कर पाये । यदि राज्य सरकार केन्द्र के सहारे से अपने राज्य के इन्ट्रेस्ट में इस योजना के बारे में निर्णय जल्दी से जल्दी करा सके तो मैं समझता हूं कि यह उत्पादन में भी सहायक होगा ।

मुझे निवेदन करना है जहां तक सवाल लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में है क्योंकि नागौर जिले कि दो तीन पंचायत समितियों की लघु सिंचाई योजना स्वीकृत हुई हैं । परबतसर, डेगाना और मेड़ता हैं इनकी योजनायें स्वीकृत हैं लेकिन वह योजनायें गतिशील नहीं हैं इसलिए वह गतिशील होनी चाहियें । डीडवाना और लाडनूं की योजनायें बनी हुई हैं लेकिन उन्हें स्वीकृत नहीं किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि क्या सरकार एक परम्परा निभाने की दृष्टि से यह मांगें लेकर यहां सदन में आई है या जो प्रगति विवरण प्रकाशित कराया है कि इतनी योजनाओं का सर्वे करना है, इतनी को कार्यान्वित करना है—यह जो कुछ किया है उससे मालूम होता है कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहती है । तो क्या वजह है कि हमारे दिल में जहां अकाल पड़ता ही रहता है वहां इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित नहीं कराया जाता है ? अगर इसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित कराया जाये तो अच्छा रहेगा । जहां तक मेड़ता है, डेगाना है यहां बांध बनें । परबतसर है इसका बांध करीब करीब टूटा हुआ है और इस वर्ष अधिक वर्षा भी हुई है और कुचामन का सम्बन्ध यहां तक कि रेल्वे स्टेशन से भी काट दिया गया है और जोधपुर की लाइन की गाड़ी नहीं चलने देते और आवागमन नारायणपुरा और कुचामणसिटी के बीच में ऐसा हो जाता है, कि इन्डस्ट्रीज का एरिया कहलाने वाला और बहुत उपजाऊ इलाके को हमने देखा कि सारी की सारी जमीन में काश्तकारों ने चिनावट की थी वह उखड़ गयी । तो इस तरह से हम उन बांधों को नहीं देख सकते तो कैसे आशा कर सकते हैं कि जो बेरे बना रखे हैं जहां आपने बिजली नहीं दी और दूसरे साधन भी नहीं हैं और परम्परागत साधनों से ही वहां लोग सिंचाई करके पैदावार करते हैं इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर जिले को इतना उपेक्षित नहीं समझा जाना चाहिये । वहां पर पहाड़ियां हैं, वहां जरूरी बांध बनाना कुचामन के पहाड़ से बांधना जरूरी है जिससे भूमि भी बचे और जो नमक का नुकसान होता है और उससे राज्य सरकार को भी नुकसान होता है और दूसरो पैदावार करने वालों को भी नुकसान

Page No 65

(65)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
होता है तो वह बांध बंध जाने चाहिए। लाडनूं तहसील में गोपालपुरा की पहाड़ी है अगर उसको बांध दिया जाये तो मैं समझता हूं कि हजार आठ सौ बीघा जमीन में अच्छी सिंचाई हो सकती है। वह पहाड़ी चूरू जिले के दो तीन गांवों को डुबा देती है। इस तरह से वहां पहाड़ का वहाव आता है और जमीन में कई गढ्ढे तरह के तालाबों की शकल के बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। तो मैं समझता हूं कि आप इसका पुनरावलोकन करवायें कि कहां कहां बांध बनने चाहिए और कहां कहां बांध टूटे हुए हैं और कौन कौन से गांव बाढ़ आने से खराब हो गये हैं। अगर आप इसका काम करायेंगे तो आप फसलों की रक्षा के लिए और मनुष्यों की जीवन की रक्षा के लिए और आपके विभाग की उन्नति के लिए आप इस ओर तवज्जह देंगे, यही मुझे संक्षेप में आपको निवेदन करना था।

हमारे नागौर जिले में जहां स्कीमें बनी हुई थीं, जब मैं प्रधान था तो मैंने भी मीटिंग अटेण्ड की। आपके स्पेशल सेक्रेटरी का सेल है और उन्होंने लाडनूं और डेगाना के आदमियों को बुलाया था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपके यहां पर हम परीक्षण के तौर पर देखना चाहते हैं क्लस्टर ट्यूब वैल की स्कीम को। यह सफल हुई नहीं और बेरे खुदे हुए पड़े हैं पहले के खुदे हुए ट्यूब वैल पर बिजली नहीं लगी और वह काश्तकारों को हैंडओवर नहीं किये गये और पैसा नहीं दिया गया। तो उसके तहत बेरे नहीं खुद रहे हैं। हमारे यहां अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट है कि किस गांव में कितनी गहराई पर जल है और पानी कैसा है। यह रिपोर्ट जब हमारे पास है और सार्वजनिक संस्थाओं और व्यक्तिगत लोगों ने अपने खुदे हुए बेरों को गहरा करवाने के लिए पैसा जमा करा रखा है और वह चाहते हैं कि उनके बेरे गहरे हों तो 6-7 साल तक न तो उनको रकम दी जाती है और उन बेरों को अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से गहरा ही कराया जाता है। लोगों में स्पर्धा थी कि वह आगे आयें और भूजल को काम में लायें और जिस इलाके में पीने के पानी की गुंजाइश नहीं वहां पोकेट्स निकालें, तो उसका आप उपयोग करवाने की कृपा करें। इतना ही मुझे निवेदन करना है कि राजस्थान के नक्शे में हम बड़ी बड़ी योजनाओं को देखते हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूं। आपके सामने बहुत समस्यायें होंगी क्योंकि बहुत बड़ा सिंचित एरिया है लेकिन जहां पीने के पानी की समस्या थी वहां अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने सोर्सेस बता दिये तो उनको टैप करना चाहिए। वहां पर बेरे खुदवाकर बिजली देकर उत्पादन को बढ़ायें। जहां मनुष्य बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं और नुकसान हो जाता है वहां बांधों को रुकवाने की दिशा में चेष्टा करें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई और लघु सिंचाई के बारे में आज सदन के अन्दर मांगें प्रस्तुत की गई हैं। इस सम्बन्ध में, मैं तो इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं कि सिंचाई की आवश्य-

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

कता केवल मात्र किसानों को ही नहीं देश की प्रत्येक जनता को है। सिंचाई के साधन इस प्रकार के हैं कि चाहे पीने का पानी हो, चाहे किसान के लिए खेती की आवश्यकता हो, चाहे अन्य कई प्रकार की योजनायें हों सब पानी के ऊपर ही निर्भर हैं। यहां सिंचाई के जो साधन हैं उनके बारे में, मैं इस प्रकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कई वर्षों से राजस्थान नहर के लिए हर वर्ष योजना बनाई जाती है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी राजस्थान नहर का पानी हम जिन क्षेत्रों में देना चाहते थे अभी तक उसकी पूर्ति होती हुई नजर नहीं आती। करोड़ों रुपयों की योजनायें बनती हैं और राजस्थान नहर कुछ दूरी पर ही आगे बढ़कर समाप्त हो जाती है इसलिए मेरा निवेदन है, और विशेष रूप से सिंचाई मंत्री महोदय से, राज्य सरकार से निवेदन है कि क्यों नहीं इस प्रकार की योजना बनाई जावे कि छोटी मोटी अन्य योजनाओं का पैसा काट करके राजस्थान नहर को पूरा बनाने का उद्देश्य धारण कर लिया जावे। वास्तव में रेगिस्तान की जनता कई वर्षों से पानी को देखने के लिए लालायित है। अपने जीवनयापन के साधन उपलब्ध होने की जो इच्छा हृदय में संजोये है वह इच्छा पूरी हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार के बलबूते की यदि बात हो तो वैसे और अधिक केन्द्र से पैसा लेने की मांग करनी हो तो वह करके इसको पूरा करना चाहिए। यह इस प्रकार की राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ी योजना है जिससे पिछड़े हुए इलाके और भयंकर रेगिस्तान की दशा परिवर्तित हो सकती है। यदि राजस्थान नहर वहां पर सही रूप में और सही समय पर ला दी जावे तो। हमारी विभिन्न प्रकार की योजना तो अवश्य बनती हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी किसी भी रूप में क्रियान्विति होने में विभिन्न प्रकार के रोड़े अटक जाते हैं। चाहे वह विभाग की ओर से हों और चाहे अन्य किसी भी तरफ से हों। उसमें किसी प्रकार की गतिविधियों में जो रुकावट पहुंचाते हैं, ऐसी रुकावटों का सर्वेक्षण करवाया जाय। एक उसके लिए राजस्थान नहर बोर्ड तो बना हुआ है लेकिन वह इतनी शिथिलता की ओर अग्रसर है कि उसमें किसी न किसी प्रकार से गति लानी है और तेजी लानी है। यदि तेज गति नहीं आएगी और वास्तव में इस प्रकार से आलस्य से परिपूर्ण होकर कार्य चलता रहा और यों ही काम होता रहा तो वह कब पूरी होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अन्य योजनाओं को रोकना पड़े तो रोक कर और राजस्थान जैसी नहर को पूर्णरूपेण किसी भी हालत में पूरा करना चाहिए तभी जाकर हम गरीबों को सही फायदा पहुंचा सकते हैं। चाहे नर्वदा नदी का मामला हो या अन्य नदियों का मामला हो यदि राजस्थान सरकार को पड़ौसी राज्य सरकारों के साथ किसी न किसी रूप में एक इस प्रकार की योजना बनाकर कि कहां से, कौन सी नदी का पानी लाने से हमारे इस राज्य की जनता को लाभ पहुंच सकता है, ऐसी योजना बनाकर उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए तभी जा करके किसानों को, या किसानों के साथ खेतिहर मजदूरों को या अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ यदि लघु सिंचाई की बात कहने का विचार होता है, तत्पर होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर किस क्षेत्र में

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(12.43 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

कैसी योजना हमें स्थापित करनी चाहिये, उसका पूर्ण रूप से सर्वेक्षण करवा लेना चाहिए। पंचायत क्षेत्र के अन्दर या तहसील क्षेत्र के ऊपर हमें अलग अलग पार्टियां भेज कर वहां का सर्वेक्षण करना चाहिए। अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का सर्वे है उसको सही रूप में कराने के साथ ही साथ उसकी एक प्रकार से जल्दी से जल्दी योजना बना लेनी चाहिए। होता क्या है, माननीय सभापति महोदय, कि पार्टी अन्य क्षेत्र में चली जाती है लेकिन एक-दो रोज दौरा करने के पश्चात् वह पुनः वापिस अपने हैडक्वार्टर पर पहुंच जाती है। उनकी सही रिपोर्ट जिस रूप से होनी चाहिए वह सही रूप में उपस्थित नहीं होती। उसके अन्दर कई दिन लग जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि पास के जितने भी क्षेत्र हों या जहां पर जिस ढंग से लघु सिंचाई योजना हमें चलानी है, यदि किसी क्षेत्र का विकास करना है तो लघु सिंचाई योजना प्रारम्भ कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि किसानों की जितनी भी आवश्यकतायें हैं, साधन जो हम देना चाहते हैं, पूर्ण रूप से सिंचाई के आधार पर ही, उस योजना के आधार पर ही उनको सब प्रकार का लाभ दे सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का जो सर्वे होता है उसमें कुछ हिस्से बना कर, कुछ उस क्षेत्र के विभाग बना कर उसका सर्वे करते हैं और सर्वे करके आ जाते हैं। पूरे क्षेत्र का सर्वे नहीं होता है। इसलिए जिस हिस्से का सर्वे करना है, जैसे पंचायत है, सांगानेर है या चाकसू, फागी है या दूदू है या कोटपूतली है, तो क्या करते हैं, माननीय सभापति महोदय, कि उसको दो चार हिस्सों में बांट देते हैं और एक हिस्से का सर्वे करके आ जाते हैं और उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। हो सकता है कि जिस हिस्से का वे सर्वे करते हैं उसके अन्दर किसी प्रकार की कमी हो और दूसरे क्षेत्र में या दूसरा हिस्सा जो रह जाता है उस हिस्से के अन्दर मान लो कोई अच्छी स्थिति पैदा हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कुछ हिस्से में सर्वे नहीं होना चाहिए। सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे होना चाहिए और प्रत्येक गांव गांव में जाकर सर्वे करना चाहिए। कभी कभी पार्टी चली जाती है गांव का सर्वे करने के लिए तो पंचायत हैडक्वार्टर पर या पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर या तहसील हैडक्वार्टर पर जाकर वहां के लोगों से पूछ लेते हैं। वहां के सेक्रेट्रीज या पंचायत के ग्रुप सेक्रेट्रीज होते हैं उनसे या पटवारी से केवल मात्र जुबानी पूछ कर उसकी सर्वे रिपोर्ट दे दी जाती है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक गांव के क्षेत्र में जाकर उस गांव के जंगल की या उस गांव के किसी प्रकार के हिस्से हैं या कुओं की स्थिति है, छोटी मोटी नदी निकलती है या छोटी मोटी कोई और बात है तो उसका पूर्ण रूप से सर्वे करके सही रिपोर्ट दी जावे तो किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती है और उस रिपोर्ट से लघु सिंचाई की योजना बन सकती है जिससे ग्रामीण जनता को जो हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं और आज हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

का जो उद्देश्य हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बीस सूत्री प्रोग्राम हमारे देश को दिया है, एक नया मंत्र दिया है, यदि उस मंत्र को सही रूप में समझें तो उसका उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण जनता को, जो लोग ठेठ गांवों में बैठे हुए हैं या इंटीरियर के अन्दर हैं जिनको कभी सरकार की योजना का पता ही नहीं है, समाज जो बनता है उसका पता नहीं है, उसको सही स्थिति में लाना हम चाहते हैं तो प्रत्येक गांव में हमें उस योजना को ले जाना पड़ेगा । उसका सर्वे करना पड़ेगा । प्रत्येक व्यक्ति को सही स्थिति समझानी पड़ेगी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सरकार क्या चाहती है । हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या चाहती हैं, इस देश को जिस ओर, अच्छाई की ओर ले जाना चाहती हैं । सामुहिक रूप से जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, उनको हम सही रास्ते पर किसी ढंग से लाकर उनका जीवन अच्छा, आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह तभी हो सकता है, माननीय सभापति महोदय, जब कि हमें प्रत्येक गांव में जाकर वहां के क्षेत्र की सही स्थिति को सही रूप में रिपोर्ट बना कर, योजना बना कर सरकार के सामने रखें और सरकार भी उस पर एक तत्परता से, बड़े योजनाबद्ध तरीके से उसको जहां से पास करवाना हो, करवा कर उस योजना को उस क्षेत्र में लागू कर दे, तभी जा कर के हमारे प्रान्त का, देश का कल्याण हो सकता है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सिंचाई विभाग एक इस प्रकार का विभाग है कि हर व्यक्ति को हर स्थिति में पानी की आवश्यकता होती है । छोटे छोटे जहां बांध हैं, उन बांधों में क्या होता है, सभापति महोदय, कि जैसे ही बरसात आती है, कहीं पांच फीट की भराई है तो कहीं छः फीट की भराई है, तो कहीं चार फीट की भराई है, और जो छोटे छोटे बांध पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्दर आते हैं, ऐसे बांध थोड़ी सी बरसात होने से ही टूट जाते हैं और बांधों के टूटने से बड़ी भारी विपत्ति का सामना किसानों को करना पड़ता है। क्योंकि जहां पर छोटे छोटे बांध बंधे हुए हैं वहां उनके पीछे किसानों के खेत रहते हैं और जैसे ही थोड़ी बरसात अधिक होने से वह बंधे टूट जाते हैं और पानी के साथ किसानों की बहुत दिनों की मेहनत से अच्छी, योग्य बनाई गई भूमि है और जिससे वह अपना पेट पालन करता है, वह जमीन नष्ट हो जाती है और किसानों को बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे छोटे छोटे बंधों का चाहे वह पंचायत समिति के अधिकार में हों, चाहे वह राज्य सरकार के अधिकार में हों, ऐसे छोटे-2 बंधों का सर्वेक्षण करवाने के पश्चात् चाहे उनके बीच में पक्की दीवार लगानी पड़े, या पाल लगानी पड़े, इस प्रकार की स्थिति यदि छोटे-छोटे बंधों में कर दी जावे तो माननीय सभापति महोदय, हर वर्ष जो किसानों के सामने इस प्रकार की दिक्कत आती है वह आसानी से दूर हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि केवल हम सिंचाई की स्थिति को ही लेकर चलें तो यह संतोषजनक नहीं हो सकता । किसानों के साथ में सिंचाई के साधन कौन-कौन से उपलब्ध करवाने चाहिए यह भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे बांध के साथ साथ छोटी-2 नहरें हैं, उनके स्रोत है,

69

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

पानी किस साईड से कहां से प्रविष्ट होता है, कहां से बहता है, उसके पास में किस प्रकार की अड़चन आती है उसका भी ठीक ढंग से सर्वे करवा कर कोशिश करनी चाहिए। तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज हमारे सामने जो बजट रखा गया है, उसके बारे में पहले भी निवेदन किया है कि इससे किसानों के ऊपर भार बढ़ा दिया गया है। यह भार उन व्यक्तियों के ऊपर बढ़ा है जो सिंचाई कर के अनाज पैदा करते हैं और वह अनाज हम को देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे किसानों के ऊपर जो दिक्कत आ गई है, उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए, उस पर पुनः विचार करते हुए, उनके साथ कुछ रियायत की जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अचानक ही उन पर यह भार आ पड़ा है। यह एक प्रकार से साधारण जनता के ऊपर भार पड़ा है, वह जनता जो देश के लिए अनाज पैदा करती है वह किसान हैं। जब वे अनाज पैदा करते हैं तो सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई के लिए पानी उन्हें सुलभ और सस्ती दर पर मिलना चाहिए। सिंचाई की दर सुलभ सस्ती नहीं होगी तो किसान की [कमर टूट जाएगी] मजदूर की कमर टूट जाएगी। उदाहरणस्वरूप मैं यहां पर बताना चाहता हूं पहले जो यहां पर छोटे छोटे बन्धे थे, वहां पर 1.80 पैसे सिंचाई की दर थी, लेकिन गत वर्षों से यह दर उन्हीं बंधों पर साढ़े सात रुपया और आठ रुपया अचानक कर दी गई है। यानि आठ गुना सिंचाई की दर बढ़ा दी गई है। यह असाधारण दर देना किसान के बलबूते की बात नहीं है। सभापति महोदय, होता क्या है। ऐसे भी किसान हैं, जिनको केवल एक पानी मिलता है उसी बंधे से उनकी दर भी वही होती है, और किसी व्यक्ति को उसी बंधे से चार पानी मिलता है तो उसकी दर भी वही होती है। यह असमानता है। यह मेरे क्षेत्र की बात नहीं है। करीब करीब सारे राजस्थान की यह बात है जहां पर कि दस-बारह फीट के करीब बंधे हैं और उन से करीब दो-तीन माइल तक किसान के खेत पर पानी जाता है। जो खेत दूर हैं उनको समय पर पानी नहीं मिलता और पूरा नहीं मिलता। उनको असुविधा रहती है। जिनके खेत बंधे के पास हैं उनको पूरा पानी मिलता है। इसलिये होता क्या है वहां पर एक ही पानी ऐसे किसानों को प्राप्त होता है और एक पानी प्राप्त होने के बावजूद सिंचाई की दर उनको उतनी ही देनी होती है, जितनी कि चार पिलाई वाले किसान को देनी होती है। तो यह बात ऐसे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, न्यायसंगत नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ऐसे कोई नियम बनाए जाएं कि जिसका खेत आखिरी में है, उसको तो पहले पानी मिले और उसके पश्चात् धीरे धीरे ठेठ तक पानी पिलाया जाए और जो किसान एक ही पानी पिलाता है, उसकी दर और जो किसान चार चार पानी पिलाता है उनकी दरों में भिन्नता होनी चाहिए, ऐसी दरें अलग अलग होनी चाहिएं, तब तो हमारा सिंचाई का कार्यक्रम जो है चल सकता है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर छिदावड़ा और कालीवंद बांध हैं। इसके अंदर ऐसी स्थिति है इसकी नहरें पुराने

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
जमाने से ही बहुत दूर-दूर तक गई हुई हैं। यह बांध इसलिए दो फीट और ऊँचा कर दिया जाये तो हर किसान को फायदा होगा क्योंकि किसान आज से 15-20 वर्ष पहले खेती के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझता था जितना कि आज समझता है। पहले 50 बीघा खेती में से 5 बीघा में ही खेती करता था और आज किसान के लिए यह संभव हो गया है कि वह अपनी पूरी होल्डिंग पर खेती करे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से भी समय समय पर किसी न किसी प्रकार की शिक्षा किसान को दी जाती है। 'अधिक अन्न उत्पादन' का जो हमारा नारा है, इस नारे को आज हर किसान और हर मजदूर अच्छी तरह से समझने लगा है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जहां पर अनाज अधिक पैदा होने लगा है अधिक जमीन की जुताई के कारण और जहां पर आज से 70 साल पहले के बन्धे हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा 17, 18, 20 या 26 फीट ऊंचे हैं, उनको दो-दो फीट और ऊंचा करवा दिया जाये क्योंकि उस समय खेती भी उसी हिसाब से होती थी और आज उससे दस गुना अधिक सिंचाई जुताई जमीन की होने लगी है उसी स्थान पर। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी एक योजना के अन्तर्गत ऐसे जो बांध हैं, चाहे वे मेरे क्षेत्र के हों चाहे राजस्थान के किसी भी भाग में हों, उनको दो-तीन फीट और ऊंचा करवा दिया जाये तो किसानों का और हमारे प्रान्त का भला होगा और जो किसान आज अधिक खेती करने लगे हैं, ऐसे किसानों के खेत में भी पानी लगेगा। इसलिए, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार की योजनाओं की ओर वे कृपया ध्यान दें तो वास्तव में वे किसानों को सभी प्रकार से लाभान्वित कर सकेंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, कई बांधों से जब नहरें निकलती हैं, तो ये नहरें कच्चे टीले में से होकर निकलती हैं, जैसे ही बन्धे से इन नहरों में पानी छोड़ा जाता है तो उस पानी को ये कच्चे टीले सोख लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जहां जहां कच्ची नहरें हैं, उन नहरों को पक्का करा दिया जाए जैसे कि भाखरा और नांगल बांध की जो नहरें पक्की बनी हुई हैं, उसी आधार पर इन छोटे छोटे बांधों की नहरों को पक्का बना दिया जाए तो वास्तव में जहां पर पानी देना चाहते हैं, उस खेत को आसानी से पानी दे सकते हैं और जो पानी टीलों में बेकार चला जाता है, उसको हम बचा सकते हैं। यह मेरा निवेदन है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट और लूंगा। केवल मेरे क्षेत्र के बांधों की ही ऐसी स्थिति नहीं है। राजस्थान के हर बांध की यही स्थिति है . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम निर्धन भी प्रतीक्षा में हैं। . . . . .

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : बैठिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो आज्ञा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा निवेदन करना यह है कि केवल बांधों की बात को लेकर चलें यह तो अच्छी बात है लेकिन कई बांधों के अलावा कई जगह इस प्रकार

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

के बड़े-बड़े तालाब भी हैं जिनसे सिंचाई होती है उनको भी सही ढंग से सुधारना चाहिए। लेकिन कई गांवों के अन्दर जहां पर कि बांध की व्यवस्था नहीं है वहां पर किसानों के पास कुए हैं। यहां पर जो कुए हैं इनका सर्वेक्षण कराया जाए और यह मालूम कराया जाए कि इस क्षेत्र के अन्दर कितना गहरा पानी है और कैसा मीठा पानी है। इससे इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सकता है और उस सर्वेक्षण के आधार पर वे अपने अपने कुए गहरे करवा सकेंगे। यह सर्वेक्षण चाहे बैंक की तरफ से हो, चाहे राजस्थान सरकार की तरफ से हो, किसी भी एजेन्सी की ओर से होना चाहिए और किसान को इसके लिए ऋण भी दिया जाना चाहिए जिससे वे लोग अपने कुए को डवलप कर सकें, विकसित कर सकें क्योंकि कोई किसान ऐसा नहीं है जो अपने कुए से दो घंटे से अधिक सिंचाई कर सकता हो क्योंकि दो घंटे बाद कुए में पानी नहीं रहता है। इसलिए उसकी फसल बिगड़ जाती है। वहां पर कोई नहर भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से विशेष रूप से है कि वे इस बजट के साथ-साथ इस प्रकार की योजनाएं भी बनावें कि साधारण किसान, साधारण गांव, छोटे-छोटे कुओं को लेकर जो खेती है उसकी पैदावार को बढ़ा सकें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट। इन कुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करायी जा सके तो अच्छा होगा ताकि वे कुओं को गहरा करा सकें और उससे सिंचाई उपलब्ध हो सके।

कई क्षेत्र में ट्यूब वैल्स की भी व्यवस्था है। ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया जाए कि पानी वहां पर कितना गहरा है। उदाहरणस्वरूप फागी तहसील में कलवाड़ क्षेत्र है जहां पर पानी के ऐसे स्रोत उपलब्ध हुए हैं। गत बजट सैशन में भी मैंने निवेदन किया था कि ऐसे क्षेत्रों में ट्यूब वैल्स लगा दिये जाएं तो ऐसे क्षेत्रों को पानी अच्छी तरह से दिया जा सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि फागी तहसील के अन्दर पुरानी स्टेट के टाइम के अन्दर नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बन्धे बने हुए थे जिनको एनीकट कहते हैं। मैंने एक कटमोशन में पहले भी बताया था और एक प्रश्न भी रखा था और व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि यदि उन एनीकट्स को पुनः बनवा दिया जाये तो उन पर ज्यादा खर्चा नहीं होगा और पुनः उसी ढंग से बनवा देंगे तो इन पांचों गांवों के कुओं में आसानी से साल भर तक पानी भरा रहेगा। चार साल से यह एनीकट टूट जाने के कारण आस पास के कुए सूख रहे हैं। उनका सर्वे भी हो चुका है और डिपार्टमेंट के पास सर्वे रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि वहां पर यह साधन उपलब्ध कर दिए जायें तो हमारे वहां के किसानों का भला हो सकता है।

पुनः मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से सिंचाई के साधनों की उपलब्धि करवायें और समय समय पर उनकी जांच करते रहें कि उनमें क्या कमी रह गई है और उस कमी को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया है। इस प्रकार की योजना बनाई जाय तो वहां के किसानों को लाभ हो सकता है।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत !

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, राजस्थान के सिचाई विभाग पर दिये गये मेरे कटौती प्रस्तावों पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो मैं सिचाई मंत्री महोदय को धन्यवाद दूं तो कम है, क्योंकि उनके कार्यकाल में ऐसी वर्षा हुई जो कि आज से सौ सालों में भी कभी नहीं हुई। उससे सारे तालाब भर गये।

सभापति महोदय, हमारी सिचाई रिपोर्ट को देखने से मुझे मालूम हुआ है कि आज यहां पर देश की आजादी के बाद में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई के हुए हैं, जैसे चम्बल, भाखरा-नांगल के कार्यों को पूरा कर दिया है। 7 कार्य अभी चालू हैं और 44 कार्य आपने तैयार कर दिये हैं। सभापति महोदय, देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की वहुत जरूरत है, लेकिन सिचाई के साधनों को जुटाने के लिए जो योजनाएं हैं उनका कई जगहों पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम सिंचाई के जरिये बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ सिंचाई के जरियों को बढ़ाने के साथ-साथ जितने तालाब बने हुए हैं, वरसों से उनके पानी की पूरी देख-रेख भी करनी चाहिए। पहले वहां पर हवालेदार होते थे उसकी देख-रेख के लिए ताकि पानी का खराबा न हो। मैं गवाड़ी के तालाब जो मेरे पास में हैं, की मिसाल आपके सामने रखूंगा कि वहां पर कोई व्यक्ति न होने के कारण जो तालाब हमेशा 50-60 फीट भरा रहता था, उसमें पानी कम हो रहा है कि उससे लगातार सिचाई की जा रही है और किसी को कोई पता नहीं कि किसने कितने एकड़ की सिंचाई के लिये मंजूरी मांगी है। मंजूरी मांगी गई होगी कुछ व्यक्तियों के द्वारा लेकिन पिलाई होगी कई व्यक्तियों के द्वारा। यही नहीं वहां पर जो पट्टा होना चाहिए उसके नहीं होने से लोग दूसरे ढंग से लकड़ी बांधकर उसको ऊंचा करके इस तरह से रस्सा बांध कर नहर का जो पाइप है उसको थोड़ा ऊंचा करके पानी लेते हैं। उससे पानी बहता रहता है और फिर मोरियां चलती रहती हैं। तो वहां पर बराबर निरीक्षण होना चाहिए ताकि मालूम हो जाय कि किस व्यक्ति ने खोला और जिसने खोला वह खोलने के बाद बन्द कर दे। मैंने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को टेलीफोन किया कि आपका पानी खराब हो रहा है और खेतों में पानी जा रहा है आप कृपा करके इसको रुकवायें। 10 बर्षों में भी इतनी वर्षा नहीं हुई है इस कारण से पानी तालाब में काफी है तो उसका दुरुपयोग इस तरह से न हो। आप वहां जाकर देखिये। वहां के आदमी मिस्त्री से मिले हुए हैं और 1-2 रुपये उसको देकर मोरी खुलवा लेते हैं। उसके बाद में कोई व्यक्ति, जो कि उस मिस्त्री द्वारा रखा गया है, एक एप्लीकेशन लेकर मेरे पास आता है कि आप साइन कर दें कि पानी का खराबा नहीं हुआ। मैंने कहा कि पानी का जब खराबा हुआ है तो मैं कैसे लिख सकता हूं। आज भी यह देखा जाय कि आपने उस तालाब को कितने एकड़ की सिचाई के लिये स्वीकृत किया है और मौके पर जाकर देखें कि कितने एकड़ में उससे पिलाई होती है। ईमानदारी से जो स्वीकृति प्राप्त करते हैं उनसे तो सिचाई की बढ़ी हुई दरें ली जा रही हैं और उनसे

(श्री शंकरसिंह रावत)

मालगुजारी वसूल पूरी होगी, लेकिन जिन व्यक्तियों ने सिंचाई की स्वीकृति प्राप्त नहीं की वह पानी खेतों को फोकट में पिलाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नालियों की सफाई ही नहीं होती है। आप पधारकर कभी देखिये तो कई मोरीयों में कचरा भरा हुआ है। सिंचाई विभाग के स्टाफ का तो यह हाल है कि गवर्नमेन्ट के तालाब की एक मोरी खराब हो गई तो उसको डाइवर्ट करने के लिए मिट्टी की दीवार बनानी थी तो उसमें ढाई हजार का बिल बना दिया। मैंने कहा कि ऐसा कौनसा काम उसमें था कि इतना पैसा खर्च हो गया। वहां पर मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पर 7-8 टोकरी सारी मिट्टी डाली हुई है उसमें 2,500 का आंक आ जाय तो मैं समझता हूं कि जहां पर बड़े-बड़े बांध बने हैं तो उसके हिसाब से करोड़ों रुपये वहां पर लगने चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके सामने सदस्य कुछ तथ्य रखते हैं तो मौके पर जाकर देखिये तो यह स्वाभाविक है कि आप खुद यह महसूस करेंगे। इतनी-सी मिट्टी के लिये 2,500 का बिल है तो आखिर कोई न्याय भी है ?

जो हमारे सिंचाई विभाग ने और अन्य विभाग ने काम किये हैं और बरसात में वह टूट गये हैं तो उनकी जांच का हमें मौका मिला है। जो छोटे सिंचाई के लघु बान्ध हैं या सड़कों की रपटें बनी हैं वह टूट गई हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जो वहां पर रपटें टूटी पड़ी हैं तो उनके मैटिरियल को आंका जाय तो मैं समझता हूं कि आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनका टूटना कितना स्वाभाविक है। आज सैंकड़ों वर्षों के अकबर बादशाह के जमाने के पिलर्स बने हुए थे दिल्ली से अजमेर तक और उस वक्त सीमेंट वगैरह भी नहीं थी लेकिन वे पिलर्स आज भी खड़े हुए हैं। दिल्ली से अजमेर तक मार्ग पर जो पिलर बने हुए हैं उनमें से कितने गिरे ? यह जरूरी है कि आजादी के बाद में इतना काम हुआ है लेकिन वह एक ही वर्ष में टूट जाय तो एक तरफ तो खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए राज्य सरकार इस बात के लिये चिंतित है कि उनको आजीवन कारावास दिया जाय, लेकिन जो देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधन जुटाये जा रहे हैं उसके मसाले में मिलावट हो तो उनका कुछ नहीं किया जाय जो कि देश की हत्या कर रहे हैं, तो यह बहुत ही दयनीय हालत है। आप एक दो जगह से लाकर देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह मैटिरियल कितना खराब है और उन लोगों पर, जिन्होंने इनका निर्माण करवाया, एक्शन लेना चाहिए। कौन उस वक्त एक्स ई-एन० था जिसने इस तरह से राष्ट्र के धन का दुरुपयोग किया।

सभापति महोदय, यहीं मैं कुछ टूटे बान्धों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास बाड़िया गांव में तालाब है तो उसकी चद्दर 14 फीट टूटी हुई है। सिंचाई विभाग ने कुछ नहीं किया तो गांव वालों ने उसको मिट्टी से इस तरह से मजबूत किया ताकि थोड़ा-सा पानी उसमें रोक दें। सभापति महोदय, इस वर्ष

(श्री शंकरसिंह रावत)

जितनी वर्षा हुई अगर उसकी चौथाई भी वर्षा अगले वर्ष हुई होती तो उन लोगों के सामने गम्भीर समस्या होने वाली है क्योंकि वह तालाब किनारे तक भरा हुआ है और कभी भारी वर्षा हुई और उसमें फ्लड आ गया और आज 2-3 फीट तालाब खाली है, और इस वर्ष वर्षा हुई उसकी अगर चौथाई वर्षा भी हो गई तो ज्यादा मजबूती नहीं दिखायेगा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम टूटे हुए जो तालाब हैं या बन्धे हैं उनमें से जिनको हम समझें कि यह वाजिब है, सिंचाई के तालाब हैं उनको वर्षा से पहले तैयार करना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी वहां पर जितना सा पानी उनमें रुका है उससे ज्यादा खराब होने की आशंका है क्योंकि तालाब दो-तीन फीट ही खाली हैं। मेरे यहां का तालाब गत वर्ष वर्षा हुई उससे तो टूटा नहीं लेकिन इस वर्ष अगर उससे चौथाई वर्षा भी हो गई तो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले में फ्लड के समय में काफी नुकसान हुआ है वहां के तालाबों के लिए आज भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आप काम करा रहे हैं। अगर मई-जून के पहले वीक में वर्षा हो गई तो कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जो तालाब टूट गये हैं, उनकी मरम्मत की जाये। जो सफाई हो गई है, उसको तो आंका गया है, लेकिन पक्की नाली बना दी जायें तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर गांव वालों को भी आप कह दें तो वह भी कर सकते हैं। लेकिन सफाई का पैसा मिलता है। किसानों में असन्तोष होता है। आप नाली बना रहे हैं। वहां पर एक ढाणी है, उससे आगे पानी जाता नहीं है। उससे पीछे पानी इकट्ठा होने से नुकसान होता है। वह पानी भी व्यर्थ जाता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि लघु सिंचाई के जो साधन हैं, वर्षा से पहले ही तैयार होने चाहिएं। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि अब की टाइम में वर्षा अच्छी हो गई है। अजमेर में भी मैंने देखा है कि तालाबों में पानी है। अगर अजमेर जिले में भी पानी एक तालाब से दूसरे में आये तो यह अच्छी योजना होगी। मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले में बनास लिफ्ट इरिगेशन योजना है। अगर यह केकड़ी साइड में करें तो काफी अजमेर जिले का भला हो सकता है। मगर आपकी योजना न जाने क्यों क्रियान्वित नहीं हो रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भौगोलिक दृष्टि से आपको उत्पादन का काम करना है। आपने, सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लिखा है, उसमें यह लिखा है कि यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकेगा जबकि सिंचाई परियोजनाओं के लिए वांछित धनराशि उपलब्ध कराई जाय। फिर भी 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग समस्त सिंचाई साधनों का उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्नशील है। सभापति महोदय, जो भी 20 सूत्री कार्यक्रम है, आज यह तरीका हो गया है, जो भी डिपार्टमेंट काम करेगा उसके लिए वह 20 सूत्री कार्यक्रम है। आज हर काम 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है। यदि आप पहले से यह घोषणा

(श्री शंकरसिंह रावत)

कर दें कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हम इस काम को प्राथमिकता देंगे तब तो मानता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं । यह तो एमर्जेन्सी में कह सकते हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या महत्व है । स्पेशियली आपने क्या किया है । तो मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से भी लोग देखते हैं तो यह कहते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है। मैटिरियल आप देखेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि वह क्या है । जबकि पहले की जो बनी हुई चीजें हैं, उनको गिराने में भी आज पैसा लगता है, मैं छोटी-सी रपट की बात कहता हूं, वहां पर मिट्टी डालकर चिनाई की । इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज लोग चिल्ला रहे हैं तो वह खुद देखें । 20 सूत्री कार्यक्रम का आपका स्वयं का उत्तर-दायित्व है । यह योजना है, इसको देखते हुये जो मैं कह रहा हूं, उसका आप हम पर भी विश्वास कीजिये । फिर कहिये कि यह वाजिब है। कई बार आप जांच करवा लेंगे फिर कहेंगे कि जांच करवाई गई, कोई गलती नहीं पाई गई । यह ठीक है । इसलिए 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए आपको स्वयं को दायित्व लेना चाहिए । मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं । यह मांगें पास हो जायेंगी, राज्यपाल महोदय से स्वीकृति ले ली जाएगी । लेकिन मैं निवेदन करूंगा सरकार से, जो देश का धन है, उसका कहां दुरुपयोग हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं यह निवेदन करूं कि जिसके हाथ में सत्ता रही है और जिसके हाथ में शक्ति रही है, वह आदमी हमेशा जिन्दा रहा है। शक्ति वाला जिन्दा रहा है । सत्ता में आदमी हमेशा नहीं रहा है । आपका सिंचाई विभाग है, हमें उस पर अविश्वास नहीं है । लेकिन आप मौके पर जाते हैं, मौके पर जाकर देखते हैं । आपके द्वारा या आपके अधि-कारी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी की जाये । हमारे जो इन्जीनियर साहब हैं उन्हें भी मैंने निवेदन किया कि बड़ालिया तालाब है—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उस पर ध्यान किया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : मैंने, माननीय सभापति महोदय, आज की डिमाण्ड पर अपने जिले के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं । हमारे जिले में दो बांध हैं, एक भीमसागर और दूसरा हरिश्चन्द्र सागर। सन् 58 से भीमसागर अधूरा पड़ा है। और हरिश्चन्द्र सागर दो बार टूट गया है । न मालूम क्यों टूटा है। लाखों रुपया उस पर खर्च किया गया है । 227 लाख रुपये की योजना बनाई जा रही है । जबकि यह पहले बहुत कम में बना था । 72 लाख की भीमसागर की योजना थी जोकि अब 516 लाख में बनाये जा रहे हैं । तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन था आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कि झालावाड़ की मीडियम सिंचाई योजनाएं

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

10 वर्ष से बनाते आ रहे हैं। महँगाई के कारण उनको टालते जा रहे हैं। योजना पूरी हो जानी चाहिए लेकिन ध्यान नहीं है। जो प्रगति रिपोर्ट आई है, उसमें भी लिखा है, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"भीमसागर एवं हरिश्चन्द्र सागर परियोजनाएं, जिनकी संशोधित लागत क्रमशः 515.00 एवं 227.00 लाख रु० आंकी गई है, राज्य की काफी पुरानी योजनाएं हैं। धनाभाव के कारण इन परियोजनाओं पर योजना के प्रथम तीन वर्षों में कोई प्रावधान नहीं रखा जा सका है। ऐसी आशा है कि शेष दो वर्षों में यदि समुचित राशि उपलब्ध हो सकी तो इन परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जावेगा।"

इस बात को देखकर बड़ी निराशा होती है कि झालावाड़ जिला एक करोड़ रुपया टैक्स के रूप में देता है, और दूसरे टैक्सों से और सेल्स टैक्स से भी आमदनी होती है। झालावाड़ एक पिछड़ा हुआ इलाका है। एक पिछड़ा हुआ जिला होते हुए भी उसको आप पैसा नहीं देना चाहते: मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी जगहों में आप बराबर पैसा दे रहे हैं। मेरा निवेदन करना इतना ही है कि इन योजनाओं को अगर आप पूरा कर देते हैं और थोड़ा भी पूरा कर देते हैं तो इससे आपको बहुत रिटर्न मिलने लगेगा। आप इन योजनाओं में पैसा नहीं खर्च करना चाहते और उपयोग की दृष्टि से भी उनको प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं। दस साल से तो मैं देख रहा हूं, इन योजनाओं को आपने इस बार भी वैसे ही टाल दिया है। आपने 11 मील लम्बी नहर बना दी और बांध बनने से पहले ही......

श्री शंकरलाल (पाली) : आखिरी क्या है ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : मेरा निवेदन यह है कि, कम से कम आपने इसमें इस साल पैसा नहीं दिया है, पहले जो आपने 40 लाख रुपया दिया था उसका भी दुरुपयोग किया गया। 71 में एक ज्ञापन दिया है दस लाख के घोटाले का, इसकी आप जांच करवाइये लेकिन 76 में भी आज पांच साल उसको हो गये हैं लेकिन उसकी अभी तक जांच नहीं करवायी गई है। बीस पच्चीस हजार बोरी सीमेन्ट पड़ा पड़ा सड़ गया लेकिन उसकी भी कोई जांच नहीं करवाई गई। यह सब किस इंजीनियर के कारण हुआ ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप महरबानी करके थोड़ा पैसा देंगे लेकिन लघु सिंचाई की जो योजनाएं हैं, राजपुरा, हिम्मतगढ, खामरिया और अलवा में, इसमें एक लाख रुपया खर्च कर दिया इसमें चार लाख रुपया और चाहिये, इसको भी आप पैसा नहीं देना चाहते हैं। तीसरी बात मेरा यह निवेदन है कि जो स्टेट टाइम के बांध और तालाब हैं उनमें जो नहरें हैं उनमें भी पैसे का दुरुपयोग होता है। हमने मौके पर जाकर देखा, मैं इंजीनियर को भी ले गया था, उनके हजारों रुपयों के बिल आपको मिल जायेंगे मुडलिया, खेड़ी, दुर्गपुरा और मदनसागर पर आपने पैसा लगा दिया उसकी आप जांच कराइये कि आखिर यह पैसा कहां जाता है। अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अगर

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
आप यह चाहते हैं कि यह बांध पूरा होना चाहिए तो आप इसमें रुचि लीजिये और कम से कम एक बांध को तो पूरा कराइये और दूसरों को बाद में करा दीजिये। इसमें जो भी घोटाले हुए हैं उनकी आप जांच कराइये। यही मैं अन्त में आशा रखता हुआ कि आप इस पर ध्यान देंगे, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सिंचाई और लघु सिंचन दोनों जो विषय हैं उनके बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं उन विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहले मैं इस बात पर जाना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त में सिंचाई का जो भी स्कोप है, 17 पर्सेन्ट के क्षेत्र में सिंचाई होती है और जो राष्ट्रीय-स्तर है वह बीस प्रतिशत का है। पहला तो मिनिस्टर महोदय से मेरा निवेदन यह है कि वे 17 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कितने अर्से में सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाकर के और इसकी व्यवस्था कर सकेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान नहर, जो सीमावर्ती क्षेत्र की नहर है और जो रेगिस्तानी क्षेत्रफल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, के बारे में एक कमीशन बैठा है, मोतीराम की अध्यक्षता में और वह सर्वे कर रहा है लिफ्ट कैनाल के बारे में . . .

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : मोतीराम की अध्यक्षता में नहीं, कंवरसेन की अध्यक्षता में।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कंवरसेन की अध्यक्षता में जो मूल योजना प्रस्तुत की गई है, कंवरसेन की अध्यक्षता में यह कमीशन सर्वे कर रहा है कि किन-किन क्षेत्रों में लिफ्ट योजना बनाकर के उन क्षेत्रों को सिंचित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मेरी यह मान्यता है, ठीक है उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, लेकिन इतनी लिफ्ट कैनाल्स बनेंगी तो मैं समझता हूं कि बाड़मेर जिला को तो सिंचन के लिए, पानी मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जायेगा क्योंकि अभी भी जो स्थिति है, उससे भी जब लिफ्ट कैनाल बन जायगी तो लिफ्ट कैनाल्स एक तो बहुत कॉस्टली होंगी, नागौर में बनेंगी, झुन्झुनू में बनायें, फलोदी में बनाने की आप सोच रहे हैं तो इनसे जो सिंचाई होगी वह बहुत कॉस्टली होगी और उसका रिटर्न भी अच्छा नहीं आयेगा और जो क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर का है, जैसलमेर में तो बहुत ही कम हिस्से में राजस्थान नहर आ सकेगी और मुझे डर है कि बाड़मेर जिले में बिल्कुल नहीं आयेगी, विशेषतौर से मैं बाड़मेर जिले के लिये इसलिए कह रहा हूं कि. . . .

एक माननीय सदस्य : आप बिल्कुल मत डरिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : डरने का कारण यह है कि अभी वहां पर पानी की समस्या का हल ट्यूब वैल्स के द्वारा किया जा रहा है। उन ट्यूब वैल्स के द्वारा भी पानी कितने वर्षों तक एग्जिस्ट रह सकता है, वे कितने वर्षों तक टिक सकते हैं? आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि जैसलमेर और बाड़मेर में जो ट्यूब वैल्स हैं उनकी रिपोर्ट क्या है, वह प्राप्त होनी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को राजस्थान के हित में प्राप्त करना

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चाहिए, और वह प्राप्त होती तो यह एक प्रकार का एक उज्जवल रिकार्ड होता कि ट्यूब वैल्स का पानी कितने वर्षों तक एग्जिस्ट करेगा, और अगर सौ साल तक एग्जिस्ट करेगा तब तो बात अलग है, परन्तु इस प्रकार की सर्टेन्टी होना बहुत मुश्किल है। उनमें पानी की माला बहुत ही कम है। इसलिए जब ट्यूब वैल्स का पानी समाप्त हो जायेगा और राजस्थान नहर वहां पर नहीं पहुंचेगी तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र, बाड़मेर और जैसलमेर जो रेगिस्तानी इलाका है, इसकी स्थिति बहुत ही भयंकर होगी, बहुत ही विषम स्थिति बन जायगी। जिससे इन क्षेत्रों में रहना मुश्किल हो जायगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार गम्भीरता से सोचे।

अब जो दूसरी नहर आती है, नर्बदा की उसके बारे में राज्य सरकारों के बीच में समझौता हुआ है। उस समझौते के कारण पांच लाख एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिलेगा इसके बारे में जो न्यायाधिकरण स्थापित हुआ है वह सांचोर, बाड़मेर और दूसरी जगहों में भी गया है, उनकी रिपोर्ट कब प्राप्त होगी, और कब उसका निर्णय होगा और उसके बारे में निर्णय होकर कब उसका इम्प्लीमेन्टेशन होगा और कब वहां पर पानी पहुंचेगा--तो यह भी प्रश्न एक इस प्रकार का है कि हम दस वर्ष तक यह आशा नहीं रख सकते कि नर्बदा के पानी का हम लाभ उठा सकेंगे। इसलिए हमारे क्षेत्र को राजस्थान नहर का लाभ हो। यह हमें नहीं दिखता, नर्बदा का भी लाभ अभी फिलहाल नहीं दिखता। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे यहां जो कुएँ हैं, जो लूणी और सूकड़ी नदी का पानी आने से सिवाणा, पचपदरा, सिणधरी और धोरीमना के क्षेत्र में जो कुए हैं, उन कुओं के बारे में हम कोशिश करें कि जो काश्तकार हैं उनको ऋण दें और ऋण लेकर वह सिंचाई करें। तो इसके लिए भी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कोर्पोरेशन के अन्तर्गत जो स्कीम बनी है, उसमें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी हिस्से को नहीं लिया गया है। तो मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान में लघु सिंचाई योजनाएं हैं, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की योजना हैं उनमें बाड़मेर जिले में सिवाणा तहसील ऐसा क्षेत्र है जिसमें यह योजना लाई जा सकती है और छोटे काश्तकारों, सीमान्त काश्तकारों को ऋण देकर कुए खोद सकते हैं। वहां नल-कूप बने हैं, उन नल-कूपों का लाभ भी उठाया जा सकता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम से जो योजनायें चल रही हैं, विभिन्न जिलों में, हमारे जिले में भी सिवाणा में भी इस प्रकार की योजना बनाई जाय।

दूसरा मेरा यह कहना है, हमारे जिले में मेली बांध बना है। पहले मेली बांध बना हुआ था, वह टूट गया था अधिक वर्षा के कारण। अभी जो बना है, मेली बांध, मेरे को इन्फार्मेशन मिली है, मेली बांध पहले से कमजोर बांध है और अधिक वर्षा हुई और बाढ़ आई तो यह स्थिति हो सकती है कि यह बांध टूट सकता है। इसके बारे में जांच की जानी चाहिये। इतना रुपया हम खर्च करें और नये सिरे से मेली बांध बनायें, और वह पहले से कमजोर बनायें और पैसा वेस्ट हो

Page No 79

(79)

(श्री वृद्धिचंद्र जैन)
जाय इसके लिए पूरी जांच की जानी चाहिए। वास्तव में जो मेली बांध बना है वह ठीक तरह बना है, वह अधिक वर्षा आये, बाढ़ आये तो एक्जिस्ट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वह जांच करायें कि वास्तव में बांध यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा, किसानों को फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यह अतिवृष्टि से मुकाबला कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? यह जानना बहुत आवश्यक है।

तीसरा मेरे जिले के लिए कहना है कि अकाल राहत के कार्यों के अन्तर्गत लघु सिंचाई के कार्य चलें और वह कार्य भी अधूरे पड़े हैं। सिवाणा में भी इस प्रकार का बांध महत्वपूर्ण बांध था और हमारे जिले में भी कुछ छोटे-छोटे बांध थे, कुछ खडीन के कार्य थे, खडीन और बांध के काम जो अकाल राहत कार्य के समय बने थे, वह हाथ में लिये जाने चाहिए। अब बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हम विकास करने जा रहे हैं और हमारे यहां बड़ी-बड़ी नहरों से लाभ नहीं हो सकता, मध्यम लघु सिंचाई से भी लाभ नहीं हो सकता है तो हमारे यहां जो छोटी-छोटी योजनाएं हैं, खडीन हैं बांध हैं, उनसे लाभ देकर हमारे जिले को विकास की ओर लाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो प्राविजन्स किये हैं 1975-76 में किये थे, वह इनसफिसियेन्ट थे, कोई प्राविजन ऐसा नहीं रखा कि 1975-76 में कोई काम हाथ में लिया जायगा। 1976-77 में प्राविजन रखे तो जो अकाल राहत में कार्य लिये गये थे, वह कार्य कम्प्लीट करा दिये जावें।

अब राज्य सरकार कोशिश करती है; यह इस प्रकार के कार्य हैं वह डी० पी० ए० पी० में लेने की कोशिश करेगी। मैं चाहता हूं, डी० पी० ए० पी० के कोई अमाउन्ट को और कहीं स्पेन्ड नहीं किया जाय, बल्कि इस योजना के अन्तर्गत हमें लाभ दिया जाना चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र 7 के अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों से ही हमें पैदावार बढ़ानी है। हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 3.80 हैक्टर में हमें सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना है। जो इन्फार्मेशन और सूचना हमें प्राप्त हुई है, योजना-काल के दो वर्ष में राज्य की उपलब्धि है 1.80 लाख हैक्टर, यह उपलब्धि है, यह सराहनीय उपलब्धि है। इस प्रकार जब उपलब्धि करेंगे तो तीन साल के अन्दर जो लक्ष्य 3.80 लाख हैक्टर का है उसकी पूर्ति कर सकेंगे। परन्तु हमें यह भी देखना है, हम लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति करने के साथ-साथ हमें यह भी देखना है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो लघु सिंचाई का स्कोप है, उस क्षेत्र को भी हमें नहीं भूल जाना चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो क्षेत्र लघु सिंचाई का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको मदद देकर उनकी स्थिति को मजबूत करना चाहिए और बीस सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य है कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाना और कमजोर क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना। इस दृष्टिकोण को सामने रख कर भी विकास की ओर अभिरुचि दिखायें।

बाढ़ से प्रभावित लूणी, सूकड़ी नदी से प्रभावित जो बालोतरा नगर है और बालोतरा नगर के आस पास के गांव हैं,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
सिवाना तहसील में भी हैं, पचपदरा में भी है, सिणधरी पंचायत समिति क्षेत्र में भी हैं उन गांवों के लिए स्पर्ट्स बनाने की आवश्यकता है, ठोकरें बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सिंचाई की योजना बना कर इस कार्य को हाथ में लेना चाहिए क्योंकि जब बाढ़ आती है तो इस प्रकार स्पर्ट्स न होने के कारण इन क्षेत्रों में काफी नुकसान हो जाता है। खास तौर पर बालोतरा को काफी नुकसान हो जाता है। तो योजनाबद्ध योजना बना कर इस कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिए।

राजस्थान नहर 1958 में शुरू की गई थी। अब उसको अठारह साल होने को आये और अठारह साल होने पर भी हमने प्रथम चरण भी सम्पूर्ण अभी तक नहीं किया। अभी तक हमें प्रथम चरण सम्पूर्ण करना है और अभी भी हमें इसके लिए दो सौ करोड़ रुपये खर्च ·······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 210।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 210 करोड़ खर्च करने की आवश्यकता है और जो व्यवस्था कर रहे हैं, 1975-76 में, वह हमने साढ़े बाईस करोड़ की व्यवस्था की, अच्छी व्यवस्था थी। अगर इस प्रकार व्यवस्था पहले की साल में करते रहते तो राजस्थान नहर कभी की तैयार हो जाती। लेकिन अब भी हम जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं उस गति को और भी तीव्र करना होगा। उस गति को अगर तीव्र नहीं किया गया तो जिस रफ्तार से हम कार्य कर रहे हैं इस में भी हमें 10 वर्ष और लगेंगे और दस वर्ष ज्यादा लगे तो स्थिति यह हो सकती है कि अभी 1975 में हमने जो अनुमान लगाया है उससे भी कीमत और बढ़ जायगी, अभी तो कीमत घट गई है परन्तु भविष्य का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए इस योजना को भी जल्दी से जल्दी सम्पूर्ण करने की आवश्यकता है। मैं इन शब्दों के साथ में यह मेरी मांग प्रस्तुत करता हूं और यह मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारा बाड़मेर जिला, जो पिछड़ा हुआ जिला है········

श्री रघुनाथ विश्नोई : कट मोशन ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हां कटौती प्रस्ताव। मांग (व्यवधान) yes, yes, गलत कह दिया। । कटौती प्रस्ताव।

श्री ओंकारलाल चौहान : आइन्दा वह दिन भी जल्दी आयेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमारे जिले की ओर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमंद) **:** सभापति महोदय, जब सिंचाई विभाग पर चर्चा हो रही है तो मैं भी अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा अपनी समस्याएं रखूंगा। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और इस कृषि के लिए सिंचाई का होना अत्यावश्यक है। राज्य सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है, इसके लिए वह बधाई की पात्र है। राजस्थान कैनाल उसका प्रमाण है। राजस्थान नहर जिस जगह लाई गई है, लोगों के दिमाग में नहीं था कि यहां पर भी पानी

(श्री नाना लाल)

मिलेगा। लेकिन हमें इसके लिए संतोष जरूर है कि राजस्थान में राज्य सरकार के प्रयत्नों द्वारा जो राजस्थान नहर आई है उससे हजारों बीघा जमीन सिंचित होगी और जहां पक्षी भी पानी के लिए तरसते थे वहां आज समुद्र की तरह पानी लहलहा रहा है। यह बात धन्यवाद के योग्य है ही। मैं इन कटौती प्रस्तावों द्वारा अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखूंगा।

उदयपुर जिले में तहसील रेलमगरा सबसे ज्यादा उपजाऊ है। वहां कुओं के सिवाय और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कुओं में सिंचाई की व्यवस्था के लिए सिर्फ बनास नदी का सोर्स है उसके द्वारा सिंचाई होती है। उस नदी में एनीकट्स बनाने की योजना बनाई जा रही है और कई बार वर्षा न होने से पानी की कमी होती है, उस समय सारे कुए सूख जाते हैं। इसलिए मैं बार-बार मांग करता आया हूं कि बनास नदी पर एनीकट्स बनाए जायं ताकि सारी तहसील के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके और लोगों को राहत मिलेगी।

इसके बाद रेलमगरा तहसील में सहकारिता के आधार पर सामूहिक सिंचाई हेतु कुएं बनवाये उसमें ए० एफ० सी० का जो अनुदान मिलना चाहिए, वह योगदान नहीं मिल रहा है। तो सिंचाई विभाग की तरफ से कुछ न कुछ योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा हम सिंचाई कर सकें। इससे कृषकों का लाभ हो सकेगा।

मैं बाढ़ नियंत्रण के बारे में भी कुछ अपने सुझाव रखूंगा बनास नदी के कारण नदी के कुएं कई गांवों में इस प्रकार बने हुए हैं जिनसे हर वर्ष बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बाढ़ काफी उपजाऊ हिस्से को काट जाती है। जिससे हजारों बीघा जमीन खराब होती है और लोगों को नुकसान होता है। वामडिया गांव की स्थिति खराब है। यहां भी नदी का कुआं है जब बाढ़ आती है पानी गांव में आता है, खेतों में पड़ जाता है। आज तक न कोई योजना बनी है, न पैसा लगा है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कम से कम इसकी योजना बनाई जाए और जो लोग बाढ़ के कारण काफी प्रभावित हैं, उन लोगों को थोड़ी सुविधा दिलाई जाए।

पडासया एनीकट बनाते ही टूट गया। उसकी स्थिति गंभीर हो गई है, कैसे हो गई है, मंत्री महोदय, इसकी जांच करवा सकते है। उस एनीकट को पूर्ण रूप से बनाने की व्यवस्था करायें।

दूसरी बात, राजसमंद की कैपेसिटी बढ़ाकर उसका पानी कुरज गांव तक पहुंचाया जाए तो हजारों बीघा जमीन जो बेकार पड़ी है, जो सिर्फ घास के काम में आती है, वह जमीन सिंचित होकर कृषक लाभ उठा सकते हैं, इस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा राजसमंद की लेफ्ट कैनाल जो कच्ची खुदी हुई है, पक्की चुनाई नहीं की गई है, इससे काफी पानी सीपेज में जाता है, पानी का नुकसान होता है व उस पानी से कृषकों को भी नुकसान है, उनकी काफी जमीन खराब होती है। अगर नहर बनाई जाए तो लोगों के खेत खराब होने से बच सकते हैं। सड़कों को भी इतना नुकसान हुआ कि कुवारिया के पास सारी सड़क बह गई। अब पूरी की पूरी सड़क नई बनाई जा रही है, मंत्रीजी को जानकारी है।

(श्री नाना लाल)

खंडेल तालाब की कैपेसिटी के बारे में निवेदन करना है कि अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए तो इसके नीचे जितनी जमीन बेकार पड़ी है, सिंचित हो सकती है, इससे काफी पैदावार हो सकती है। खारी फीडर के बारे में निवेदन है कि अगर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए तो काफी पानी रोका जा सकता है और काफी लोगों को लाभ हो सकता है और उत्पादन बढ़ सकता है।

श्री सभापति : श्री गफ्फार अली ! (श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा के खड़े होने पर) आप अपने नम्बर पर बोलेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मांग संख्या 37 लघु सिंचाई और मांग संख्या 45 के लिए 16,17,64,000) और 1,05,50,000) रुपये तक का प्रावधान करना, इससे यह स्पष्ट इंगित होता है कि राज्य सरकार अब सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल देना चाहती है, उसको अधिक मजबूत करना चाहती है और सफल बनाना चाहती है। मैं राज्य सरकार की इस दिशा का स्वागत करता हूं क्योंकि अगर हम सारे राजस्थान का चित्र देखें तो राजस्थान में कुल प्रति वर्ष 1.32 प्रतिशत बारिश होती है और सारे देश की 14.80 प्रतिशत खेती की भूमि केवल राजस्थान में है।

राजस्थान में खेती योग्य भूमि 6¼ करोड़ एकड़ है जिसमें से हम केवल 3.50 करोड़ एकड़ पर खेती कर पाते हैं। राजस्थान में 8 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध है, लेकिन इसमें बहुत पानी ऐसा है जो बहुत गहराई पर है जिसका हम राजस्थान में प्रयोग नहीं कर पाते। केवल 4 मिलियन एकड़ फीट पानी ऐसा है जिसका राजस्थान में उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रावी, सतलज, व्यास, माही, चम्बल से 14.6 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध होता है जिसका उपयोग हम मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट में करते हैं और, सभापति महोदय, हम नर्बदा या गंगा के प्रोजेक्ट को इसमें शामिल कर लें, क्योंकि राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोच रही है। अभी नर्बदा के संबंध में हमारे यहां से, राजस्थान से एक टीम सर्वे करने के लिये वहां गयी थी। उन सभी को अगर जोड़ कर हम देखें तो हमारे यहां राजस्थान में जो सिंचाई हम कर पायेंगे वह सिर्फ 15 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई कर पायेंगे। सभापति महोदय, यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है और अगर हम इसको कुछ अधिक बढ़ावें तो भी हम उससे सिर्फ 30 प्रतिशत तक ही सिंचाई कर पायेंगे। सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर 50 लाख हैक्टर जमीन को सिंचित किया जाता है और अगर हम इसमें राजस्थान की धरती की ओर दृष्टिपात करें तो हमें जो आंकड़े राजस्थान के प्राप्त होंगे वह कोई प्रेरणात्मक आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे। सभापति महोदय, हम हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 3.80 लाख हैक्टर जमीन ही सिंचित कर पायेंगे और योजनाकाल के दो वर्ष के अंदर सिर्फ एक लाख 80 हजार हैक्टर जमीन ही सिंचित कर पायेंगे। सभापति महोदय, अगर हम पिछली इन सारी प्रगति का लेखा-जोखा लें तो जिसमें आप चाहे मेजर इरिगेशन को ले लें। चाहे आप माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट को ले लें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इन सभी को सम्मिलित कर लने के बाद भी हमारे प्रदेश में सन् 51–52 तक सिर्फ दो लाख 39 हजार हैक्टर जमीन की सिंचाई होती थी वह अब 8 लाख 19 हजार हैक्टर जमीन तक ही हम सिंचाई कर पायेंगे और अगर हम कुओं की तरफ दृष्टिपात करें तो जो हम पहले 8 लाख 53 हजार हैक्टर जमीन का सिंचन कर पाते थे। वह अब आगे बढ़ कर करीब 13-14 लाख हैक्टर जमीन का सिंचन कर पायेंगे। तो यह सारी की सारी प्रोग्रेस हमारी सन् 1951–52 से हुई है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर हम सामन्तवादी व्यवस्था को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय, यह आंकड़े भी कोई बहुत अधिक उत्साहजनक या प्रेरणात्मक नहीं हैं।

लेकिन सभापति महोदय, एक बात जो प्रसन्नता की है वह यह है कि जो शिथिलता हमारे यहां पर राजस्थान कैनाल के निर्माण के बारे में वर्षों से चली आ रही थी उसमें थोड़ा बहुत किसी हद तक तेजी आयी है। लेकिन फिर भी मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की तेजी उसके निर्माण में आनी चाहिये थी उतनी तेजी हम नहीं ला सकेंगे। आज भी वह पुस्तक डेजर्ट टू ब्लूमस उसमें जो इन्डेक्स दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि हम फर्स्ट फेज आफ राजस्थान नहर में ही 16 लाख एकड़ का इरिगेशन सन् 1972 तक कर पायेंगे। आपने उसमें यह स्वीकार किया है। लेकिन हम फर्स्ट स्टेज में सिर्फ सात लाख हैक्टर जमीन ही सिचाई राजस्थान कैनाल में कर पा रहे हैं, और सभापति महोदय, उसमें भी हम गौरव प्राप्त करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम माइल 124 तक पहुंच गये हैं। लेकिन, सभापति महोदय, अगर आप 24 माइल तक पहुंच गये हैं तो उसके हिसाब से हम सारी की सारी कम्पलीट योजना को देखें तो हम सात लाख एकड़ के बजाय सिर्फ साढे पांच लाख एकड़ जमीन ही सिंचित कर पाते हैं। सभापति महोदय, आप उपनिवेशन विभाग की प्रगति रिपोर्ट की ओर दृष्टि पात करें तो उससे आपको स्पष्ट शिथिलता दृष्टिगोचर होगी। उसमें दिया है कि प्रथम चरण में हम 346 गांवों में, जिसका कुल क्षेत्रफल 30.86 है और कुल कृषि योग्य क्षेत्र जी०सी० ए० 22.20 है उसमें से कमाण्ड क्षेत्र 13.40 लाख एकड़ जमीन सिंचित कर पायेंगे और उसके दूसरे चरण में हम 156 गांवों में, जिसका ग्रोस एरिया 57.38 लाख एकड़ है उसमें कुल कृषि योग्य 28.00 लाख एकड़ जमीन होगी। उसमें हम सिर्फ 15.00 लाख एकड़ जमीन सिंचित कर पायेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 502 गांवों में हम प्रथम व दूसरे चरण में 28.40 लाख एकड़ जमीन को सिंचित कर पायेंगे। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतना हम नहीं कर पाये। इसके अलावा इसके सर्वेक्षण की ओर दृष्टिपात करें तो 57.38 लाख एकड़ क्षेत्र में से हम अभी तक सिर्फ 5.5.4 लाख एकड़ जमीन का ही सर्वेक्षण कर पायें हैं। यह कोई उत्साहजनक आंकड़ें नहीं हैं। हालांकि आपने कह दिया है कि हमने दूसरा फेज प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन, सभापति महोदय, वह भी आपने पुंगल के एरिया के अन्दर थोड़ा काम सिंचाई का जरूर किया है। उसमें भी सिर्फ 94 हजार एकड़

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
जमीन सिंचाई कर पाते हैं। यह कोई बड़ी उपलब्धि आप अगर मान लें तो बात और है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेन्ज है। वह चैलेन्ज है राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये। सभापति महोदय, यह एक बहुत बडा भारी चैलेन्ज है। यह भारत वर्ष के लिये ही नहीं अपितु सारे विश्व में सबसे बड़ी नहर है और बहुत बड़ा चैलेन्ज है। और मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि इस योजना को राष्ट्रीय योजना स्वीकार नहीं किया जाय। इसको राष्ट्रीय योजनाओं में लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आज राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये हमें सभी ताकतों को, जिसमें चाहे राजनेता हों, चाहे सारे के सारे वामपक्षी लोग हों, एक जुट होकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज प्रगतिशील ताकतों के सामने कई प्रकार के रोड़े अटका रहे हैं। लेकिन हमें राजस्थान नहर को बना कर उस एरिया का विकास और डवलपमेन्ट करना है। प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाली सारी ताकतों को चाहिये कि इसको जल्दी से जल्दी एक जुट होकर पूरा करें। सभापति महोदय, यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जो सबसे कम पैसों में और दुनियाँ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में आता है। यह उन सभी प्रोजेक्ट्स में से इन्टेन्सिटी में ज्यादा है। चाहे आप मिसीसीपी मिसोरी के प्रोजेक्ट को ले लीजिये, चाहे आप वीलगा के प्रोजेक्ट को ले लीजिये, चाहे आप नूवेली के प्रोजेक्ट को ले लें, चाहे आप इजराइल के प्रोजेक्ट को लें, चाहे आप सीरिया के प्रोजेक्ट्स का ले लें, चाहें आप लीबिया के प्रोजेक्टस को ले लें। इन सभी प्रोजेक्ट्स से यह राजस्थान कैनाल सबसे कम खर्च वाला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज हमारे यहां पर, सभापति महोदय, एन्टी फासिस्ट सम्मेलन बिहार में हुआ था लेकिन अब विश्व का सबसे बड़ा दूसरा एन्टी फासिस्ट सम्मेलन हंगरी में हो रहा है। सभापति महोदय, हम राजस्थान में भी एक सम्मेलन कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह राजस्थान कैनाल एक चैलेन्ज है जिसको हमें एक जुट होकर, राजस्थान के सभी प्रजातान्त्रिक उद्देश्यों में विश्वास करने वाले लोगों को पूरा करना चाहिये। हमें इस योजना को रामगढ़ तक ही सीमित नहीं रखते हुए, इसे 20 लाख एकड़ तक ही नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 32 नहीं, 34 नहीं, बल्कि 36 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करना है। इसको स्लाइन होने देना है इसको रामगढ़ से लेकर जैसलमेर से निकलते हुए कड़ाना बान्ध तक ले जाना है। इसलिये हमें इस मूवमेन्ट को एक जुट होकर तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इसमें तेजी नहीं आयी. . . .

श्री शंकरलाल : क्या आपका यह कहना है हांडा साहब की सभी प्रगतिशील लोगों को हंगरी जाना चाहिए एन्टी फासिस्ट सम्मेलन के लिये !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं। यह बात नहीं मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय सम्मेलन एन्टी फासिस्ट लोगों का हो रहा है। जितनी भी प्रजातान्त्रिक ताकतें हैं, जितनी भी सोशियलिस्टिक पावर्स हैं वह हंगरी में इकट्ठी हो रही हैं। आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, शंकरलालजी। मैं आपको क्या अधिक कहूं।

श्री शंकर लाल : हंगरी में सम्मेलन हो रहा है आपने कहा है कि इसलिए मैंने कहा कि वहां जावें क्या ? आप बड़े ज्ञानी हैं इसलिए . . . .

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सारे विश्व की तीसरी दुनियां के लोग, समाजवादी धारणा वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हम भी यहां राजस्थान में जल्दी ही एक राष्ट्रीय डवलपमेन्ट मूवमेन्ट करने के विषय में —

श्री सभापति : हांडा साहब, आप अपने भाषण पर आ जायं। यह लोग आपको विषय से डाइवर्ट कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां, सभापति महोदय। शंकरलालजी आप मेरी गाड़ी को पटरी पर ही चलने दीजिये। कृपया मुझे साइड ट्रेक नहीं करें। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर दुनियां की सबसे बड़ी और सबसे कम खर्च वाली योजना है। लेकिन मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट अभी तक राजस्थान कैनाल की मेजर, माइनर और माइनर डिस्ट्रीब्युटरीज जितनी भी फर्स्ट फेज में थीं, पूरी सिर्फ साढ़े सात लाख एकड़ ही कर पायेंगे। जबकि हमको 16 लाख एकड़ जमीन सिंचित कर देनी चाहिये थी। एक बात आप गौरव की मानते हैं वह यह है कि आपने लिफ्ट इरिगेशन शुरू कर दिया है। वह आपने लूणकरणसर के एरिया में की है जिसमें एक लाख 20 हजार एकड़ जमीन सिंचाई करने की स्थिति में आ जायेंगे यह बात कही है। लेकिन साढ़े सात लाख एकड़ में से, जो कि आपका प्रोग्राम था, आप बहुत थोड़ी में सिंचन कर पाये हैं। मुझे इस बात का बहुत बड़ा खेद है कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट में जो कहा उसके अनुसार आपके यहां पर कोई काम नहीं हुआ। और अगर आप यह चाहते हैं कि सारा का सारा कैनाल का काम आप इन ऑफिसरों की मुंशीगिरी से पूरा कर पायेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इसको पूरा नहीं कर पायेंगे -यह काम अभी तक हो जाना चाहिये था। सभापति महोदय, जो एन्डरसन अवार्ड सन् 1935 से घोषित हुआ था और उसके बाद में सन् 1959 में इन्डो-पाक सन्धि हुई थी। उसके अनुसार हमें 27209 क्यूसेक्स पानी गंगा कैनाल में मिलना था वह भी हमें नहीं मिल सका। 2620 क्यूसेक पानी, जो गंग कैनाल के लिये था, सन् 1959 के बाद कतई उपलब्ध नहीं हुआ। आज हमारी कैपेसिटी 3300 क्यूसेक पानी की होनी चाहिये-गंग कैनाल में। यह ठीक है कि हम आंकड़ों में कहें कि हमने 80 पर्सेन्ट में इरिगेशन कर लिया है, लेकिन सभापति महोदय, सच निकल ही जाता है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट पेश की है उसमें स्पष्ट लिखा है कि गंग और भाखड़ा कैनाल में 60-62 पर्सेन्ट इरिगेशन कर रहे हैं। सुजासर के लिए एन्डरसन अवार्ड में 1970 में दी थी, आज 76 चल रहा है। उसमें एक लाख 20 एकड़ सीधी राजस्थान कैनाल को हैंड ओवर कर देनी चाहिये थी और 58 हजार एकड़ हमको अनकमाण्ड घोषित करनी चाहिये थी और 80 हजार एकड़ में रबी की फसल सन् 1976-77, 1975-76, 1974-75 में हुई है उसमें आपका कोई आभार नहीं है।

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

वह तो प्रकृति की देन है। भाखड़ा में 20 सूत्री कार्यक्रम में लिये गये आंकड़ों के अनुसार 1409 अधिक भूमि और गंग कैनाल में 597 धरती अधिक कमाण्ड की है। यह टोटल उपलब्धि है कि 50 हजार हैक्टर की तरफ आप बढ़े हैं। आपको 80 हजार एकड़ धरती भाखड़ा है क्षेत्र में मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लेकर कमाण्ड एरिया डिक्लेअर कर देनी चाहिये थी बल्कि इरिगेशन का आरम्भ कर देना चाहिये। उसके सारे तरीके मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट में पूरे दिये हैं।

आज जो जैसाना, अमरसिंहपुरा वाली जो हालत है उसमें 20 पर्सेन्ट से भी कम है। यह ठीक है माननीय मंत्री महोदय ने पंजाब सरकार से बात की, कि सिंधमुख कैनाल निकाल दी जाय--बहुत स्वागत है और सिंधमुख कैनाल एक हल हो सकता है जो आपकी अमरसिंहपुरा और जैसाना की कैपेसिटी को पूरा करे और इसके साथ-साथ चूरू और राजगढ़ को भी करेगा, लेकिन अभी भी चीफ मिनिस्टर के लेवल पर बातचीत बाकी है। आज जो आपका एक्ट है उसका आपने कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। फिर, सभापति महोदय, इन सारी इन्टेन्सिटीज को इन्टरलिन्क किया जा सकता है लेकिन जो माननीय सदस्य करणपुर से पधारते हैं उन्होंने बताया कि आज गंग कैनाल की स्थिति यह है कि किसी भी समय बर्स्ट हो सकती है। यह सन् 1928 में चूने और जिप्सम से बनी हुई है और सारी दुनिया में अपना परिचय दे रही है। लेकिन पंजाब हमारे वाटर सोर्सेज को टैप कर ले, और आज यह स्थिति है कि जहां फुल सप्लाई चलनी चाहिये वहां 300 क्यूसेक की कैनाल बाई रोटेशन बन्द करनी पड़ती है। अगर इसको इनटेक्ट नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं है कि यह सारा का सारा सिस्टम फ्लाप हो जायेगा और पुराना सिमस्ट which has stood enough test of time. अब यह सिस्टम बिना फुल रिपेयर्स के रेज नहीं किया जा सकता है। अब यह सिस्टम चलने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त आज क्या स्थिति है एक तरफ तो आर०डी०165, राजस्थान मेन कैनाल 150 क्यूसेक पानी दिन-रात फेंकता है और गंग कैनाल में 50 क्यूसेक पानी भरा रहता है और उस डेजर्ट की बेल्ट में वाटर लोगिंग शुरू हो गया है। किशनपुरा और बडोला में वाटर लोगिंग शुरू हो गया है और यह स्थिति हो गई है कि आपका लिंक है लो लेवल पाइन्ट से वह भी फंक्शन करने की स्थिति में नहीं है और ऐसी सैकड़ों माइनर्स हैं, यह तो नाम मात्र की रेखा खींची है। आज के एस०डी० में 14 की जगह 7 पहुंचता है, सूजासर में 6 के बजाय 2 पानी पहुंचता है, के एल०एम० में चार के बजाय 1 पानी पहुंचता है। मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है यह तो केवल मैंने मिसाल के तौर पर रखी है। कोई युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और इस सारी लिंकिंग के लिये आपको चेलेंज है। 50 हजार का आपका कितना योगदान होगा? इसलिये आपकी मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लिमेन्ट करना होगा और तभी आप 20 सूत्री कार्यक्रम में पोजिटिव कन्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे।

सभापति महोदय, इनके अलावा मैं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कोलोनाइजेशन की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोलोनाइजेशन में चाहे वह गंग कनाल हो, चाहे वह भाखड़ा का कोलोनाइजेशन हो और चाहे वह राजस्थान कैनाल का कोलोनाइजेशन हो, बहुत गंभीर समस्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गंग कैनाल कोलोनी एक एस्टेब्लिश कोलोनी है लेकिन आज भी 19851 धरती ऐसी है जिसका भी परमानेन्ट अलॉटमेंट नहीं है। भाखड़ा में 14855 धरती ऐसी है जिसका परमानेन्ट अलॉटमेंट नहीं है और 48982 एकड़ धरती आज भी इस कोलोनाइजेशन एरिया में अनकमान्ड बनती है जिसका परमानेन्ट अलॉटमेंट नहीं है और अलॉटमेंट की स्थिति यह है कि 1-1-75 से 31-12-75 तक देखें, केवल नान-कमाण्ड में 4075 का अलाटमेंट है। गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल में आपकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 1272 और 13220 का अलॉटमैंट कर पाये हैं। अब भी टोटल मिलाकर 75 हजार एकड़ गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल में ऐसी धरती है जो परमानेन्ट अलाटमेंट के लिये पड़ी है। बार-बार इस बात को कहा गया है कि कलेक्टर्स के जो पावर्स हैं वह सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को दीजिये, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर सभापति महोदय, जो पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं उससे मैं आपको याद दिला दूं देश प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ में फंस जायगा। आपने मण्डी एरिया में 8 मील के रेडियस में अलॉटमेंट नहीं देने का फैसला किया है-बाई रोटेशन देंगे, आप नजर डालकर देख लीजिये विजयनगर से रार्यासहनगर, रार्यासहनगर से रामसर रामसर से जेतसर इनका गेप देख लीजिये 8 मील के रेडियस में ही आता है। इसी तरह आप रार्यासह नगर से अनूपगढ़ देख लीजिये, अनूपगढ़ से पंदमपुर देख लीजिये, गजसिंहपुर देख लीजिये-इस रेडियस में करीब-करीब सारी जमीन कवर हो जाती है और यह सारी जमीन आप ऑक्सन करेंगे। आपको 3 नवम्बर, 69 का दिन नहीं भूलना चाहिये, जबकि सैकड़ों लोगों ने अपने सिर फुड़वा लिये थे और कहा था कि इस समाजवादी सिस्टम में धरती का नीलाम नहीं किया जायगा। और उस तरह से भूमि को रोका गया था और आज फाइनेन्स के नाम पर धरती का नीलाम करते हैं तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई गलती नहीं होगी।

मैं समझता हूं आप 20 सूत्री कार्यक्रम की अवहेलना नहीं करेंगे और इस धरती को आक्शन होने से बचायेंगे। इसके अलावा, सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल में जो अलाटमेंट के सम्बन्ध में आपकी कई नीतियां हैं वह मेरी समझ नहीं आती है। सन् 1970 में राजस्थान कैनाल के लिये रूल्स बनाने की एक कमेटी बनी। मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था। मैंने अपना नोट ऑफ डिसेन्ट दिया। प्रि और पोस्ट दो कानून बनाना डिस्क्रिमिनेटरी होगा। हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन को मेरे नोट ऑफ डिसेन्ट देने के बावजूद भी रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने इसको हाईली डिस्क्रिमिनेटरी माना। सन् 1975 में एक कानून बनाया और प्रि और पोस्ट दोनों को एक रखे। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन है फिर भी रखा। पोस्ट कानून के लिये 30 डेज का प्रोविजन रखा। चलिये, उसका भी मैं एतराज नहीं करता। लेकिन कानून से जो 7490 एकड़ और

(श्री योगेन्द्र नाथहाण्डा)

753313 एकड़ भूमि प्रभावित होती थी, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव आॅर्डर देकर कानून से रोके रखा। उसको क्यों नहीं रिलीज किया ? क्यों नहीं वह डिस्ट्रीब्यूट होती ? इसका मतलब क्या है ? क्यों आपने एडमिनिस्ट्रेटिव आॅर्डर दिया ? भू-स्वामियों की ओर से आया होगा या सामन्तों ओर पैसे वालों की ओर से इशारा आने पर यह एडमिनिस्ट्रेटिव आॅर्डर दिया हो। कानून में जो कार्य करना चाहिये था उसके लिये इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव आॅर्डर देकर क्या मतलब निकालना चाहते हैं ? खेद के साथ कहना पड़ता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कदम उठाये जाने चाहिये उसमें भी यह कहा जाय कि सैटिलमेण्ट 20 साल में होना चाहिये था। इसलिये गवर्नमेन्ट चाहेगी जब एडमिनिस्ट्रेटिव आॅर्डर निकाल देगी और जब नहीं चाहेगी नहीं निकालेगी। कब तक रोके रखेंगे ? 945 जागीरदार थे, उनको 36951 एकड़ जमीन दी। तीनों प्रोजेक्ट्स में 50 हजार एकड़ से ज्यादा दी। दो-दो मुरब्बा जमीन दी। एक मुरब्बा फ्री दी और एक इन्स्टालमेन्ट में दी। 6 कल्टीवेशन कन्डीशन्स। माननीय मंत्री महोदय, सन् 1954 का जागीरदारी विधेयक पढ़ रहे थे। यह अधिकार नहीं थे कि दो मुरब्बा कैनाल क्षेत्र में दी गयी है उसको जागीरदार बेच देंगे, सबलेट कर देंगे या ठेके पर देंगे। आखिर यह भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्या कारण है इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म नहीं करते ? एक मुरब्बा रखें, दूसरा मुरब्बा कैंसल क्यों नहीं करते ? इसलिये कि राज्य के बड़े-बड़े अधिकारी जागीरदारों की शक्ल में बिराजमान हैं। मूलचन्दजी माथुर जो पहले रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी थे, 28 एकड़ जमीन लेकर बैठे हैं। एक्स-चीफ सेक्रेटरी झाला साहब, आई०जी०पी० गोवर्धनसिंहजी, एक्स-कालोनाइजेशन आॅफिसर बिराजमान हैं। बड़े-बड़े थानेदार, डीवाई० एस० पी०, तहसीलदार नाहरसिंह, मंगलसिंह, भैरोंसिंह इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए इन जागीरदारों का एक मुरब्बा नहीं करते क्योंकि ये आज सेक्रेटेरियट लेवल पर प्रिवेल करते हैं और इसलिये यह डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल कर रहा है और इसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि आपने यह घोषणा की इस बात की कि 1.55 लाख एकड़ जमीन अनुसूचित जाति और जन-जाति को दी है। जब नाजायज कब्जों का सवाल पैदा हुआ तो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तीनों प्रोजेक्ट्स के नाजायज कब्जों की बात करके राजस्थान कैनाल पर 8575 नाजायज कब्जे हटाये। इस बात की जानकारी नहीं दी कि किन कैटेगरीज में ये नाजायज कब्जे हटाये गये। कृपया कैटेगरीवाइज बतलाइये। इसमें 27 हजार केसेज ऐसे थे जो टी० सी० पर थे लेकिन परमानेन्ट में रिजेक्ट कर दिये और दो सौ, तीन सौ लोग ऐसे थे जो परमानेन्ट अलाटमेंट के लिये एपीयर ही नहीं हुए। 367 केसेज ऐसे थे जो कम्प्लेन्ट्स पर रिजेक्ट कर दिये गये। और 4851 केसेज ऐसे थे जिनके किसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र नहीं थे। अब, सभापति महोदय, 27 हजार के केसेज टैक्निकल ग्राउन्ड्स पर रिजेक्ट किये गये। मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं कि कोलोनाइजेशन विभाग के 367 केसेज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रिजेक्ट किये। जिनमें कम्प्लेन्ट्स भी उसमें बहुत से केसेज मैंने भी परश्यू किये और हाई पॉवर कमेटी ने किये लेकिन 27 हजार केसेज टैक्निकल ग्राउन्ड्स पर रिजेक्ट हो गये। दस-दस साल से जिनके कब्जे मौजूद हैं, लगातार कल्टीवेशन मौजूद हैं, परमानेन्ट में किस कारण से रिजेक्ट हुए ? दो साल का गेप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कन्डोन हुआ, लॉ में अमेन्डमेन्ट नहीं आया। पिछले मंत्री महोदय ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इश्यू करके दो साल के गेप को स्वीकार कर लिया। मन्त्री महोदय ने अपील सुनने का अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को दे दिया और वे कन्डोन नहीं बल्कि रिजेक्टेड थे। ऐसे-ऐसे डी० सीज० की मिसालें दूं कि नोटिसेज ही इश्यू नहीं हुए। श्रीवास्तव विजयनगर के बारे में सदन में कहना चाहता हूं जिस पीरियड का है, वेकूम पीरियड था, सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा था, उस पीरियड में सैकड़ों लोगों को बिठाया। रेवेन्यू के केसेज को डिप्राइव किया और ऐसे 100 केसेज हैं कि एक ही जमीन के लिये दो दो आदमियों को लेटर निकाल दिये और पट्टे दे दिये। बहुत से केसेज हैं एक ही जमीन का पट्टा तीन-तीन आदमियों को दे दिया, और सभापति महोदय, आप देखेंगे कि गरीब लोगों को नोटिसेज ताने हैं। इन 27 हजार केसेज की इन्क्वायरी की जानी चाहिये और 4851 केसेज के वजूहात नहीं बताये जाते, उनका पूरा क्लेरिफिकेशन मंत्री महोदय को देना चाहिये। ये केसेज कौनसे हैं ? क्या उन बड़े अधिकारियों के हैं, जिन्होंने बड़े बड़े भूखण्ड दबा रखे हैं, क्या 15-ए के तहत आये हुए केसेज हैं जिनमें बांगड़ साहब शामिल हैं, जिन्होंने पांच हजार एकड़ पर कब्जा किया, क्या उन केसेज में, जोधपुर महाराजा हैं जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, क्या उन केसेज में, चंडक मालपानी साहब, एक्स-कमान्डिग ऑफिसर जगन्नाथ भी कवर होते हैं, क्या उन केसेज में सेठ उमराव वगैरह भी कवर होते हैं ? इन सबका पूरा क्लेरिफिकेशन दें ताकि सामने आयें। 42 लाख रुपये से अधिक तावांन वसूल किया है। यह ठीक है, कोलोनाइजेशन कमिश्नर कहते हैं कि 10 गुणा, 20 गुणा नहीं किया। पटवारी आपके कन्ट्रोल में नहीं हैं, इन्टीग्रिटी साउन्ड हो उनकी कितनी ही लेकिन जिस प्रकार राजा टोडरमल का हुक्का पकड़े बैठे हैं, सेटलमेन्ट पर चल रहे हैं, वह ही रिश्तेदार, वह ही कानूनगो, वह ही अमला, वह ही लगान। आज भी राजा टोडरमल का सिस्टम लागू है। ऊपर करतार और नीचे पटवार। इसमें जबरदस्त कमियां हैं। और इस रूप के अन्दर इस सारी चीज को एनेलाइज किया जाये तो पटवारी को जिसने प्रसन्न कर लिया उसका तो काम बन गया। कम से कम मैं हरिजनों की लिस्ट चाहूंगा और हरिजन तो कोई छूटा ही नहीं है जिसको बीस गुणा तावान नहीं देना पड़ा हो। ऐसे बीसियों गांवों की लिस्ट मेरे पास है, इनमें हरिजनों को कब्जा नहीं दिया गया और आज 6-6 महीने हो गए हरिजनों को पट्टे नहीं मिले। हरिजनों को लॉटरी में जमीन का अलॉटमेन्ट हो गया। लूनिया माइनर में 16 एल०एम०, 14 एल०एम०, 12 एल० एम०, 11 एल० एम०, 10 एल०एम०, 9 एल०एम०; 6 एल०एम०; 17 एल०एम०, 12 एन०डी०;

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

10 एन०डी०, 9 एन०डी०, 8 एन०डी०, 1 एन०एस०, 2 एन०एस०, यह 100 मुरब्बे से ज्यादा हैं जिसमें हरिजनों को पट्टा नहीं मिला और एडवोकेसी कर रहे हैं सारे के सारे तहसीलदार और पटवारी की इनको फसल उठा लेने दो। फिर इसके बाद काबिज़ हो जाना चाहिए। आज भी आप राजस्थान कैनाल एरिया से सारे एस्टेट्स खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, शोभाराम कमेटी बनने के बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ सारे के सारे कैनाल क्षेत्र में जब कि 27 हजार एकड़ से हमने बेनामियों को हटाया। शोभाराम कमेटी के एक्शन के बाद से एक प्रोसेस शुरू हुआ, एक सैटलमेन्ट शुरू हुआ, रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ और रूल ऑफ लॉ के तहत आज वहां अलॉटमेन्ट होता है लेकिन आज भी वहां पर ठाकुरों की रिजीम है चाहे पौंग डेम के आउस्टीज ने क्रियेट की हो या दूसरों ने की हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक प्रश्न और मैं उपस्थित करना चाहता हूं और वह यह है कि इरिगेशन और कोलोनाइजेशन के रिकार्ड के अन्दर कोई तालमेल नहीं है। ऐसी हजारों एकड़ धरती है, दोनों मंत्री पास बैठे हैं, जो सिंचाई विभाग द्वारा तमाम इरिगेटेड घोषित करके बेची जाती है और जब हम हरिजनों की लाटरी निकाल कर पट्टे देते हैं तो पट्टे पूरी तरह से कमाण्ड होते हैं, चिकने होते उन पर हाथ नहीं ठहरता। जब हरिजन वहां आते हैं तो सौ-सौ फीट और पांच-पांच सौ फीट ऊपर आ जाते हैं और वह आज भी बैठे हुए हैं शंकर भगवान की डुगडुगी बजा रहे हैं। ऐसी हजारों एकड़ जमीन है। जब मैं उस कमेटी का मेम्बर था तब यह शर्त रखी गयी थी कि अगर 25 पर्सेन्ट इरिगेशन नहीं होगा तो जमीन कैंसिल की जायेगी। तो मैंने कहा था कि यह भी साथ में शर्त रखी जानी चाहिये कि जिस एस० डी० ओ० की कैनाल पर इरिगेशन नहीं होता है, पानी पूरा नहीं पहुंचता है तो वह एस० डी० ओ० भी सस्पेण्ड कर दिया जाना चाहिए और इस बात का सर्टिफिकेट कोलोनाइजेशन के अलॉटमेन्ट अधिकारी का होना चाहिए कि एक्चुअल ऑन दी स्पॉट इरिगेशन हो रहा है या नहीं।....

श्री उम्मेदलाल : जिस समय आप अलॉटमेन्ट कमेटी में थे तो अलॉटमेन्ट करते समय आप को ध्यान रखना चाहिए कि यह हरिजन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने कागज देखे। बड़े आराम से जमीन कमाण्ड थी। मैंने भी उस पट्टे के ऊपर हाथ फेरा तो वह पूरा का पूरा चिकना था लेकिन वहां से दूर 50-60 मील जैसे 25 बीघा और 10 बीघा में जमीन अलॉट हुई उसका भगवान ही मालिक था और इसीलिए इस सदन में अर्ज कर रहा हूं कि आज उन लोगों से आप किस्तें चार्ज करें, उन लोगों से आप रेट्स चार्ज करें, आप आज उन लोगों से इरिगेशन इन्स्टालमेन्ट चार्ज करें इसका अधिकार आपको नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव लैण्ड दीजिए तब तक आप उनके इन्स्टॉलमेन्ट रोकिये। आप केवल बारानी जमीन के ही इन्स्टॉलमेन्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लेने के अधिकारी हैं और दूसरे इन्स्टॉलमेन्ट लेने का आपको कोई जुडिशियल राइट्स नहीं है।

सभापति महोदय, बहुत अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं अन्त में कुछ वाटर सोर्सेज, जो कि राज्य सरकार ने बढ़ाये हैं, सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूंगा। एक तो जमीनों की रेट्स जो कि रिजर्व रेट हैं वह आपने 25 पर्सेन्ट बढ़ा दीं। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। वर्ल्ड बैंक ने 212 गांवों की प्लॉनें बनाई है जिसमें से 180 गांव फाइनेलाइज हुए जिसमें 1 लाख 20 हजार एकड़ जमीन गयी है और सारा प्लान फाइनेलाइज हो जायेगा तो मेरा खयाल है कि 3 लाख से ज्यादा जमीन वर्ल्ड बैंक के तहत आ जायेगी और सारा रिजर्वेशन निकालें तो कुल जमीन का आंकड़ा जो अलॉटमेन्ट हुआ है उसमें थोड़ा सा ही एक्सेस में आंकड़े बचेंगे बाकी तो आप वर्ल्ड बैंक के प्लान के नीचे ले आये हैं और उसमें क्लियरली पक्का वाटर कोर्स बनता है। आज गंग कैनाल कॉलोनीज 1928 से कॉलोनाइज हो रही हैं लेकिन उसका वाटर कोर्स आज भी चेन्ज हो रहा है। कभी किसी स्क्वायर से किसी स्क्वायर में जाता है और आज भी कमाण्ड से अनकमाण्ड और अनकमाण्ड से कमाण्ड होती है, लेकिन पता नहीं यह डवलपमेन्ट का कैसा कन्सेप्शन है कि सेण्डी एरिया के अन्दर आप जो वाटर कोर्स पक्का बना देंगे तो उनका कोई कन्टूर बदलने वाला नहीं है। वह शिफ्ट नहीं हो सकती और लैण्ड डवलपमेन्ट एक्ट के तहत यदि गरीब किसान उस वाटर कोर्स को नहीं बनाता है तो दो साल का पनिशमेन्ट आप देते हैं। वह अपनी जमीन लेवल नहीं कराता तो दो साल की सजा है। आप 7 हजार रुपये की रकम लेते हैं वाटर कोर्स को पक्का करने के लिए, 7 हजार रुपया डवलपमेन्ट चार्जेज का लेंगे, 1800 रुपया दस किश्तों के चार्ज करेंगे। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 17,500 से 35 हजार किया और फिर उसमें से अब 25 पर्सेन्ट रियायत की है तो कौन-सा किसान है और अगर 2 पर्सेन्ट और 4 पर्सेन्ट की कैटेगरी में लें आइये तो चार, पांच हजार के बीच में एनुअल इन्स्टॉलमेन्ट उस किसान को देनी पड़ेगी। आज के गिरते हुए भावों की भूमिका में मैं यह पूछता हूं आपने हरिजनों को बैल प्रोवाइड नहीं किये, हल प्रोवाइड नहीं किये, उसको कोई कल्टीवेशन की फैसेलिटी प्रोवाइड नहीं की और उसको दूर-दराज आप भेज रहे हैं। किस ताकत पर आपने चार, पांच हजार रुपये का इन्स्टॉलमेन्ट कर दिया? सीधी कान्सपीरेसी है कि आप किसी को जमीन अलॉट नहीं करना चाहते हैं। आप बैकडोर से सारे के सारे भूमिहीन मासेज को इजेक्ट कर देना चाहते हैं और फिर मंत्री महोदय वाटर रेट्स का जस्टीफिकेशन देते हैं। वित्त मंत्री महोदय का खुद ही पता नहीं था जब वाटर रेट्स की एडवोकेसी की कि वह कब-कब इन्क्रीज हुई। मेरे पास बाकायदा इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट के आर्डर्स हैं कि जब-जब वाटर रेट्स इन्क्रीज हुई। हरियाणा सरकार और भारत की और सरकारों के भी आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। अब किस किताब से हरियाणा के आंकड़े मन्त्री महोदय ने पढ़े हैं वह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किताब का मैं दर्शन करने का प्रयत्न करूंगा। बहरहाल मेरे सामने जो आंकड़े हैं जो लास्ट इरिगेशन के आंकड़े इन्क्रीज हुए थे वह इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के आर्डर्स नं० एफ 13 (6) इरिगेशन। 73 जयपुर डेटेड 22 नवम्बर, 1974 को इन्क्रीज हुए और और इसमें सारे के सारे वाटर रेट्स इन्क्रीज की गईं। चम्बल कैनाल एरिया में इन्क्रीज की गईं, गंग कैनाल एरिया में इन्क्रीज कि गईं, घर घर में इन्क्रीज की गईं। 353 इरिगेशन वर्क, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में रेट्स इन्क्रीज लिए गए थे। और आॅर्डर नम्बर एफ 12(6) इरिगेशन/66 दिनांक 19-3-70 से इरिगेशन रेट्स इन्क्रीज किए गए थे इन सारे एरियाज के और फिर आॅर्डर नम्बर एफ 13 (6) इरिगेशन/66, तारीख 26-4-72 से वाटर रेट इन्क्रीज किए गए और अब मंत्री महोदय ने अपने इस बजट के अन्दर वाटर रेट इन्क्रीज किए हैं। सारे के सारे वाटर रेट्स डबल से ज्यादा इन्क्रीज कि गयी है। चाहे होट हो, चाहे पेडी हो, चाहे ग्राम हो, चाहे गौचनी हो, चाहे बार्ली हो, चाहे शुगरकेन हो और चाहे बांसवाड़ा हो और चाहे प्रतापगढ़—सब की सब जगहों पर करीब-2 वाटर रेट्स डेढ़ गुनी, दो गुनी इन्क्रीज कर दी हैं। क्या जस्टीफिकेशन है इन वाटर रेट्स को इन्क्रीज करने का? और आप कहते हैं कि हरियाणा ने वाटर रेट्स इन्क्रीज की तो वहां पर इतनी लो वाटर रेट्स थीं उसको डबल किया है। कोई कम्पेरिजन नहीं है। शुगरकेन की 16 गाइस की 9, काटन की 6, बार्ली 6.37, हीट 5.84, और बैरन 7.50 और इसके बाद 70 के बाद ही हरियाणा और पंजाब ने अपने वाटर रेट्स इन्क्रीज किए जो कि 15 शुगरकेन पक्की कैनाल्स पर, 13 शुगरकेन कच्ची कैनाल्स पर और पक्की कैनाल्स की 15, राइस 9, हीट को 8 और गार्डन्स का 8.25 जो कि 50 है राजस्थान के अन्दर, बार्ली 6.37 और आॅल इंडिया के फीगर्स भी डिटो हैं, इनको केवल डबल किया है। अगर डबल भी कर दें तो उसके बावजूद भी राजस्थान की वाटर रेट्स हरियाणा से और आॅल इंडिया लेवल से डबल रहेगी। मैं अधिक न कहते हुए, सभापति महोदय, यह अर्ज करना चाहूंगा, और डिटेल्ड फीगर्स में नहीं देना चाहता कि आज पूंजीवादी व्यवस्था की लूट किसानों के ऊपर नहीं होनी चाहिये। गेहूं के भाव, फूड ग्रेन्स के भाव, सीरियल्स और आॅयल सीड्स के भाव बहुत तेजी से गिर रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हुआ है इसमें कोई बात नहीं है, कोई शक नहीं है। भारत सरकार और हमारी देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो घोषणा की कि हमने फोर पर्सेन्ट इन्फलेशन को कम किया है। उनकी घोषणा में वजन है, फोर पर्सेन्ट इन्फलेशन वाकई में कम हुआ है। लेकिन यह इन्फलेशन आज भी इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटी में मौजूद है। इंजीनियरिंग गुड्स की रेट इन्क्रीज हुई है, कोल्स की रेट्स इन्क्रीज हुई हैं, पेस्टीसाइड्स की रेट इन्क्रीज हुई हैं, फर्टीलाइजर्स की रेट इन्क्रीज हुई हैं और उसके रिलेटिवली सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन्स की रेट डाउन हुई है। इसलिए फोर पर्सेन्ट इन्फलेशन कम जो किया है उसका सारा का सारा लोड किसानों पर गिरा है और

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

यह स्पष्ट है कि किसानों के इन्पुट्स बहुत महंगे हुए हैं। आज पूंजीवादी व्यवस्था की लूट गहरी हुई है और वाटर रेट बराबर जो कि किसानों का बहुत इम्पोर-टेंट इन्पुट है, हमने उस लूट को प्रोजेक्ट किया है। उस लूट को और गहरा किया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कूलर्स और एयर कंडीशनर्स पर हम सैल्स टैक्स रिड्यूज करें और वाटर रेट जो कि सबसे इम्पोर्टेन्ट क्वान्टम हैं किसान का उनको एन्हांस करें। कुए वाले सारे राजस्थान के अन्दर 7 पर्सेन्ट है। मुझे इस बात में एतराज नहीं है कि कुए वालों की कोस्ट को कम करना चाहिये। लेकिन यह देखा है कि इनकी केलकुलेशन्स किस प्रकार की हैं? बैलों से काश्त करने पर पचास पर्सेन्ट खर्चा आता है। एक बीघा पर पचास रुपया खर्चा, शायद बड़े स्पेशियल पोइन्ट से केलकुलेट किया है। जो बिजली लगाता है उस पर 15) रु० खर्चा आता है यह उनका केलकुलेशन है। डीजल पम्प लगाता है उसका तीस रुपये खर्चा आता है यह उनका एक्सट्राआर्डीनरी केलकुलेशन है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिसके बाप–दादाओं की हड्डियां दफन हुई इन टीबों के नीचे और आज भी हो रही हैं, एक रिवोल्यूशन है दुनियां के सबसे बड़े डेजर्ट एरिया के अन्दर, उन कैनाल्स का कोलोनाइजेशन कोई मामूली काम नहीं है। गंग कैनाल का कोलोनाइजेशन हजारों शूरमाओं की हड्डियों पर हुआ है और उससे कीमती कोई इनपुट नहीं होता। यह कैपिटलिस्ट साइड होती है कि पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा क्रियेट करो और दूसरी ओर सोशियलिस्टक साइड होती है कि मेहनत इन्वेस्ट करो और कैपिटल क्रियेट करो

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और कैपिटल बढ़ाओ। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं जो यह रिजर्व प्राइस को इन्क्रीज किया है और वाटर रेट्स को इन्क्रीज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): सभापति महोदय, सिंचाई की मांग पर कतिपय माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। सभापति महोदय, आज जब रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई हैं इसलिए जितना भी हमने उसमें इंवेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न ग्रामीण क्षेत्रों से आना चाहिये, यह आज सबसे बड़ा महम् प्रश्न हमारे सामने है। राज्य सरकार ने इन बजट प्रस्तावों में इस इरादे को ध्यान में रख कर हमारे देहाती क्षेत्रों में कुछ सिंचाई की दरें बढ़ा कर, कुछ हमारी डाइरेक्ट जमीन की रेट बढ़ा करके और उनकी रिजर्व प्राइस बढ़ा करके इस नीति का प्रतिपादन किया है। माननीय सभापति महोदय, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आया जिन डेजर्ट एरियाज में या जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा देते हैं, उन इलाकों में या उन इलाकों से वर्तमान

(श्री भीमसेन)
में डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट सरकार को क्या रिसोर्सेज आने हैं और जहां सिंचाई की सुविधायें देते हैं या जिन इलाकों में पहुंचने का प्रश्न है, इन इलाकों में डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन से स्टेट एक्सचेंकर को कितना आता है, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज दृष्टिकोण यह रहा है कि जितना इंवेस्टमेंट करते हैं सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने में उनका सारा रिटर्न उस काश्तकार से आना चाहिए। मेरा इस सम्बन्ध में दूसरा विचार है। हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि इन इलाकों से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो स्टेट के एक्सचेंकर में रिसोर्सेज आते हैं, इन दोनों का खयाल करके फिर हमें सोचना है कि सिंचाई की दरें क्या होनी चाहिये इन इलाकों में और काश्तकारों के ऊपर कितना बोझ डाल सकते हैं, इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक स्टडी टीम या कमेटी एपोइन्ट करनी चाहिए जिसमें एक्सपर्ट हों और इस बात को हमेशा के लिए निश्चित किया जाना चाहिए कि जिन इलाकों में हमने सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई हैं वहां पर काश्तकारों पर कितना बोझ डालें। प्रत्यक्ष रूप से काश्तकार पर कितना बोझ डाला जाना चाहिए इस बात को हमेशा के लिए तय किया जाना चाहिए।

अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था और मैं भी उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि राजस्थान नहर क्षेत्र में जो सिंचाई का इलाका कमाण्ड घोषित किया जाता है वास्तव में वह इलाका मौके पर अनकमाण्ड नजर आता है। कोई भी कठिनाई रही हो लेकिन यह वास्तविकता है कि जिन एरियाज को कमाण्ड घोषित किया गया है उनमें से अधिकांश भूमि मौके पर अनकमाण्ड नजर आती है। इस चीज का समाधान किया जाना चाहिए। मैं इस आलोचना में तो नहीं पड़ना चाहता कि इसमें सिंचाई विभाग का कसूर है या किस का कसूर है, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं तो इतना ही कहता हूं कि यह एक व्यवहारिक समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। इसका असर हर काश्तकार पर पड़ता है। इस इलाके में भूमिहीन काश्तकार को जमीन अलॉट होती है, कमाण्ड बता कर अलॉट की जाती है लेकिन मौके पर जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल दूसरी नजर आती है। मैं समझता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसी मशीनरी की व्यवस्था की जानी चाहिए जो मौके पर भूमि अनकमाण्ड है तो उसको तत्काल अनकमाण्ड घोषित करने की कार्यवाही करें। ऐसी कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे काश्तकारों को भी रिलीफ मिल सके आज हमने हमारी रिजर्व प्राइस ज्यादा कर दी। राज्य सरकार ने थोड़ा कन्सेशन माननीय सदस्यों के विरोध के बाद दे दिया लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद जो भूमि मौके पर है, उसकी रिजर्व प्राइस तय करें। वहां का किसान जब उस जमीन से पैदा नहीं कर सकता तो वह इन्स्टॉलमेन्ट कैसे दे सकेगा। यह बहुत बड़ी समस्या है और राज्य सरकार

(श्री भीमसेन)

को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये और कोई मशीनरी इवोल्व करनी चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके ।

इसके साथ, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इलाकों को राज्य सरकार ने कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया है । कमाण्ड एरिया डिक्लेयर कर देने से वहां पर समस्या पैदा हो जाती है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही लिफ्ट इरिगेशन के बारे में भी सुझाव देना चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सर्वे करके चक प्लॉन बना दिये । उससे मालूम हो गया कि कितने इलाके में सिचाई होगी । मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इलाके चक प्लॉन में नहीं आये हैं उन इलाकों को फौरन कमाण्ड से अलग घोषित किया जाए क्योंकि वहां के काश्तकार राइट्स से महरूम रह जाते हैं, उनको सिचाई की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, जमीन की सीमा है, उससे उनके राइट्स के बारे में असर पड़ता है । इसलिए चक प्लॉन के अलावा जो इलाके हैं, जिनको कि आज कॉलोनी एरिया डिक्लेअर कर दिया गया है, उन इलाकों को फौरन डि-कमांड घोषित करने की आवश्यकता है । इन इलाकों में सिचाई नहीं होगी और उनको आपने प्लॉन में डिक्लेयर कर दिया है । इसलिए मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जो एरिया चक प्लॉन के अलावा हैं उन एरियाज को आप तत्काल अलग करें और प्लॉन के मुताबिक कॉलोनी एरिया को डिक्लेयर करें, बजट में नोटिफाई करें जिससे वहां के किसानों की जो समस्या है, उसका समाधान हो सके । मेरे इलाके में ऐसे गांव हैं जिन गांवों की एक इंच भूमि को भी सिचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होती है इसके बावजूद उन गांवों को कॉलोनी में डिक्लेयर किये हुए हैं । इसका कोई औचित्य नहीं है । अतः ऐसे इलाकों को फौरन डि-कमांड कॉलोनीज घोषित करने की आवश्यकता है ।

अभी राज्य सरकार ने हमारे राजस्थान में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स को हाथ में लेने की एक स्कीम की घोषणा की है। इसका काम चल रहा है लेकिन राजस्थान कैनाल के कुछ इलाकों में जो वहां पर कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस डिस्ट्रीब्यूटरीज को बंद करने का निर्णय लिया है । मैं समझता हूं कि सरकार का यह निर्णय एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है । मैंने राज्य सरकार को, मुख्य मंत्री महोदय को और राजस्थान कैनाल के अध्यक्ष को इस बारे में निवेदन किया है कि बीच में तो काम बड़ी तेजी से चल रहा था और इस काम को आप करीब डेढ़ साल में पूरा कर के इससे रिटर्न भी ले सकते थे, इसको कैसे रोक दिया ? मुझे सरकार की यह नीति उचित प्रतीत नहीं होती है । इसके बारे में सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है । मैंने राज्य सरकार को यह भी निवेदन किया था कि आज राजस्थान नहर की इरिगेशन इन्टेन्सिटी जो 110 पर्सेन्ट है उसको रिड्यूज किया जाये । क्योंकि गंग कैनाल की इरिगेशन इन्टेन्सिटी 60 पर्सेन्ट है । भाखरा कैनाल की इरिगेशन इन्टेन्सिटी 70 पर्सेन्ट है । मैंने मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिख कर भी निवेदन किया है कि राजस्थान कैनाल की

(श्री भीमसेन)

इन्टेन्सिटी जो 110 पर्सेन्ट है उसको रिड्यूज कर के 80 पर्सेन्ट कर दिया जाये और उससे जो पानी बचे उसको आप लिफ्ट योजनाओं के लिए दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान में ऐसे इलाके हैं, अकाल के वक्त वहां के किसानों, वहां की जनता के सामने बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं। तो उस इलाके में भी हमें सिचाई की सुविधाएं देनी चाहिएं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि एक तरफ एक आदमी नंगा-भूखा रहे और दूसरी तरफ आदमी टैरेलिन के कपड़े पहिने। मैं इसका विरोधी हूं। जिन इलाकों में सिचाई के साधन नहीं हैं, वहां भी सिंचाई के साधन दीजिये ताकि वहां के लोग भी कम से कम मोटा कपड़ा पहिन सकें। इसलिए मैं यह कह रहा था कि राजस्थान नहर की इन्टेन्सिटी 110 पर-सेन्ट से रिडयूज करके 80 पर्सेन्ट रख दी जाये और बाकी जो पानी बचे वह लिफ्ट योजनाओं के लिए दिया जाये। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने डिस्ट्रिब्यूटरीज कैनाल को ओमिट करने की, बंद करने की जो नीति निर्धारित की है, उसके बारे में पुनः विचार किया जाये और दोनों ब्रांचेज का काम जो बंद करने का निर्णय लिया गया है, वह वापिस लिया जाये और काम शुरू किया जाये जिससे कि अधिक इरिगेशन हो सके।

दूसरी समस्या, सभापति महोदय, यह है कि हमारे इलाके में जो भी मंडी एरियाज हैं, जो मंडी एरियाज घोषित किये हैं, वहां पर मंडी के निर्माण में राज्य सरकार ने धीमी नीति अपना रखी है। राजस्व मंत्रीजी ने पिछले बजट सैशन में इस बात की घोषणा की थी कि मंडी डवलपमेण्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वे 15 दिन में कर देंगे। इस घोषणा को एक साल हो गया है और मंडी निर्माण का कार्य इस घोषणा के क्रियान्वित न होने के कारण रुका पड़ा है। हमारे इस इलाके में मंडी निर्माण का काम तेजी से शुरू हो, इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से लेना चाहिए। कोई स्पष्ट निर्णय राज्य सरकार ने अभी तक नहीं लिया है। इसलिए इस बारे में सरकार को जल्दी से जल्दी विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो सुझाव मैंने राज्य सरकार के सामने रखे हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार उचित समय पर आश्वासन देकर उनकी क्रिया-न्विति करेगी।

श्री सभापति : श्री नंदलाल बैरवा।

श्री नत्थासिंह : सभापति महोदय, हमें भी भरतपुर की सिंचाई समस्या के बारे में निवेदन करना है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। आपको भी समय मिलेगा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 और 45 सिंचाई के बारे में है और उन पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इसलिए इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री नंदलाल बैरवा)

राजस्थान के सिंचाई के मामलों को लेकर सदन में काफी चर्चा हो चुकी हैं। राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल पर यहां पर चर्चा हुई है, लेकिन राजस्थान के अंदर चम्बल का कमांड एरिया है, चम्बल नहर भी निकली है, इसके मामले पर अभी तक कोई चर्चा सदन में नहीं हुई है। मैं आपके सामने इसी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने चम्बल की समस्या को लेकर विश्व बैंक से 2212 लाख खर्च करने का प्रावधान रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। इसके साथ, यदि विश्व बैंक की ओर से राजस्थान सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करती तो आज तक चम्बल कमांड एरिया में जिस प्रकार से जमीन के खराब होने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, वह शायद आने वाले वर्षों में काफी तादाद में ऊसर हो जाती, और काफी जमीन का खराबा कर सकती थी। चूंकि चम्बल कमांड से वहां के रहने वाले लोगों को हजारों एकड़ जमीन से आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है, साथ-साथ वहां पर सीपेज से दूसरी जमीन भी खराब हो गई। इससे वहां के किसानों को काफी तादाद में नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस प्रकार कि आंकडों के आधार पर सिंचाई विभाग ने बताया है कि एक लाख हैक्टेयर पर सिंचाई की जा रही है, लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक लाख 63 हजार हेक्टेयर जमीन पर जिस प्रकार की सिंचाई विभाग ने बताई है, वह मेरी मान्यता है कि कम से कम.......

(2.45 म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति पीठासीन)

हजारों एकड़ जमीन है, जिसमें पानी बराबर भरा रहता है और हजारों एकड़ जमीन इस पानी के भरे रहने के कारण ऊसर होती जा रही है। जिस पर किसान खेती नहीं कर सकता। कई जमीनें खेती के योग्य आज उस क्षेत्र में नहीं रह गई हैं, क्योंकि नहरों को पक्का करने और नालियां बनाने के कार्यक्रम को वापिस अपने हाथ में लिया है। जिस प्रकार से 1974 में विश्व बैंक ने काम को चम्बल के अन्दर आरम्भ किया है तो निश्चित् तौर से आगे जाकर कोई काम होगा लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है उसमें या तो जीपें खरीदी गई हैं या ट्रेक्टर खरीदे गये हैं या वहां पर बराबर स्टाफ लगा हुआ है लेकिन वहां पर अभी तक किसी प्रकार का नहरों को पक्का बनाने का कार्य चम्बल कमाण्ड में नहीं हो रहा है। इसलिए यदि इस प्रकार से यह कार्य विश्व बैंक के माध्यम से किया जाता रहा तो जिस प्रकार की योजना का आधार है, 80-81 तक इस काम को पूरा कर देंगे। मेरी मान्यता है वह इस प्रकार से नहीं होगा। न तो वहां की जमीनों को बचा सकते हैं और न वहां के लोगों की जो समस्या पानी भरने की है उसको दूर कर सकेंगे। इन्होंने जो ड्रेनेज का काम हाथ में लिया है, वैसे आपने कहा है कि अगली साल यानी 80-81 तक ड्रेनेज बना देंगे, तो कुछ

(श्री नंदलाल बैरवा)

स्थानों पर बनाई हैं तालेड़ा साइड को ले लें या या इटावा साइड को ले लें इस साल ड्रेनेज बनाई गई तो अगले साल वह खराब हो जायगी। उसके लिये पानी निकालने का कोई रास्ता भी नहीं किया गया है। ड्रेनेज में पानी जाता है वह पर्याप्त मात्रा में जाता है उस ड्रेनेज के पानी को या तो किसी नाले में डालना चाहिए, या किसी नदी में डालना चाहिये लेकिन ड्रेनेज के पानी को गांवों के पास में ले जाकर छोड़ देते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि कई जगहों पर, जहां पर नहरें समाप्त की गई हैं, जहां पर माइनर नहरें समाप्त की गई हैं वह गांवों के पास में जाकर समाप्त की गई हैं। जब गांवों के आसपास में पानी भरा रहता है तो गांव बैठ जाने की स्थिति में हो जायेंगे। मैं एकाध गांव का नाम बताता हूं मगरपुरा गांव और प्रतापगढ़ गाव। यदि गांवों में से इस प्रकार के पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं की गई तो गांव के गांव बैठ सकते हैं।

दूसरी बात, जहां जहां नहरों के साथ में सीपेज के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है चाहे वह माइनर के साथ हों, चाहे मुख्य नहर के साथ हों, वहां पर जो स्थिति नहरों की है, आपने निश्चित तौर से देखा होगा और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं देखें कि एक तरफ तो रेल की लाइन जा रही है जो कि डबल लाइन है, मैं पंचायत समिति केशोरायपाटन के लिए जिक्र कर रहा हूं और जगह भी ऐसी स्थिति हो सकती है। बीच में रेलवे लाइन है, उसके एक तरफ गवर्नमेंट की सड़क है और दूसरी तरह मुख्य नहर बह रही है। बराबर बरसात के दिनों में बीच के स्थानों में पानी भरा रहता है। उस ड्रेनेज के पानी को समझ में नहीं आता है कि कहां पर निकालेंगे ? एक तरफ तो रेलवे लाइन है, एक तरफ सड़क है और एक तरफ नहर है। इस प्रकार की व्यवस्था उस तहसील के अन्दर है जिससे पानी बराबर वहां पर भरा रहता है। आज वहां गाँवों के अन्दर जमीन पानी से भरी रहती है, चुडीला और अरनेटा ऐसे गांव हैं, अधिकारियों ने जाकर देखा होगा कि बरसात के दिनों में आदमी बैठकर मकान में नहीं जा सकता है, खड़े खड़े ही जा सकता है। इसलिए ऐसे गांवों में बरसात के दिनों में वहां के रहने वालों को बड़ी परेशानी है। हीरापुरा गांव में पानी भरा रहता है। इस प्रकार की समस्या उस स्थान पर है निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि चम्बल की नहर से किसानों को लाभ हुआ लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को और वहां की जमीनों को निश्चित तौर से नुकसान हुआ है।

जहां तक विश्व बैंक के पैसे का सवाल है 80-81 तक योजना विश्व बैंक की कमेटी ने या राज्य सरकार ने बनाकर दी है। मैं निवेदन करता हूं कि आज 76 चल रहा है और 80-81 तक उस को पूरा करना मुश्किल है। जब तक वह पूरी होगी उस वक्त तक उससे जितनी जमीन हम बचाने की कोशिश करेंगे उससे भी ज्यादा जमीन 80-81 तक खराब हो जायगी। यदि इस योजना को लागू करने में शीघ्रता

(श्री नंदलाल बेरवा)

नहीं बरती या इसमें आज जिस गति से काम हो रहा है उस गति में तीव्रता न लाये तो जितनी जमीन इस योजना से बचायेंगे उससे ज्यादा जमीन खराब हो जायगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करके प्रति वर्ष ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। आप बरसात को छोड़ कर साल भर काम करा सकते हैं। आज उस इलाके में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर कि युद्ध-स्तर पर काम चल रहा हो। स्टाफ बहुत है, पैसा भी बहुत है और चीजें भी बहुत हैं, लेकिन साइट पर काम उतना नहीं मिल रहा है जितना कि हमारे आंकड़ों में दिया हुआ है।

पिछले साल जो पुराना स्टाफ वहां पर काम कर रहा था उसको ए०ई० से लगाकर, कानूगो और पटवारी तक को चेन्ज इस साल कर दिया गया है। जो नये पटवारी और स्टाफ आया है उनको पता नहीं कि कौनसी माइनर पर किस वक्त में पानी देकर खेतों को पानी पहुंचाना है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अभी की जो फसल थी वह गेहूं और चने की वह इस कारण से सैंकड़ों बीघों में सूख गई है। स्वयं मंत्री महोदय पधारे थे तो वहां के काश्तकार उनसे मिले थे। उस वक्त मैं भी मौके पर पहुंच गया था। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि 5-6 रोज में पानी दे देंगे, लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा पाये और उनकी फसलें सूख गई। बराबर सम्बन्धित अधिकारियों से इस बात की शिकायत की है कि हमको पानी मिलना चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों को आपने आदेश दिया होगा लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कौनसे टाइम पर कितना पानी देना चाहिए। सारा स्टाफ चेन्ज किया है उसका परिणाम है कि काश्तकार परेशान है और उन्हें जिस प्रकार से पानी पहुंचना चाहिए वह पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नन्दलाल बेरवा : सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जहां जहां पर चम्बल नहर निकली है वहां वहां पर चम्बल की नहर पर पुलियाएं बनाने का प्रावधान था एक गांव से दूसरे गांव में आने के लिए, क्योंकि कई जगहों पर गांव की जमीन नहर की दूसरी साइड में है और गांव नहर के इस साइड में है। इससे गांव के लोगों को और पशुओं को आने जाने में बड़ी मुश्किल रहती है। कोई भी आम रास्ता नहीं है इसकी वजह से किसानों को दिक्कत हो रही है। गांव के लोगों को खेतों से माल लाने के लिए 5-5 मील का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए पुलियों का निर्माण जल्दी ही होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री नन्दलाल बेरवा : अन्त में मैं कालोनाइजेशन के मामलों पर निवेदन

(श्री नंदलाल बैरवा)

करना चाहूंगा कि जितना पानी जहां जहां पर चम्बल नहर का आता है उस जमीन को आप अपने डिपार्टमेन्ट में रखते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन जितनी जमीन में चम्बल कमाण्ड एरिया है चाहे वह कोटा हो, चाहे बून्दी हो, चाहे इटावा पंचायत समिति क्षेत्र हो, चाहे तालेड़ा हो, चाहे पाटन हो वहां पर सैंकड़ों बीघा जमीन ऐसी है कि जहां पर जब से चम्बल नहर बनी है एक छटांक भी पानी उस जमीन के अन्दर भी नहीं पहुंचा है, लेकिन उसको भी आपने कमाण्ड कर रखा है। उसकी वजह से कालोनाइजेशन की परमिशन के बिना उस जमीन का एलॉटमेन्ट नहीं कर सकते हैं और जमीन की कीमत आज दुगनी हो गई है। जिसमें पानी नहीं पहुंच पाता है उसको भी कमाण्ड बना रखा है जबकि वह जमीन बराबर अनकमाण्ड है। इसलिए कालोनाइजेशन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस जमीन पर जबसे नहर बनी है तब से आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है ऐसी जमीनों को कमाण्ड से अनकमाण्ड करने के लिए आज घोषणा करेंगे, क्योंकि चम्बल कमाण्ड की जमीन की कीमत वित्त मंत्रीजी ने बढ़ा दी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन जमीन पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है उसको कमांड से अनकमाण्ड करने के लिए आप सदन में घोषणा करेंगे जिससे वहां के गरीब किसान, वहां के भूमिहीन लोग जमीन लेकर अपना पालन-पोषण कर सकें . . . अन्त में बूंदी जिले के जितने छोटे छोटे बांध हैं, वह काफी वर्षों से पड़े हुए हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने बूंदी जिले में बांध हैं, जिनके द्वारा इरिगेशन होता है, अधिक धनराशि देकर . . .

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उनको पूरा करायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहरसिंह : सभापति महोदय . . .

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति महोदय, मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री सभापति : नाम आ जायेगा।

एक माननीय सदस्य : सभी कटौतियां हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने कट मोशन जालौर जिले में लूनी नदी पर अकाल के समय में कुछ बांध बनाये गये थे उस बारे में पेश किया है। जब जब लूनी नदी में बाढ़ आती है नदी आते ही बांध टूट जाते हैं। इसलिए सभापति, सिंचाई विभाग की तरफ से 10-15 छोटे छोटे बांध थे। उनके बीच फाटक लगाने के लिए फाटक खरीदे गये थे। परन्तु आज दिन तक उन फाटकों को लगाने की कार्यवाही नहीं की गई है। अगर फाटक लग जाते तो ये बांध नहीं टूटते। उससे बहुत से एरिया की सिंचाई होती। पिछली वर्ष में बांध नहीं होने से कितना पानी चला गया। इसलिए कटमोशन के जरिये से सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों रुपयों के फाटक लेकर सांचोर में डाल रखे हैं। फिर वह काम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कब्र करेंगे। अगर इस डिजाइन के फिट नहीं होंगे तो उनका करेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : नीलाम करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बांधों के बीच में क्या काम होगा। इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्ट जवाब चाहूंगा। लाखों के फाटक खरीदे गये थे, उनका क्या हुआ ? पेमेन्ट अगर एडवांस में किया तो क्यों ? अगर वह ठीक फिर नहीं हुए तो लाए हुए उन फाटकों का क्या होगा। पड़े पड़े उनमें जंग लग सकती है। जहां जहां उनको लगा सकते हैं, वहां उनको लगायें। इतना एक्सपेन्डीचर हो गया है। तो उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए सरकार को स्टेप लेना चाहिए ताकि नदी में पानी का प्रेसर होने से जो बार बार बांध टूट जाता है तो दुबारा मिट्टी का कार्य नहीं करना पड़े। माननीय सभापति महोदय, लूनी इनन्डेशन स्कीम है। उसका पानी डाईवर्ट करें क्योंकि उसका पानी काफी फैल जाता है क्योंकि फिक्स एरिया है। अरबन डैम बीच में आ जाता है तो जहां नाले की गहराई है वह उससे कुछ सुरक्षित हो जाता है और मिट्टी भर जाती है। सभापति महोदय, इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है रेट काफी हैवी रेट लगाने की सरकार सोचती है। ऐसा मुझे मालूम हुआ है। परन्तु पिछले 20 सालों के आंकड़े लेकर पैमाइशी रेट फिक्स कर दी गई है। आर. 1, आर. 2, आर. 3, इस तरह राजस्व देते हैं काश्तकार। राज्य सरकार अगर सालाना रेकरिंग एक्सपेन्डीचर लगाये तो मैं कुल रेट अनुचित नहीं मानता हूं। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा रेट लगा दी गई तो उसमें फिर बड़ी मुश्किल होगी। कलेक्शन के लिए फिर कौन पटवारी रहेंगे ? कोई सिंचाई हुई या नहीं, यह मालूम कैसे होगा ? इसलिए रेट वसूल होना मुश्किल होगा। इसलिए रेट लगाई जाये तो 8 आना बीघा हो इससे ज्यादा कतई जस्टीफाईड नहीं होगा। हमारी जानकारी में आया है, प्रति बीघा 2 रुपया करने का विचार है। अगर ऐसी रेट लगायी गयी तो यह काश्तकारों के लिए ठीक नहीं होगा। अगर आपने एट्रेण्डम रेट लगाई तो इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, नर्मदा नदी का मामला काफी पहले से चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने से यह डिसाइड हुआ कि राजस्थान को पानी मिलेगा। अभी या बाद में, यह सारा देखकर उसको पानी मिले, राजस्थान की ओर से सरकार की तरफ से पूरी तौर से ध्यान रखना चाहिए। डेम साइड में अर्ली स्टेज में बांध बनेगा तो क्या स्थिति होगी। तो राजस्थान को घाटा नहीं हो ऐसी डेम की ऊंचाई तय होनी चाहिए माही का पानी गुजरात ले रहा है। गुजरात विरोध कर रहा है। गुजरात और हमारी जमीन एक लेविल की है। जो कमाण्ड एरिया का सर्वे किया है, भीनमाल तहसील से सांचोर तक सर्वे किया गया है तो वह सारा धोखा नहीं हो जाये पानी कम नहीं मिले। डूब में होती है जमीन और फायदा नहीं मिलता है तो वह देखें। हमारे आदमी डूबते हैं और हमको फायदा होता नहीं है। इसलिए ऐसा विचार करें कि हमको घाटा नहीं हो। आबू रोड़ से होते हुए बड़गांव और जेतपुरा तक कई नाले जाते हैं। उसमें बरसात में पानी खूब आता है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वह पानी अगर डाईवर्ट करके हमारे यहां लाया जाये तो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्राब्लम है, वह हल हो जाये। वहां के बेरों में पानी ऊंचा आ जाएगा । बेरों में पानी मिल जायगा उस एरिया में सेवज भी हो सकती है । सुखाड़िया साहब के टाइम में उन्होंने आडेतर, जाजुसण के बेरों को देखा था उनसे 200 बीघा पर रबी फसल हो रही थी । जेतपुरा नाले से पानी ओवर-फलो होकर तब आता था अब तो बहुत ही कम आता है क्योंकि गुजरात में उस पर बांध बांध दिये हैं । लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पानी आता है उससे तो लाभ उठाया जा सकता है, । नर्बदा तो आती आती आयेगी, वह पानी हमारा तो साल भर चलता ही रहता है, । उसको अगर आप इधर डाइवर्ट कर दें तो जो भी गांवों में खारा पानी है इनके पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है । सुखाड़िया साहब ने उसको देखकर करीब डेढ़ करोड़ की योजना बनाई थी और उसका डिसीजन लिया था लेकिन पता नहीं क्यों, उसको बाद में प्लानिंग कमीशन को नहीं भेजा गया ।

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मन्त्री) : नाले कौनसे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : बड़गांव और जेतपुरा का ज्यादा पानी जेतपुरा के नाले में आता है वह सरप्लस पानी अगर हमारे यहां पर काम में लेने के लिये राज्य सरकार योजना स्वीकृत कर दे तो हमारे लिये जो और दूसरा खर्चा पीने के पानी का होता है, वह पैसा भी कम खर्च करना पड़ेगा और गांवों में जो खारा पानी है और पीने के पानी की समस्या है, वह ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम भी दूर हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे । सुखाड़िया साहब के समय में भीखाभाई, सिंचाई मन्त्री थे, और नाथूरामजी मिर्धा सिंचाई मंत्री थे जो बाद में आये उस समय भी गुजरात सरकार को लिखा था तो गुजरात सरकार ने यह जवाब दिया कि उन्होंने अपनी स्कीम केन्सिल कर दी है । उस रूप में अगर अब उसका सर्वे होकर उस स्कीम को बनावें और चूंकि अब गुजरात सरकार ने उस पर बांध बांध लिये तो अपने लिये मुश्किल हो सकती है इसलिए इसके लिये कोई स्पेसिफिक योजना बनाई जाकर प्लानिंग कमीशन को भेजना चाहिए । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और सारा बरसात का पानी सांचोर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय तो गांवों की खारे पानी की समस्या है, वह हल हो जायेगी और हजारों काश्तकारों को इससे फायदा होगा ।

सभापतिजी, इसके अलावा यह कुछ छोटे-छोटे बांध जो पहले टूट गये थे, फ्लड कन्ट्रोल स्कीम के अन्दर भी उनके लिये पैसा मिला था, लेकिन वह यूटिलाइज समय पर नहीं हुआ, उससे करीब सैकड़ों बीघा में पानी रूक कर गोमी बांध में फैल जाता है तो बाकी स्कीमें तो ले ली हैं, लेकिन गोमी बांध स्कीम भी ले ली जाय तो बहुत फायदा हो सकता है ।

सभापति महोदय, आबू रोड़ और रानीवाड़ा के बीच में जितने भी परमानेन्ट चलने वाले नाले है उन सबकी एक स्कीम बनाकर हमारे स्टेट में, जैसा कि प्रधान मन्त्रीजी ने भी कहा है, राज्यों का

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

एक बूंद भी पानी फालतू नहीं जाना चाहिए, उसको कार्यान्वित किया जाय तो काफी लाभ मिल सकता है ।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के मामले में जहां पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की गई है, इसमें जयपुर जिले के बारे में तो एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है । जहां हमारे प्रदेश में स्वतन्त्रता के बाद करोड़ों रुपये सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये, नहरें निकालने के लिये, बड़े बड़े सिंचाई बांध बनाने के लिये और लघु योजनाओं पर खर्च किये गये है, वहां जयपुर जिला पूर्वी राजस्थान की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है । यही नहीं, सर्वप्रथम मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बहुत लम्बे समय से ही राजस्थान सरकार केन्द्र में अपने पांवों पर एक्सरसाइज करके बड़ी बड़ी योजनाओं को राजस्थान कैनाल जैसी योजनाओं को राष्ट्रीय योजना स्वीकृत कराने में असफल रही, इसका कारण है या तो राजस्थान सरकार की केन्द्र में क्रिया शक्ति कम हो गई अथवा वह किसी भी प्रकार से अपनी बेबसी का इजहार करने की एक्सरसाइज ठीक ढंग से नहीं कर सकी । मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी योजनाओं को केन्द्रीय योजनाओं में शामिल करवाती तो इन बड़ी योजनाओं पर बहुत पहले से राजस्थान को जो भारी भार वहन करना पड़ा है उस पैसे को दूसरे विकास के कार्यों में लगाया जा सकता था । यही नहीं किसी भी क्षेत्र में, जहां भी राष्ट्रीय महत्व की कोई भी योजना राजस्थान के मामले में आई उसमें राजस्थान सरकार हमेशा असफल रही है । इसी प्रकार से बहुत सी बातें इसी सन्दर्भ में मैं मानता हूं कि हमारी स्टेट की सरकार केन्द्र के सामने अन्य राज्यों के मुकाबले में बिल्कुल असफल रही है और अपने दावों को ठीक ढंग से केन्द्र के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी है ।

सभापति महोदय, ये जो मांगे हैं इन मांगों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि पूर्वी राजस्थान का यह दुर्भाग्य ही समझा जायगा कि जहां पर आज तक कोई बहुत बड़ी योजना खास तौर से जयपुर जिले के लिये-शेखावाटी से जयपुर तक, नहीं है जिसके आधार पर यह कम्पन्सेट कर सके प्रपोर्शनेटली तरीके से अन्य क्षेत्रों में विकास किया गया है लेकिन पूर्वी राजस्थान को क्या दिया गया । माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर दूं कि एक बार शेखावाटी से पधारने वाले माननीय सदस्य ने मांग की थी, गंगा से पानी लाने के लिये, काफी जोरदार और सेंटीमेंटल अप्रोच की थी, इसके बारे में बहुतों ने कई तरह की बातें की, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की मांगों को रखने से कभी भी किसी क्षेत्र की मांग पूरी हुई, ऐसी बात बहुत ही कम है । या तो पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व जोरदार नहीं है कि वह अपने हिस्से में से कुछ ले सके अथवा जितना भी प्रतिनिधित्व राजस्थान की सरकार में दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान का है जो दलबदल के आधार पर इस स्थिति में है, प्रभावकारी रूप से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित है, यह पूर्वी राजस्थान का दुर्भाग्य है । लेकिन सरकार का यह कर्त्तव्य है कि किसी भी प्रान्त के हित में करोड़ों

(श्री मूलचन्द सामरिया)
रुपये खर्च होते हैं तो प्रपोर्शनेटली तरीके से पूरे राजस्थान पर खर्च करना चाहिए।

कई बार प्रश्न के द्वारा, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा पहले सिंचाई के मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, तो कई बार, सभापति महोदय, यह जवाब दिया गया कि पूर्वी राजस्थान में बांध बनाया जाय तो कोई नदी ऐसी नहीं है जिस पर बांध बना कर सिंचाई के साधन मुहय्या किये जा सकते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ सरकार को पूर्वी राजस्थान में नदी नजर नहीं आती है, दूसरी तरफ वीसलपुर नाम की बनास पर योजना थी, जिस बांध को बनाकर जयपुर को पीने का पानी, अजमेर व ब्यावर को पीने का पानी, टोंक को पीने का पानी और जयपुर जिले को कुछ सिंचाई के लिए पानी मिलता, उसकी सर्वे पर लाखों रुपये खर्च किये गये और यह योजना तैयार हो गई। अब सरकार की टेबल पर है लेकिन वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री की स्वीकृति के लिए वह तरस रही है और वह आपकी स्वीकृति के लिए तब तक तरसती रहेगी जब तक कि राजनैतिक तरीके से आपको बाध्य न कर दिया जाय कि आप स्वीकृत करें। मैं निवेदन करता हूं, सरकार कहती है कि पूर्वी राजस्थान में सोर्स आफ वाटर नहीं है, लेकिन बनास की इस प्रकार की योजना को इस तरह से रख कर पूर्वी राजस्थान को उपेक्षित किया जा रहा है और स्वीकृत करके काम शुरू नहीं किया जा रहा है। जयपुर के पास कानोता के पास ढूंढ़ी नदी है, वहां इतना पानी है कि वहां बांध बनाया जाय तो जयपुर जिले की पेय जल की समस्या हल हो सकती है। है। जमुआ रामगढ़ और बस्सी तहसील में सिंचाई हो सकती है। पूर्णतया सिंचाई के लिए जमुआ रामगढ़ के लिये यह बांध बनाया गया था, उसको जयपुर के पेय जल के लिए ले लिया है। वह सिंचाई के लिए लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार यह इरादा नहीं बना सकती। मैं ताज्जुब करता हूं करोड़ों रुपये टैक्स के सरकार वसूल करती है पूर्वी राजस्थान से करोड़ों रुपये के टेक्स के अलावा राजस्थान के बाहर से, केन्द्रीय सरकार से, विदेशों से ऋण मिलता है, जो हिस्सा मिलता है केन्द्रीय टैक्सेज का' वह उन पर सारा खर्च करते हैं, तो आप क्यों नहीं याद रखते हैं कि भूतपूर्व महाराजा ने जमुआ रामगढ़, बस्सी तहसील की सिंचाई के लिये रामगढ़ का बांध बनाया था, उसको आपने जयपुर के पेय जल के लिए ले लिया है। मैं समझता हूं इससे बड़ी क्या दयनीय स्थिति हो सकती है कि सरकार जयपुर जिले के लिए पेय जल की व्यवस्था नहीं कर सकती। इस बांध का ऐसा पानी है कि जिससे 90 पर्सेन्ट लोगों के पे. के अन्दर कीड़े पड़ते यह पानी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। यह सिंचाई के लिए बनाया गया था। जो सामन्त, राजाशाही किसान की नहीं सुनती थी उसने यह बांध सिंचाई के लिए बनाया था और इस सिंचाई के बांध से यह राष्ट्रीयवादी और इस समाजवादी सरकार, ने जो गरीब की हिमायत के लिए है, अपने को गरीब परवर कहती है, जयपुर के लिए पानी ले लिया और गरीब लोगों के बच्चों को अनाज के लिए तड़फने के लिए मजबूर कर दिया। जो कुओं के अन्दर पानी का लेवल होता है, वह इस समय कम है इस कारण सिंचाई नहीं हो सकती। इस कारण तीनों तहसील के लोग परेशान हैं........

श्री सभापति : जल्दी वाइण्ड अप कर दीजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं जनता मोर्चे का एक ही सदस्य हूं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह जयपुर की जनता का पानी बन्द करना चाहते हैं। बोलने दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं यह अवश्य कहूंगा, जयपुर की जनता को पानी दिया जाय। लेकिन जमुआ रामगढ़, दौसा, बस्सी के किसानों के लिए सिंचाई का पानी है नहीं। इसलिए आल्टरनेटिव बनास पर वीसलपुर की योजना है वह पूरी की जाय। युद्ध-स्तर पर पूरी की जाय। जोधपुर के लिए पानी नहीं था तो क्योंकि जोधपुर के लोग सत्ता में बैठते हैं, बटवारा करते हैं, योजना बनाते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं, इसलिए युद्ध स्तर पर पेयजल की व्यवस्था की गई। इसलिए अगर सरकार की मंशा है तो जयपुर के लिए पेयजल की व्यवस्था हो सकती है। यह कोई असम्भव बात नहीं है। इस जमुआ रामगढ़ के बांध के अलावा छोटे-मोटे सिंचाई के साधन हो सकते हैं। उनका विकास करें तो भी यह प्रपोर्शनेटली नहीं हो सकेगा। जो खर्च में है, उसके अन्दर 4 पर्सेन्ट सिंचाई के साधन हो सकते हैं। हमारे यहां पर और शेखावाटी के लिए भी आपका बहुत पुराना वायदा है, कई बार मांग भी की गई है, अगर पानी आता है तो राजस्थान में उत्पादन बढ़ेगा और राजस्थान के किसान हैं उनको फायदा पहुंचेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि सारी परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार, आज की मौजूदा कल्याणकारी सरकार शायद किसान और किसानों के विकास से, किसानों की उन्नति से इस तरह भयभीत है। किसान को हर तरह से नीचा कर के, चोट मार कर, आर्थिक स्थिति कमजोर कर के, विपन्न कर के अपंग बना कर शोषण करने के लिए स्थिति बनाये रखने में अपना हित समझती है। यही कारण है कि बड़े-बड़े लोगों को वित्त मंत्रीजी ने रेफ्रिजरेटर, कूलर, जो सुख-सुविधा और विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर टैक्सेज में छूट दी है, उसी कलम से किसानों के ऊपर सिंचाई की दर बढ़ाई है ज्यादा कुए हों तो उनकी नजर में एक किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, इतना कमाता है कि अच्छे कपड़े पहना सकता है, इतना कमाता है तो बड़े-बड़े लोगों के मुकाबले में उसके बच्चे आकर बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस बात से सरकार और वित्त मंत्री परेशान हैं। सरकार जानती है कि अस्सी, पिच्यासी पर्सेन्ट लोग किसान और किसान के आश्रित लोग हैं, इनमें जागृति आयी और इनका विकास हुआ तो हमें सत्ता में कौन रहने देगा। इस कारण से सरकार किसानों की स्थिति इस कदर कमजोर रखना चाहती है कि वह न सम्भल सकें, न खड़े हो सकें, न अधिकार की मांग कर सके। इस कारण से मैं निवेदन करूंगा कि जहां आपने सिंचाई की दर बढ़ाई है, क्या आपने सोचा, जहां आप विलासिता की चीजों पर टैक्स कम कर रहे हैं, तो क्या उससे समाजवाद आयेगा? क्या व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर कम पैसों में मिलेगा? कैसे किसान अपने बच्चों को पढ़ायेगा क्योंकि सरकार सिंचाई की दर बढ़ा कर पैसा खींच लेगी। इससे पूंजीवाद

(श्री मूलचन्द सामरिया)
आयेगा। इससे पूंजीवाद आयेगा तो विलासिता की चीजें हैं उन पर टैक्स कम कर दें और किसानों पर कर लगा दें । मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वी राजस्थान के और जयपुर जिले की उपेक्षा करते हैं । कृपया जो योजना बन चुकी है, आखिरी रूप से योजना तैयार होकर आपकी टेबल पर आ चुकी है, उसको निकाल कर कार्यान्वित करायें और छोटे मोटे काम हमारे करवा दें तो पूर्वी राजस्थान के लोग....

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन पर रहम कीजिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया : रहम कीजिये । अगर लोगों को दबाया जाता है तो एक समय हम लोग, प्रद्युम्नसिंह जी हमारा साथ देंगे, विरोध करेंगे और उस समय दबाना मुश्किल होगा, इसलिए ज्यादा दबाना उचित नहीं है, ज्यादा लोगों को तंग नहीं करना चाहिए । साथ साथ मैं निवेदन करूं कि दौसा में सुरतपुरा, हरिपुरा में छोटी नदियां हैं, इन पर एनीकट की बात चालू है। आपके विभाग के द्वारा अकाल के लिए पैसा दिया गया, कुछ काम शुरू हुआ लेकिन विभाग आपका एक्टिव नहीं है, इसलिए काम पूरा नहीं हुआ है । दो-चार दिन काम करवा कर उसी स्थिति म है। मुझे उम्मीद है कि आप छोटे-मोटे काम को निकलवा देंगे । कैसी बात है कि न हमने नहर देखी, न सरकार की तरफ से योजना देखी, न बांध देखा है । इसलिए जो स्कीम होगी उसमें हमारे अभाव की, असहायता की, मजबूरी की बात होगी। यह हमारे साथ जो कुछ कर रखा है, इस पर पुनः विचार करें और यह समझें कि इस तरह ज्यादती पूर्वी राजस्थान के साथ में नहीं हो ।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल (पाली) ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हमारा नम्बर आयेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारा नम्बर आ रहा है ?

श्री शंकर लाल (पाली) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की मांग पर कुछ मुद्दों को लेकर मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सभापति महोदय, जो हमें प्रगति रिपोर्ट 1975-76 की प्राप्त हुई है उसमें बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए यह बतलाया गया है कि राजस्थान जो भी लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है और बहुत प्रयत्नशील है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, सभापति महोदय, सिंचाई के मामले में राजस्थान ने प्रगति की है लेकिन जो हमारी मुख्य-मुख्य योजना है और ऐसी योजना, जिसका केवल एक क्षेत्र पर नहीं, एक जिले पर ही नहीं, कई जिलों पर प्रभाव पड़ता है, जो महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए अगर हम धनाभाव का कारण बता कर उस कार्य को पूरा न करें तो उसकी जो कास्ट है वह आने वाले समय में और बढ़ जायगी, करोड़ से और ज्याद हो जायगी । मैं समझता हूं कि हम यह बात कहें कि हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं तो उसमें कुछ सन्देह होने लगता है। सभापति महोदय, अब मैं सेई योजना के बारे में कहना चाहता हूं। वास्तव में सेई नदी पर, जैसा इस प्रगति पुस्तिका में बताया गया है, बांध बनाकर तैयार किया जा रहा है। सेई नदी पर 89 फीट ऊंचा बांध

(श्री शंकरलाल)

बनाकर नदी के पानी को 6776 मीटर लंबी सुरंग के द्वारा जवाई बांध के आवक क्षेत्र में डाला जाएगा तथा इसके पानी से जवाई बांध के द्वारा पाली एवं जालोर जिले की 5800 हैक्टेयर (14000 एकड़) अतिरिक्त भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पाली और सांचोर की सिंचित जमीन में वृद्धि नहीं होगी। सदन में कई बार प्रश्न आ चुका है और जैसा मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि जोधपुर में वहां के नेताओं ने जोधपुर के लिए पानी के लिए उचित प्रबंध कर लिया और सिंचाई के पानी की आवश्यकता नहीं हुई। शायद उन्हें पता नहीं कि जोधपुर के लिए भी पीने का पानी जवाई बांध का जाता है और अब तक जा रहा है। मैं नहीं कहता कि जोधपुर पानी नहीं जाना चाहिए। वास्तव में सिंचाई की तुलना में पीने के पानी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन प्रश्न यह है कि जवाई बांध की क्षमता बढ़ाने के लिए इस योजना में जो सुरंग के जरिए पानी जवाई बांध में बढ़ाने की योजना है, उसमें बहुत शिथिलता बरती जा रही है। मुझे स्मरण है कि इस योजना का प्रारंभ 1970-71 में हुआ था और उस समय इस योजना की तीन करोड़ की लागत बताई गई थी। यह 5-6 वर्ष पूर्व चालू की गई थी। इस योजना की आज के सरकार के आंकड़ों के अनुसार लागत तीन करोड़ से बढ़कर अब 4.28 करोड़ हो गई। इसमें बताया गया है इस सुरंग की खुदाई का सम्पूर्ण कार्य पूर्णतया संतोषजनक चल रहा है। वास्तव में यह कार्य कठिन तो है लेकिन जैसा मैंने स्वयं जाकर देखा है इसकी खुदाई का कार्य पहले गलती से प्रारंभ हुआ था और सुरंग को बंद करना पड़ा। उसके बाद दूसरी तरफ जब मोड़ा गया और बताया गया कि बिना मशीनों और साधनों के उस कार्य को कर रहे हैं सीमित मशीनों एवं साधनों को देखते हुए पूर्णतया संतोषजनक है। लेकिन मैं इसे संतोषजनक नहीं मानता इसमें बताया गया है कि :

"माह अगस्त 1975 में चालू वर्ष की प्रगति की राज्य एवं भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई थी। उस समय इस योजना के लिए 40 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग पेश की गई थी ताकि परियोजना को जून, 1976 तक पूरा किया जा सके।"

40 लाख रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर भारत सरकार नहीं देती, राज्य सरकार यह रकम अपने साधनों से लगा देती तो भी इसका दूसरी तरफ फायदा हो जाता। एक तरफ कान्सट्रक्शन पर जो कॉस्ट लगा रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि 3-4 करोड़ से ऊपर कॉस्ट चली गई। दूसरी तरफ फैमिन के वर्षों में पीने के पानी के लिए खर्चा किया जाता है और क्योंकि जवाई बांध का पानी दिया जाता है उधर पानी की कमी बताते हैं, उसमें बचत होगी और पानी की त्राहि, त्राहि जोधपुर में नहीं होगी। इसलिए पाली, जालोर, जोधपुर तीनों इलाकों की महत्वपूर्ण योजना है। मंत्री महोदय ने स्वयं ने देखा है, इस योजना के लिए अगर धनराशि का अभाव है तो जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम में कहा है, किसी भी तरह से इस योजना को पूरा करें, जिससे जवाई बांध के कमांड से भी पूरा पानी मिले और जालोर का जो दूसरा कमांड बनाने की योजना है, वह योजना पूरी कर सकें। मुझे तो संदेह है कि जून, 1977 तक, जैसा आपने कहा है, ऐसा कर पायेंगे। इसलिए

(श्री शंकरलाल)
इसकी तरफ आपका ध्यान विशेष तौर से जाना चाहिए ।

इसके अलावा पाली जिले में एक सरदारसमंद बांध है, उसका पानी नहरों के द्वारा सोजत तहसील को दिया जाता है और अधिकतर पानी पाली में जाता है । उसका पानी जिन चैनल्स से जाता है, वे नहरें इतनी टूट गई हैं कि वह पानी दो तिहाई वेस्ट होता है । उनकी हालत आप देखेंगे तो सारी नहरें टूट चुकी हैं और उनकी मरम्मत न करने का कारण मुझे बताया गया है कि वह भूतपूर्व महाराजा का बांध है और पानी दिया जाता है काश्तकारों के खेतों में । हमने एच० एच० से सम्पर्क किया, उन्होंने कहा, अगर राज्य सरकार इसकी मरम्मत कराए तो मुझे आपत्ति नहीं । अब तो ऐसे बांधों की, जिनसे किसानों के खेतों की सिंचाई होती है और एच० एच० को आपत्ति नहीं है, देखभाल का काम सरकार कर सकती है । तो यदि सरदारसमंद की नहरों की मरम्मत करायेंगे तो बहुत से पानी की बचत होगी और सिंचाई का रकबा बढ़ेगा कम खर्चे में ।

आपने जो हेमावास बांध रेज किया, खारड़ा बांध रेज किया, कार्य चलता रहता है । रेज होने के बाद भी, कमांड एरिया बढ़ने के आंकड़े हमारे सामने नहीं आते हैं । हेमावास का बांध जैसे रेज हुआ है वैसे उसका कमांड एरिया भी बढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से खारड़ा का कमांड एरिया भी बढ़ना चाहिए । उस बारे में जरूर कोई डिसप्यूट है । हम कहते हैं कि किसी को पानी दें लेकिन इस प्रकार उपयोग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके । इसलिए खारड़ा और हेमावास के बांध रेज करके जो कमांड बढ़ाने की बात है, उसकी तरफ में ध्यान देने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा ।

सिंचाई के लिए इस वर्ष बहुत अच्छा पानी होने से कोई अधिक समस्या नहीं रही वरना पानी वितरण की समस्या आती है। वैसे राजस्थान में जगह जगह एक ही प्रकार का पैटर्न होगा और कमेटियां बनी हुई हैं । वैसे इन कमेटियों की मीटिंग्स जिलाधीश बुलाते थे, अब शायद सिंचाई विभाग के अधिकारी बुलाते हैं । लेकिन हुआ क्या कि इस वर्ष जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने सब सदस्यों को सूचित भी नहीं किया, मुझे स्वयं को सूचित नहीं किया । मैंने शिकायत मंत्री महोदय से की थी । मंत्रीजी ने जवाब दिया कि इस प्रकार का कोई इरादा नहीं था कि मुझे इत्तिला नहीं दी जाए। प्रश्न इरादे का नहीं है, सिंचाई विभाग के हाथ में अगर कमेटियों का काम जाए आपत्ति नहीं लेकिन जो जन-प्रतिनिधि हैं, वहां के सरपंच, प्रधान, विधायक अगर उनको बुलाकर वितरण का काम नहीं किया जाता है तो वास्तव में उनके अन्दर संदेह पैदा होता है कि उसका वितरण उचित है या नहीं । उस संबंध में जो शिकायतें आती हैं कि घोटाला हुआ है तो स्वभावतः हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं । इसलिए जो जल वितरण की कमेटियां हैं, किन्हीं को सदस्य रखें लेकिन नियमित रूप से जल वितरण हो तो घोटाले की शिकायतें कम आयेंगी। मेरा स्वयं का जो गांव है थोड़ा उसके पास में ढारिया गांव है । वह स्कीम बहुत

(श्री शंकरलाल)

पुरानी है। पहले मीडियम स्कीम थी लेकिन बाद में कहा है कि माइनर स्कीम के तहत योजना बनायेंगे और आस-पास के गांव वालों ने और उस क्षेत्र के विधायक डांगीजी, मेरा गांव डांगीजी के क्षेत्र में पड़ता है, ने और जन-प्रतिनिधियों ने बार-बार मांग की और जब मंत्री महोदय स्वयं आए थे तो उनके सामने भी मांग आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि इतनी बड़ी योजना नहीं होगी। तो छोटी योजना के रूप में उसकी उपयोगिता के आंकड़ों को देखते हुए स्वीकृत की जायेगी। तो उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में मन्त्री महोदय उस योजना को स्वीकृत करना चाहते हैं या नहीं। चाहे मंत्री महोदय कोई बड़ी योजना के रूप में उसे नहीं लें आप उसे चाहें तो छोटी योजना के रूप में ही ले लें पर उस योजना की स्वीकृति अगर आप दे देंगे तो मेरे गांव के लोग ही नहीं बल्कि मेरे गांव के आसपास के लोग भी उस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सभापति महोदय, मेरा गांव ऐसी जगह है जहां कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अधिक मात्रा में हैं और वह गांव मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में नहीं है। वह श्री डांगीजी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में आता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की जनसंख्या होने से अगर आप उस योजना की स्वीकृति दे देते हैं तो वहां की जनता को सिंचाई करने का लाभ मिल सकेगा और मैं समझता हूं कि आसपास की जनता को भी इससे लाभ मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह (मांडल) : सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की जनता का मुख्य व्यवसाय खेती है और खेती के लिये सिंचाई की व्यवस्था का होना बहुत अधिक जरूरी है। सिंचाई बिना पानी के नहीं होती और खेती बिना सिंचाई के नहीं होती है। खेती के लिये, सभापति महोदय, जितना महत्व सिंचाई का होता है उतना महत्व किसी भी दूसरी चीज का नहीं होता है। लेकिन हमारे प्रांत में इराटिक रेनफाल है और हर तीसरे साल ड्राट इयर्स होते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई का महत्व और भी ज्यादा है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब हमारे देश को आजाद हुए 28 साल हो गये हैं लेकिन आज दिन तक हमारे यहां पर इरिगेशन के लिये डवलपमेन्ट करने का राज्य सरकार ने सही कदम नहीं उठाया। सभापति महोदय, मैं तो समझता हूं कि आज तक हमारे वहां पर सिंचाई के डवलपमेन्ट के लिये जितने भी कदम उठाये गये हैं चाहे आपने कितनी ही योजनायें बड़ी-बड़ी बना लीं, चाहे आपने कई तालाब और बांध बनवा लिए लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने इरिगेशन के लिये कोई प्लॉन्ड वे में काम नहीं किया।

सभापति महोदय, यह सही बात है और अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने काफी धनराशि इरिगेशन के लिये, तालाब बनाने के लिये और छोटी-मोटी योजनाओं के लिये खर्च कीया है, लेकिन मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आपने जो भी योजनायें बनायीं वह

(श्री विजयसिंह)
अपनी मर्जी चाहे जैसी बनालें। मैं कह सकता हूं कि सिंचाई विभाग द्वारा पूरे राजस्थान में कौन-कौन सी योजनायें बन सकती हैं, कौन-कौन से तालाब बन सकते हैं, किन-किन बांधों या नालों से सिंचाई को डवलप किया जा सकता है इसका सर्वे आज तक नहीं कराया है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को शायद यह पता भी नहीं होगा कि सिंचाई में किन-किन साधनों का, कहां-कहां पर प्लॉन्ड वे में डवलपमेन्ट किया जा सकता है और यही कारण है कि सिंचाई से हमारे यहां पर जनता को जितना लाभ मिलना चाहिये था, वह पूरी तरह से नहीं मिल सका। सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता कि राजस्थान में ऐसे कई नाले हैं, कई तालाब हैं, अगर उनको बांध दिया जाय तो काफी सिंचाई हो सकती है। लेकिन न तो आपका सिंचाई विभाग और न ही स्वयं मंत्री महोदय ने इस बारे में आज तक कोई योजना बनाई। इतना ही नहीं कई जगह पर राज्य सरकार ने ट्यूब वैल बनाये, कई जगह पर तालाब भी बनवाये लेकिन वह कौनसी जगह बनाये जाने चाहिये थे, जिससे जनता को पूरा लाभ मिल सकता इस बारे में प्लॉन्ड वे में काम नहीं हुआ। इसका कारण है कि राजस्थान के उन इलाकों का पूरी तरह से सर्वे नहीं कराया गया।

सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक बरसात में जो पानी बहकर नदियों में सम्मिलित हो जाता है और बाद में वही पानी जाकर समुद्र में खारे पानी के साथ सम्मिलित हो जाता है उसके लिये आपने क्या योजना बनायी? आपने उस सारे पानी को रोक कर काश्तकारों को खेती के लिये क्यों नहीं उपलब्ध कराया? आपने ऐसी कितनी जमीन को, जो कि एक फसली थी, दो फसली बनाने के लिये क्या योजनायें बनायीं जिससे कि उस जमीन से प्रोडक्शन बढ़ सके। मैं समझता हूं कि इसके लिये आपके सिंचाई विभाग ने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की होगी और न ही मंत्री महोदय का ध्यान ही उस ओर कभी गया होगा। क्या आपके पास सारे प्रांत की कोई इकजाई स्कीम है? मैं समझता हूं आज तक नहीं बनायी।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आपके सिंचाई विभाग की जानकारी में यह भी नहीं होगा कि कितने ऐसे तालाब हैं जो टूट गये हैं। सभापति महोदय, कई तालाब जो थे वह बाढ़ के कारण टूट गये लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं हो। लेकिन यह काम, सभापति महोदय, सिंचाई विभाग का भी है। सिंचाई चाहे आप किसी से करें, चाहे छोटे तालाब से करें, चाहे आप ट्यूब वैल से करें, चाहे बांधों से करें, चाहे कुओं से करें, चाहे और किसी साधन से करें, इन सभी के लिये सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वह उनकी ओर ध्यान रखे। सिंचाई विभाग का केवल यही काम नहीं है कि सिर्फ जो बड़े बड़े तालाब हैं या बांध हैं उन्हें ही ध्यान में रखें। सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी उन तालाबों के प्रति भी है

(श्री विजयसिंह)

जो कि पंचायत समितियों के क्षेत्र में हैं। खासकर मंत्री महोदय को तो यह देखना ही है।

सभापति महोदय, बाढ़ के कारण कई पंचायत समितियों के क्षेत्र में तालाब टूट गये लेकिन, सभापति महोदय, समितियों के पास पैसे नहीं होने कारण वह पूरे नहीं किये जा सके। लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके विभाग के पास ऐसी कोई गणना नहीं है कि कितने पंचायत समितियों के तालाब टूट गये, कितने ब्रीचेज हो गये। हालांकि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हमने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं लेकिन उसके बाद भी, सभापति महोदय, आज भी कई तालाब ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं हो सके हैं। क्योंकि उस वक्त अकाल राहत कार्य बीच में ही बन्द हो गये होंगे या पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं होगा। वह तालाब ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा-सा पैसा लगाकर पूरा कर सकते हैं, और उनके पूरा होने से बहुत अधिक मात्रा में खेती हो सकती है। यह बात सही है कि आपने अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कई तालाब बनाये हैं लेकिन, सभापति महोदय, वह करोड़ों रुपये की लागत फालतू जा रही हैं। क्योंकि उनके पूरे नहीं होने के कारण उनसे सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उन तालाबों को जल्दी से जल्दी सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कराया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा पंचायत समितियों के अन्दर कुछ ऐसे तालाब भी हैं जिनके स्लूस नहीं है। उनमें बरसात में पानी से भर जाता है मगर सिंचाई नहीं हो सकती। उनको भी आप ठीक करा कर सिंचाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कई जगह नालों पर छोटे-छोटे एनीकट बनाकर उनसे सिंचाई का काम ले सकते हैं। यह तो सिंचाई मंत्रीजी को और सिंचाई विभाग को खुद को पता ही है कि इस प्रकार की व्यवस्था करके हम अधिक सिंचाई कर सकते हैं। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय और इरिगेशन विभाग को खुद को ऐसे स्रोतों का पता नहीं है। इरिगेशन विभाग को और मन्त्री महोदय को राजस्थान में कितने बड़े बड़े तालाब हैं उनका चाहे पता हो, आपके चीफ इन्जीनियर साहब को भी इसका पता होगा, आपके कमिश्नर साहब को भी पता होगा लेकिन राजस्थान में कितने छोटे-छोटे तालाब हैं या एनीकट हैं उनका उनको ध्यान नहीं है जो कि होना चाहिये। इन छोटे-छोटे एनीकट्स और तालाबों को तैयार करवा कर आप काफी खेती कर सकते हैं। पर इस ओर आज दिन तक सिंचाई विभाग का ध्यान नहीं गया है। वह सोचते हैं कि यह काम पंचायत समितियों का है उनका नहीं। उन्होंने इन कामों को पूरा करने का काम पंचायत समितियों पर पटक दिया है और वह पैसों के अभाव में कर नहीं पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनको सिंचाई विभाग द्वारा हाथ में लेकर, जो कि थोड़े पैसों में पूरे हो जायेंगे और जिससे हजारों एकड़ जमीन में खेती हो जावेगी और आपकी जो यह बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनके मुकाबले इनसे कम खर्चे में अधिक उत्पादन पैदा हो सकेगा। आपको इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो जावेंगे। ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

(श्री विजयसिंह)

सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि रेगिस्तानी हैं जिनमें तालाब बहुत कम हैं उनमें जरूर सिंचाई की दिक्कत आ सकती है लेकिन हमारे उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर के इलाकों में तथा सवाई माधोपुर और चित्तौड़ के पहाड़ी इलाकों में आप छोटे-छोटे तालाब बनाकर सिंचाई करा सकते हैं। सभापति महोदय, कई जगह तो मोरियां नहीं होने के कारण सिंचाई नहीं हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री विजयसिंह : तो, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पंचायत समितियों के क्षेत्र में जितनी भी माइनर इर्रिगेशन स्कीम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाना चाहिये। इसके अलावा पंचायत समितियों के क्षेत्र में जो तालाब हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सिंचाई विभाग से ठीक करा कर उनसे काश्तकारों को फायदा पहुंचाया जावे।

सभापति महोदय, आज हम भूमिहीनों, को भूमि देने की बात कर रहे हैं। हमने भूमिहीनों को भूमि अलोट करके गरीबी मिटाने का दावा किया है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अच्छी जमीन थी जो इर्रिगेशन के काबिल थी या अच्छी उपजाऊ थी वह तो पहले ही लोगों ने ले ली। अब तो जो जमीन बची है वह जमीन बंजर जमीन है। इसमें ज्यादा पैदावार नहीं होती तो आप इस बंजर जमीन को अलॉट करके क्या गरीबी मिटायेंगे ? सभापति महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि उनकी गरीबी मिटे तो आपको जो जमीन दी है जिससे कि एक फसल पैदा होती है उसमें दो फसली होने की व्यवस्था करें। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वह लोग रबी की काश्त भी कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने बजट में देखा मुझे उनके लिये कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। उसका कोई जिक्र बजट में नहीं है। उसमें कहीं नहीं है कि उनके लिये कोई माइनर इर्रिगेशन स्कीम्स चालू की जा रही हैं जिससे कि बंजर जमीन एक फसली से दो फसली जमीन में परिवर्तित की जा सके। तो इस प्रकार आप भूमिहीनों को भूमि अलोट करके उनकी गरीबी नहीं मिटा सकेंगे।

सभापति महोदय, हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए आप गरीबों को, भूमिहीनों को भूमि अलॉट कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें बंजर जमीन देकर गरीबी नहीं मिटा सकेंगे। इसके अलावा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने लगान की दर पहले ही बढ़ा दी, अब सिंचाई की दर भी बढ़ा दी और दूसरे बिजली पर भी आपने पैसा बढ़ा दिया। इसके बाद अब क्या बाकी है जो उन गरीब काश्तकारों पर बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके बाद धीरे-धीरे आपका सिंचाई विभाग और सेस (Cess) बढ़ाता रहेगा और जिस प्रकार की आज स्थिति चल रही है उसमें उपज और अनाज के भाव गिरने के कारण मैं समझता हूं कि वह दिन भी आ सकता है

(श्री विजयसिंह)

जब कि काश्तकार आपको लगान भी नहीं दे सकेगा और हो सकता है वह लगान नहीं दे सकने के कारण जमीन भी छोड़ दे। अगर माननीय कृषि मंत्री से बात करते है, अभी निवेदन किया था कई सदस्यों ने कि जो भाव गिर रहे हैं उनको स्टेबिलाइज करने के लिये क्या कर रहे हैं ? उन्होंने इतना ही कहा कि केन्द्रीय मंत्री जी से बात की है। मैं समझता हूं उनसे बात करके कोई हल तो नहीं निकाला। आपको सोच समझ कर कराना चाहिये चाहे बजट किसी स्टेज पर हो, जो सिचाई दर बढ़ाई है वह काश्तकारों के साथ खुल्लमखुल्ला दगा है।

मेरी तहसील में एक चोर बावड़ी नामक बांध है जिसका शिलान्यास माननीय सुखाड़िया साहब ने 8 साल पहले किया था। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं उस तालाब को आप बनवा दें जिसकी आपकी मोरल ड्यूटी भी है। कोई भी मुख्य मंत्री वायदा कर ले तो उसको पूरा करने का आपका फर्ज है और अगर पूरा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं आप अपने फर्ज से खिसकते हैं। जहां से आप पधारते हैं–भीलवाड़ा होकर वहीं से काफी लम्बा चौड़ा मैदान शुरू होता है। गुलाबपुरा से सहाय रामपुर तक भीलवाड़ा में काफी लम्बा चौड़ा मैदान पड़ा लेकिन उसमें आज तक सिचाई की कोई योजना नहीं है। जहां तालाब नही बना सकते हो वहां कम से कम ट्यूबवेल खुदवा कर एक्सपेरीमेंट करें कि कहां कहां पानी उपलब्ध है और कहां कहां पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो आप के पास मशीनों का अभाव भी था लेकिन अब आपके पास दो मशीनें ऐसी आ गई हैं जिनसे 350 फीट गहराई तक बोरिंग एक दिन में आठ इंच का किया जा सकता है। इसका आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वह किसी डिपार्टमेंट के तहत आता हो लेकिन सिचाई का महकमा आपके पास है, ट्यूबवेल का पता लगायें तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा एहसान भीलवाड़ा पर करेंगे।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। मेजा फीडर पर आप बजट का अलॉटमेंट करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख वह एस्टेब्लिशमेंट के रूप में न चला जाय जिससे एक भी काम न हो। मेजा फीडर को पूरा करवायें और उसमें पानी बनास से आने लगे तो काफी सिचाई हो सकती है इसलिये मेरा निवेदन है इस बजट को आप बढ़ाइये और इतना बढ़ाइये कि मेजा फीडर पूरी बन सके और जो एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे में ही पैसा जाता है वह न जाये। मेरे क्षेत्र माण्डलगढ़ में सुरास गांव है वहां मेजा बांध का नाला निकलता है और बांध भरने के बाद वह कई दिन तक चलता रहता है। सुरास गांव की जमीन जो दूसरी तरफ है उसमें साल भर तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि कई दिन तक पानी बहने से नाला गहरा हो गया है। उस पर पुलिया बनाने के लिये मैंने कई बार निवेदन किया है, भीखा भाई से भी निवेदन किया था, आज उसकी बहुत जरूरत है।

20 पाइन्ट प्रोग्राम की भी बात प्रश्नोत्तर काल में चली थी कि जो पानी है उसका सही उपयोग कर सिचाई बढ़ायेंगे मगर मैं कहना चाहता हूं आपने

(श्री विजयसिंह)

एडीशनल इरिगेशन का सोर्स क्या तैयार किया ? सब इलाकों में जहां जहां पानी के स्त्रोत हैं उनको एक्सप्लाइट करना चाहिये और कमान्ड क्षेत्र बढ़ाने के लिये कोई साधन बनायें तो मैं समझता हूं 20 पाइन्ट प्रोग्राम में सिंचाई की वृद्धि हो सकती है ।

श्री सभापति : श्री मोहर सिंह ।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग सदन के सामने वास्ते चर्चा पेश है । सभापति महोदय, राजस्थान का और अकाल का चोली और दामन का साथ रहता आया है । इसलिए सिंचाई की जो मांग है वह और भी ज्यादा महत्व रखती है । इतना बड़ा विशाल प्रदेश राजस्थान है जिसके अन्दर करीबन दो करोड़ किसान बसते हैं– ढाई करोड़ से उपर जनसंख्या है जहां तीसरे साल अकाल पड़ता है यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है लेकिन इसके लिये हमने आज तक जो प्रयत्न किये हैं, इलाकों को सिंचित बनाने के लिये वह बड़ी धीमी गति से किया है । मैं जब इस प्रगति रिपोर्ट को पढ़ता हूं, इसके अन्दर कई जगह तो बड़े अहंकार के साथ कहा गया है कि अन्न की समस्या को काफी हद तक हल कर लिया है । इधर हम केवल 17 प्रतिशत लैण्ड का शहराब कर पाये हैं–18 साल की आजादी के बाद जब कि कुछ नहरें पहले ही राजाओं ने निकाल दी थी । भरतपुर, जोधपुर में और विशेष कर बीकानेर में काफी पहले राजाओं ने नहरें निकाल दी थीं और हम कुल मिलाकर 17 प्रतिशत शहराब कर पाये हैं–यह हमारा सिंचित क्षेत्र है ।

सभापति महोदय, हमारा दृष्टिकोण पुराने दृष्टिकोण से बिल्कुल बदला हुआ होना चाहिये । जहां इतना अधिक और बहुत ज्यादा परिश्रम करके बेरोजगारी को मिटाने के अन्दर और समस्या को हल करने में सफल हो सकते हैं तो वहां पानी की कमी है, उस पर भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये । अब तक की रफ्तार से बहुत ही कमजोरी से चले हैं । आइन्दा हमारी रफ्तार बहुत तेज की जानी चाहिये । सबसे बड़ा अहम सवाल राजस्थान की सिंचाई का है । राजस्थान की जनता को इसी से राहत दी जा सकती है । यदि राजस्थान की समस्या को हल करना है तो सिंचाई के आइटम को हमें सबसे पहले लेना चाहिए । अगर यह कर लें तो राजस्थान का नक्शा बदल सकता है ।

सभापति महोदय, हमारे दृष्टिकोण में अन्तर होना चाहिए । जमीन राजस्थान में काफी है, किस प्रकार जमीन अलॉट की जाय, किस प्रकार शहराब के साथ उनको मुहैया कराई जाय । सिंचित एरिया का जहां तक सवाल आया, मेरे दो माननीय सदस्य काफी अनुभव रखते हैं उन्होंने सदन में इस बात को काफी प्रभावशाली ढंग से रखा है । उन सब चीजों पर फिर कहा जाय तो यह सम्भव नहीं है । राजस्थान में शहराब का इन्तजाम होता है, राजस्थान में इरिगेशन का इन्तजाम होता है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन किसी जिले को प्रगति देने के लिये, सिंचाई का इन्तजाम करने के लिये ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए । जहां

(श्री मोहरसिंह)

तक चूरू जिले का सवाल है वहां अब तक इस मसले में बिलकुल लापरवाही चली है, बिलकुल नेग्लीजेन्सी रही है । कोई शहराब की जमीन नहीं. . . .

(3.58 म० प०)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

चाहे वह ट्यूब वैल से सम्बन्धित हो. चाहे वह नहरों से सम्बन्धित हो, लापरवाही बरती गई है । सिधमुख कैनाल का कई बार प्रश्न आया, उसमें भी माननीय देवपुरा साहब ने उलझाने की कोशिश की और आज तक मामला वहीं का वहीं है। अब भी चीफ मिनिस्टर लेवल पर बातें बाकी हैं, मिनिस्टर लेवल पर बातें हुई हैं । हमारे इलाके से लगता हुआ हरियाणा है जो बिजली से चकाचौंध हो रहा है। आपकी नहर है उसके पास लेकिन चूरू जिला सिंचाई से महरूम रहा है, यह कहां तक शोभाप्रद बात है । अब तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। मैं समझता हूं यह लापरवाही अखरने वाली है और इस पर जब तक देवपुरा साहब ध्यान नहीं देंगे, यह प्रश्न उठता ही रहेगा। इसलिए मैं बार-बार देवपुरा साहब से कहता हूं कि इस पर ध्यान दें । जो नजदीक इलाके वाले हैं, वे बार-बार प्रश्न करते हैं कि हमारे इलाके की लड़कियां वहां पानी भरने जाती हैं । रोजाना की दिक्कत हमारे सामने है । हम अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे । आप कहोगे कि क्या करोगे ? बहुत सी चीजें हैं करने की। पूर्वी राजस्थान का सवाल उठता है, और भी कई सवाल उठते हैं । अलग अलग पक्षपातपूर्ण जो आपकी नीतियां हैं, कुछ जगह के लिए लाभकारी नीतियां है और कुछ जगह के लिए अलाभकारी नीतियां हैं वे हमेशा बर्दाश्त नहीं की जावेंगी आपको विशाल हृदय से, हृदयहीनता को छोड़ कर, सारे क्षेत्र के लिये वास्तव में कुछ इन्तजाम पक्के तौर पर करना पड़ेगा । कुछ दूर पर सर्वे हुआ हरियाणा की ओर से घुसते हुए आये । राजस्थान कैनाल के अन्दर यदि अलॉटमेन्ट किया जाय तो उस तरीके से सिंचाई योग्य बना सकते हैं और चूरू की भूमि सबसे ज्यादा अन्न पैदा करके बतला सकती है । नीचे का पानी भी वहां पर उपलब्ध है । चाहिये आपकी इच्छा । ट्यूब वैल लगा कर आप सिंचाई के साधन बढ़ा सकते हैं । मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार कहने के बावजूद भी कहा जाता है कि इनको तो बिजली दे दी जावेगी । लेकिन होता कुछ नहीं है । जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है यह विरोधी का इलाका है, बारह महीने और निकाल दिये जायं और दूसरे के सेहरा बांध दिया जाय । इस तरह की भावनाएं हैं ये विशाल हृदय-सूचकता की निशानी नहीं है । सब ही राजस्थान की जनता को, एक ही दृष्टि-कोण से देखना चाहिए । समाजवाद का युग है । तेजी के साथ विकास करते हुए आगे बढ़ने का युग है । एक एक मिनिट एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक साल बहुत बड़े मायने रखते हैं । आपको इस इलाके का विकास करना चाहिए, विकास के लिए आपके चरण बढ़ने चाहिए । ट्यूब वैल की जो समस्या है उसको आप आराम से हल कर सकते हैं ।

इन दोनों चीजों के साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं । राजस्थान कैनाल

(श्री माहरसिंह)

में जमीन ग्रलाटमेन्ट का सवाल है। इस बार नागौर चुरू बीकानेर को लिया है। जमीन का ग्रलाटमेन्ट होगा। बीकानेर में ग्रपीलें सुनी जा रही है। 25 तारीख को ग्रलाटमेन्ट होकर उन्हें बताया जावेगा कि यहां ग्राबाद हो जाग्रोगे। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में उपनिवेशन मंत्रीजी ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। यह वह इलाका है जो पाकिस्तान के नजदीक पड़ता है जहां पर किसान के लिये बसना बड़ा दुष्कर कार्य है। गंग कैनाल को महाराजा गंगासिंह किस प्रकार लाये थे ग्रौर उन्होंने किस प्रकार से कोशिश करके इलाके को बसाया। पाकिस्तान ने नजदीक रहते हुए किसान को वहां पर बसाना, ताकि वे ग्रपना विकास कर सके, निहायत मुश्किल है। इसलिए बोर्डर पर फौजियों को बसाना चाहिये ताकि हमारा बोर्डर स्टेबल हो सके। ग्रापको इस बारे में घोषणा करनी चाहिये। साथ ही साथ जहां जहां भी बसाने का सवाल है उस ग्रोर भी काफी रियायत देकर उनको बसाना चाहिये ग्रौर ग्रापको इस ग्रोर काफी ध्यान देना चाहिये। जमीन को साफ करना, उसका लेवलिंग करना, उसको पानी देकर सिंचित करना ग्रौर शैलाब निकालना बड़ी चीज है। माननीय सभापति महोदय, ग्रापके मार्फत मैं उपनिवेशन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप इस ग्रोर गम्भीरता से सोचें ग्रौर महरबानी करके उस इलाके को सरसब्ज बनावें।

जहां तक जमीन का ग्रलाटमेंट करने का प्रश्न है इतना निश्चित है कि बहुत से लोगों को नाजायज हिसाब किताब बताये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था। मुझे प्रश्न के दौरान बताया गया। मैं कहना चाहूंगा कि 20-20 साल के नौजवान हैं जो ग्राज बेरोजगार हैं, उन लोगों के जीवन का प्रश्न है, उनको भी काट दिया गया है। वे कहते हैं कि हम काश्तकार हैं, हमारा धन्धा काश्तकारी है, लड़का खुद खेती करता है। ग्राज कौनसा कानून लगा कर ग्राप उससे जमीन छीनते हैं। ग्रापको उसको जमीन देनी चाहिये। ग्राठ बीघा जमीन ग्राती है। वह ग्रच्छे ढंग से जमीन को काश्त करेगा। लेकिन उसको कहा जाता है कि यह विद्यार्थी है, ऊपर का हुक्म है उसको नहीं देनी है। जो लोग बीस-बीस साल से पड़े हुए हैं ग्राज उनको भी मुस्तसना रहना पड़ा है।

एक चीज इसके साथ साथ याद रखने की है, ग्रलाटमेंट जमीन का 25 तारीख को होने वाला है। जिन लोगों को लोन के फार्म भरने थे उनको मालूम न होने से वे भटिण्डा ग्रादि जगहों पर कमाने-खाने के लिये चले गये। उनके नाम काट दिये गये हैं। मैंने सवेरे भी कहा था। उपनिवेशन मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि सूबेदार को जमीन बांटी जावेगी। जो ग्रोनरेरी लेफ्टीनेन्ट हैं, जिनके पेन्शन ग्रा रही है क्या वे लोग मुस्तसना रख दिये जावेंगे? फौजियों का तो ग्रापको विशेष ख्याल रखना चाहिये। हमेशा वे खड़े रहते हैं देश की चौकसी के लिये ग्रौर उसकी रक्षा के लिये।

तीसरी चीज इसी प्रकार से महाजन कौम है। जिनके बाप दादा काश्त करते ग्राये हैं। बीस-बीस साल से जमीनोंपर बैठे हुए हैं। किसी महाजन के चार

(श्री मोहरसिंह)

लड़के हैं। तीन व्यापार में चले गये और एक काश्त पर रह गया तो उसका अलॉटमेंट फार्म काट दिया। अलॉटमेंट के सिस्टम में जो इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करना चाहिये और उनकी अपीलों और वास्तविकताओं को ध्यान में रख कर ही अलॉटमेंट करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे 15 मिनिट का समय है।

इसके साथ साथ इधर माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने पहले भी कहा चन्दनमलजी वित्त मंत्रीजी साहब से, इन गरीब किसानों को जमीन देनी चाहिये। आप उस जमीन की कीमत 17 हजार से 34 हजार कर रहे हैं। डबल कर रहे हैं। वह किस प्रकार से जमीन लेगा, कैसे प्रकार से वह वहां पर आबाद होगा और पैदावार कर सकेगा? बहुत शोर-शराबे के बाद और पूरे प्रयत्न के बाद सिर्फ उन्होंने चवन्नी कम की यानी पौने दो गुना अब किसान को देना पड़ेगा उस जमीन की कीमत के एवज में। अर्थात् उसको 29।।। हजार रुपया देना पड़ेगा 17 हजार की जगह। एप्रोप्रियेशन बिल पास होने जावेगा उस समय किसानों के प्रति जो यह घोर अन्याय है उसका विरोध तो करेंगे ही और इस बात के लिये आपको रजामन्द कर लेंगे कि किसान के प्रति पूंजीवादी नीति को न अपनायें बल्कि समाजवादी नीति को अपनायें। किसान को भी जिन्दा रहने का हक है। आप हर तरह से उस पर टैक्सेज लगाकर उसकी कमर ही तोड़ देना चाहते हैं। एक मामूली किसान ने भी बहुत कम जमीन में चार क्विन्टल बाजरा पैदा कर दिया। आप उस पर इस प्रकार से टैक्सेज लगावें यह कहां की आपकी समाजवादी नीति है? मैं समझता था कि आपका दृष्टिकोण उच्चकोटि का है....

श्री मत्थासिंह (नदबई) : बड़ा लम्बा खींच रहे हैं। भरतपुर से आया हूं और मुझे भी बोलना है।

श्री मोहरसिंह : 15 मिनट का समय तो अध्यक्ष महोदय मुझे पहले ही अलाट करके गये हैं। उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आपका मुझे ख्याल है।

इसलिए इन सारे शब्दों के साथ मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि सिंचाई की रफ्तार को तेज किया जाये और साथ ही साथ जमीन की अलॉटमेंट की पकड़ है वह सामन्तवादी पकड़ नहीं होकर जनवादी पकड़ हो। आज हम इमर्जेन्सी का डर दिखाकर पीछे कदम उठा रहे हैं और हम अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। आपने कहा था कि हम अलाटमेंट करेंगे और नीलामी नहीं करेंगे लेकिन आप अपनी ही बात से पीछे जा रहे हैं। यह सारी चीजें किसान विरोधी हैं। इसलिए मैं तो इतने ही शब्दों के साथ कह देना चाहता हूं कि सिंचाई ज्यादा से ज्यादा इलाकों के अन्दर की जाये और जो उपेक्षित इलाके हैं, जहां से विरोधी सदस्य जीत कर आये हैं उनके साथ जो भेदभाव है उनकी तरफ विशेष नजर रखनी चाहिए। मैंने मेरे इलाके के बारे में दो-तीन बातें कही हैं सारे राजस्थान की सिंचाई की रफ्तार तेज की

(श्री मोहरसिंह)
जाये, जमीन का अलाटमेंट जनवादी दृष्टि-कोण से हो और टैक्सेशन से किसानों की गर्दन नहीं तोड़ी जाये, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, आज की डिमाण्ड्स के बारे में माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं। मैं भी मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनके बारे में हाउस में सुझाव के तौर पर निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, वैसे हमारी इरिगेशन की डिमाण्ड करोड़ों की डिमाण्ड है। एक महत्वपूर्ण विषय है। आज की डिमाण्ड पर भले ही समय ज्यादा लग जाये हमारे सभी माननीय सदस्यों को अधिक समय देना चाहिए और रात भी हो जाये तो भी इस डिमाण्ड को पास करना चाहिए। तो, सभापति महोदय, मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्थान सरकार ने सिंचाई के लिए कोशिश की है और सूखी भूमि में भी पानी देने का प्रयत्न किया है लेकिन अधिकतर कई योजनायें ऐसी हैं कि जहां धन का दुरुपयोग भी हो रहा है।

सभापति महोदय, माही डैम, जो बांसवाडा में बन रहा है, उसका 7 मई, 1960 में भारत के फाइनेन्स मिनिस्टर श्री मोरार जी देसाई द्वारा शिलान्यास किया गया था। आज उसको लगभग 16 साल हो गए। इन 16 सालों में बड़े-बड़े बंगले बन गये, कालोनी बन गयी, सड़कें बन गयीं। मैं मानता हूं कि सड़कों की आवश्यकता है, छोटी मोटी कालोनी की भी आवश्यकता है लेकिन जब तक हमारा डैम पूरा नहीं हो तब तक बड़े बड़े बंगलों की क्या आवश्यकता है? आज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन बड़े बड़े बंगले एयर कन्डीशन्ड बंगले वहां पर बन गये हैं। सभापति महोदय, उसमें धन का किस तरह से दुरुपयोग होता है मैं संक्षेप में आपके द्वारा निवेदन करूंगा।

माही डैम बांसवाड़ा में बन रहा है। उसकी कुछ करोड़ की योजना पहले थी और आज कई करोड़ की योजना वह बढ़ती गयी लेकिन काम इतना शिथिल चल रहा है जिससे लाखों रुपयों का दुरुपयोग हर साल होता है। सभापति महोदय, माही डैम में कई तरह की अनियमितताये भी हैं। छोटे बड़े कई तरह के कर्मचारी वहां काम करते हैं लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि जिन आदिवासी लोगों को वहां लगाया गया है वे घरों पर निजी काम करते हैं। आज कोई भी उच्च अधिकारी या एक्स० ई० एन०, ए० ई० एन०, ओवरसियर मनमाना काम कर सकता है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस माही डैम पर सही ढंग से काम कराना है और उसको जल्दी ही पूरा करना है तो आपको एक जन प्रतिनिधियों की कमेटी का निर्माण करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं यह कहूंगा कि सरासर सरकार के पैसों का दुरुपयोग होता रहेगा। सभापति महोदय, वहां पर कर्मचारी लोग काम करते हैं और मैं संख्या तो ठीक नहीं बता सकता हूं लेकिन जो कर्मचारी वहां काम करते हैं उनमें से लगभग एक हजार व्यक्ति तो

(श्री नाथूराम)
ऐसे होंगे माही डैम पर मस्टर रोल पर जिनकी हाजरी है और ओवरसियर, एक्स० ई० एन०, ए० ई० एन०, एल० डी० सी०, यू० डी० सी० और सभी अपने निजी कामों में आदिवासियों को रखते हैं और हर महीने वे लोग जाकर तनख्वाह ले आते हैं और डैम का एक इंच भी और एक पैसे का भी काम नहीं करते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इसके लिए जांच करायें। आज वहां पर ऐसे लोग भी हैं, एल० डी० सी०, यू० डी० सी० जिनका प्रमोशन होता है उनको ब्यास प्रोजेक्ट पर भेजा जाता है और जो स्थानीय लोग हैं उनको राजस्थान कैनाल पर भेजा जाता है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और जो उत्तर प्रदेश के और बाहर के लोग हैं उनको वहां माही डैम पर रखा जाता है। मैंने वहां यह भी देखा कि हजारों लोगों का मस्टर रोल हाजरी का तैयार किया जाता है और गलत पेमेन्ट किया जाता है और हर निर्माण कार्य में ठेकेदारों से पर्सेन्टेज लिया जाता हैं।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा एरिया के छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको राजस्थान कैनाल और ब्यास प्रोजेक्ट पर नहीं भेजना चाहिए और जिन लोगों को माही डेम से भेजा है वापिस उनका ट्रान्सफर उसी प्रोजेक्ट पर कर देना चाहिए नहीं तो मैं तो कहूंगा कि ज्यादातर पक्षपात, अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण से उनको वहां भेजा गया है। सभापति महोदय, इसके अलावा कई कर्मचारी ऐसे हैं कि जो आठ आठ और दस दस साल से वहां बैठे हुए हैं, 15 साल से बैठे हुए हैं उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया जाता है ? जो आदमी जम कर बैठते हैं वे घरेलू काम ज्यादा कराते हैं और डैम के काम का नुकसान होता है। इसी तरह से, सभापति महोदय, वहां और भी कर्मचारी हैं। जब तक सरकार द्वारा इसकी जांच नहीं होगी तब तक सही पैसा खर्च नहीं होगा। जहां माही और कड़ाना का पुनर्वास किया जाता है जिस तरह से मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पहाड़ियों में पुनर्वास करने से तमाम जंगलों को नष्ट कर दिया है और जंगलों के नष्ट होने से मिट्टी बह कर माही डेम में आयेगी। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि आप कड़ाना या माही डैम का पुनर्वास करें मगर जंगल नष्ट नहीं करायें। अगर ऐसा किया गया तो हमारा प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा। मैं हर साल यह बात कहता हूं लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है और करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग होता है। आज जहां जहां घने जंगल थे वहां पुनर्वास के लिए जंगलों को नष्ट करायें, पहाड़ियों को खत्म कर दिया तो न तो सिंचाई ही होगी और न आदिवासियों के लिए उत्पादन ही होगा। इसलिए कड़ाना का पुनर्वास गुजरात के कमान्ड एरिया में होना चाहिए नहीं तो हमारी जो स्कीम है और हमारा जो लक्ष्य है वह भी पूरा नहीं होगा।

सभापति महोदय, इसी तरह से जो माही डैम का निर्माण कार्य चल रहा है वह बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। अगर यह युद्ध स्तर पर कार्य नहीं चलेगा तो लाखों रुपयों का हर साल दुरुपयोग होगा।

120

(श्री नाथूराम)

इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जितनी भी रकम की आवश्यकता है उसके लिये राज्य सरकार को भारत सरकार से मांग करके युद्ध स्तर पर इस कार्य का निर्माण कराना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी यह बांध पूरा होवे, नहीं तो लाखों रुपया प्रशासन में खर्च होगा, लाखों रुपया टी० ए०, डी० ए० में खर्च होगा, लाखों रुपयों का दुरुपयोग होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि माही डैम में जो रुपया खर्च हो रहा है वह सही ढंग में खर्च होवे और जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य होना चाहिए। इसके अलावा मेन-डैम का श्रीगणेश अब हो रहा है। सभापति महोदय, आज 16 साल में अब मेन डैम का काम शुरू हुआ है और न मालूम कितने साल और लग जायेंगे। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि आपकी ऐसी बड़ी योजना है, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करके और मेन डैम का काम जल्दी पूरा करना चाहिए। यदि सरकार ने मेन डैम को जल्दी से जल्दी पूरा नहीं किया तो हर साल लाखों रुपयों का दुरुपयोग होगा और राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार का जो एग्रीमेन्ट हुआ है, मैं तो कहता हूं कि यह एग्रीमेंट भी बिल्कुल गलत हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कडाणा और माही डैम का जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जैसे पोंग डैम के बारे में राजस्थान और पंजाब सरकार के बीच में एग्रीमेन्ट हुआ है उसी तरह से इस एग्रीमेन्ट पर विचार करना चाहिए। जैसे कि पोंग डैम से राजस्थान पानी लेगा और राजस्थान कैनाल में जो कमांड एरिया में पहले से सवा तीन लाख एकड़ भूमि रिजर्व रखी है इसी तरह से गुजरात से माही डैम से पानी लेगा और कडाणा का फायदा भी गुजरात उठायेगा और माही डैम का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठा रही है। इसलिए इस एग्रीमेन्ट पर पुनर्विचार करना चाहिए कि राजस्थान जो गुजरात से रकम ले रहा है वह वापिस लौटानी पड़ेगी। नर्मदा का पानी कडाणा में मिलेगा और जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले अपना वक्तव्य दिया था, पहले बताया था कि जालोर और बाड़मेर में पानी देने की स्कीम है, मुझे डाउट है कि न तो जालोर और न बाड़मेर को पानी दे सकेंगे और हमारा लाखों करोड़ों रुपया इसके अन्दर खर्च हो जायेगा। मुझे डाउट इसलिए है कि 16 साल में माही डैम नहीं बन सका और कडाणा को गुजरात सरकार युद्ध स्तर पर पूरा कर रही है इसलिए एग्रीमेंट पर पुनर्विचार करके नर्मदा का पानी कडाणा में डालकर बाड़मेर और जालोर को पानी दें। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हजारों आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं इसलिए पुनर्वास कडाणा कमाण्ड एरिया में होना चाहिए। एक तरफ तो हम राजस्थान कैनाल में पंजाब वालों को बसा रहे हैं और गुजरात दोनों डैमों का फायदा उठायेगा और राजस्थान के आदिवासी गरीब, जो बर्षों से पिछड़े हुए है, इनको छोटी छोटी पहाड़ियों में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है। इसलिए गुजरात से भूमि मांग कर कमाण्ड एरिया में बसाना चाहिए। अगर वहां से जमीन मांगी गई और मिल गई तो

(श्री नाथूराम)

गुजरात के कई पाटीदार लोग बांसवाड़ा, जहां हाई ब्रीड काटन पैदा करते हैं, उधर जाने को तैयार हैं। जंगलों की जमीन इन आदिवासियों को दी जाएगी। तो वह गुजरात के पाटीदार लोगों को बदले की जमीन देने को तैयार हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात और केन्द्र सरकार से इस पुनर्वास के लिए विचार कर विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। और माही डैम में जो लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए जांच कमेटी बिठानी चाहिए। अगर सरकार जांच नहीं करवायेंगे तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी देश की प्रधान मंत्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम आज सरकार के सामने और जनता के सामने रखा है और उधर लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ तो फिर यह बीस सूत्री कार्यक्रम का कौन सा पालन सरकार करा रही है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान का और केन्द्र का करोड़ों रुपया खर्चा हो और वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जन प्रतिनिधियों की नहीं बनायेंगे तो यह बीस सूत्री कार्यक्रम का पालन नहीं होगा और गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पिछले समय भी सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस इमर्जेंसी के समय में जांच करवा कर बीस सूत्री कार्यक्रम का पालन करना चाहिए और इस माही डैम के लिए कमेटी का निर्माण करना चाहिए, यह मेरा आपसे, विशेष कर सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है। और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कम से कम इस माही डैम को सिंचाई मंत्रीजी को हर दो चार महीने में देखना चाहिए। अगर आपका दौरा वहां होता रहेगा तो जो यह करोड़ों का प्रोजेक्ट है उसकी कम से कम निगरानी रहेगी और इससे काम भी ठीक चलेगा और धन का दुरुपयोग भी नहीं होगा। सभापति महोदय, इसके द्वारा...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, और भी डिमाण्ड हैं अभी रात तक बैठेंगे और डिमाण्ड पास करके जायेंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मेरी सिंचाई विभाग के बारे में भी कुछ डिमाण्ड्स हैं जिसके बारे में मैं निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग के द्वारा छोटे बड़े कई तालाब वगैरह का निर्माण हुआ, सरकार ने दुष्काल में तालाबों का निर्माण कार्य कराया लेकिन कई तालाब बने भी और कई तालाब बाढ़ में नष्ट भी हुए। सभापति महोदय, बाढ़ से हुई क्षति के लिए सरकार ने हजारों-लाखों रुपया दिया लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि बांसवाड़ा जिले में कई तालाब के वेस्ट वियर नष्ट हुए और कई तालाब टूट गए। कई नहरें खत्म हो गईं और कई तालाब नष्ट हो गए लेकिन पता नहीं बाढ़ क्षेत्र के लिए जो पैसा आया वह कहां से आया और कहां खर्च हुआ, यह भी मालूम नहीं है। इसलिए जो तालाब नष्ट हुए हैं राज्य सरकार ने फण्ड दिया था वह पैसा देख कर जो तालाब टूटे हुए हैं या वेस्ट वियर वगैरह टूट गये हैं उनको पूरा कराना चाहिए, नहीं तो हजारों रुपया सरकार का

(श्री नाथूराम)

खर्चा हुआ वह वैसे ही चला जाएगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे बड़े कई तालाब ऐसे हैं जैसे पीडारमा का तालाब, उस पर लाखों रुपया खर्चा किया लेकिन एक एकड़ भी सिंचाई नहीं हो रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन जब तक सरकार इस बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये वहां पर माईनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट के लिए कोई कमेटी का निर्माण या बोर्ड कायम नहीं करेगी तब तक इस ट्राइबल एरिया में भविष्य में भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च होने वाला है उस रुपये का हर साल दुरुपयोग होता रहेगा। इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां इस पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट योजनाओं का कार्य होना चाहिए। जहां जहां सूखी जमीन पर लिफ्ट लगी है उत्पादन बढ़ा है। वहां पर प्रकृति की देन है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बारहों महीने नदी नालों में पानी बहता रहता है। जैसे माही नदी है, अनास, चाप, हीरन आदि नदियां हैं, जहां जहां लिफ्ट योजना है बढ़िया से बढ़िया हाई यील्ड गेहूं वहां पर होता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों को तो नष्ट करवाया, लेकिन उस पहाड़ी क्षेत्र में इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और अगर इन आदिवासियों का भला करना है, और इन आदिवासियों की गरीबी हटानी है एवं हमारे यहां बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करना है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो छोटी-मोटी नदियां बह रही हैं जिनमें बारहों महीने पानी बहता है वहां पर लिफ्ट योजना का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना चाहिए। अगर एक लिफ्ट इस साल आरम्भ हुई तो दो तीन साल में ही ज्यादा से ज्यादा उससे उत्पादन मिलता है, और गरीबों का जल्दी से जल्दी भला होता है। लिफ्ट योजना बनावें तो वह ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि केसरपुरा लिफ्ट योजना पर 14 लाख रुपया खर्चा हुआ लेकिन फण्ड बिना एक एकड़ भी सिंचाई नहीं हो सकी। इसी तरह से खरबेड़ा-बोरी, गढ़ी, माजिया की ऐसी लिफ्ट योजनाएं है जो सर्वेशुदा है वह निर्माण की जावें। ट्राइबल सब प्लान के अन्दर कर्मचारियों की सूची बन गई, अपाइन्टमेंट हो गए, टी. ए. डी. ए. चालू हो गए, चैयरमेन और कमिश्नर साहब के दौरे भी हो गए लेकिन ट्राइबल सब-प्लान की रकम हमारे इर्रिगेशन विभाग को नहीं दी। अगर योजनाओं के लिए धन दिया होता तो जो लिफ्ट योजनाएं अधूरी पड़ी हैं वे पूरी होतीं, ट्राइबल सब-प्लान के माध्यम से जहां आदिवासी रहते हैं, वहां पर कई योजनाएं चालु हुईं, लेकिन वे अधूरी पड़ी हैं। अब बिजली भी पहुंच गई है, इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इर्रिगेशन विभाग को ट्राइबल सब-प्लान के फण्ड से ज्यादा से ज्यादा सूखी जमीन पर लिफ्ट योजना के लिए फण्ड देना चाहिए ताकि वहां लिफ्ट बनें और जो खरबेड़ा-बोरी, गढ़ी, माजिया, छाजा, नोगांवों, सोबाला आदि की जो लिफ्टें प्रस्तावित हुई हैं उनका सर्वे वगैरह कराकर सिंचाई विभाग को भेजा है, उन लिफ्टों के लिए ट्राइबल फण्ड से पैसा देना चाहिए और इस सारे निर्माण का काम आरम्भ कर देना चाहिए तो मैं मानूंगा कि सरकार बीस सूत्री प्रोग्राम का पालन कर रही है, नहीं तो केवल प्रदर्शन

(श्री नाथूराम)

है और गरीब आदिवासियों का कोई भला नहीं होगा। इन आदिवासियों की गरीबी मिटाने के लिए इन लिफ्ट योजनाओं से सूखी जमीन को पानी मिलेगा तो आदिवासी रात-दिन महनत करके सूखी जमीन में अनाज पैदा करेंगे और अपनी गरीबी मिटायेंगे। सभापति महोदय, इसके साथ ही सूखा और पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर लिफ्ट योजना नहीं है, वहां के लिये मैं कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ट्यूब वैल्स खुदवाने की व्यवस्था करें। इसके लिए चाहे वे ट्राइबल प्लान से फण्ड लें या और कहीं से फंड लें लेकिन वहां पर अवश्य ही ट्यूब वैल्स खुदवाने की कृपा करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब किसानों को बड़ौदा बैंक या अन्य व्यवसायिक बैंक ऋण नहीं देता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

थोड़ा-सा समय और लूंगा सभापति महोदय। इस पहाड़ी क्षेत्र में ट्यूब वैल्स खुद जायेंगे तो वहां के गरीब आदिवासियों का भला होगा। भूमि विकास बैंक के लिए रकम मन्जूर हुई है। भूमि विकास बैंक छोटे-छोटे किसानों को कुए पर बिजली लगाने के लिए ऋण देता है। अधिक उत्पादन के लिये भी भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण देता है। भूमि विकास बैंक की बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा, गढ़ी, भूखिया और तलवाड़ा की स्कीम्स मन्जूर हो गई हैं परन्तु इस ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है और व्यवसायिक बैंक को स्कीम दे रही है जो इनके लिए ऋण देने को तैयार नहीं है। इससे गरीब लोगों को साधन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि ट्यूब वैल्स की आपकी जो स्कीम है उसको आप लागू करें और वहां के किसानों के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन न डालें। (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) किसानों पर और अधिक बजन न डालें। मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार एक निगम कायम करके उस निगम के द्वारा वहां पर ट्यूब वैल्स खुदवाये ताकि वहां के किसानों को आफिसरों के पास दफ्तरों में और बैंकों की सीढ़ियों पर न भटकना पड़े। निगम के द्वारा ये खुदवाये जायेंगे तो किसानों को सुविधा होगी। आशा है सरकार मेरे इस सुझाव पर ध्यान देगी और मंत्री महोदय के बिनेट से इस पर निर्णय लेकर कार्य आरम्भ करेंगे इस प्रकार हम हमारी प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू कर पायेंगे और सही मायने में गरीबी मिटाने की जो स्कीम है, वह लागू हो जायेगी।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले में अनास, चाप आदि कई नदियां हैं। इन पर जगह जगह पर लिफ्ट योजनाएं लग सकती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन नदियों का लिफ्ट योजना के लिए सर्वे हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है, वहां पर सर्वेक्षण करके लिफ्ट योजना बनायी जाये। कुछ नदियों के किनारे माही कमाण्ड एरिया नहीं है इसलिए जहां पर माही की नहरें नहीं जावें, वहां पर जल्दी से जल्दी लिफ्ट योजनाएं आपको आरम्भ कर देनी चाहिये।

सभापति महोदय, एक छोटा-सा सुझाव और है बिजली के बारे में।

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री नाथूराम : सिंचाई मंत्री जी बिजली मंत्री भी हैं, इसलिए निवेदन कर दूं ।

श्री सभापति : आज यह डिमाण्ड नहीं है ।

श्री नाथूराम : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं ।

बिजली की रेट पहले 13 पैसा प्रति यूनिट थी सिंचाई के लिए अब उसको बढ़ा कर 26 पैसा प्रति यूनिट कर दिया है और 6 पैसा ड्यूटी टैक्स अलग से है । इस तरह से कृषि के लिए बिजली पर 32 पैसा लगता है, जो मिनिमम चार्जेज हैं बिजली बोर्ड के, यह तमाम खर्चा भी किसानों पर डाला गया है, जो कि नहीं डालना चाहिये । पहले से इस तरह आप देखेंगे, सभापति महोदय, डबल रेट कर दी है । इसलिए इसको 13 पैसा यूनिट ही कर देना चाहिये तो किसानों को फायदा मिलेगा और जो तमाम खर्चा मरम्मत वगैरह का है, वह खर्चा बिजली विभाग को या गवर्नमेन्ट को वहन करना चाहिये । यह मेरा सुझाव है इसी तरह से सिंचाई की दरों में भी आप ने वृद्धि की है । इससे किसानों पर जबर्दस्त भार आ पड़ा है । एक तरफ हरित-क्रान्ति के लिए सरकार का नारा है, उत्पादन बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है । दूसरी ओर सरकार की तरफ से ही बिजली और सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई हैं, जो कि उचित नहीं ह । इसलिए, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से यह मांग करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर सरकार विचार करेगी और किसानों को राहत देगी ।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, ...

श्री नत्थासिंह : सभापति महोदय, भरतपुर के बारे में पहले मुझे कहने दीजिये । मैं गांवों में ज्यादा घूमता हूं ...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : इन्होंने तो आते ही नम्बर ले लिया । ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) । सभापति महोदय, मैंने सिंचाई विभाग की मांगों के सम्बन्ध में कट मोशन दिए हैं । मैं अधिक समय नहीं लूंगा । कुछ चन्द बातें ही निवेदन करना चाहूंगा । यहां पर सुबह से ही इस विभाग की मांगों के संबंध में बहस चल रही है । हमारे पूर्वी राजस्थान के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से यहां पर पूर्वी राजस्थान का नक्शा, चित्र पेश किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि सिंचाई मंत्रीजी, राजस्थान के सिंचाई मंत्री नहीं हैं, सिर्फ उदयपुर डिवीजन के सिंचाई मंत्री होकर रह गये हैं । लेकिन ऐसी बात की मैं इनसे उम्मीद करके नहीं चलता हूं । हमारे सिंचाई मंत्रीजी काफी कर्त्तव्यनिष्ठ हैं और उम्मीद करता हूं कि जो पहले के, पूर्ववर्तियों के काम हैं, उनको समाप्त करने की दिशा में कुछ कारगर कदम निश्चित रूप से उठावेंगे गोकुलचन्दजी कह रहे हैं—न्याय प्रिय हैं । न्यायप्रिय हैं तभी तो हमें उम्मीद है । हमारी तरफ निगाह कर लीजिए । खैर ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से दक्षिणी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राजस्थान में, लघु सिंचाई के बांधों का निर्माण अधिक मात्रा में किया जा सकता है और किया गया है, उसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान के अन्दर भी लघु सिंचाई के बांधों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जा सकता है और उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिस गति से जो कुछ बांध भी इस समय बन रहे हैं, जिनका काम चल रहा है, उनसे ऐसा लगता है कि सिंचाई विभाग का ध्यान या सिंचाई विभाग का कोई इन्ट्रेस्ट पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में जहां थोड़े बहुत एक-दो कार्य चल रहे हैं लघु सिंचाई के, उनकी तरफ नहीं हैं। विभाग का और माननीय मंत्री महोदय का भी यहां पर पार्शियल बिहेवियर है। मैं काफी परेशान होकर यह कह रहा हूं। काफी लोगों ने कहा है। आज जो मुख्य मंत्री महोदय हैं, वे जब राज्य के सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने मेरे यहां पर आज से छः वर्ष पहिले एक बांध का शिलान्यास किया था। परन्तु वह बांध आज तक पूरा नहीं हो पाया। मैंने काफी चिट्ठियां सिंचाई मंत्रीजी को लिखी हैं लेकिन मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। बजट में इस का प्रोविजन है। टेक्नीकल सेंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन है उसके बाद भी इस बांध का काम नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं मेरे खेत की जमीन को सिंचाई के लिए इस बांध के लिए राज्य सरकार से भीख मांग रहा हूं। जो हमारे सिंचाई मंत्री महोदय ने इस बांध का पत्थर रखा था, आज भी वैसा ही पड़ा है। उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। इसकी सेंक्शन नकली है, बजट में प्रावधान है, फिर भी यह बांध का काम पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन पैसा नहीं हो, ऐसी बात भी नहीं है। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया हो, ऐसी बात नहीं है। इसके बावजूद भी काम नहीं होता है तो मजबूर होकर हमें ऐसी बात यहां पर कहनी पड़ती है। हमारी इन बातों का यहां पर राजनैतिक अर्थ निकाला जाता है। यह कह दिया जाता है कि राजनैतिक भावना से ऐसी बात सदन में कही जाती है। राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर ऐसी बात नहीं कहते हैं। जब काम नहीं होता है तब मजबूर होकर हमें यह बात सदन में कहनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब श्री रामप्रसादजी लड्ढा सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने एक साल की सेंक्शन की थी उसको भी आज 9 वर्ष हो गये हैं। एक रुपया वहां पर नहीं लगा है। फिर भी 90 हजार रुपया वहां पर खर्च हो गया है। मैं जानना चाहता हूं इसके लिए कौन जिम्मेदार? Who is responsible ? 90 हजार रुपया इस प्रकार खर्च हो जायें, तो इसका पता लगाया जाना चाहिये। इन्क्वायरी होनी चाहिये। इसलिए, माननीय मन्त्री महोदय, आपकी परेशानी की वजह से आपको यह निवेदन करना पड़ता है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से समस्याओं के बारे में कह सकता हूं। कई बार व्यक्तिगत तौर से कहा भी है परन्तु कार्यवाही नहीं होती। इसलिए क्षेत्र की समस्याओं के बारे में यहां पर कहना पड़ता है ताकि रिकार्ड पर आ जावे कि विधान सभा में भी हमने अपने इलाके की बात को रखा था और उसके बाद भी हमारे काम आप नहीं करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। राजनैतिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में जीत कर आयें तो भी जनता की सेवा करेंगे और जीत कर न आये तो भी लेकिन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कीजिये और नहीं करना चाहते हैं तो मत करिये ।

पिछले साल भी मैंने निवेदन किया था कि टेल पर पानी पहुंचाने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? कमाण्ड एरिया आपने घोषित कर दिया और टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है । आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है टेल पर पानी पहुंचाने की । कमाण्ड एरिया घोषित करने के कारण जमीन के एलॉटमेंट करने में यह नौबत आती है, जमीन के रेग्युलेराइजेशन करने में यह नौबत आती है कि 900 रुपये बीघे के हिसाब से उनको देना पड़ता है । शिड्यूल्ड कास्टस शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को । फर्स्ट पार्वती बान्ध के कमाण्ड एरिया के अन्दर कम से कम 10-12 गांव ऐसे हैं जहां पर टेल पर पानी कतई नहीं पहुंचता है और आपने कमाण्ड एरिया घोषित कर रखा है । टेल के गांव हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सर्वे करायें और सर्वे कराने के बाद यह मालूम हो कि वहां पर पानी नहीं पहुंचता है तो कमाण्ड को अनकमाण्ड एरिया में ले आइये तो कम से कम दूसरे लोगों को, गरीब लोगों को जमीन दें तो उनको लाभ तो पहुंचे और 900 रुपया बीघे के उनको देना न पड़े । ऐसी मांग काफी सदस्यों ने उठाई है कि कमाण्ड एरिया घोषित हो चुका है लेकिन पानी नहीं पहुंचता है । इसके बारे में आप विचार करेंगे ।

मैंने पिछले साल भी आपसे निवेदन किया था कि आजकल लाठी का जोर है । बड़े बड़े काश्तकार लाठी के जोर से पानी को रोक लेते हैं और अपने खेतों में पानी ले जाते हैं, नहरों को काट देते हैं, तो उनके खिलाफ इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लेते हैं । मैं गंगानगर की बात नहीं करता हूं । मैं मेरे घर की, जयपुर जिले की बात करता हूं कि आपने कितनों का इस बारे में चालान किया । आप आंकड़े दें कि कितने लोगों का चालान किया और कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया । उत्तर प्रदेश के अन्दर, सभापतिजी, स्थिति क्या है कि उन्होंने कैनाल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हुए हैं । वहां पर मजाल है कि लोग नहर के हाथ लगा लें । वहां के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि नहर के हाथ लगा लें । तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपने इतनी पोस्टें भर रखी हैं और ऐसे पचासों अफसर आपके यहां पर बैठे हुए हैं कि जिनके पास में एक कागज का काम नहीं है, जो फालतू बैठे हुए हैं । आपको निश्चित रूप से इस बात की जानकारी है कि कितनी भर्ती हो गई है फैमिन के नाम पर और किसी नाम पर भर्ती हो गये हैं । 72 के फैमिन में भर्ती किये हुए अभी तक बैठे हुए हैं । हजारों को आपने रोक रखा है चाहे मानवीय आधार पर आप उनको नौकरी से अलग न करते हों लेकिन इससे फायदा क्या हुआ ? जो काम करने के थे वह रह गये और बिना बात की एक फौज आपने भर्ती कर ली जिनके पास कोई काम नहीं है । मैं निवेदन करूंगा और पिछले साल भी मैंने कहा है, ऐसा लगता है कि हम लोग सदन के अन्दर बोल कर चले जाते हैं । साल भर के खर्चे की जरूरत पड़ती है । हर विभाग को तो आप लोग अपनी मांग पेश करते हैं और हम बोलते चले जाते हैं और डिमाण्ड पास हो जाती है । लेकिन ऐसा महसूस किया जाता है कि जो माननीय सदस्य कॉन्क्रीट सुझाव देते हैं उनको शायद ही अमली

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जामा पहनाया जाता है, उन पर शायद ही कोई कार्यवाही की जाती है । जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, सुझाव की बात कहते हैं उसको आप महत्व नहीं देते हैं तो यह आपके सोचने की बात है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि फर्स्ट पार्वती बान्ध जो धौलपुर में है, सैकण्ड पार्वती जिसको कहते हैं वह खतरे में पड़ा हुआ है। पिछले साल भी वह खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया था और अन्डर डैम वाश आउट होने की स्थिति में आगया था रात-दिन आपके कर्मचारी वहां पर लगे रहे और बड़ी मुश्किल से उस बान्ध को बचा पाये । वह मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट है और 32 हजार एकड़ उसका कमाण्ड एरिया है। अगर वह वाश आउट हो जाता तो क्या स्थिति बनती ? धौलपुर तो तबाह ही होता लेकिन पास में उत्तर प्रदेश की दो तहसीलें तबाह हो जातीं । तो आपने कितने रुपयों का प्रोवीजन किया पार्वती बान्ध की रिपेयर के लिये और उसका इन्वेस्टीगेशन कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ? आप थोड़ा बहुत यदि मुनासिब समझें तो इस पर प्रकाश डाल दें । मैंने इस बारे में पूर्व में भी लिखकर भेजा था, और मुझे उम्मीद है कि आपके विभाग ने कोई कार्यवाही की होगी । इससे आपके हाथ मजबूत होंगे । भगवान न करे कि उस बान्ध को कुछ हो जाय और आपने एक्शन ले लिया तो आप बरी होंगे । पार्वती डैम की स्थिति बड़ी गम्भीर स्थिति है उस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी बात, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में है । लिफ्ट इर्रिगेशन के लिए चम्बल के पानी के लिए ऐसा सुनने के अन्दर आया है, सुनने की ही बात नहीं है मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने चम्बल के पानी की लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना बनाकर....

(4.45 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन को सबमिट कर दी है । अगर आपको मालूम हो, मुझे मालूम नहीं है, कि पहले जिनका क्लेम हो जाता है, जिनकी मन्जूरी हो जाती है तो बाद में उठा नहीं पाते हैं चाहे किसी भी रियासत में से वह नदी बहती हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लिफ्ट इर्रिगेशन के लिये आपकी क्या योजना है ? पिछले साल भी मैंने यह बात कही तो उसमें क्या प्रगति हुई है ? धौलपुर ही नहीं सवाई माधोपुर जिले को भी हमसे बहुत अधिक लाभ होने वाला है । चम्बल के अन्दर आज भी 12 महीने बहुत बड़ी तादाद में पानी बना रहता है और वह बरबाद जाता है । आप लियूट करते हैं तो किसी एक को फायदा होने वाला नहीं है ।

मैंने एक बात और आपसे पूर्व में निवेदन की थी, पिछले साल भी निवेदन किया था सैकण्ड पार्वती बान्ध के बारे में । सैकण्ड पार्वती का काम क्यों नहीं आप

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हाथ में लेना चाहते हैं ? यहां पर यह कहा गया है कि सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन ने ऐसे आदेश दिये हैं कि इन्टर स्टेट इरिगेशन की कोई योजना भविष्य के अन्दर हाथ में नहीं ली जाय । ऐसा एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने कहा....

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी बात नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर ऐसी बात नहीं है तो इसको हाथ में लेने के अन्दर क्या दिक्कत आती है ? आपने मेजा फीडर पर 8 करोड़ रुपया खर्च किया । 8 करोड़ नहीं तो 5 या 6 करोड़ खर्चा किया तो कितनी जमीन उसके कमाण्ड में आ गई ? कोई 4·5 हजार एकड़ । अगर इतना नहीं तो कितना कमांण्ड एरिया आ गया उसके तहत ? 8 करोड़ में 5 हजार बीघा और वह पानी भी आपको नहीं मिलने वाला है । तो आप ऐसे इरिगेशन के प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लेते हैं जिसमें पैसा कम लगता हो और अधिक एरिया सिंचित हो सकता है । आप ऐसा कह सकते हैं कि आप किसी भावना से कहते हैं । यह भावना से नहीं दर्द से कहते हैं । जब वह देखते हैं कि पोटेन्शियेलिटी जहां पर सिंचाई के साधनों की है उनको एक्स्प्लॉयट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं एक्स्प्लॉयट उन साधनों को, और दूसरे कन्सीडरेशनन्स, चाहे वह पोलिटिकल हों चाहे रीजनल कन्सीडरेशन्स हों, के आधार पर अगर दूसरी जगहों पर जाकर, जहां कि कम सोर्सेज उपलब्ध हों, काम करते हैं तो लोगों को दर्द होने का सवाल होता है । आप इन्साफ पसन्द आदमी हैं, भले आदमी हैं और व्यवहार भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन काम के बारे में तो कहना ही पड़ेगा । यह हमारी मजबूरी है । काम के लिए आपको कहना पड़ेगा और आपको चेताना पड़ेगा काम के लिए । अगर हम आपको नहीं चेताते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं । हमें काफी तकलीफ होती है कि जिन योजनाओं को हाथ में ले सकते हैं उन योजनाओं को हाथ में नहीं लेते हैं, और जिनको न ही लेना चाहिए उनको हाथ में लेते हैं । मैं कहता हूं कि क्या आपने मास्टर प्लान बना लिया ? उत्तर प्रदेश के हर जिले का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है । उस मास्टर प्लान के तहत आप योजनाबद्ध तरीके से कितने माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हाथ में लेने वाले हैं । आपकी प्रगति रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है । अगर रिपोर्ट में हो तो यह मालूम पड़ जाय कि आने वाले साल में आप इन योजनाओं को हाथ में लेने वाले हैं तो कहने की कुछ नौबत ही नहीं आये । तो वह चीज भी नही है ।

तो माननीय मंत्रीजी मैंने आपका ध्यान इन बातों की तरफ आकर्षित किया है सैकण्ड पार्वती की बात कहते हुए दूसरे विषय पर आ गया । सैकण्ड पार्वती नहर की बात 7-8 साल से चल रही है । मोहनलालजी सुखाड़िया जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस बांध की सर्वे के आदेश दिये लेकिन सर्वे का मालूम हुआ है कि सर्वे कम्पलीट नहीं हुआ है । मैं

Page No 129

(129)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

समझा नहीं कि 8 साल हो गये इस बात को। मैंने लिखा था, उस वक्त उस पर आदेश भी दिया। 18 साल पहले लिखा गया था। जल्दी जल्दी करने का प्रोविजन भी किया गया था। शायद 1 लाख का प्रोविजन किया था मैं यह निवेदन करूंगा कि सैकिण्ड पार्वती आपको लेनी चाहिये। यह कम पैसे में बांध बनाने जा रहे हैं। मैं आप से निवेदन करने जा रहा हूं कि जब तक आप सर्वे रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजेंगे तब तक कोई एक्शन लेने की सम्भावना नहीं है। जब 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीब तबके को उठाने की बात आप कहते हैं तो आपकी जो फिक्स प्राइस है 600/ 1,000 रु० बीघा अदा करेंगे तो यह क्या तरीका है। यहां उल्टा मामला है। पार्वती के काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर बैठ कर विचार करें और आदेश दें। साथ ही साथ जो लघु सिंचाई के बांध हैं। जब मन्त्री महोदय पधारे थे, तो शाहपुरा बांध के लिए फरमाया था कि दीपावली के बाद काम शुरू हो जायगा लेकिन आज भी काम शुरू नहीं हुआ है। मैं ज्यादा कड़े शब्द अपने दोस्त के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधानः अश्रव्य)

तो मैं निवेदन करूंगा, शाहपुरा बांध पर भी काम शुरू करायेंगे।

मैं यही अर्ज या गुजारिश कर सकता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 45 पर मेरे कटमोशन हैं। जैसा कि पूर्व में सदन में कई बार अर्ज कर चुका हूं, हमारी नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 20 सूत्री प्रोग्राम के द्वारा इस राष्ट्र को ऐसा प्रोग्राम दिया है जिससे कि वह हर अन्तिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति बनाना चाहती है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने विचार रखा है, और सभी ने महसूस किया है कि पहले आप माइनर और मीडियम सिंचाई योजनाओं को महत्व दीजिए। मेजर योजनाएं सेण्ट्रल पैमाने पर चल रही हैं। इस पर मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से कहूंगा कि राजस्थान का प्रोग्राम भी इस प्रकार से रखा जाय। मेरा निवेदन है कि मुझसे पूर्व वक्ता कई व्यक्ति कह चुके हैं, मैं भी आपके विभाग को निवेदन करना चाहता हूं आप नयी योजनाओं को देखते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजा महाराजाओं के समय के वर्षों पहले के छोटे छोटे तालाब और बांध मौजूद हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। यह तो आपके विभाग ने पंचायत समितियों को ट्रांसफर करने के नाम से छोड़ रखा है या और किसी नाम से। किन्तु इस कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ाइये। जैसे बूंदी का क्षेत्र है, जिस इलाके में माणिक्यलाल वर्मा ने आन्दोलन किया था जिसमें नानाजी ने स्वतन्त्रता के लिए गोली खाई थी उस इलाके का ख्याल कीजिए। वहां पर एक घोड़ा पछाड़ नदी है। लोगों ने उन बांधों को

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

तैयार किया था । वहां दीवार लगाकर बांध बनाकर वह सिंचाई करके मक्का पैदा करते हैं । रफ चावल पैदा करते हैं और दूसरी चीजें भी पैदा करते हैं । इस प्रकार से अपनी जीविका को चलाते हैं । इन नंगे भूखे आदमियों के पास देश की 28 साल की आजादी के बाद भी रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, लेकिन 28 साल की आजादी के बाद इरिगेशन विभाग की ओर से इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । उन पर आपने पैसा नहीं लगाया है । मैं समझता हूं कि आज से बढ़िया वक्त आ नहीं सकता है । इन नंगे भूखे व्यक्तियों, उस अन्तिम व्यक्ति, जिसको प्रधान मंत्री प्रथम व्यक्ति बनाना चाहती है, की तरफ ध्यान दें । छोटे छोटे बांधों को आप अपने हाथ में लें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय मन्त्री महोदय का....

एक माननीय सदस्य : डिमांड पारित नहीं हो जावें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब तक आज की डिमाण्ड पारित नहीं हो जायं तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक आज की डिमाण्ड पारित नहीं हो जायं, सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इलाके के आस-पास अभयपुरा जैसी जगह काफी प्रगतिशील प्रगति की है, काफी काम करवाया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी योजनाओं के बूंदी जिले के अन्दर कार्य कराये हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं बड़ी प्रगति के साथ काम चल रहा है । किन्तु इन योजनाओं के लिए पैसे की आवश्यकता है । अभी और ज्यादा पैसा दिया है । इस तरीके से इसको देखने की कोशिश करें ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया का लुकआउट कर सकें । मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रश्न के लिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मेरे जिले के अन्दर वर्ल्ड बैंक स्कीम चल रही है । वर्ल्ड बैंक ने अभी तक जो प्रगति की है, एक-एक बांध पर, एक-एक कैनाल पर तीन-तीन इन्जीनियर लगे हुए हैं कन्सट्रक्शन के अलग, पानी देने के अलग, ड्रेनेज के अलग हैं और केवल जीपों, स्टब्लिशमेंट और इक्विपमेंट पर ही सारा खर्च हो रहा है । इसके अलावा कोई काम कर नहीं पाये हैं । इसी झगड़े में इतना टाइम पास किया है । यह वर्ल्ड बैंक का भार किसी और पर पड़ने वाला नहीं है, किसानों पर पड़ने वाला है । पैसे का मिसयूज हुआ है तो यह किसकी गलती है ? इसमें लोकल पार्टीसिपेशन या जन प्रतिनिधियों का पार्टीसिपेशन बिल्कुल नहीं है । किसी एम० एल० एज० की एप्रोच नहीं है । क्या हो रहा है यह कुछ भी पता नहीं है । वर्ल्ड बैंक को कैसा पैटर्न तैयार करना चाहिए, जन प्रतिनिधियों का इसमें कोई सहयोग नहीं लेना चाहते हैं । इसका नतीजा यह है कि ऐसा हो रहा है । 5 साल से वह

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

योजना ज्यों की त्यों पड़ी हुई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ एरिया सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं । बिजली वाले इर्रिगेट करते हैं । चम्बल एरिया में इर्रिगेशन सर्वे नहीं हुआ है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह बूंदी गये थे, तब किसान आपके सामने आये । उनकी जो फसल खराब हुई है, उसमें 50% एरिया में पानी देने में असफल हैं । और फिर उस किसान का 80 रु० क्विन्टल अनाज बिकता है, उस पर इर्रिगेशन की रेट्स लगा दी जाती हैं. उनकी आप जमीन की कीमत बढ़ाते हैं । राजस्थान में कोटा और गंगानगर दो ही तो ऐसी जगह हैं जो ग्रेनरीज हैं, लेकिन उनको आप डेस्ट्राय कर रहे हैं । उधर उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्य मंत्री श्री नारायण प्रसाद तिवाड़ी मेरठ में ग्रेनरी की बात कर रहे हैं । इधर आपका जो सिस्टम है वह अश्योर्ड सिस्टम नहीं है, आपने उसका लाइनिंग नहीं किया । प्रधान मंत्रीजी कहती हैं कि एक बून्द पानी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए लेकिन आपने जगह-जगह खड्डे खोदकर छोड़ दिये हैं, कोई काम पूरा नहीं हुआ है, कहीं पर भी आपने लाइनिंग की परवाह नहीं की । फिर क्या अधिकार है आपको कि आप ड्रेनेज की बात करें । आज तक आप कोई भी काम मौके पर पूरा नहीं कर पाये हैं ।

दूसरा, मैं कोलोनाइजेशन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा । यह तो ठीक है कि राजस्थान कैनाल एरिया, जैसा कि बहुत से मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि काम की स्पीड बढ़ गई है और वहां पर काम तेजी से होने लगा है किन्तु जब बीस सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं, हमारे मन्त्री महोदय प्रगति की ओर बढ़ते हुए मन्त्री हैं, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बड़े-बड़े ऑफिसरों के लड़के और मालदार लोग राजस्थान कैनाल एरिया में बड़ी-बड़ी लैण्ड लेकर के बैठे हुए हैं उनके लिये आपने क्या किया ? वह बेचारा गरीब तो ठीक है, जिसका नाम आप लेना चाहते हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम के माफिक उसकी कीमत आपने 17 हजार से 34 हजार कर दी किन्तु जो बड़े-बड़े आदमी और आफिसर राजस्थान कैनाल के अन्दर बड़ी-बड़ी जमीनें लेकर के बैठे हुए हैं उनके लिये आपने क्या किया ? क्या आपका यही दृष्टिकोण है कि किसान को इस प्रकार से इर्रिगेशन में और जमीनों की कीमत में दोनों ही तरफ से काफी परेशान किया जाय ? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर टेल एरिया पर पानी नहीं पहुंचता है तो ट्यूब वैल्स की या दूसरी ऐसी स्कीम उनको दीजिये जिससे कि उनका इर्रिगेशन एश्योर्ड हो जाय । आज तक कई इलाके के अन्दर धौरा बन्दी नहीं हो सकती लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । आज तक वह इलाके उसी तरह से ऊबड़-खाबड़ तरीके से चल रहे हैं, जगह-जगह खड्डे खोद दिये गये हैं, फिर आप कहते हैं कि चम्बल के बहुत बड़े एरिया में इर्रिगेशन दिया है । इससे कितना पानी वेस्ट होता है और दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि लेफ्ट मेन कैनाल जो है उसकी योजना सवाई माधोपुर तक लाने की बात थी, उसकी आप पूरी सर्वे करवा सकते हैं, उसकी

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

लाइनिंग करवा सकते हैं, यह सब योजना सवाई माधोपुर तक लाने की आपने ताक में रख दी है। आप क्या विचार कर रहे हैं। आपका ड्रेनेज सिस्टम कब का ही कम्पलीट हो जाना चाहिए था। इन्जीनियर लोग प्लान बनाते हैं, कैनाल के बारे में तो सबसे पहले वे ड्रेनेज की सोचते हैं लेकिन यही सिस्टम है आपका जो, एज इट इज छोड़ दिया गया है।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूं कि इस तरह से जगह जगह कैनाल टूटती है, एक ही पॉइन्ट से बार-बार दस-दस बार टूटती है और उसकी वजह से पानी बन्द होता है तो काश्तकार बेचारा सफर करता है। दस-दस, बीस-बीस दिन तक कैनाल को बन्द किया है, इतना सफरेज होता है तो फिर आप डवलपमेन्ट के लिये क्यों कहते हैं कि इतने एकड़ेज में गन्ना कर सकते है, इतने एकड़ेज में चावल कर सकते हैं। आप एक तरह से काश्तकार का मर्डर कर रहे हैं। उसको आप प्रोपर सिस्टम दीजिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गंगानगर और चम्बल का जो सिस्टम है उसको आप कम्पेयर कीजिए कि दोनों सिस्टम्स में कितना फर्क है। मैं निवेदन करूंगा कालोनाइजेशन मंत्री महोदय से कि जो कि बॉर्डर के ऊपर कुलक्स और आफिसरों के लड़के जमीनें लेकर बैठे हुए हैं उनके बारे में कोई योजना है या गरीबों के लिए ही आप कीमत बढ़ा रहे हैं? अगर उनके लिये भी कोई योजना बनाई जाय तो समाजवाद की ओर कदम आगे बढ़ेगा।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापति महोदय, मैंने आज की मांगों के सम्बन्ध में एक कट मोशन मूव कर रखा है और वह इसलिए है कि करीब 12 साल पहले मेरे इलाके में एक बांध टूट गया और कई बार अर्ज करने के बाद भी अभी तक वह वैसा का वैसा ही टूटा हुआ पड़ा है। इस सदन में जब हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इरिगेशन की रेट बढ़ाने का एलॉन किया, इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई और होती जा रही है तो मुझे तो एक बात याद आती है कि एक बार एक गांव में आग लग गई। सारे गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे और बड़े परेशान थे। उस गांव में एक साधु रहता था। सब लोग इधर-उधर आग बुझाने के चक्कर में भाग रहे थे और परेशान थे लेकिन वह साधु, जिसके पास केवल एक गुदड़ी थी, बड़े मजे से और बिना किसी चिन्ता के अपनी जगह बैठा हुआ था, उसको बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी बल्कि उसके चेहरे पर हंसी खेल रही थी। लोगों ने उनसे पूछा कि आपको चिन्ता क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो फकीरी का मजा ही आज आया है। तो इरिगेशन की रेट्स तो बढ़ रही है, मेरे यहां दरअसल एक बांध था वह भी टूटा हुआ पड़ा है। अगर मेरे क्षेत्र में भी इरिगेशन का काम होता तो वही रेट देनी पड़ती। तो मेरी स्थिति तो उस साधु जैसी है। उस दृष्टि से मुझे सन्तोष हुआ कि वह बांध नहीं बंधा····

श्री औंकारलाल चौहान : आपका विचार है कि वह बांध नहीं बंधना चाहिए।

श्री सभापति : आप सुनिये और समझिये, उनको बोलने दीजिये। अपना-अपना दृष्टिकोण है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको सुनना चाहिए, मेरा मतलब यह नहीं है कि वह बांध नहीं बंधना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने कट मोशन पेश कर रखा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पहले मैंने कहा था तो पूनमचन्दजी बड़े नाराज हुए थे कि कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा है, आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर बहुत है। आप वहां पर ट्यूब वैल्स की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। हम यह नहीं कहते लेकिन सरकार की आंख किसी दिन तो खुलेगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहां जो बांध टूटा पड़ा है उसकी टैक्निकल सेन्क्शन आई थी। उसमें 4 लाख 81 हजार रुपये खर्च हो गये और यह ऐलान भी किया गया था कि टैक्निकल गलतियों से मेन स्कीम में सारा पैसा लेप्स हो गया था और उस योजना को बन्द कर दिया गया। इस साल भी कतई कोई काम नहीं हुआ। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसको मैं नहीं समझा। इसलिए मैं उस बात को दुबारा रिपीट कर रहा हूं कि महाशय, हम हरियाणा के पास रहने वाले हैं, हरियाणा की सारी बैल्ट तिजारा से लेकर बानसूर तक लगती है। वहां पानी है, बिजली है, सब कुछ है। लेकिन हमारा जिला उसके पड़ौस में लगा हुआ है, वहां कुछ नहीं है। लोग शिकायत करते हैं, आप असेम्बली मेम्बर हैं, आप बांध नहीं बनवा सकते। टैक्निकल मामला है, इंजीनियर से कहें तो वह कहते हैं कि टैक्निकली ठीक नहीं है। भले आदमी, दस साल पहले टैक्निकलिटी कहां चली गई थी? डिजाइन तैयार हो गया, उस पर रुपया लग गया। इस इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट में जितना वेस्टेज होता है, उतना किसी डिपार्टमेन्ट में नहीं होता है। सभापति महोदय, मैं हल्की बात नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं, मंत्री महोदय बड़े गहरे आदमी हैं, गम्भीर आदमी हैं। इनसे कहा जाय तो हां कहेंगे, ना भी कहेंगे। एक ओवरसियर के ट्रांसफर के लिए चार महीने तक कहता रहा। कहते रहे, गुप्ता साहब, जरूर हो जायगा। लेकिन चार महिने में एडजस्ट किया है, न जाने क्या हिसाब-किताब लगाया। उसमें चार महीने लग गये। ठीक मालूम नहीं होता, कैसे गम्भीर आदमी है। आम तौर पर जनता की शिकायत बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे एरिया को नेगलेक्ट किया जा रहा है। हमारे इलाके में नया काम नहीं हुआ है जब से आजादी आयी है, एक छोटा-मोटा बांध बना होगा। इर्रिगेशन का मामला जैसा चल रहा है, वैसा ही सड़क का चल रहा है। हमारा जो प्लान है, बीस सूत्री कार्यक्रम, उसमें साठ पर्सेन्ट इस विभाग पर खर्च हो रहा है लेकिन न सिंचाई की बात है, न सड़क की बात है। पचास कनेक्शन केवल दिये गये हैं। नये बांध का सवाल नहीं है। मैं तो बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय ध्यान देंगे, उन्हें मैं फिर याद दिला रहा हूं ताकि फिर मुकर न जाय। दो-तीन दिन पहले की बात थी, मुझ से बोले, अगले साल इस बजट में प्रोविजन नहीं रखा है।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

फिर भी मैं कोशिश करूंगा, किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, बात तो मालूम नहीं पड़ी···

श्री ओंकारलाल चौहान : मंत्री महोदय तो हैं नहीं, किसको सुना रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा है·······

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : परसरामजी बैठे हुए हैं। उप-नेता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं, बहुत बड़े गम्भीर मन्त्री हैं। परसराम जी बैठे हुए हैं, उप-नेता हैं। वह वक्त भी आयेगा जब सदन के नेता भी होंगे। मैं उनके सामने अर्ज कर रहा हूं। उनके सामने बात कहना बेकार नहीं है, यह बात मैं मानता हूं। यह भी मानता हूं कि आप गौर से सुनते हैं और कमेन्ट भी जोरदार करते हैं। जिस तरह की बात आप करते हैं वैसी हर एक मंत्री बात नहीं कर सकता। मैं भी मंत्री रहा हूं लेकिन वैसी बात कहना मेरे वश की बात भी नहीं थी। मैं निवेदन कर रहा था, जो हरसोली के बांध के बारे में निवेदन किया है, उसके बारे में मुझे आयन्दा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री उम्मेदीलाल।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : सभापति महोदय, जो सिंचाई पर बहस चल रही है मेरे हिण्डौन क्षेत्र में जगन बांध है, उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जगन बांध की नहर है उस नहर से सीपेज के कारण हजारों किसान, जिनके पास दो बीघा, चार बीघा, तीन बीघा, पांच बीघा खेत हैं, करीबन करीबन बहुत से किसानों की यह आपसे दुहाई है कि हर साल सीपेज में नुकसान होता है, फिर भी हमसे लगान लिया जाता है और सिंचाई दर भी ली जाती है, सिंचाई की लागत होती है वह भी ली जाती है। उस नहर के लिए मेरा ख्याल है कि सर्वे भी हो चुकी है, करीबन चार लाख, साढ़े चार लाख उसमें लगे हैं, इससे हमेशा हमेशा के लिये उन किसानों को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। सरकार को बार बार मैंने पिछले टाइम भी कहा था और वह आश्वासन दिया था माननीय मंत्री महोदय ने, हम अगली साल नहर को पक्का करवा देंगे। अभी तक मेरे ख्याल में, वहां किसान बरसात में मर गये, अब सीपेज में मर गये। अब सिंचाई की दर और बढ़ा दी। अब उनके पास न तो खाने के लिये व्यवस्था है, न पहनने के लिए। अब उनसे बढ़ी हुई सिंचाई की दर ली जाय और सिंचाई का लगान है वह तो लिया ही जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है, हुजूर, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि जगन बांध की नहर वह पक्की हो जाय। नम्बर एक, जगन नहर। धोरा नम्बर 437 एक गांव है, बंध का नगला ग्राम, पंचायत हुकमीखेड़ा, वहां पर साठ परिवारों की जमीन है वह तीन सौ बीघा है। उस जमीन पर बीज डाला है, उस तारीख से लेकर आज तक एक बूंद पानी का धोरा द्वारा नहीं दिया गया है। क्योंकि एक किसान ने जबरन ट्यूब वैल लगा दिया है उसके कारण धोरा से पानी नहीं जा सकता है इसके लिए एस० डी०ओ०, कलेक्टर

(श्री उम्मेदीलाल)

के यहां दौड़ भाग की लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। यह धोरा तुरन्त खुलवा दिया जाय तो भविष्य में सब जमीन को पानी मिल जायेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सीपेज में जमीन आयी है और जिनको पानी नहीं दिया है, सरकार उनकी सर्वे करके उनके लगान को माफ कर दे।

नम्बर दो, मेरी हिण्डौन तहसील में एक ग्राम पंचायत बक्षेड़ा है। उसके बारे में पिछली साल अर्ज की थी माननीय मंत्री महोदय को, एक पुराना बांध था, राजाओं के टाइम का बना हुआ था। पता नहीं कैसे टूटा, कब टूटा। वहां पानी की सतह चालीस फीट नीचे चली गई है। नीचे चली जाने के कारण कुए सूख गये हैं। अब कहने का मतलब है, आपने सर्वे करवाया है और सर्वे कराने के बाद आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसकी मंजूरी हुई है या नहीं हुई है, कहां से मंजूरी होगी, पंचायत समिति से होगी या राज्य सरकार से होगी—इस बारे में माननीय मंत्री बतायेंगे।

मेरे यहां गम्भीर नदी के बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। गम्भीर नदी के बारे में पिछली साल माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इस गम्भीर नदी का काम शीघ्र से शीघ्र चालू होगा। मेरे ख्याल में, मैं अर्ज करना चाहूं, उसका काम अभी तक बन्द पड़ा है, काम नहीं हुआ, न होने की आशा है क्योंकि पिछले साल यह कहा इस सदन के सामने कि एक करोड़ कुछ लाख···

एक माननीय सदस्य : 67 लाख!

श्री उम्मेदी लाल : 67 लाख या 30 लाख मंजूर हो चुके हैं और इसका काम बहुत जल्दी आरम्भ कर दिया जायगा। मेरे कहने का मतलब है गंगापुर तहसील नादौती दोनों तहसीलों में पंचायत समिति है, टोडा भीम महुआ का हिस्सा—यह पांच छः तहसीलों की जमीन सूखी पड़ी है। उस जमीन को पानी मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और जो किसानों के पास में दो बीघा, पांच बीघा धरती है, उन किसानों की डिमाण्ड है कि हमारे यहां नहर आये, नदी नाले पर बांध बन जाय। किसान आशा की नजर से आपकी तरफ देख रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं दुबारा माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री सभापति : श्री नत्थासिंह।

श्री नत्थासिंह (भरतपुर) : सभापति जी, आज सिंचाई विभाग के ऊपर अपने कटौती प्रस्ताव पर मैंने भी चर्चा करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है। सिंचाई मंत्री, बिजली मंत्री और सड़क मंत्री हैं, हमारे राजस्थान का पचास प्रतिशत बजट इनके पास है...

श्री ओंकारलाल चौहान : 60 पर्सेन्ट है।

श्री नत्थासिंह : मैं तो पचास से ज्यादा बता रहा हूं।

श्री ओंकारलाल चौहान : 60 पर्सेन्ट है।

श्री नत्थासिंह : मैं तो यह निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय के पास वह ताकत है कि वह सौ फीट, दो सौ फीट, तीन सौ फीट नीचे से पानी निकालकर हमारे काश्त-

(श्री उम्मेदी लाल)

कारों को दे सकता हैं। बारिश का कुदरती बारिश का पानी आता है, मैं जिले की बात बताऊं, भरतपुर में इतना पानी आता कि भरतपुर को तहस-नहस करके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाता है। इसलिए जब तक सिंचाई मंत्री योजनाबद्ध तरीके से यानी एक योजना नहीं बनायेंगे भरतपुर जिले के लिए और जो 20-00 या 10-25 फीट नीचे पानी है, वह सिंचाई के साधनों के जरिए ऊपर नहीं लायेंगे और जो बारिश का पानी बहकर आता है उसको न एकत्रित करेंगे तब तक भरतपुर जिले की हालत सुधरने वाली नहीं है। सिंचाई मंत्रीजी को मैं याद दिलाता हूं सन् 1972 की बाढ़, सन् 1975 की बाढ़ और उससे पहले वाली बाढ़ की। भरतपुर के जितने सिंचाई के साधन थे, नहरें थी, नलचियां थीं, वे सब की सब सिल्ट हो गईं यानें मिट्टी में भर गईं। मुझे बड़ा दुःख होता है कि गत वर्ष राजस्थान ने जो कर्जा लिया है विश्व बैंक से, उसके लिए मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं लेकिन जो भरतपुर बाढ़ की चपेट में आया, उस भरतपुर के लिए विश्व बैंक से पैसा आया और उसमें सिंचाई के लिए या बिजली के लिए और दूसरे कामों के लिए आपने प्रावधान बजट में नहीं रखा। मेरे क्षेत्र में खुरमपुर से पानी जाकर ऊचेरी, रूपादा आदि गावों में जा सकता है लेकिन खुरमपुर में नदबई क्षेत्र की नहर सिल्ट हो चुकी है उसमें 4-4 फीट रेता भर गया है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र की नहीं कह रहा हूं बल्कि भरतपुर जिले के बयाना, रूपवास, वैर और नदबई का कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में आया, जितने भी नाले हैं वे सिल्ट हो चुके हैं। मैं 1975 की बात आपको याद दिलाता हूं। मेरे क्षेत्र में एक जोगिया नाला है उससे दो-ढाई हजार बीघा जमीन पानी से भर गई। मैंने सिंचाई विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से निवेदन किया, मंत्री महोदय से निवेदन किया लेकिन उस दो-ढाई हजार बीघे का पानी नहीं निकलवाया। जो कृषि मंत्री श्री शिवचरण माथुर व राज्य मंत्री श्री गुलाबसिंह वहां पधारे तो उनसे भी निवेदन किया। सिंचाई मंत्री ने भरतपुर में एक अधिकारी भेजा उसके कपड़े, पेंट, जूते सब खराब हो गये और उन्होंने कुछ पैसा लगाकर हजार डेढ़ हजार बीघे का पानी निकाला। रूपवास पंचायत समिति में जितने बड़े बड़े गांव हैं वे आज भी कूड़े से भरे हुए हैं। ऐसे ही भरतपुर जिले में भरे हुए हैं। सन् 1972 की बाढ़ में पानी ने जो रास्ता सिल्ट कर दिया उसमें किसी प्रकार की योजना नहीं रखी है। मैं बयाना कस्बे का रहने वाला हूं, वहां 25 हजार की आबादी है शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 500-700 परिवार हैं

(5.25 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

गंभीरी नदी की बाढ़ से रास्ते सिल्ट हो गये। मैंने जिलाधीश से निवेदन किया वह 3-4 बार वहां पहुंचे और भी अधिकारी पहुंचे लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की शक्ल आज तक मैंने नहीं देखी। 1975 की बाढ़ में जो काम हुए हैं उनमें एस० ई० की शक्ल नहीं देखी है। हमारे इलाके में 1972 में भी काम हुए, सिंचाई विभाग के अधिकारी इतने बढ़िया थे। वहां के सिंचाई विभाग के एस० ई० सिंघल साहब थे, गांव गांव में घूमते, अच्छा काम किया लेकिन आज तक न तो हमने एक्स० ई० एन० न एस० ई० को देखा। चीफ

(श्री नत्था सिंह)

इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, वे वहां जाते हैं लेकिन कभी भी किसी विधायक को कोई बात नहीं बताते। कब जाते हैं और कब वापस आते हैं हम नहीं जानते। होना तो यह चाहिए कि कम से कम एक विधायक क्षेत्र में दो दिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों को देने चाहिए, हर विधायक से पूछना चाहिए कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या-क्या योजनायें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। लेकिन चीफ इंजीनियर डाक बंगले में बैठकर अच्छे-अच्छे हलवे पूरी खाकर वापस आते हैं। एस० ई० शक्ल नहीं दिखाते, एक्स०ई० एन० अपनी कोठी से निकलते नहीं। सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने कमरों में 20-20 हजार का फर्नीचर लगाते हैं, ये लोग सारा पैसा गोलमाल कर जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब की बार बाढ़ आई और भरतपुर में भी बाढ़ आई। राजस्थान को केन्द्र से ढाई- तीन करोड़ मिले लेकिन भरतपुर को 12 लाख रुपये ही दिए हैं। उसमें से 8-9 लाख तो जो सांडल में डेमेज हुआ है उसमें लगा दिए हैं। बाकी पैसे से क्या होगा भरतपुर जिले में? वहां तो बहुत पैसा चाहिए। इसलिए सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भरतपुर के लिए पैसा दिया जाता है उतना ही भरतपुर में लगाना चाहिए। बाकी बाढ़ का पैसा उदयपुर, बांसवाड़ा, जालोर और जोधपुर में लगा दिया, यह ठीक नहीं है। मैं अन्त में इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यदि आपने भरतपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर भरतपुर के सिल्ट हुए रास्ते, नदी, नाले व नहरों की योजना-बद्ध तरीके से खुदवाई नहीं की, बंधों को अच्छी तरह से नहीं बनवाया, तो भरतपुर हमेशा बरबाद होता रहेगा। क्योंकि कटौती प्रस्तावों पर बात चल रही थी, मैंने भी भरतपुर के लिए अपनी बात कह दी है, आशा है, सिंचाई मंत्री ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्री !

श्री रामगोपाल : कुछ सदस्य रह गए हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हमें भी तो कहने का मौका दीजिए।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : कटौती प्रस्ताव तो मेरे भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चंद्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने कटौती प्रस्तावों के बारे में निवेदन करना है। यह तो सत्य है कि गत 28 वर्षं में सिंचाई विभाग ने भागीरथी प्रयास किए हैं जिससे राजस्थान खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है। यह सही है कि राजस्थान में 6-7 बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो लघु सिंचाई योजनायें हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। इस बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी चर्चा की है कि राजस्थान में जो लघु सिंचाई योजनायें हैं उन पर इन बड़ी योजनाओं के बनिस्पत कम खर्चा किया जाता है, उसमें मेरा सुझाव है कि बड़ी योजनाओं पर जो पैसा खर्च होता है और देरी से काम होता है।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

उससे जो भी लाभ होता है वह देरी से लाभ होता है। छोटी योजनाओं के ऊपर अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आपका कम खर्चा लगता है और उससे आपको लाभ जल्दी से जल्दी मिल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को बड़ी योजनाओं के लिये एक साथ काफी रुपया खर्च करना पड़ता है, उसके बदले में अगर राज्य सरकार इन छोटी छोटी योजनाओं को अगर अपने हाथ में ले ले तो मैं समझता हूं कि इन बड़ी योजनाओं के जितना तो नहीं लेकिन कम खर्च में आप काफी लाभ जनता को पहुंचा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का लघु सिंचाई योजनाओं, जो कि सवाई माधोपुर जिले में कम पैसों में जल्दी तैयार हो सकती हैं, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को शायद याद होगा कि गत वर्ष इस सदन के अन्दर मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था, कि हमारे सवाई माधोपुर जिले में एक पाचना बान्ध है जिसकी कि सर्वे सन् 1957 में हो चुकी थी, जिसकी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी थी, उसके लिये यह आश्वासन दिया गया कि पाचना बान्ध को अगले वर्ष राज्य सरकार अपने हाथ में लेकर वहां पर काम शुरू करा देगी। उपाध्यक्ष महोदय, पर उस पाचना बान्ध का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पहले हमने गर्मियों में तो इस बात की चर्चा सुनी थी कि पाचना बान्ध के लिये राज्य सरकार द्वारा पैसा मिलेगा लेकिन बाद में बरसात आ जाने से मेरे खयाल से वह पैसा भी उसमें बह गया और आज तक वहां पर काम शुरू नहीं किया गया है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि पाचना बान्ध का काम इस वर्ष तो कम से कम आपको शुरू करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पाचना बान्ध ऐसा है जिसके बनजाने से सवाई माधोपुर जिले की कम से कम 5 तहसीलों को इससे फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारे गंगापुर में एक तालाब है जिसका सर्वे भी हो चुका है, सन् 69–70 में उसका एस्टीमेट भी बन गया और उसका एस्टीमेट उस वक्त ढाई लाख रुपये का बना था। उस पर उस वक्त डेढ़ लाख रुपया तो खर्च हुआ उसके बाद में पता नहीं किन्ही कारणों से उसका काम बन्द हो गया। उसके बाद में फिर उसकी रिवाइज्ड स्कीम बनी। वो साढ़े तीन लाख रुपये की बनी उपाध्यक्ष महोदय, उस तालाब के ऊपर राज्य सरकार ने डेढ़ लाख खर्च कर दिया और अब उस पर काम शुरू नहीं होने से वह अधूरा पड़ा हुआ है। उसकी हालत ऐसी है कि वह न घर का रहा न घाट का। इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह विशेष रूप से निवेदन है कि कम से कम इस तालाब को पूरा कराने की ओर ध्यान दिया जाय। इसमें कम पैसा लगने से काफी लोगों को लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार और भी कई छोटे छोटे तालाब हैं जिन पर हजारों रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन वह पूरे नहीं हुए हैं और वह मामले पैंडिंग पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम डाव में बनखेड़ा नदी पर जो सिंचाई विभाग द्वारा काम कराया जाता है उसको भी जल्दी से जल्दी

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)
पूरा कराया जाना चाहिये ताकि इससे जनता को फायदा मिले ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही लालसोट तहसील के अन्दर एक सिन्थोली का नाला है वह बरसात में इतने जोर से बहता है कि उसका पानी बहता बहता सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील के कई गांवों में आ जाता है और उससे इतना पानी बहता आता है जिससे सारी बामनबास तहसील के गांव पानी की डूब में आ जाते हैं और वहां जो फसल होती है वह उस पानी की वजह से सारी चौपट हो जाती है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर इतना तो जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि उस सिन्थोली बान्ध को अगर आप बनवा दें तो काफी सिंचाई उससे हो सकेगी और जो हमेशा बामनवास तहसील के गांवों की फसल चौपट हो जाती है वह बन्द हो जायेगी और उससे काफी सिंचाई हो सकेगी । अब की वार बरसात की वजह से सवाई माधोपुर जिले में जो बाढ़ आयी थी उसमें समय पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जो बान्ध टूट गये थे, उन्हें ठीक कराया उसके लिये मैं सिंचाई विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं । क्योंकि सिंचाई विभाग ने मौके के ऊपर जल्दी ही उन बान्धों की मरम्मत करा कर उसके पानी से सिंचाई कराई जिससे कि काफी राहत हमें मिली । इसलिये अन्त में सिंचाई विभाग को इसके बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा । बस मुझे इतना ही करना है निवेदन ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गौरीशंकर मुनीम !

श्री गौरीशंकर मुनीम : (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ जिले में जो भीमसागर बान्ध है और हरिश्चन्द्र बान्ध है उनके संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भीमसागर बान्ध की योजना बने काफी साल हो गये लेकिन आज तक वह पूरा नहीं हो पा रहा है । मैं भी, उपाध्यक्ष महोदय, आज चार साल से लगातार सदन में भी मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं । और मुझे यहां सदन में हमेशा यही आश्वासन दिया जाता है कि इस साल इस बान्ध का कार्य पूरा करवा देंगे, कभी कहते है अब की बार काम शुरू करवा देंगे, लेकिन आज तक वहां पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है । जो स्कीम दो ढाई करोड़ से शुरू हुई थी वह आज साढे पांच करोड़ रुपये की बन गयी है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है । और गवर्नमेन्ट के इसका सर्वे कराने और इसकी स्कीम बनाने के अन्दर लाखों रुपये खर्च हो गये और सरकार को अभी तक उन लाखों का, रुपये का एक पैसा का भी रिटर्न नहीं मिल सका । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को अगर इसे पूरा नहीं करना है तो इस स्कीम को ड्राप ही कर देना चाहिये । क्योंकि हर साल इसका बजट एस्टीमेट बनता है कभी तीन करोड़, कभी चार करोड़ और कभी पांच करोड़ । तो इस प्रकार जो स्कीम बनती जायेगी और उस पर काम कुछ नहीं होने वाला है । लेकिन मैं तो आपको सिर्फ इतना ही

(श्री गौरीशंकर मुनीम)
निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बांध के ऊपर अगर पचास लाख रुपये इस साल खर्च कर दे तो काफी काम हो सकता है क्योंकि उसकी नीवें तो भरी हुई हैं ही, आप थोड़ा उसको ऊपर उठा लेवें तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भर सकता है जिससे कि वहां सिंचाई का काम शुरू हो सकता है, अन्यथा तो आपने जो लाखों रुपये खर्च किये हैं वह सभी बेकार हैं। यह पचास लाख रुपये तो कोई बड़ी बात आपके लिये है नहीं। अगर आप 50 लाख रुपया खर्च करेंगे तो उससे 20 हजार बीघा जमीन तक की सिंचाई वहां पर हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम को हाथ में ले रही है और गरीबों को राहत देना चाहती है। अगर राज्य सरकार वहां पर सिर्फ 50 लाख रुपये ही खर्च कर दे तो काफी बड़ी राहत इन गरीबों को मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पांच करोड़ आपसे खर्च होने वाला है नहीं, और वहां की जनता को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिश्चन्द्र सागर बांध है उसकी स्कीम भी बन चुकी है पर अभी तक उसका भी काम शुरू नहीं कराया जा रहा है। उसका सर्वे भी हो चुका है। स्कीम भी एग्जामिन हो चुकी है पर आपने अभी इतने साल हो गये, शुरू नहीं करवाया है। उपाध्यक्ष महोदय, अठारह वर्ष से ज्यादा हो गये हैं, आपने स्कीम बना दी पर आप काम शुरू नहीं कर रहे हैं। आखिर यह कहां तक न्यायसंगत है? आप बतला दें। आप वहां पर खेती करने वालों से लगान ज्यादा वसूल कर रहे हैं पर उन्हे सिंचाई के लिये पानी नहीं दे पा रहे हैं सिर्फ एक वर्ष पानी दिया है और लगान आठ वर्ष से ले रहे हैं। आखिर यह कहां का न्याय है?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ जिले में जो किसान हैं, इन्हीं दो बांधों के शुरू नहीं होने पर वे बेचारे गरीब ज्यादा लगान दे रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें आप पानी के लगान की माफी दें ताकि उन गरीबों को राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी एक-दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ में बहुत-सी नदियां हैं जहां पर आप छोटे छोटे बांध बना सकते हैं जिससे वहां अच्छी खेती हो सकती है। जब आप 20 सूत्री कार्यक्रम पर अमल करने जा ही रहे हैं, गरीबों को आप राहत देना चाहते हैं तो फिर आप हमारे यहां पर गरीबों को राहत क्यों नहीं देते? इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे झालावाड़ जिले में जो भीमसागर, हरिश्चन्द्र बांध हैं तथा और भी छोटे छोटे तालाब हैं उन्हें बनवाकर सिंचाई का कार्य प्रारम्भ करावें तो जनता को काफी राहत मिल सकती है और आपका अनाज का उत्पादन भी बढ़ जायेगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खानपुर निर्वाचन क्षेत्र, जहां से

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

कि मैं आया हूं, मैं आज चार साल हो गये, मैं सदन में बार-बार बान्ध व तालाब बनाने के लिये कहता हूं पर वहां पर आज तक किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो सका है। आखिर हम वहां से चुनकर आते हैं जब हम वहां जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं हम उनको क्या जवाब दें? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि झालावाड़ आपर में बरसात के दिनों में काली सिन्ध नदी का पानी शहर में आ जाता है। उससे जनता का काफी नुकसान हो जाता है। जानवर बह जाते हैं इसका कारण यह है कि झालावाड़ से गागरोन 4 मील है वहां पर दो नदियां मिली हैं एक तो काली सिन्ध, दूसरी आहू नदी। गागरोन के पास बलींडा घाट है वह ऐसी जगह आ गई है कि दोनों तरफ पहाड़ हैं और इन दोनों नदियों का पानी उन पहाड़ों के बीच में होकर निकलता है और पहाड़ों की चौड़ाई कम होने से पानी रुक जाता है। वह पानी झालावाड़ आपर में यानी शहर में आ जाता है। ठीक, दो साल में जब भी बाढ़ आती है सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इस विषय में मेरा यह सुझाव है कि बलींडा घाट में दोनों तरफ के पहाड़ों को तुड़वा दिया जावे तो फिर बाढ़ का पानी नहीं रुकेगा और सरकार को व जनता को नुकसान नहीं होगा। इन दोनों तरफ के पहाड़ों को तुड़वाने में ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार को चाहिये कि इस ओर ध्यान दे। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसको नोट कर लें। यह बहुत ही जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मैं एक दो मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

बस अन्त में मैं यही निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन्हें जल्दी से जल्दी राज्य सरकार पूरा करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक-दो मिनट में ही निवेदन कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां पर जहां राज्य सरकार ने बड़ी बड़ी योजनायें बनायी हैं पता नहीं कहां कहां से गंगा का पानी और नर्बदा का पानी लाकर सिंचाई करने की बात करते हैं। आज राजस्थान के बाहर से पानी लाकर सिंचाई की बात करते हैं। आज इतना रुपया इन बड़ी बड़ी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। अभी तक यह योजनायें शुरू नहीं हुई हैं और इनमें समय भी अधिक लग सकता है। राजस्थान के अन्दर आबू से चलकर बनास खन्डार तक जाती है। करीब 288 टी० एम० सी० जल की क्षमता का प्राकृतिक अवरोधों के कारण उपयोग नहीं किया जा सकता है और वही आगे चल कर चम्बल के अन्दर चला जाता है वह बेकार जाता है। तो मंत्री महोदय से हर साल निवेदन किया जाता था बनास योजना के लिये। योजना मंत्री ने मौका भी देख लिया, बजट में आपने कई दफा स्वीकार भी किया

(श्री अजीतसिंह)
लेकिन समझ में नहीं आता है उपयोगी योजना के लिये क्यों नहीं कदम उठाना चाहते हैं ? इसके साथ जो प्रशासन है, उसकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि बजट में जो मांग रखी है वह तो पास करवायेंगे ही लेकिन मेरी , समझ में नहीं आता है जो योजनाएं बजट में स्वीकृत होकर आ जाती हैं फिर पता नहीं आपका विभाग कब उस योजना को घुमा देता है, इसका पता ही नहीं चलता है। कितने पैसे किस किस योजना में खर्च होते हैं और किस-किस योजना में खर्च नहीं होते हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है। आखिर जन-प्रतिनिधि होने के नाते हमको पता तो चलना ही चाहिये कि कितने पैसे अलॉट किये है और कितनी योजना स्वीकृत हुई हैं। बजट में तो योजना स्वीकृत हो जाती है फिर भी उस योजना पर काम नहीं होता है। उसका ज्ञान तो जन-प्रतिनिधि को होना चाहिये।

दूसरे आप दिसम्बर, जनवरी में बजट अलाट करते है। तीन महीने में उसकी पूर्ति करना चाहते है तो, जो आपका पैसा लगता है उसका सही उपयोग नहीं होता है। या तो लैप्स हो जाता है या फिर उसका दुरुपयोग होता है। जो पैसा आपका खर्च हो उसके लिये मेरा निवेदन है कि आप उसकी एफिसिऐन्सी पर भी ध्यान दें। आपके पैसे का सही उपयोग होता नहीं है आखिर जब बजट मिलता है तब काम शुरू होता है। तो मैं चाहता हूं बजट का अलाटमेंट जल्दी होना चाहिये। कितना पैसा किस किस योजना में स्वीकृत हुआ है और क्या क्या काम उसके अन्दर करने हैं, इसका ज्ञान हमें अवश्य मिलना चाहिये।

तीसरे, अब आप दोनों मंत्री विराजमान हैं, राजस्व मंत्रीजी आपके पास हमारे छोटे छोटे बान्ध हैं, बड़े बड़े आपके पास हैं लेकिन होता क्या है बड़े बान्ध हैं, राजस्व विभाग पैसा ले लेता है और एक ही खेत के दो रेट्स चार्ज कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इस सबको इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दें तो ठीक से हिसाब हो जाय। पहले एक पानी का पैसा लगता था-एक पानी का पैसा वे लेते हैं और एक पानी का पैसा आप लेते हैं, उसके बाद बड़े बान्ध के पानी का लेते थे तो तीन प्रकार की रेट्स हो जाती हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपकी जो सारी जिम्मेदारी है उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट को हेण्ड ओवर कर दें और इरिगेशन डिपार्टमेंट सारे पानी की व्यवस्था करे तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। जो आपने पंचायत समितियों को बान्ध दे रखे हैं, वे सम्भाल नहीं सकती है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया सरकार का बेकार जाता है और जो बान्ध फैमीन में बनाये गये थे, उसका भी उपयोग नहीं हो पाया है। मैंने कई बार निवेदन किया कि टोंक का बान्ध मोरियों के अभाव में बेकार पड़ा है। एक नहर भी उस साइट पर नहीं बनी है। मैं निवेदन करूंगा, आखिर आपके आर्डर की तामील क्यों नहीं होती है। दुनिया भर में बजट पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है लेकिन फिर भी काम नहीं होता है।

माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां फ्लड में 25 लाख का नुकसान हुआ, आपने 4 लाख दिये। यह कोई बनिये

(श्री अजीतसिंह)

की दुकान तो नहीं है कि मांगें क्या और दे दिया जाय क्या। नहरों की मरम्मत, तालाबों की मरम्मत अगर कम पैसों में करवायेंगे तो फिर टूट जाती हैं और हर बार टूट जाती हैं। इससे आपका जो लगा हुआ पैसा है, वह भी बरबाद जाता है। फिर आप कह देते हैं बजट अलाटमेंट नही हुआ। तो होता क्या है एक जगह नहर टूटी और टूट कर जगह जगह उसके टुकड़े हो जाते हैं। उस नहर के लिये अगर पहले से पक्की व्यवस्था कर दें तो आपका लगा हुआ पैसा भी काम आयेगा। इसलिये मेरा निवेदन है इस तरह आप करोड़ों रुपया वेस्ट करते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आपका विभाग टाइम पर पैसा अलॉट नहीं कर पाता है और जितना पैसा अलाट करना चाहिये उतना नहीं कर पाते है। इसलिये यह हालत हो जाती है। इसी तरह बरसात में जो इरिगेशन के पटवारी होते हैं उनकी क्यों नहीं आप जिम्मेदारी ठहरा देते हैं कि वे मौके पर रहें। एक मामूली आदमी रख देते हैं, वह कुछ कर नहीं पाता है और लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के नीचे के जो ऑफिसर है, वे वहां मौके पर रहें, ताकि समय पर कुछ कर सकें। मैं निवेदन करूंगा बरसात के बाद काफी नुकसान हुआ है। बजट सेंक्शन होता है लेकिन समय पर पानी मिलता नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप डिपार्टमेंट की तरफ भी ज्यादा ध्यान दें कि समय पर सब चीजें उपलब्ध करावें। बस मेरा इतना ही मंत्रीजी से निवेदन करना है

श्री उपाध्यक्ष: श्री विश्वम्भर नाथ जोशी।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी (बान्दीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, कटमोशन संख्या 119 व 120, जो कि मांग संख्या 45 पर है, को मैं सदन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। 119 के कटमोशन के विषय में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि एक बात अक्सर मैं इस सदन में पहले भी पेश कर चुका हूं, खेद है मुझे फिर कहना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय; सरकार की जिम्मेदारी राजस्थान के विभिन्न भागों का एक समग्र रुप से विकास करने की है। सबके साथ एक-सा बर्ताव हो और न्यायपूर्ण हो, यह सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं हमारे मंत्रीजी इस बात से वाकिफ हैं कि पूर्वी राजस्थान की सोइल फर्टाइल है और अगर वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दें तो काफी पैदावार बढ़ सकती है और उसके साथ राज्य सरकार की आमदनी भी बढ़ सकती है और राज्य सरकार के साथ किसानों की आमदनी भी बढ सकती है। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि जिस क्षेत्र में एक प्रकार से सिंचाई के लिये सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिये रिटर्न के हिसाब से, वह नहीं किया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन के जो डाइरेक्टिव्ज है शार्ट टर्म में पैसा लगाने पर हमें मेक्सिमम रिटर्न मिल सके, और यह जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट वहां किया जाय लेकिन वह इन्वेस्टमेंट वहां न किया जाकर ऐसे इलाके में किया जा रहा है जहां से रिटर्न सरकार को नहीं मिलती है।

मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र है, जो राजस्थान सरकार के खजाने को एक रुपये में आठ आने से ज्यादा

(विश्वम्भरनाथ जोशी)

रिटर्न देते हैं 50 पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन है वह ईस्टर्न राजस्थान का है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उस क्षेत्र की सिंचाई के बारे में इतनी उपेक्षा हुई है......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या दो राजस्थान है, एक पूर्वी राजस्थान और दूसरा पश्चिमी राजस्थान ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप समझने की कोशिश कीजिये। मेरे खयाल से भूगोल आपने तीसरी क्लास में पढ़ ली होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सबसे ज्यादा बदकिस्मती मेरी यह है कि मैंने भूगोल को नहीं पढ़ा; राजस्थान को पढ़ा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने यही कहा है कि सरकार का फर्ज है कि राजस्थान का समग्र विकास एक साथ करना चाहिये। आज आप क्योंकि बेनिफिशियरी स्टेज पर है इसलिये आपको यह बात अखरती है। यहां पर आपकी सारी प्रगतिशीलता काफूर हो जाती है और आप उस दलदल में फिसल जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके क्षेत्र के लिये मैं आपसे ज्यादा बोलता हूं। माननीय जोशीजी प्रोसीडिंग पढ़ने का कष्ट कीजिये। तालियां तो शादी में ज्यादा बजती हैं। मैं आपके क्षेत्र की ज्यादा बात करता हूं। मैं सारे देश को एक देश मानता हूं। मेरे लिये न पूर्वी राजस्थान है, न पश्चिमी राजस्थान है। यह आपकी किताब में ही लिखा है पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्षजी, मैं यह कह रहा था कि असलियत में पूर्वी राजस्थान में बहुत अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की संभावना हैं लेकिन वहां पर एक भी कोई योजना हाथ में नहीं ली गयी है। ऐसा ही करना था तो हर पंचायत क्षेत्र में ट्यूब वैल का जाल फैला देते और उस जमीन में सिंचाई के लिये पानी देते। यह मसला भारत सरकार के सामने था। उस समय बिजली नहीं पहुंच पायी थी। अब जब कि बिजली पहुंच गयी है तो इसको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। हमारी ओर से पूरे जोर से मांग करने पर भी आपने कोई कदम नहीं उठाये। हमारी जो आज इरिगेशन की योजनायें हैं बड़ी-बड़ी उनसे रिटर्न नहीं आ रहा है जबकि उन पर अरबों खरबों का इन्वेस्टमेन्ट हो चुका है। हम जब आपको कहते हैं तो आप कहते हैं कि हम असेट्स बिल्ट कर रहे हैं। सन् 1952 से कह रहे हैं कि असेट्स बिल्ड कर रहे हैं। जो असेट्स बिल्ड किये जा रहे हैं उनका आज हम देख रहे हैं कि पूअर रिटर्न मिल रहा है और मेन्टीनेन्स का खर्चा भी उनसे नहीं निकल पाता है। इरिगेशन रेट्स को बार-बार कम कर दें तो इन्ट्रेस्ट भी उनसे उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से आप राजस्थान की इकोनोमी को बिगाड़ रहे हैं, अपनी गलत नीतियों की दृष्टि से। मैं समझता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी इस ओर अपना ध्यान देंगे।

मैंने अपने कटमोशन में क्षेत्रीय असंतुलन के संबंध में कहा है। पिछली दो दशाब्दियों से असंतुलन चल रहा है। एक बेरिया ग्राम के सोना नदी में मिलने वाले

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)
नाले पर लघु सिचाई के सम्बन्ध में बांध का निर्णय किया था। सर्वे होने के बाद उसकी स्वीकृति भी हो गयी। शिलान्यास भी तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी श्री सुखाड़िया जी ने कर दिया। किसानों ने यह आशायें बांधी कि इतना छोटा सा काम तो सिचाई मंत्रीजी से हो सकता है। वहां पर एक छोटा सा काम शुरू किया गया। कुछ प्रारम्भिक वर्ष में जो इन्वेस्ट-मेन्ट वहां पर हुआ, वह ओवरसियर के क्वॉर्टर्स, बिल्डिंग और एस्टेब्लिशमेन्ट पर कर दिया और आज तीन साल से वहां पर वर्क स्थगित पड़ा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन ने यह डाइरेक्शन दिया है कि जो कार्य पूर्ण होने के नजदीक आ रहे हैं वहां पर अधिक इन्वेस्टमेन्ट कर दें ताकि वहां से रिटर्न अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके और जिन कामों में शुरुआत हुई है उनको एक दो साल के लिये रोक दिया जाय तो बाद में उसके लिये अधिक धनराशि दे सकेंगे। यह भी कहा गया कि अब प्रावधान कर रहे हैं उससे दुगुनी, तिगुनी राशि देकर उनको कर देंगे। उपाध्यक्षजी, हर साल इस कार्य के लिये कहा जाता है कि इस साल ले लेंगे और फिर कह दिया जाता है कि अगले साल ले लेंगे। सिचाई मंत्रीजी मेरे मित्र हैं, कम से कम तीन साल से उनसे कह रहा हूं लेकिन हर साल आश्वासन भी दे देते हैं और कह देते हैं कि नवम्बर, दिसम्बर, फरवरी तक करवा देंगे। भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया। इस प्रकार की कई कठिनाइयां बतलाते रहते हैं। इस प्रकार से राज्य सरकार की पालिसी को मैं नहीं समझ पाया क्योंकि जो वहां पर इन्वेस्टमेन्ट किया गया है वह बेकार जा रहा है। इसकी आव-श्यकता को महसूस करते हुए भी काम शुरू नहीं कर रहे हैं और तीन साल से स्थगित कर रखा है। बावजूद सदन में कई बार आश्वासन देने के यह काम शुरू नहीं किया गया है। अब कृपया कम से कम इसके लिए बतायें कि इसको कब करवा रहे हैं? इस बेरियां बांध का सर्वे करवाये तीन साल हो गये लेकिन यहां पर कार्य स्थगित पड़ा हुआ है। इसके लिये धनराशि आवंटित करने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्षजी, सिचाई विभाग से 40 प्रतिशत किसानों का भाग्य जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि सिचाई विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर जो काम 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं और विकास के लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको देखते हुए सिचाई विभाग का बड़ा महत्व है। हमारे राजस्थान के किसानों के साथ यह एक न्याय का विभाग है; इसलिए हर एक जगह के विधायक राजस्थान के हर क्षेत्र के किसानों की भावना को सरकार के समक्ष रखना बहुत आवश्यक समझते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं और 4.10 लाख हेक्टेयर भूमि के अन्दर सिचाई के लक्ष्य निर्धारित किये हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूं, ये लक्ष्य ठीक हैं। लेकिन एक तरफ यह भी कहना पड़ेगा कि हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जहां पर प्रकृति की

(श्री रामगोपाल)

दृष्टि से जल स्त्रोत हैं, बड़ी बड़ी नदियां और छोटी छोटी नदियां हैं, पहाड़ की कन्दराओं के जलस्रोत को बांध कर उस जल का सिंचायी के लिये उपयोग करना चाहें तो हम अपने प्रदेश का तेजी के साथ विकास कर सकते हैं और राजस्थान के किसानों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो लक्ष्य हैं क्या हम उनको पूरा कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे अगर हम नही कर पायेंगे तो हमें यह लगता है कि जितने हैक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य रखा है 20 सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत वह हम पूरा नहीं कर पायेंगे और इस कार्यक्रम की पूरी सफलता नहीं हो सकेगी ।

कोटा जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषतौर से हमारे क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सिंचाई के साधन पूरे किये जांय । उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्धारित किया गया था कि हम मीडियम प्रोजेक्ट्स को 77 तक पूरा कर सकेंगे । मैं यह बताना चाहता था कि मीडियम योजना के अन्तर्गत गोपालपुरा परियोजना मेरे क्षेत्र में आती है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाना चाहिये। 75-76 में उसके लिये 70 लाख की धन राशि आवंटित हुई थी और विभाग के द्वारा जो मौके पर खर्च किया गया है वह 30 लाख रुपया है । 30 लाख के काम हुए हैं और बाकी 40 लाख की बजट की धनराशि उस पर नहीं लग पायी है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गोपालपुरा प्रोजेक्ट को आपको निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा कराना चाहिये । माननीय सिंचाई मंत्रीजी, 70 लाख का प्रोविजन था और 30 लाख रुपया ही उस पर लगा है और 40 लाख नहीं लग पाया है, जबकि 77 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था । सरकार के लक्ष्य के अनुसार पूरा क्यों नहीं लग पाया है ? गोपालपुरा के साथ 3 प्रोजेक्ट और रहते हैं । साही वेद पुरा, गोपालपुरा कुल 6 प्रोजेक्ट में धनराशि आवंटित हुई थी । इनका कार्य पूरा नहीं हो पाता है । क्या कमी है यह देखने की बात है । हम कार्य करना चाहते हैं और किसानों को सिंचाई सुविधायें देना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय कि मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि वहां स्टाफ की कमी है । आपने गोपालपुरा में एक सब-डिवीजन खोल रखा है वह वहां का काम पूरा नहीं कर पाता है और जो धनराशि अलाट की गयी है और जो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कार्य करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है । मैंने पिछली साल भी निवेदन किया था कि एक सब-डिविजन वहां पर और खोला जाय तब जाकर हम लक्ष्य पूरा कर पायेंगे । इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री रामगोपाल : कर रहा हूं । बड़ी मुश्किल से समय मिला है । दो मिनट में समाप्त करता हूं । ।

माननीय मंत्रीजी एक खटका प्रोजेक्ट और है, वहां लघु सिंचाई योजना है । इस बरसात में काम करने के लिए पैसा अलोट किया गया था । इसके अलावा बलदेवपुरा,

(श्री रामगोपाल)

रामपुरा और महोदरी लघु सिंचाई योजनाओं के लिए जो बजट अलॉट किया गया है, वह कम है वह ज्यादा होना चाहिए। बाढ़ के समय में जो तालाब टूट गये थे वह आज चार साल से टूटे पड़े हैं उस कार्य को पूरा करायें। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तालाब टूटे हुए हैं वह आप सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेकर पूरा करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा संक्षेप में ही कहूंगा क्योंकि आपने घण्टी बजा दी उस भावना को समझते हुए कहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने बड़ा अच्छा काम किया है लेकिन जिस प्रगति और तेजी के साथ काम होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। अभी एक मेरे ही साथी माननीय सदस्य कडाना बांध के बारे में कह रहे थे। उससे वहां के आदिवासियों का भाग्य जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि वहां से विस्थापित जो लोग बसाये गये हैं वह कार्यक्रम आपका धीमा है। वहां के आदिवासी 10 वर्ष पिछड़ चुके हैं और अब बसाया जा रहा है उससे वह 20 साल और पिछड़ जायेंगे। मुख्य मंत्रीजी के नाम से कॉलोनी का निर्माण किया गया है, लेकिन हम मौके पर पहुंचे थे तो देखा कि जो कॉलोनी है वह साफ होती चली गयी है। आदिवासियों को आप जिस प्रकार से राहत देना चाहते हैं, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह सिंचाई विभाग के साथ कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, यह आदिवासियों का मामला है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक लेकर आप आदिवासियों का विकास कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि शाहबाद के इन्जीनियर को झालावाड़ जाना पड़ता है और पार्वती, कालीसिंध और परवल हमारे यहां यह तीन नदियां हैं उनके काम के लिए झालावाड़ जाना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उसमें हमारा जो झालावाड़ जिला है वह पिछड़ा हुआ है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप बारां में भी एक डिवीजन खोलिये। आपकी जो सिंचाई की व्यवस्था है और जो लक्ष्य हैं वह समय पर पूरा कर सकें. आदिवासियों को सिंचाई व्यवस्था दे सकें, इसकी ओर हमें प्रयत्न करना चाहिये। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगों के सन्दर्भ में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह कटु सत्य है कि इरिगेशन सिस्टम को हम अपनी खुशहाली के साथ कम इम्पोर्टेन्स देकर चल रहे हैं। यह सत्य है कि कुछ वर्ष पूर्व से इस कार्य में कुछ गति आई है और मैंने देखा है कि स्वर्गीय बरकतुल्ला खां के समय में राजस्थान कैनाल के कार्य में जो काफी गति आई थी, वह मेन्टेन की जा रही है, उसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु इरिगेशन सिस्टम आज हमारी खुशहाली के साथ इतनी हद तक जुड़ा हुआ है कि उसके लिए हमको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा और प्लानिंग में जो जो मुद्दे आते है उनको ही दृष्टि में रखना पड़ेगा। मेरी यह

(श्री किशन मोटवानी)
मान्यता है कि प्लानिंग में रीजनल इन्ट्रेस्ट्स और पॉलिटिकल इन्ट्रेस्ट्स कतई नहीं आता। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज वह समय है कि आप प्लानिंग करें और उसी में रीजनल इन्ट्रेस्ट्स और पॉलिटिकल इन्ट्रेस्ट्स को दूर कीजिए–चाहे उसमें मेरे ही क्षेत्र की बात क्यों न आये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी दो–तीन बातें निवेदन करने जा रहा हूं उनको भी मत कीजिए लेकिन सारे राजस्थान की खुशहाली के साथ जोड़ कर प्लानिंग के साथ आप चलियेगा।

मैं निवेदन करूंगा और हमारे अजमेर शहर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हर साल बरसात से हमारे शहर को लाखों रुपयों का नुकसान होता है और जान–माल का भी नुकसान होता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप मानें कि वह इम्पार्टेन्ट नहीं है और उससे अधिक प्रायोरिटी के और दूसरे काम हैं तो आप अवश्य ही उधर पैसे लगाइये लेकिन यह जो दो कन्सीडरेशन्स मैंने आपके सामने रखें उनसे ऊपर उठकर आपको चलना पड़ेगा।

मैं केकड़ी के लिए इरिगेशन की बात करूं जिसकी कुछ समय पूर्व चर्चा की गई थी। अगर आप महसूस करें कि वह भी इतना इम्पार्टेन्ट नहीं है तो उसको मत लीजिये। इसी तरह के बसधरी बांध का काम है उसको भी मत लीजिए। तो मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों में दो कन्सीडरेशन्स से ऊपर उठकर प्लान्स वे में आप चलेंगे तो हमारा देश खुशहाली की ओर अग्रसर करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन मंत्री-जी से निवेदन करूंगा वह मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। कुछ इवेक्यु लैण्ड बीकानेर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ी है जिसका अलाटमेन्ट भी हो चुका है लेकिन उस लैण्ड का पजेशन नहीं मिल रहा है। मैं उस भावना में नहीं आ रहा हूं। वह पुरुषार्थी हैं, रिफ्यूजीज हैं और उनको लैण्ड मिलनी चाहिए। मैं यह अनुभव करता हूं कि उपनिवेशन विभाग इसलिए पजेशन नहीं दे रहा है कि शायद उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। यह कन्सी-डरेशन अच्छा है लेकिन यह ऐसी लैण्ड पड़ी है कि जिसका उपयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंध है और हाईकोर्ट से भी है और यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की प्रापर्टी है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ही उसको अलाट कर सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उस नजरिये से उसका पजेशन दीजिए कि जो लैण्ड शैलो पड़ी है वह यूटिलाइज होगी जो देश की खुशहाली में योगदान देगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर मंत्री महोदय सजग हैं और सारी प्राब्लम को वह जानते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कुछ बातें और भी हैं और जिन इवेक्यु लैण्ड में डिस्प्यूट है उसमें मैं नहीं जाता हूं लेकिन जो उनकी नहीं है और जो इवेक्यू प्रोपर्टी है they must be given possession of it so that the land is utilised in a better manner और हमारी खुशहाली में योगदान दे सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की सिंचाई संबंधी मांगों को लेकर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैंने भी अपनी तरफ से एक दो कटमोशन रखे हैं और उनके अन्तर्गत अपने बूंदी जिले की कुछ समस्यायें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सम्पूर्ण माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं और मैं भी उनकी मांगों के साथ इत्तफाक करता हूं। मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने सुना है कि वह बात यदि सदन में नहीं आये तो अच्छा है। हर चीज का रेशनल डिस्ट्रिब्युशन हो, यह पूर्व और पश्चिम की बात नहीं हो। मैं कहूंगा कि कई कान्स्टीटुएन्सी ऐसी हैं कि जहां बहुत कम खर्च करके अधिक लोगों को लाभ दिया जा सकता है। सिंचाई संबंधी कार्य हमारे उत्पादन का बेस है, जल किसानों की जान है और देश की उन्नति का एक आधार है। इसकी ओर निश्चित रूप से ध्यान देना ही चाहिए। काम पूरे हों और उनमें कुशलता हो ऐसी हमारी मान्यता है।

मैं दो चार मोटे सुझाव रखना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में खैराड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर एक छोटा सा काम रूणकाखाल के नाम से जाना जाता है, इस पर विशेष पूंजी भी खर्च नहीं होगी। पहले सर्वे करवाया गया था और तीन चार लाख की बात ही सामने आई थी लेकिन अब कुछ मंहगाई बढ़ गई है तो कुछ ज्यादा खर्चा हो सकता है। लेकिन इसका सर्वेक्षण कराने की पुनरावृत्ति कराई जावे तो निश्चित रूप से यह जानकर बहुत छोटी योजना बैठेगी और चार पांच लाख रुपयों में ही बन सकती है, जिससे कुल मिलाकर पच्चीस तीस गांवों को लाभ होता है। यह मेरे क्षेत्र की एकमात्र मांग है। इस प्रकार की छोटी मांग के लिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। मैंने कई बार पहले भी विधान सभा के प्रांगण में प्रश्न उठाया था, जब मंत्री महोदय वहां पधारे थे तो डेपुटेशन भी मिला था, मैंने भी उनसे अनुरोध किया था और मुझे आश्वासन भी मिला है। लेकिन यह आश्वासन आश्वासन ही न रह जाय नहीं तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हम लोगों की लालसा और बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार अकाल के और क्रेस के कई काम ऐसे हैं जिनमें पूरी पूरी पूंजी खत्म हो गई है और अब थोड़ी सी पूंजी और लग जाय तो बहुत फायदा मिल सकता है। एक तरफ बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया जाता है और दूसरी तरफ थोड़ा सा पैसा खर्च करके काम पूरा करा दिया जावे तो वे एग्जीस्टेंस में आ सकते हैं, अस्तित्व में आ सकते हैं और अगर वे अस्तित्व में आ जायं तो उनसे बहुत से किसानों को लाभ मिल सकता है। कोडीबांध जो जजावर के पास है, उस पर चार पांच लाख रुपया खर्च करने से तुरन्त लाभ मिल सकता है। इसी तरह से विजयगढ़ है, बासनी है, देवाखेड़ा है, बसौली है, ये इस प्रकार के बान्ध हैं जिस पर बहुत कम पूंजी खर्च करके अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो मैं आशा करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय मेरी बात को स्वीकार करेंगे और हमारे क्षेत्र की जनता के हिसाब में वे थोड़ा सा खर्चा करके इन कामों को पूरा करायेंगे और इनकी ओर ध्यान देंगे।

अब हमारे क्षेत्र में चम्बल कमाण्ड एरिया में कमाण्ड और डी कमाण्ड का ऐसा संकट है;

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनसे जनता में काफी संकट व्याप्त है। जैसे सीपेज की समस्या है, वाटर लोगिंग की समस्या है, ऊसर की समस्या है, कमाण्ड और डी-कमाण्ड की समस्या है, ये इस प्रकार की दिक्कतें हैं जिनका पूरा समाधान नहीं हो रहा है। जो भी व्यवस्था हो वह कुशल व्यवस्था होनी चाहिए। जब कभी कोई समस्या मंत्री महोदय के सामने रखी जाती है, विधान सभा के सामने रखी जाती है, विभागीय अधिकारियों के सामने रखी जाती है और यदि वह सही है तो उसका समाधान भी तुरन्त कर देना चाहिए। समाधान नहीं करते हैं और लम्बे समय तक वह चलती रहती है तो उसके साथ इस प्रकार की अन्य समस्यायें भी जुड़ जाती हैं और समस्याओं से निराश हो कर कहने लग जाते तो अनेक प्रकार के बहाने करने लगते हैं और बहुत ज्यादा जोर दिया जावे तो वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इस प्रकार की बहुत सी बातें पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम भी आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना चाहते स्टेट पर और निश्चित रूप से आपका साथ देना चाहते हैं लेकिन यह भी सही है कि पुराने कामों से लाभ भी उठाना चाहते हैं। पुराने कामों से लाभ कैसे मिले, व्यवस्था कैसी हो? कुशल व्यवस्था हो। मैं निवेदन करूंगा कि 25–30 साल पहले जो नहरें खोदी थीं आज उन नहरों की हालत बहुत खराब है। जो पानी बहता है नहरों में से जब तालाब का पानी आता है तब तो नहरें चलती हैं लेकिन जब तालाब का पानी बन्द हो जाता है तो ये सब पुराने जमाने की एग्जीबिटरी लगने लगती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 25-30 वर्ष पहले जो नहरें बनी थीं वे मिट्टी से भर गई हैं और उनके अन्दर से पानी नहीं बह कर ऊपर से पानी बहता है जिससे पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता और सीपेज और वाटर लोगिंग की समस्या भी पैदा हो जाती है। इस प्रकार की लोगों की परेशानी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पुरानी नहरें हैं वे ऊंची करवाई जावें उनको गहरा कराया जावे। इससे काफी जमीनों को बराबर पानी पहुंच सकेगा और दूसरी बात यह है कि जो सीपेज की समस्या है वह भी काफी हल हो सकेगी।

दूसरा निवेदन यह है कि जो कमाण्ड और डी–कमाण्ड का संकट है वह भी बहुत जबर्दस्त है। इस विधान सभा के प्रांगण में तीन चार बार प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था। तहसील हिण्डोली में जो मेरा क्षेत्र है वह चार पांच गांव हैं, पेच की बावड़ी, गूढा, बूंदी का गोठड़ा गूढा गोकुलपुरा, बसोली, ये इस प्रकार के गांव हैं जिसमें एक लाख दस हजार बीघा जमीन कमाण्ड और डी– कमाण्ड के चक्कर में है। इसके ऊपर पुराने ट्रेसपासर्स हैं और उन ट्रेसपासर्स पर पैनल्टी इम्पाज भी हुई थी। उन लोगों को न तो जमीन मिलती है और न ही वे पैनल्टी देते हैं। पुराने ट्रेसपासर्स हैं। अगर इन ट्रेसपासर्स से पैनल्टी ले लेते हैं तो वे आधे मालिक बन जाते हैं। कमाण्ड और डी–कमाण्ड के विवाद के कारण वह भी नहीं ली जाती है। इसके बारे में कई बार आश्वासन भी दिए गये हैं और कार्यकुशलता का नमूना यदि आप देखें तो यहीं पर इसी सदन में इस प्रकार के आश्वासन मिले हैं, यहां पर विभाग के बड़े अधिकारी भी बैठे हैं और दूसरे अधिकारी

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)
भी हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। एक लाख और दस हजार बीघा जमीन का यह ऐसा प्रश्न है जिसका हल निकालना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अभी समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में।

एक बात और है। माननीय सदस्य भारतीयजी भूल गए, उनके क्षेत्र में लालपुरा गांव है, उस सम्बन्ध में इस हाउस में तीन बार प्रश्न किया गया था, वहां पर कुछ मनचले लोगों ने तीन चार मकान बना लिए और दस पन्द्रह गरीब आदमियों की जमीन पर पानी जाने से रोक दिया। यहां पर माथुर साहब भी विराजमान हैं, चीफ साहब भी हैं, एस. ई. साहब उस कमाण्ड के भी हैं, कई बार उनसे सम्पर्क साधा है, बार बार आश्वासन दिया, चीफ ने भी लिखा, जिलाधीश ने कहा, तहसीलदार ने ऑर्डर दिया मकान तोड़ने का। तत्काल मकानों को तोड़ दिया जावे और इन लोगों को पानी दिया जावे लेकिन न मालूम कौन से माहोल में रह रहे हैं कि यह सारी दिक्कत है। बारबार कहते हैं फिर भी न तो यह काम अभी तक हुआ है और न होने की आशा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यदि इस समस्या का समाधान हो जाय तो निश्चित रूप से गरीब आदमियों को राहत मिलेगी।

अन्त में ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि जो कमाण्ड और डी–कमाण्ड की समस्या है, लालपुरा गांव की जो समस्या है और रूणकीखाल का महत्वपूर्ण काम है इनको आप करेंगे, यही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, आज सदन के सम्मुख मांग संख्या 35 और मांग संख्या 45 प्रस्तुत की गई सिंचाई मंत्रीजी के द्वारा जो कुल मिला कर 121.14 लाख की धनराशि की है उसमें से 90 लाख और 55 हजार का सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से है। इसका मतलब यह है कि मुख्य भाग सिंचाई मंत्रीजी का है और उसी प्रपोर्शन में सिंचाई मंत्रीजी के लिए समय छोड़ते हुए उतना ही समय मुझे लेना चाहिए।

यहां पर बोलने वालों ने भी उपनिवेशन के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाये हैं केवल पांच माननीय सदस्यों ने और अन्त में जाकर एक मुद्दा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उठाया। कुल मिला कर छः सदस्यों ने छः मुद्दे उठाये या आठ मुद्दे उठाये हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरे राज्य भर में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वह तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माईनर इरिगेशन वर्क्स या प्रोजेक्ट्स। राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट और उसके अन्तर्गत बने हुए नियम इन सभी कालोनीज में, जिनकी संख्या राजस्थान भर में 83 है, लागू हैं। 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, राजस्थान कैनाल को छोड़ दीजिए, उसके सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा, चम्बल गंग कैनाल और भाखरा और 32 जो मीडियम प्रोजेक्ट हैं और 47 माईनर

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोजेक्ट्स हैं। इन सभी प्रोजेक्टों के कमाण्ड में आने वाली भूमि, अधिकांश भूमि 95 प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि आवंटित हो चुकी है। इन 83 कोलोनीज की भूमि में से 81 में जो कुछ भी भूमि आवंटन के लिए बाकी बची है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया है और राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अलावा उन सभी कोलोनीज के पूल में जिलाधीश और उनके अन्तर्गत काम करने वाले राजस्व अधिकारियों को, जो भूमि आवंटन के लिए सक्षम हैं, आदेश दिए गए हैं। पूर्व में चम्बल प्रोजेक्ट में भूमि आवंटन में एडवाईजरी कमेटी का गठन नहीं किया हुआ था, अब गठन कर दिया है। उस क्षेत्र के माननीय सदस्य, जिनका वहां निर्वाचत क्षेत्र है, अब भूमि का आवंटन हालांकि बहुत बड़ा अलाटमेंट नहीं हो रहा है, तो भी यह उचित समझा, कुछ माननीय सदस्य मुझ से मिले भी कि चम्बल एरिया के अन्दर अलाटमेंट में उन्हें भी शामिल किया जाय ताकि वे भी अलाटमेंट के अन्दर पार्टीसिपेट कर सकें। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इरिगेशन का और वह दो चरणों में विभाजित है। पहला चरण और दूसरा चरण। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहता क्योंकि यहां सिंचाई मंत्रीजी से सम्बन्धित बातें उठाई हैं, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके लिए कई बातें सोच रहे हैं। काई काल्पनिक ख्वाब हो उनको, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अन्दर जहां तक भू-सर्वेक्षण का काम है, एकीकरण का काम है, भूमि की अवाप्ति का काम है और इसके साथ ही साथ कृषकों के अधिकारों की जांच करने का प्रश्न है, यह प्रथम चरण में कर लिया गया है। प्रथम चरण में राजस्थान कैनाल क्षेत्र के एरिया में 346 गांव आते हैं, उनको 15 कोलोनाइजेशन तहसीलों में विभाजित कर दिया गया है और दूसरे चरण में 4 तहसीलें कोलोनाइजेशन की एस्टेब्लिश कर दी गयी हैं। वहां पर सर्वेक्षण का काम भी प्रगति पर है। दो लाख एकड़ से ऊपर की भूमि का सर्वेक्षण हो चुका है।

यहां पर दो मुद्दे और उठाये गये हैं। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में भूमि का जो अभी तक परमानेन्ट सैटिलमेन्ट हुआ है वह 8 लाख 84 हजार एकड़ का हो चुका है और बाकी का एरिया बचा है उसमें से भूमि को आवंटित करने का काम बाकी है। आज ही कोलोनाइजेशन कमिश्नर को मैंने आदेश दिए हैं कि जून के अन्त तक डेढ लाख एकड भूमि का आवंटन हो जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण का काम द्रुत गति से चल रहा है।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यहां पर दो-चार बातें और कही हैं। भूमि के आवंटन की बात की है। सबसे पहले सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक लाख 75 हजार एकड़ की बात कही है, यह सही है कि भूमि का आवंटन बाकी है उसमें से सवा लाख, डेढ लाख एकड़ भूमि का आवंटन जून के अंत तक कर दिया जायेगा। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही कि पोस्ट और प्री 1955 के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन होने पर एडमिनिस्ट्रेटिव

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डर के जरिए अब इन लोगों के साथ, एक मुरब्बा से ज्यादा भूमि है अब डिस्क्रिमीनेशन नहीं कर सकते हैं यह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर दिये गये हैं। यह किसी भूमिपतियों के हक में नहीं है। उनको यह शंका है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की यह शंकाएं निराधार हैं। कोई भी भूमि पति हो जिनका कि आपने नाम लिया है, कभी माथुर का, कभी कालोनाइजेशन कमिश्नर की बात कही, कभी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस की बात कही, कुछ बड़े सेठों के नाम लिए गये, मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं चाहे वह मालपाणी सेठ हो और चाहे कोई हों, उन पर केसेज चल रहे हैं, कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट पूरी कार्यवाही कर रहा है और वहां का रिकार्ड बराबर ठीक कर रहे हैं। हम सुप्रीम कार्ट में लड़ रहे हैं। जो भी इस मामले के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, हमने, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी इन्वेस्टीगेशन सी० बी० आई० के जरिए हो। यह बात है। यह आरोप लगाना कि भूमिपतियों को बचाया जा रहा है, निराधार है। हमको आपने क्यों गलत समझ लिया है ?

दूसरी बात उन्होंने यहां पर यह कही कि भूमिहीनों को मुरब्बे दिए हैं उनके चैक नम्बर उन्होंने दिये हैं। चूंकि उनके कटमोशन में चक नम्बर नहीं था, इसलिए इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी मेरे पास नहीं आ सकी है। लेकिन मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, कि मैंने कोलोनाइजेशन कमिश्नर को यह कहा है कि जिन हरिजनों को भूमि आवंटित की गयी है उनके मामले को देखें और यह भी निर्णय लिया गया है कि कोलोनाइजेशन कमिश्नर के दफ्तर में एक सीनियर आर० ए० एस० के अधीन एक सैल इस काम के लिए स्थापित किया जाए ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो भूमि आवंटित होती है, उनको इस पर कोई कम्पलेन्ट हों, या आवे तो उसका निराकरण किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात यह भी कही गयी कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट और कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट के बीच में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है······

एक माननीय सदस्य : मंत्रियों में है, विभागों में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रियों में है तो विभाग में निश्चित तौर से होगा। मिनिस्टर के कार्य में ब्यूरोक्रेसी कोई दखलन्दाजी नहीं करती है। यह बात मैं निश्चित तौर पर और अधिकृत तौर पर कह सकता हूं कि मैं राजस्थान के मंत्रिमण्डल में सन् 62 से चला आ रहा हूं और मुझे अपने अनुभव के आधार पर यह जानकारी है, अगर कहीं ब्यूरोक्रेसी दखल करती है तो इसके कारण कुछ और ही हैं और मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ईरिगेशन और कोलोनाइजेशन के विभागों में पूर्ण सामंजस्य है। ऐसी जो कोई बात कही गयी है, वह निराधार है।

एक माननीय सदस्य ने कमांड और डि-कमांड के बारे में बात कही है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ क्षेत्र कमांड एरिया से निकलवाना चाहते हैं। इसी प्रकार की बात नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि कमांड एरिया में कोलोनी के अन्दर जो भूमि आ गई है, उस भूमि को एक बूंद पानी नहीं मिला, एक दफा

(श्री परसराम मदेरणा)

भी पानी का रेला वहां पर नहीं गया। कोई बांध टूट गया और बाढ़ आ गयी और इस कारण वहां पर पानी आ गया, वह अलग बात है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि आगे, भविष्य में भी उस एरिया को, उस जमीन को पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है, वह ,जमीन आगे भी सिंचित नहीं हो सकती है। इसलिए आपको जो लूज कोआर्डिनेशन दिख रहा है दो मिनिस्टरों के बीच में, हमने कोआर्डिनेशन करते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे एरियाज के लिए एक कमेटी बनायेंगे, यह सरकार का निर्णय है, जिसमें एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर इरिगेशन, कोलोनाइजेशन एरिया का डिप्टी कमिश्नर, और नान आर० सी० पी० एरिया का एडीशनल कलेक्टर, मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स और माइनर प्रोजेक्ट्स के लिए एस० डी० ओ० और दूसरे एरियाज का एक रिप्रेजेन्टेटिव बेनीफिसरिज का, इनकी एक कमेटी गठित कर दी जाये। और यह कमेटी इस बात की जांच करे और यह रिपोर्ट करे कि अगर वह एरिया सिंचित नहीं होने वाला है तो उसको डि-कमांड कर दिया जायगा।

ट्रेसपासर का भी यहां पर जिक्र किया गया और 27 हजार का जो आंकड़ा माननीय सदस्य ने कहा वह सही तौर पर 27 सौ है। राज्य सरकार की ओर से बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्विति के संदर्भ में जो पुस्तिका, विवरण निकाला गया है, उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। उसमें यह बताया है कि 8 हजार ऐलिजिबल हैं और 2700 बाकी के ट्रेसपासर हैं। इस सदन के अंदर कई दफा यह मांग हुई है कि ट्रेसपासर के साथ सख्ती से कार्यवाही की जाये। इसलिए लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 19 को और कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 22 को सख्त बनाया गया है। इसका शीघ्र ही परिणाम आपके सम्मुख आयेगा और आना भी चाहिये। कितने करोड़ या कितने लाख की पेनल्टी होगी। यह आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है। परन्तु यह निश्चित है कि राजस्थान भर में नान कोलोनी एरिया और कोलोनी एरिया में यह डिमांड जारी कर दी गयी है और जो कोई कानून हाथ में लेगा उन्हें तैयार रहना चाहिए उसके कान्सीक्वेंसेज भुगतने के लिए।

यहां पर राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन मुद्दे उठाये। उन्होंने कहा कि उपनिवेशन मंत्री जो हैं वह दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आर० सी० पी० एरिया के अन्दर और सी० सी० ए० एरिया के अन्दर जो भूमि का आवंटन हुआ है उसमें उन्हें एक कमी मालूम हुई है और वह यह कि उपनिवेशन मंत्री जो हैं वह दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मैं अगर दिलचस्पी नहीं लेता तो इन 17000 किसानों को, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम शुरू हुए तो कई दिन हो गये थे, एलिजिबल कौन बनाता? जोधपुर के अन्दर 700 चूरू वालों ने, 17000 एप्लीकेशन्स दी, बीकानेर वालों ने 4000 दीं और नागौर के लोगों ने 5722 ने एप्लीकेशन्स दी, बीकानेर वालों ने 4000 दी हैं और नागौर के लोगों 5722 एप्लीकेशन्स दी। चूरू वालों ने 17509 और जोधपुर से 647 हैं इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो कानून में संशोधन हुआ है उससे सबसे ज्यादा फायदा चूरू के भूमिहीनों को होने वाला है। चूरू के भूमिहीनों के साथ में न्याय हो सके इस बात की दिलचस्पी कालोनाइजेशन मिनिस्टर ने ली है। इसमें दो राय नहीं है।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर उन्होंने एक बात कही वह सब एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में है। एक विद्यार्थी को वेरीफिकेशन के बाद आइडेन्टिटी और एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट तहसीलदार ने दिया है, तो विद्यार्थी तो वह था और वह विद्यार्थी गांव के अन्दर मेजर एज का हो गया है और जिसके सामने बेरोजगारी मुंह बाये खडी है, मुंह फाड़े हुए खड़ी है, ऐसे लोग वंचित रह गये। दूसरी उन्होंने जो बात कही कि पटवारी की गलती से उसको जब एप्लीकेशन फार्म दिया गया था उसमें पटवारी ने, जो कि अनपढ़ था, गलती से, उस एप्लीकेन्ट का धन्धा व्यापार लिख दिया। जो एलॉट कराने वाले व्यापार करते हैं यहां पर आकर वहां पर भी करेंगे। आप तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के हैं ....

श्री मोहर्रासह: मैंने कहा कि व्यापार..

श्री परसराम मदेरणा : आप देखिये मेरी बात सुनिये। आपकी बात को मैंने सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के आसपास जितने भी जौहरी हैं जब तक इन्कम टैक्स में उनकी आमदनी का जो दूसरा सोर्स या धन्धा था तो उसमें खेती का धन्धा शामिल नहीं था तो एक एक फार्म की आमदनी अंगूरों से तीन तीन लाख होती थी, लेकिन जब फाइनेन्स मिनिस्टर मि० चौहान हुए तो उन्होंने दोनों की इनकम को क्लब कर दिया, तो रातों रात औरों को बेच दिये, किस कन्सीडरेशन से बेच दिये। दूसरे साल में वह आमदनी कैसे बतायेंगे वहां पर कई रंगों के पत्थर लगाकर स्वीमिंग पूल बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने ब्लेक मनी को व्हाइट करने के लिए एक षडयन्त्र किया था। तो व्यापारियों के लिए और सभी लोगों के लिए मैं फ्लड गेट खोल दूं यह नहीं होने वाला है। जेनुइन आदमी जो एलिजिबल था और भूमिहीन है उसको अगर नहीं रखा हो तो उसके लिए अपील का प्रावधान है और अपील के प्रावधान के बाद भी अगर मिसकेरिज ऑफ जस्टिस हुआ है तो निश्चित तौर से कोलोनाइजेशन मिनिस्टर उस बात को देखकर अगर अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो करेगा, लेकिन व्यापारी लिख दिया एप्लीकेशन पर भूल से और उस ओट में खेल खेलना चाहें तो परमिशन नहीं दूंगा....

श्री मोहर्रासह : उसका बाप काश्तकार था और उसके पास में जमीन थी...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहर्रासह : उसके दो भाइयों के लिए कहा है कि व्यापार करते हैं। उसके पिता काश्तकार थे और वह बाकी रह गया। उसके पास कोई धन्धा नहीं है सिवाय खेती के....

श्री परसराय मदेरणा : इसका एक भाई है वह व्यापार करता है और एक वकील है तो व्यापार करने वालों को मैं प्लाट देने वाला नहीं हूं। आप गलतफहमी में न रहें।

आर० सी० पी० एरिया में जो जमीनें एलॉट हो रही हैं तो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रखी गई है वहां पर अपील की तारीख आज नहीं है 18 को इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा कोलोनाइजेशन की डिमाण्ड (विराम) कोलोनाइजेशन की डिमाण्ड अलग से नहीं है उसमें मेरा कुछ

(श्री परसराम मदेरणा)

हिस्सा है 891। लाख का, उसमें सबसे ज्यादा कट मोशन नोखा से आने वाले माननीय सदस्य के हैं और वह वहां पर हैं। मैंने कहा था कि इस प्रोग्राम को वाइडर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे जून के एण्ड तक सवा लाख एकड़ जमीन का आवंटन करना है ताकि पानी का यूज कर सकें। ज्यों ज्यों प्रथम चरण की स्थिति ठीक होती जा रही है तो जमीन एलॉट होकर चली जाय तो पानी का उपयोग हो सकता है। उस पानी का उपयोग होना चाहिए मुझे ऐसी सलाह सिंचाई मंत्रीजी ने दी है जो कि कोआर्डिनेशन का द्योतक है।

यहां पर एक कार्पोरेशन की बात कही लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि मैंने उसके बारे में एक आश्वासन दिया था इस हाउस में। इस हाउस में मैं कोई आश्वासन देता हूं तो सोच-समझ कर देता हूं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मार्च, 75 को केबिनेट ने एक डिसीजन ले लिया था कार्पोरेशन एस्टेब्लिश करने का लेकिन उसमें कन्डीशन लिख दी कि किसी मण्डी के लिए भूमि आंवटित करने के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों आपस में बात कर लेंगे और वह कौंसिल का पार्ट होगी, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गई डिप्टी सेक्रेटरी जी० ए० डी० की महरबानी से। अब हमारी मीटिंग की, फिर रिपोर्ट करनी थी कौन्सिल को और फिर उसमें मुसीबत थी और मुसीबत में यह समझता हूं कि मण्डी के क्षेत्र में जो डवलपमेंट होने वाला है तो सबसे इम्पार्टेन्ट एरिया एक मण्डी में होता है वह ले लिया एग्रीकल्चर वालों ने और बाकी विलेज का और छोटे छोटे डवलपमेंट का काम कार्पोरेशन के हाथ में रह जाय तो फिर उनको आमदनी कहां से होने वाली है और सोर्स ऑफ इनकम कौन से हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि कार्पोरेशन का भगवान शंकर वाला हाल हो जायगा। तो वह केबिनेट के विचाराधीन है। जिस किसी की बात की थी तो वह मापदण्ड के बारे में थी। जो कुछ आश्वासन मैंने सदन में दिया था तो वह सोच-समझकर दिया था फिर भी राइडर्स रह गये। इसलिए उनकी भावनाओं की मैं बहुत कद्र करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में एक और घोषणा करना चाहता हूं राज्य सरकार की ओर से...

एक माननीय सदस्य : जरूर करिये।

श्री परसराम मदेरणा : मेजर प्रोजेक्ट में जो भूमि आवंटन होने वाली है तो सभी आवंटियों की लिस्ट आज के बाद में, 18 मार्च, 1976 के बाद में हरएक विधान सभा के सदस्य को लाजिमी तौर पर कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट को देनी होगी ताकि वह उसको देख सके। वह यह देख सकें, आप सब देखलें, कि नाम पहले से आये थे और जो पहले वाले थे उनके नाम आपने बोले थे तो उसमें कुछ के नाम बोल गये और एक का नाम आप छिपा गये, वह मुझे याद है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।

यहां पर दुसरी इन्फार्मेशन मेरी इस प्रकार है कि यह जो अभी हो रहा है इसमें तो नहीं, इसमें सम्भव भी नहीं दिखता है मुझे, लेकिन दो महीने के बाद में जो आगे होने वाला आवंटन है, राजस्थान कैनाल देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि 23 लाख एकड़ भूमि का आवंटन किया जायेगा तो

(श्री परसराम मदेरणा)

एप्लीकेशन के ऊपर सर्टिफिकेट जब देता है तहसीलदार एलिजिबिलिटी और आइडेन्टिटी का तो उसके ऊपर एक फोटो रहता है तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आवंटन आर्डर पर भी उसका फोटो होना चाहिए ताकि यह लोग जो बात कह रहे है कि वहां पर खुदकाश्त नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मालूम किया जा सकता है कि वह आदमी जिसका फोटो है वही वहां पर काश्त कर रहा है, वहां पर बैठा हुआ है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है, 1976 की 10 मार्च को लिया गया है कि जिन लोगों को राजस्थान कैनाल में, मुझ मेमोरी से याद था कि 10 मार्च को यह निर्णय लिया गया है, कि इनको फ्री लैण्ड का एलॉटमेंट हुआ है, लेकिन एक बात आपने सरसरी तौर पर कही कि आप जागीरदारों को रोकना चाहते है और उनके डिस्क्रीमिनेशन को आप मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय लिया है राज्य सरकार ने कि आर०सी०पी० एरिया में जिसको फ्री एलॉटमेंट हुआ है और जिसको रिजर्व प्राइस पर हुआ है तो रिजर्व प्राइस वाले को परमीशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से लेनी पड़ेगी चाहे वह खातेदार बन भी गया हो। और जिनको फ्री एलाटमेंट हुआ है, उनको परमीशन मुझ से लेनी पड़ेगी जब तक मैं कोलोनाइजेशन मिनिस्टर हूं। कई जागीरदार घूम रहे हैं। इसलिए जब मैंने एक को परमीशन नहीं दी तो मैं यह कहूंगा कि आप बड़े निर्मोही हैं। मेरे पर चार्ज लगाते हैं। कोलोनाइजेशन मिनिस्टर तो बंगले में भी नहीं घुसता है। मैं समझता हूं कि उसको भी दूसरे तरीके से कहा जा सकता था। आप उसको बड़प्पन में न लेकर कमजोरी समझ जाते हैं, इसलिए मुझे यह कहना पड़ा है। मैंने गाइड लाइन दे रखी है। उसके पीछे मेरी यह भावना थी। उस वक्त की हालत में नेहरू अवार्ड के बाद खुदकाश्त की भूमि एलाट की गई। कल ही प्रश्न आया हाउस में। कल के प्रश्न के बाद मेरा दिमाग दो तीन घण्टे चलता रहा कि इन लोगों को कैसे मिल जाती है। बाड़मेर में 75 बीघा भूमि मिल सकती है। भूमि ले लेते है, और जैसा कि देश की प्रधानमंत्री ने कहा कि सीलिंग के मामले में रेवेन्यू कोल्यूजन हो सकता है। यह मामला कोल्यूजन का है इसलिए कानून में संशोधन करने की बात हुई है। यह भी नहीं है, राजाओं के सम्बन्ध में जो कानून बनाया है, आपको पता होगा कि उसमें 13 अप्रेल, 1963 के बीच में जो काफी गैप है, उसका ध्यान रखा गया है। अगर मैं राजाओं के इन्फ्लुएन्स में नहीं आ सकता हूं तो जागीरदारों के क्या आ सकता हूं दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं, उनको जमीन का एलाटमेंट हुआ है, यह आपको खटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि 10 मार्च, 1975 को जब न एमर्जेन्सी थी न ट्वण्टी प्वाइण्ट प्रोग्राम था। कुछ सर्टेन मामलों में ऐसा रखा गया है, जैसे कोई विडो हो सकती है, कोई और पारिवारिक स्थिति ऐसी हो सकती है। उसमें बेचने की इजाजत दी जाएगी। (अल्प विराम) मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब मेरे मित्र बोलेंगे।

श्री मोहर्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं, फिर।

श्री मोहर्रसिंह : किसानों के हित का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है।

Page No 158

(158)

श्री मोहरसिंह : सिर्फ आधे मिनट का सवाल है। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। बहुत जरूरी सवाल है।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow it.

श्री मोहरसिंह : अलाऊ करना चाहिए। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं, अलाटमेंट के सवाल पर।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री मोहरसिंह : राजस्थान कैनाल में··

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिये।

श्री मोहरसिंह : महत्वपूर्ण सवाल है। एक मिनिट चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : हाउस का डेकोरम भी तो कुछ होता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के संबंध में मांग संख्या 37 और मांग संख्या 45 पर इस सदन के 27 माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कई महत्वपूर्ण सुझाव राजस्थान की सिंचाई की वृद्धि के लिए और सिंचाई योजनाओं को चालू करने के लिये माननीय सदस्यों की ओर से दिये गये। कुछ माननीय सदस्यों ने कई बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं इन सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। माननीय सदस्यों के विचारों से यह स्पष्ट है कि यह सदन इस बात को मानता है कि राजस्थान का विकास सिंचाई के ऊपर बहुत कुछ आधारित है और राजस्थान के विकास के लिए सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य राजस्थान के सिंचित क्षेत्र के विषय में कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। यह सही है कि राजस्थान की जितनी भी भूमि कृषि के अन्तर्गत आई हुई है जो लगभग 159.67 लाख हैक्टेयर्स है। उसमें राजस्थान का सिंचित क्षेत्र 170 है। देश का सिंचित क्षेत्र 200% है। राजस्थान का औसत सिंचित क्षेत्र से नीचे है। इसको स्वीकार करने में मुझे किसी प्रकार की इनकारी नहीं है। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, कुओं से सिंचित होने वाली जमीन भी शामिल है। और साथ ही ऊपर का जो पानी बहता हुआ पानी है, उससे सिंचाई विभाग के माध्यम से योजना बनाकर जिस भूमि को सिंचित किया गया है, वह भी शामिल है। माननीय सदस्यों ने जब यह विचार व्यक्त किये तो साथ साथ यह भी कहा, चूंकि राजस्थान का औसत सिंचित क्षेत्र 3% कम है, इसलिए सिंचाई विभाग द्वारा और तेजी से काम किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में इस सतह पर बहते हुए पानी के द्वारा सिंचित भूमि लगभग 15 लाख हैक्टेयर्स की क्षमता के अन्दर आई हुई है। जब राजस्थान बना उस वक्त यह भूमि केवल 3.8 लाख हैक्टेयर थी। इसका स्पष्ट अर्थ निकलता है कि लगभग 11.2 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र में आई है। राजस्थान के सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई हुई योजनाओं के द्वारा और प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक

(श्री हीरालाल देवपुरा)
कुछ भी राजस्थान में काम किया गया है, उससे यह भूमि आई है।

इन वर्षों में 3.8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर तक सिंचित क्षेत्र में लाने का मतलब है लगभग चार गुनी भूमि को सिंचित क्षेत्र में लाना, यह उपलब्धि 27 वर्ष में की गई है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह काम आंका जाना चाहिए, मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और राजस्थान के अन्दर भूमि पर बहता हुआ जो पानी है, उसको हिसाब में लिया जाय तो यह उपलब्धि नहीं की जा सकती थी। राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी पानी है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सिंचाई योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिये सिंचाई विभाग के पास कोई योजना नहीं है। राजस्थान के अन्दर कितना पानी है और उसको किस प्रकार से काम में लाया जा सकता है, माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी कोई योजना विभाग के पास नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को मालूम हो जाना चाहिए कि सिंचाई विभाग के पास राजस्थान के अन्दर जितना भी पानी बहकर जा रहा है उस सबकी योजना बनी हुई है। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में 648 टी० एम० सी० पानी बह कर जाता है और उसमें 172 टी० एम० सी० पानी, जो राजस्थान के अन्दर बाहर से आया उसको छोड़कर, मेजर, माइनर और मीडियम योजनाओं के जरिये रोककर उसका उपयोग किया गया है। 288 टी० एम० सी० पानी ऐसा है जिसका हर चन्द कोशिश के बावजूद भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसको राजस्थान के अन्दर रोका नहीं जा सकता, बाकी बचा हुए 188 टी० एम० सी० पानी के उपयोग के लिये हमारे पास योजनाएं बनी हुई हैं, उनमें मीडियम योजनाएं भी हैं, माइनर योजनाएं भी हैं और मेजर योजनाएं भी उसमें एकाध हो सकती है लेकिन प्राइस एस्केलेशन (बढ़ोतरी) के कारण से आज उनका स्तर मेजर योजनाओं के आधार पर हो गया है, उनमें से कई दो मूल योजनाएं मेजर और माइनर अभी हमारे हाथ में हैं। उसके अलावा सात योजनाएं अलग-अलग नदियों पर तैयार करके, उनका सर्वे वगैरह कम्पलीट भारत सरकार के सिंचाई मन्त्रालय के माध्यम से प्लानिंग कमीशन को भेजी गई थी और वहां से टेक्निकल अप्रुवल भी प्राप्त हो गयी है। एक तरह से वे योजनाएं भी स्वीकृत हैं, केवल पैसा पूरा न होने के कारण उनको हम कार्य रूप में परिणित नहीं कर पा रहे हैं, यह बात सही है। लेकिन सात बड़ी योजनाएं हैं, जो कि स्वीकृत शुदा हमारे पास हैं जिसमें पांचना (स. मा.), लसाड़िया (अजमेर), सोम कागर और सोम कमला आम्बा साउथ राजस्थान में, उदयपुर में डायर, भीलवाड़ा में भाडोल और चित्तौड़ में बाधन हैं। इस प्रकार से ये योजनाएं हमारे पास तैयार होकर, स्वीकृत होकर, भारत सरकार से स्वीकार होकर रखी हुई हैं। माननीय सदस्यों का यह कहना कि बहता हुआ पानी जो है, जो दूसरे राज्यों में चला जा रहा है उस पर बाद में हमारा हक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कायम नहीं होगा और दूसरी स्टेट को यह पानी चला जायगा तो मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस विषय में जागरूक है और उनका यह कहना सही नहीं है। हमने प्लानिंग कमीशन से भी अप्रूव करवाया है। यहीं नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, और दूसरी योजनाएं भी तैयार करके हमने भारत सरकार को भेजी हुई हैं, जिस प्रकार से हमने इन सात योजनाओं को क्लियर करवाया, मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में और कई योजनाओं को क्लियर करवा सकेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं, और ऐसा करके हम यह सबूत देना चाहेंगे कि राजस्थान से जो पानी बाहर जा रहा है उस पर हमारा हक है और हमारी योजनाएं हैं। पैसा मिलने पर और दूसरे साधन मिलने पर उन योजनाओं को राजस्थान पूरा करेगा और इस पानी का लाभ दूसरे प्रान्तों को नहीं दिया जा सकता है। माननीय सदस्यों के मन में इस प्रकार की चिन्ता होना स्वाभाविक है, यह मैं मानता हूं और इस सम्बन्ध में जो उन्होंने विचार व्यक्त किये, उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं उनको सन्तोष और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस ओर राजस्थान सरकार भी चिन्तित है। हम आपसे परे नहीं हैं। आपकी ही बनाई हुई सरकार है और हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितने कि आप। सारी योजनाएं विभाग द्वारा तैयार की हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माइनर इरिगेशन के ऊपर भी आज कई योजनाएं हमारे पास तैयार हैं और कई चालू भी हैं जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की योजनाओं के आधार पर कुछ रोष व्यक्त किया, नाराजगी भी व्यक्त की और उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने के लिये आग्रह भी किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि उनका नाराज होना स्वाभाविक है लेकिन वे योजनाएं भी हैं जिनका माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि अब तक वे चालू नहीं की गई हैं लेकिन उनका भी सर्वे किया जा चुका है। यह कहना सही नहीं है कि उनके बारे में सोचा ही नहीं गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर कोई काम नहीं किया गया है। वे योजनाएं भी हमारे ध्यान में हैं, उनको भी बनाया गया है और वे भी पूर्ण रूप से तैयार हैं, इस संबंध में सिंचाई विभाग को ज्यों-ज्यों पैसा मिलता है त्यों-त्यों उनको हम पूरा कर रहे हैं और माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारे सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य पांच लाख हेक्टेयर का है। इसके अतिरिक्त बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पचास लाख हेक्टेयर सारे देश का लक्ष्य है उसमें भी राजस्थान को मिला है। केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार के लिये 4.1 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया है जो राजस्थान को करना है। उसके बदले में इन दो वर्षों में लगभग दो लाख हेक्टेयर में हम कर चुके हैं, दो प्वाइन्ट समथिंग और लेना है, उसका प्लान बना लिया है। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4.1 लाख हेक्टेयर सभी योजनाओं से पूरा करने का नहीं है केवल वृहद योजनाओं से है, उन्हीं के माध्यम से पूरा करना है। अर्थात् गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल, चम्बल प्रोजेक्ट, माही और जाखम की जो बड़ी बड़ी योजनाएं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हैं उनके माध्यम से उनको पूरा करना है। हमने इसके मुकाबले में जो हमारे टार्जेट रखे हैं वह 4.4 लाख हैक्टेयर के रखे हैं। इसके अलावा माइनर और मीडियम सिंचाई योजनाओं को पूरा करेंगे उनके माध्यम से इस तरह से हम इससे भी ज्यादा सिंचित क्षेत्र बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि राजस्थान भी अपनी ओर से सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिये और भारत के अन्न के भंडार को भरने के लिये तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 4.4 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य तो तीन वर्षों में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जिन योजनाओं को चुना गया है जिनको हम और तैयार करेंगे और उनको चलाने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान कैनाल से भी सिंचित क्षेत्र बढ़ायेंगे और चम्बल क्षेत्र में जो कमाण्ड एरिया डवलपमेंट का काम चल रहा है उस पानी का पूरा उपयोग करने के लिए उसको भी हम पूरा करेंगे और जो लक्ष्य रखे गये हैं उनको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे-इसमें किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

श्री विजयसिंह : बशर्ते कि बरसात हो जायगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : बहते हुए पानी की बात है उसके साथ तो बरसात का संबंध जुड़ा हुआ ही है। यह आपको मानकर चलना चाहिए, उससे अलग नहीं कर सकते। नदी में पानी नहीं आयेगा तो बांध भरेंगे नहीं। यह सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। मैं बहते हुए पानी की बात कर रहा हूं, जमीन के अन्दर के पानी की बात नहीं कर रहा हूं। यह सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। मैं निवेदन कर दूं, पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हम 19 लाख हैक्टेयर राजस्थान की भूमि को सिंचित क्षेत्र, बहते पानी के सिंचित क्षेत्र के अन्दर ला सकेंगे-यह हमारी योजना है। मैंने यह बात इसलिए निवेदन की कि माननीय सदस्य उत्सुक थे इस बात को जानने के लिए, हमारी अपनी क्या योजनाएं हैं, कहां पानी यूटिलाइज करना चाहिए, किस तरह उसको करना चाहिए। इसलिए मैं यह बताना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में बात करते हैं वहां रीजनल इम्बेलेन्स की बात भी इस सदन के अन्दर कई बार आई। गत वर्ष भी सिंचाई की मांग के दिन यह बात कही गई थी, और दूसरे महकमों की बात जब चलती है तब भी किसी न किसी रूप में इस बात को यहां पर कहा जाता रहा है। मैंने बड़ी नम्रता के साथ गत वर्ष माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि यह भावना माननीय सदस्यों के मन में नहीं आनी चाहिए। हो सकता है, आप शुद्ध रूप से इस भावना को यहां प्रकट कर रहे हों लेकिन इस भावना, जो यहां पर प्रकट की जा रही है, का अर्थ आम लोगों के द्वारा क्या निकाला जायगा, आम लोग उसको किस रूप में लेंगे उस दृष्टि से हम राजस्थान में क्या वातावरण बना रहे हैं, इसकी ओर जरा माननीय सदस्यों को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि इन भावनाओं से कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, जो कभी कभी यहां अभिव्यक्त की जा रही है, उससे अगर राजस्थान को नुकसान हुआ तो उस नुकसान का भागी इस सदन को ठहराया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हम उस दोष के भागी न बनें, उस चीज को हम अपने ऊपर न लें, जरा गम्भीरता से सोचें, राजस्थान के विकास की बात जहां करते हैं वहां विकास केवल एक सेक्टर के माध्यम से नहीं होता, विकास हर क्षेत्र का सिंचाई के माध्यम से नहीं होगा। किसी क्षेत्र में सिंचाई के साधन हैं तो सिंचाई की योजना बनेगी। किसी क्षेत्र में अण्डर ग्राउण्ड वाटर है तो बिजली की योजना बनेगी। किसी क्षेत्र में इन्डस्ट्रियल पोटेंसियल अधिक है तो इंडस्ट्री की योजना बनेगी। हम बहु-मुखी विकास की बात करते हैं, तो किसी इलाके के बारे में हमें सारे दृष्टिकोण से सोचना होगा। यह आधार देखें कि हमने किस क्षेत्र का कितना विकास किया है। यह कहें कि पर्टीक्यूलयर सेक्टर में काम नहीं हुआ है इसलिए रीजनल इम्बेलेन्स हो गया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रति न्याय नहीं करते हैं, न अपने क्षेत्र के प्रति न्याय करते हैं, न प्रान्त के प्रति न्याय करते हैं और न इस सदन के प्रति न्याय करते हैं। मैं फिर नम्रतापूर्वक दोहराना चाहता हूं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, इस भावना से, इस रूप में उसे न लें, चूंकि मैं उदयपुर से आया हूं और सिंचाई का क्षेत्र सौभाग्य से राजस्थान का सदर्न पोर्शन, दक्षिणी भाग, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां सारी नदियां बनास आदि दक्षिणी भाग से बह कर पूर्वी भाग में आ जाय, लूणी नदी पहाड़ से गिरकर बहती है, चम्बल भरतपुर से होकर गंगा-यमुना के पानी में मिल जाती है, लेकिन भौगोलिक स्थिति यह है कि नदियां जहां से निकली हैं जहां उनको रोका जा सकता है वहां पानी का उपयोग किया जा सकेगा। और, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि उधर योजना ज्यादा बन गई, सिंचाई मंत्री उदयपुर से आये हैं–यह कह दिया जाय कि उदयपुर उदयपुर का ध्यान रखा जाता है, दूसरी जगह का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए नहीं चाहते हुए भी मुझे कुछ फेक्ट्स सदन के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं कि किस जिले में कितना पानी अवेलेबल है, उसमें से कितना पानी रोका। उससे अन्दाज लगायेंगे, ईस्टर्न राजस्थान की बात करने वाले माननीय सदस्य, माननीय बी.एन.जोशी साहब जो ऐसा कहते हैं हालांकि बुजुर्ग सदस्य हैं, बहुत पुराने सदस्य हैं पता नहीं उनके दिमाग में क्यों यह बैठा है कि यह हमेशा दोहराते हैं वे सदन से चले गये हैं इस समय में है नहीं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस्टर्न राजस्थान के सबसे बड़े जिले जयपुर जिले की बात हमेशा कहते रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में जैसा मैंने बताया, राजस्थान में 648 टी.एम.सी. पानी बतलाया, उसमें से 22 टी०एम०सी० पानी जयपुर जिले में हैं, इस 22 टी०एम०सी० पानी में से 20 टी०एम०सी० पानी का उपयोग कर लिया है केवल 2 टी०एम०सी० पानी बचता है, उसका उपयोग करना बाकी है। उसके लिए हमारी पहले योजना बनी हुई है, जो योजना स्वीकृत नहीं हो पायी है। कानोता का नाम लिया, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने, कुछ माइनर वर्क हैं, जिन पर पानी रोका जायेगा, तो न केवल 22 टी०एम०सी० पानी, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के लिए है, बल्कि 23 टी० एम०सी० पानी की योजना है, एक टी० एम०सी० दूसरे जिले का पानी है, जिसको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दूसरे जिले में नहीं रोका जा सकता, उसको जयपुर में रोक सकते हैं। उस पानी को रोक कर 23 टी० एम० सी० की योजना बना रहे हैं। 22 टी० एम० सी० पानी जयपुर जिले में अवेलेबल हैं, उसमें से 20 टी० एम० सी० पानी को उपयोग में ले लिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में यह कहा जाय कि जयपुर जिले की उपेक्षा की जा रही है, सिंचाई की योजना नहीं बनाई जा रही है। जयपुर जिले में पानी कहां है, जिसके लिए कि पानी की योजना बनायें जयपुर के पास टोंक में 11 टी० एम० सी० पानी है, जिसमें से 9 टी० एम० सी० पानी का उपयोग कर लिया है। यही स्थिति भरतपुर जिले की है। 16 टी० एम० सी० पानी उधर है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से 13 टी० एम० सी० पानी का उपयोग कर लिया है। इसके अतिरिक्त भरतपुर जिले की योजना बनी है 26 टी० एम० सी० पानी का उपयोग करने की। भरतपुर में पानी है 16 टी० एम० सी०, 10 टी० एम० सी० पानी भरतपुर के उपयोग में आयेगा वह दूसरे जिले से पानी आ रहा है, उसके आधार पर योजना बनेगी। तो यह कहना कि इस इलाके को अछूता छोड़ दिया है और काम नहीं किया है—यह हमेशा कह कर वातावरण बनाया जाना, जिससे यह समझना कि रीजनल आधार पर राजस्थान में काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं, यह माननीय, सदस्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक रूप से प्रतिष्ठा की दृष्टि से ठीक नहीं लगता है। तथ्य की दृष्टि से बात कही जाय सदन में तो बात में वजन होता है। लेकिन् कोई बात वैसे ही कह दें तो क्या प्रतिष्ठा रहने वाली है। तथ्य के आधार पर बात कहें तो निश्चित रूप से आपकी बात का वजन होगा। और अगर हमने गलती की है, इन बैंचेज पर बैठने वालों ने गलती की है तो उसको सुधार ने के लिए विवश होना पड़ेगा क्योंकि यह बपौती की जगह नहीं है। आज मैं हूं, कल कोई दूसरा आ सकता है। उसको इसी आधार को लेकर सोचना पड़ेगा, किस योजना को कहां बनायें, कहां धरातल मौजूद है, जिसके आधार पर योजना बनाई जा सकती है और उसको बनाना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, सवाई माधोपुर में 31 टी० एम० सी० पानी उपलब्ध है, यह जो 31 टी० एम० सी० पानी उपलब्ध है उसमें से 4 टी० एम० सी० पानी ऐसा है जिसका उपयोग नहीं कर सकते; जिस पानी को उपयोग में नहीं लिया जा सकता, बाकी 12 टी० एम० सी० पानी का उपयोग कर लिया है और आगे आने वाले समय में 15 टी० एम० सी० पानी के उपयोग के लिए जिले की हमारी योजनायें बनी हुई हैं.......

एक माननीय सदस्य : सवाई माधोपुर !

श्री हीरालाल देवपुरा : Sorry सवाई माधोपुर। मैं कहने जा रहा हूं, इसके अगेन्स्ट में अब मैं उन हिस्सों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां कितना पानी उपलब्ध है और कितने पानी को उपयोग में ले पाये हैं, कितने पानी की क्षमता और है, जिसको उपयोग में लेना है। मेरे कहने का मतलब यह है, आज हीरालाल देवपुरा यहां बैठा है, कल कोई और बैठ सकता है, तब भी राजस्थान में सिंचाई का विकास करने को उस क्षेत्र में जाकर खर्च करना पड़ेगा, चाहे किसी क्षेत्र से आने वाला मंत्री हो। तो उदयपुर में 113 टी० एम० सी० पानी अवेलेबल है, 113 टी० एम० सी० पानी में से हमने केवल 27 टी० एम० सी० पानी का

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उपयोग किया है। बाकी पानी का उपयोग करना बाकी है। उसमें यह सही है कि 50 टी० एम० सी० पानी का उपयोग न कर पायें, हम चाहते हुए भी न कर पायें, लेकिन 86 टी० एम० सी० पानी में से 27 टी० एम० सी० पानी का उपयोग किया है। बाकी बहुत पानी है, तो योजना बनेंगी, पानी अवेलेबल है, साइट अवेलेबल है तो निश्चित रूप से उपयोग करना पड़ेगा यदि राजस्थान का सिंचाई की दृष्टि से विकास करना है। डूंगरपुर में 31 टी० एम० सी० पानी अवेलेबल है, उसमें से 4 टी० एम० सी० पानी टेप किया है, 18 टी० एम० सी० पानी उपयोग में नहीं आयेगा, Sorry, 13 टी० एम० सी० पानी उपयोग में नहीं आयेगा 18 टी० एम० सी० पानी उपयोग में आने, वाला है, जिसमें से 4 टी० एम० सी० पानी का उपयोग किया है और अभी 14 टी० एम० सी० पानी का उपयोग करना है। तो बहुत पानी बाकी है। बांसवाड़ा जिले में 155 टी० एम० सी० पानी अवेलेबल है, उसमें से 129 टी० एम० सी० पानी ऐसा है, जिसको उपयोग में नहीं ले सकेंगे, और जो बाकी उपयोग में आने वाला है, उसमें से 3 टी० एम० सी० पानी को टेप किया है। अभी बहुत पानी बाकी है बांसवाड़ा में, वहां योजना बनानी पड़ेगी, यदि राजस्थान में पानी का उपयोग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह पानी गुजरात में न जाय, उसका उपयोग करने का अवसर हमें मिले तो योजना बनानी पड़ेगी और ज्यादा खर्च करना पडेगा। फिर आप कहें कि रीजनल इम्बेलेन्स हो गया। चित्तौडगढ़ जिले में 49 टी० एम० सी० पानी अवेलेबल है, उसमें से केवल 5 टी० एम० सी० का उपयोग किया है। उसी तरह से बूंदी में 20 टी० एम० सी० है, वह भी वही इलाका है जैसे झालावाड, कोटा जैसा दक्षिणी राजस्थान। वहां पर भी पानी अवेलेबल है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो कहीं नहीं कहा जा सकता कि सिंचाई की योजनाओं की दृष्टि से राजस्थान में कहीं पर भी कार्य हाथ में लिया गया हो जिससे कहा जा सके कि किसी क्षेत्र को बहुत ज्यादा दे दिया और किसी क्षेत्र को छोड़ दिया। जो योजनायें बन सकती हैं वहीं बनाई जायेगी। आज बिजली का सवाल आता है झुंझुनू में काफी है जयपुर में है उदयपुर में वहां तो कम बिजली गई है, झालावाड़ वाले क्यों नहीं कह सकते कि कम बिजली है, जैसलमेर वाले क्यों नहीं कह सकते कि कम बिजली है। तो इन चीजों को इस आधार पर नहीं देखना चाहिए। उसी आधार पर देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य हो सकता है, उस आधार पर देखना चाहिए। इस तरह से भी न आंके कि हमारे क्षेत्र से राजस्थान को कितनी आमदनी होती है और खर्चा कितना किया जा रहा है। बजट का संबंध मुझसे नहीं है वित्त मंत्री से संबंध पड़ता है लेकिन देखा जाए तो राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बनने वाली योजना के आधार पर बजट बनाने की कोशिश की जाए तो राजस्थान का विकास नहीं किया जा सकता, राजस्थान को भारत सरकार से पैसा लेना पड़ता है। अगर राजस्थान को भारत सरकार या योजना आयोग से पैसा नहीं मिले तो हमारा प्लान चल नहीं सकता और राजस्थान का विकास नहीं कर सकते। तो इससे नहीं आंकना चाहिए कि हम कितना दे रहे हैं। आज करों के हिसाब से कोटा किसी के पीछे नहीं रहने वाला है। कोटा बहुत विकसित हो गया है, उसमें बहुत उद्योग आ रहे हैं तो निश्चय ही कर ज्यादा आयेगा।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

राजस्थान के विकास के लिए आपको प्रायरिटीज तय करनी पड़ेंगी। जब आपके साधन सीमित हैं और किसी प्रकार से आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऐसी प्रायरिटीज तय करनी पड़ेंगी कि किस सेक्टर में खर्च करने से आर्थिक विकास तेजी से होगा। उसी आधार पर हम चलेंगे तो हमारा विकास सही रूप से हो सकेगा। बाकी बांटने की पद्धति अपनाई चिकित्सा में, सडकों में, सिंचाई में और बिजली में, उसी हिसाब से जाना चाहेंगे तो विकास की कल्पना करके जो हम चलते हैं, वह नहीं हो सकेगा। प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी और उसके बाद आमदनी के साधनों को पूल करने के बाद उन प्रायरिटीज से जो काम हो सकते हैं उनको सारे राजस्थान में बांट नहीं पायेंगे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया कि इस सदन के गौरव के लिए और राजस्थान की प्रतिष्ठा के लिए रीजनल इम्बैलेन्स वाली बात को बार बार न दोहरायें जिससे कि हमारी बात सुनने वाले हैं जो गहराई से नहीं समझ सकते, और उन पर किसी दूसरे प्रकार का प्रभाव पड़े और राजस्थान को बुरा दिन देखना पड़े और उसकी जिम्मेदारी इस सदन पर आए। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इन तथ्यों के आधार पर इस बात को सोचेंगे तो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हों, रीजनल इम्बैलेन्स की बात को लेकर इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य न सोचें। तो मेरा पुनः निवेदन है कि इस प्रकार का मन में अगर विचार है तो अपने मन से निकाल दें।

उपाध्यक्षजी, माननीय श्री गुरदयाल सिंह संधु व सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की चर्चा करते समय गंग कैनाल के बारे में कहा और चिंता व्यक्त की। गंग कैनाल का वह भाग जो राजस्थान के बाहर पंजाब में है, उसकी हालत खराब हो रही है और उसमें जितना पानी राजस्थान के लिए हमें देना है उतने पानी को लेने की क्षमता नहीं रही है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बीकानेर कैनाल काफी पुरानी कैनाल हो गई, उसकी स्थिति कमजोर हुई जितना मेन्टेनेंस और रिपेयर्स के लिए उस पर रेग्यूलरली व्यय किया जाना चाहिए था किन्हीं कारणों से नहीं किया जा सका। एक, आध बार कैनाल बीच में टूटी, उसकी रिपेयर्स की लेकिन दोनों माननीय सदस्यों को मालूम है, गत दो वर्षों से बराबर इस बात का प्रयत्न किया जाता रहा है कि उस कैनाल की रेग्युलर मेन्टेनेंस हम करें। क्योंकि काफी क्षेत्र विकसित हो चुका है उस कैनाल से, आज बंद भी नहीं कर सकते। उसका अर्थ होगा उस क्षेत्र में पानी को रोकना। पेरेनियल टाइप की वह कैनाल बन चुकी है, आज खरीफ और रबी दोनों फसल उस क्षेत्र में होती है। शिड्यूल के आधार पर क्लोजर के समय किसान को किस समय पानी की जरूरत नहीं है उतने समय के लिए उसी क्लोजर पीरियड में रिपेयर्स व मेन्टेनेंस जो कुछ करना है, वह कराने का प्रयत्न करते हैं लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि पानी उसमें नहीं आता है। वे जानते हैं कि उसमें अब तक रेग्युलर पानी आ रहा है और उस क्षेत्र में सिंचाई की दृष्टि से किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो यह कहना कि कैनाल के माध्यम से पानी नहीं आ रहा है, गलत है। वे अपने विचार को रिवाइज करें, पुनर्विचार करें। हैड से आने वाला पानी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

2700 क्यूसेक्स मिलता है। उस पानी का नैचुरल वे में जो लॉस होता है उसे अकाउंट फोर करते हैं, उसको काम करने के बाद जो मिलना चाहिए था, उतना मिलता रहा है और कभी कभी अधिक पानी भी मिला है। तो जो चिंता व्यक्त की गई है वह चिंता मुझे भी है कि कहीं वह नहर जवाब न दे दे, इसलिए प्रत्येक वर्ष इसका मेन्टेनेन्स कर रहे हैं लेकिन विभाग जागरूक है।

एक बात सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। हमने कहा इन्टेंसिटी के लिए कि गंग कैनाल की लगभग 80 प्रतिशत हो गई, भाखरा के अंदर भी लगभग 80 प्रतिशत की हो गईऔर उन्होंने बताया, जो रिपोर्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग की, उसमें कहा गया कि गंग कैनाल की इंटेंसिटी 62 प्रतिशत, भाखरा की इन्टेंसिटी 67 प्रतिशत बताई और आज 80 प्रतिशत बताई जा रही है। उपाध्यक्षजी, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि इंटेंसिटी 80 प्रतिशत हुई है भाखरा को 80 प्रतिशत हुई है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी है वह जिस कल्पना के आधार पर बनी वह इंटेंसिटी 62 और 67 प्रतिशत की मान ली गई। लेकिन आज जो वास्तव में सिंचाई हो रही है वह 6 लाख एकड़ से बढ़कर लगभग 7 लाख एकड़ हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर राजस्थान कैनाल के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की गयी थी। इसमें कहा गया कि जब पौंग बान्ध से पानी मिलेगा तो हमारे द्वारा उसका उपयोग नहीं कर सकने पर वह पानी बेकार जायेगा और राजस्थान की जनता को इसका पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है और इसमें दो राय भी नहीं हो सकती है। इसलिए अब हम उसकी इन्टेंसिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। और हम यह चाहते हैं कि सारा पानी उपयोग में लाया जाय। लेकिन यहां पर माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जितना भी पैसा हमें मिला है उसका राज्य सरकार ने पूरा सदुपयोग किया है और उसमें किसी भी प्रकार कहीं भी कोई लेक्यूना नहीं रहा है। हमने पानी का मेक्सिमम काम में लिया है और यही कारण है कि हमारे काम की गति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने हमारा कहा माना।

माननीय सदस्यों को शायद याद होगा कि गत वर्ष ओरीजिनल जब मैं यहां पर आपके सामने आया था तब राजस्थान कैनाल के लिये मैंने सदन से 18 करोड़ रुपये की मांग मन्जूर करवायी थी। लेकिन बाद में राज्य सरकार के सतत् प्रयत्नों के कारण केन्द्रीय सरकार ने इस प्रोजेक्ट की इम्पार्टेन्स को समझा और अभी 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर इसको आंकने पर केन्द्रीय सरकार ने हमें गत वर्ष चार करोड़ रुपये का विशेष अनुदान राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिये दिया। इसलिये यहां पर माननीय सदस्यों का यह कहना सही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को सही ढंग से केन्द्रीय सरकार ने नहीं आंका माननीय सदस्य यहां पर बार बार यह कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट क्यों नहीं माना गया है। माननीय सदस्यों का नेशनल प्रोजेक्ट से क्या मानना है। अगर वह समझते हैं कि इस राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का सारा का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करे तो यह सही नहीं है क्योंकि हर प्रदेश का अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। वैसे आज हमारे देश में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वह हमारे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

देश के हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि यह हमारा नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है। भारत सरकार ने इसको राजस्थान सरकार को प्लान में दिया है और उसका खर्चा पूरा उसी स्टेट को वहन करना पड़ेगा। एक बात यहां पर मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार ही इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा उठाती तो आज जो कालोनाईजेशन में लैण्ड अलोटमेंट राजस्थान सरकार करती है वह राजस्थान सरकार नहीं करके भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता। आज जो बेटरमेन्ट लेवी की बात हम करते हैं वह उतनी बात नहीं कर सकते थे। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के हितों को मानते हुए इस राजस्थान कैनाल को राजस्थान को दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बन जाने के बाद राजस्थान की माली हालत में सुधार होगा, और हमारे यहां पर खुशहाली आयेगी। न केवल हमारे प्रदेश को ही बल्कि इससे हमारे देश को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसीलिये तो हमने केन्द्रीय सरकार पर प्रिवेल किया और हमारे तर्क को भारत सरकार ने माना और उन्होंने हमें विशेष धनराशि की स्वीकृति दी। इस साल हमें इस काम के लिये मेक्सिमम राशि स्वीकृत की गयी है। हमें साढ़े 23 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने की मन्जूरी दी गयी है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह भारत सरकार ने गत वर्ष हमें चार करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिये और दिया था उसी प्रकार हमें इस साल भी केन्द्रीय सरकार इस प्रोजेक्ट के लिये और धन राशि देगी। ऐसा मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में बार बार यह कहा जाता है कि राजस्थान सरकार हमेशा से ही भारत सरकार के सामने अपना केस ठीक ढंग से रिप्रेजेन्ट नहीं करने की वजह से भारत सरकार के सामने असफल होकर आती है। यह बात बिलकुल सही नहीं है। इसमें कोई वजन नहीं है। क्योंकि अभी नर्बदा के जल के संबंध में विवाद था यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि आप सफल नहीं हो पाये। यह कहना गलत है माननीय सदस्यों को शायद इस बात का इल्म नहीं है। जब हमने केन्द्रीय सरकार के सामने नर्बदा के जल के मिलने के लिये कहा तो उन्होंने हमें पहले इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर राजस्थान का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि वह नदी राजस्थान में से नहीं गुजरती है और इसकी राजस्थान से कोई ताल्लुक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें काफी झगड़ा हुआ। और इस झगड़े में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में काफी वाद विवाद हुआ और इस मामले को तय करने के लिये एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसमें एक हाईकोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस और दो वर्किंग हाईकोर्ट के जज मेम्बर थे। उन्होंने भी यही कहा था कि चूंकि नर्बदा का पानी राजस्थान में कहीं भी नहीं निकलता है इसलिये राजस्थान का इसमें कोई हक नहीं बनता है। हमने उनसे कहा कि जिस तरह रावी, सतलज और व्यास का पानी भी राजस्थान में नहीं निकलता है पर हमें उनसे पानी मिलता है इसलिये नर्बदा का पानी भी हमें मिलना चाहिये। हमने दबाव डाला। हमने उनसे यह कहा कि यह पानी हमारे मुल्क का है और इसलिये इस मुल्क के हर प्रदेश का हक है उस पानी को लेने का। हमें वह पानी कम से कम खर्च में मिल सकता है और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उससे हमारे राजस्थान की काफी जनता को राहत मिल सकती है। काफी फायदा हो सकता है। इसलिये हमें यह पानी मिलना चाहिये।

एक भारतीय होने के नाते हमारा हक बनता है कि हमें नर्बदा का पानी मिलना चाहिये। हालां कि ट्रिब्यूनल ने हमारा हक नहीं माना लेकिन हमारे देश की नेता प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने बीच में इन्टरवीन करके हमें पोईन्ट पांच मिलियन एकड़ फीट में पानी देने के लिये स्वीकार किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस पोईन्ट पांच मिलियन एकड़ फीट पानी का मतलब है ढाई लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होना। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह पानी हमें मिलेगा तब हमारा इस नर्बदा योजना से यह जालोर और बाडमेर का सीमा का जो एरिया है वह सारा का सारा सरसब्ज हो जायेगा। तो राजस्थान सरकार हमेशा से ही भारत सरकार के सामने असफल हो जाती है यह कहना कहां तक उचित है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने नर्बदा वाटर पर कानूनी हक नहीं होते हुए भी अपना राइट एस्टेब्लिश किया, यह कह कर कि देश का पानी है वह हमें मिलना चाहिये।

इसी प्रकार गंगा जमुना के पानीके बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की। यह बात सही है और मैं उन तथ्यों को स्वीकार करता हूं। लेकिन उसमें भी हमने अपना जोर लगाया और माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि अब उसमें राजस्थान को भी पानी देने की बात हो रही है। हमें भी मीटिंग्ज में बैठने को बुलाया है। हालांकि उन्होंने भी हमें यह कहा था कि गंगा और जमुना का पानी आपको नहीं मिल सकता क्योंकि राजस्थान बाइकेरियन स्टेट नहीं है। लेकिन, हमने उन्हें मनवाया कि यह पानी राजस्थान को मिलना चाहिये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में बार बार माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार से दबती है। यह दूसरी बात है कि हमारा देश का जो कान्स्टीट्यूशन है वह इस प्रकार का है जिसमें सभी प्रदेशों की सरकारें केन्द्रीय सरकार के नीचे आती यहां यह स्थिति नहीं है कि प्रदेश अपने मामलों में बिल्कुल ही फ्री है और केन्द्रीय सरकार अपने मामलों में फ्री है। यहां कान्स्टीट्यूशनल स्थिति दूसरी है दूसरा हमारा मुल्क पूरा भारत वर्ष एक है। इसीलिये तो हमने यह तर्क देकर कि गंगा जमुना का पानी हमें मिलना चाहिये वह पानी हम प्राप्त करने की कोशिश में हैं। इसलिये मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अपने प्रदेश की जनता के प्रति जागरुक है और वह अपने प्रदेश की जनता को उनके हकों से महरूम नहीं होने देगी। राजस्थान को गंगा जमुना का पानी मिलेगा और वह पानी आने पर आपके यह झुंझुनू और चूरू के कुछ हिस्से में भी जायेगा। और यह सारा का सारा इलाका सरसब्ज हो जायेगा।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी का सवाल है सिंचाई के लिये राजस्थान के अन्दर पानी इतना नहीं है कि हम दूसरे प्रान्तों के बराबर हों। आखिर हमें अपने पानी पर निर्भर रहना पड़ेगा और जो योजनायें हमने बनायी हैं उन पर ही हमें निर्भर रहना पड़ेगा। हमारे यहां पर कुल 188 टी० एम० सी० पानी है जिसका उपयोग हमें करना है। उससे हम केवल 6 लाख हैक्टेअर जमीन को

(श्री हीरालाल देवपुरा)
सिंचित कर सकते हैं और उस पर हमें लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आज के हिसाब से आने वाले वर्षों में जब यह प्रोजेक्ट बनेगा तो मैं नहीं कह सकता क्या भाव होने वाले हैं उतरेंगे या बढ़ेंगे लेकिन आने वाले वर्षों में साढ़े चार सौ करोड़ खर्च करेंगे। राजस्थान का भविष्य उस पानी पर निर्भर करता है-रावी सतलज से जो पानी मिल रहा हैं और जो पानी नर्बदा, गंगा और जमुना से मिलेगा वह पानी, उपाध्यक्ष महोदय, 500 टी० एम० सी० होता है। रावी-सतलज, गंगा, जमुना व नर्बदा से मिलने वाले कुल पानी को जोड़ें तो वह 500 टी० एम० सी० के लगभग होता है। अभी हम 288 को युटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उससे कहीं ज्यादा पानी हम दूसरी जगह से लेकर सिंचाई की सुविधा लेकर चलते हैं। माननीय सदस्यों का यह कहना है कि सिंचाई की प्रगति कैसे होगी, कैसा राजस्थान का भविष्य होगा, कोई योजना नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को दिमाग से निकाल दें। सिंचाई विभाग की सारी योजना है, प्लॉन बना हुआ है और बराबर सिंचाई विभाग चिन्तित है, बराबर हमें पानी मिले और उसका बराबर उपयोग हो, ऐसी हमारी चेष्टा है।

श्री मोहर सिंह (सादूलपुर) : सिंधमुख के लिए आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अभी तो मैंने खत्म नहीं किया है।

श्री मोहर सिंह : बाद में प्रतिबन्ध है, इसलिये कहता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसी प्रकार राजस्थान की दूसरी परियोजनायें है, हमारी माही योजना है जिसके लिये नाथूराम जी, जो बागीदोरा से आते हैं चिन्तित रहते हैं। वास्तव में उनका चिन्तित होना भी स्वाभाविक है-आदिवासी क्षेत्र है, इस योजना से उस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है इसलिए वह योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं को मालूम है अब तक क्यों नहीं पूरी हो पाई है। इन्टर स्टेट योजना है, गुजरात के साथ जुड़ी हुई है। इसके पहले वर्ष में जब शिलान्यास किया गया था तब यह कल्पना की गई थी कि हम पूरा कर लेंगे। जब इस माही नदी की दूसरी योजना और बनने लगी, गुजरात के साथ इसके हिस्से को मंजूर कर लिया था। प्लानिंग कमीशन के साथ दोनों स्टेट्स जुड़ी हुई हैं तो जब पहले वर्ष में शिलान्यास हुआ तो उन वर्षों में इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं रहा और शिलान्यास होने के बाद लम्बे अर्से तक खाली पड़ी रही और काम नहीं हुआ लेकिन जब से, उपाध्यक्ष जी, इस पर काम शुरू हुआ है, काम तेजी से हुआ है और प्रति वर्ष इस योजना पर प्रावधान बढ़ता रहा है और इस वर्ष माननीय सदस्य की जानकारी के लिये, कहना चाहता हूं जैसे राजस्थान कैनाल को देश की 15 बड़ी योजनाओं में माना गया है उसी प्रकार माही योजना को भी उन 15 में माना गया है और चार करोड़ माही योजना पर भी इस वर्ष अधिक खर्च होंगे-दो करोड़ राजस्थान के और दो करोड़ गुजरात सरकार के, कुल मिलाकर 4 करोड़ चालू वर्ष में मिले है और अगले वर्ष के लिये राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की दोनों का शेयर मिलाकर साढ़े ग्यारह करोड़

(श्री हीरालाल देवपुरा)
स्वीकार किये गये हैं। राजस्थान कैनाल के लिये जैसा मैंने निवेदन किया उसी तरह इसके लिये भी निवेदन करना चाहता हूं आने वाले वर्ष 76-77 में साढ़े ग्यारह करोड़ ही नहीं, हमें ज्यादा मिलने की सम्भावना है और जितनी जल्दी हो सकता है इसको पूरा करने की कोशिश में है। इसके साथ ही एक पॉवर प्रोजेक्ट की भी योजना है, वह पॉवर प्रोजेक्ट की योजना भी तैयार हो रही है, उसकी प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति होगी लेकिन जहां तक......

श्री नाथूराम : कब तक पूरा होगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक इरिगेशन का सवाल है इरिगेशन के लिये हमारी कोशिश है 79 के वर्ष में इससे राजस्थान और गुजरात के इलाके में सिंचाई के लिये पानी लेना प्रारम्भ कर देंगे। 81-82 तक इस परियोजना को कम्पलीट कर पायेंगे लेकिन सिंचाई 79 में चालू कर देंगे जिस तरह से फन्ड्स मिल रहे हैं उसी तरह मिलते गये तो। माननीय सदस्य को दूसरी चिन्ता रही है कि इस बान्ध के ऊपर जो लोगों को रखा गया है, उसमें इस क्षेत्र के लोगों को एम्प्लायमेंट वहां पर नहीं दिया गया है। दूसरे क्षेत्र के लोग यहां पर आकर ज्यादा काम कर रहे हैं। उपाध्यक्षजी, इस डेम पर काम करने वाले स्किल्ड लेबर जिसको हम कुशल श्रमिक कहते हैं, टेक्निकल टाइप के जितने आदमी है, कुल संख्या 2056 है और उसमें बांसवाड़ा जिले के 1068 है, उदयपुर संभाग के 260 है और दूसरी योजनाओं से जो आये हैं चम्बल परियोजना से और व्यास परियोजना से 241 और 114 व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे ह, चम्बल प्रोजेक्ट चल रहा है, काफी लोग थे चम्बल में काम करने वाले। जब चम्बल का प्रोजेक्ट बन्द हो गया तो उसके आदमियों को घर पर नहीं भेज सकते थे, उनको एडजस्ट करना था, 241 व्यक्ति, जो सरप्लस हुये थे, माही प्रोजेक्ट में गये हैं। ठीक इसी प्रकार व्यास परियोजना में जो काम कम्पलीट हुआ तो वहां के 114 आदमियों को लगाया गया। ये सारे के सारे, जो उस जिले के हैं, 1068 है, 260 उदयपुर सम्भाग के लोग हैं, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ के भी आदमी हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अकुशल श्रमिक अनस्किल्ड लोग 6379 हैं इन 6379 में से 5698 व्यक्ति बांसवाड़ा के हैं, 354 उदयपुर सम्भाग के हैं, केवल 9 व्यक्ति चम्बल परियोजना से गये हैं और 1 व्यक्ति व्यास परियोजना से आया है। तो यह कहना गलत है कि इस योजना से वहां पर एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो फिगर्स मैंने दिये हैं इनमें गलती हो, क्योंकि माननीय सदस्य वहां रहते हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि......

श्री नाथूराम : जो एल०डी०सी० से यू०डी०सी० में प्रमोशन हुआ है....

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही एल०-डी०सी० और यू०डी०सी० में प्रमोशन...

श्री नाथूराम : आप बतायें वह गलत है क्या ? आप बतायें....

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह चाहते हैं एल०डी०-

(श्री हीरालाल देवपुरा)
सी०, जो वहां पर है, का प्रमोशन होता है वे बाहर न जायें । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं जब भी एल०डी०सी० का प्रमोशन होगा और यू०डी०सी० की जगह वहां पर खाली होगी तो उस व्यक्ति को बाहर नहीं भेजा जायगा और उसको वहीं प्रमोशन दिया जायगा लेकिन जब एल०डी०सी० से यू०डी०सी० में प्रमोशन आया और प्रोजेक्ट पर जगह खाली नहीं है, जयपुर में जगह खाली है, बीकानेर में जगह खाली है और अगर वह व्यक्ति यह कहता है कि मैं बीकानेर चला जाऊंगा, जयपुर चला जाऊंगा, मुझे प्रमोशन दे दिया जाय तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उस व्यक्ति का प्रमोशन रोक दें ।

श्री नाथूराम : जिन व्यक्तियों का प्रमोशन हो गया है, बांसवाड़े जिले का एल०डी०सी० हैं और यहां के एल० डी० सी० को राजस्थान कैनाल में प्रमोशन दिया है, यह चीज गलत है तो आप बता दें । आप सही चीज क्यों नहीं बताते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बांसवाड़ा के लोगों को बांसवाड़ा तक ही सीमित क्यों रखना चाहते है ?

श्री नाथूराम : छोटे आदमियों को राजस्थान कैनाल में भेजा जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगानगर से निकल गये बहुत खुश हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य यह बता दें, अगर बिना रजामन्दी के किसी को कहीं भेजा हो ।

श्री नाथूराम : एक नहीं, बीसों हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बता दीजियेगा ।

श्री नाथूराम : जनरल बजट डिबेट पर भी बताया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिना इच्छा के क्यों भेजा जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य को मैंने कहा है कि ऐसे केसेज बता दें । ये कहते हैं कि यू०डी०सी० बीकानेर चला गया और बीकानेर का बांसवाड़ा चला गया । उनकी इच्छा के विपरीत ऐसे केसेज हुए हैं तो उनको ठीक करेंगे । ऐसी चीजें यदि हुई हैं और माननीय सदस्य बतायेंगे तो बिलकुल उसको ठीक करेंगे ।

श्री नाथूराम : एक ही प्रश्न माननीय मंत्रीजी से पूछता हूं कि क्या वे जिला लेवल की कमेटी कायम करने के लिये आश्वासन देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कमेटी बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं । कहीं आपको कमी नजर आये उसके लिये आप कहें । अवश्य उस कमी को दूर किया जावेगा ।

श्री नाथूराम : कमेटी का गठन करने में क्या एतराज है ? जहां पर जन प्रतिनिधियों का और कर्मचारियों का सहयोग मिले तो क्या एतराज है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, रिहेबिलीटेशन प्रोबलेम भी बार बार सदन में कही जाती रही है । कडाना और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माही से जो विस्थापित होने वाले हैं उनको बसाया जाना चाहिये। राज्य सरकार इसके लिये पूरा प्रयत्न कर रही है और कडाना के विस्थापितों को बसाने का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। गुजरात सरकार से फैसला कर लिया है और 8 करोड़ रुपये मुआवजा का देने के लिये, लोगों को, आउस्टीज को बसाने के लिये, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये, उनको दूसरी जगह जाकर बसाना पड़ेगा उसके लिये खर्चा देना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था करली है और उनको राजस्थान में बसाने की बात है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि उनको राजस्थान में क्यों बसाया जाता है। उन लोगों को गुजरात में क्यों नहीं भेज दिया जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हल करना होता है। माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वे भी जानते हैं। गुजरात में जो विस्थापित हुए हैं, उनको किस प्रकार से जमीन मिली है। गुजरात में जावेंगे हमारे लोग तो वहां के कानून कायदे के अनुसार मुआवजा देंगे। हमारी अपनी स्टेट के कानून हैं, मुआवजा देने के कानून बना रहे हैं, उन नोर्म्स के आधार, नोर्म्स तय किये हैं उनके आधार पर, उनको इतना पैसा दे रहे हैं, मुफ्त में जमीन दे रहे हैं, रहने के लिये जमीन दे रहे हैं, उन पर उनको बसायेंगे। यह तो उनके अच्छे भविष्य के लिये है।

श्री दिनेशराय डांगी : (श्री नाथूराम के खड़े होने पर) माननीय सदस्य का यह बोलने का तरीका ठीक नहीं है।

श्री नाथूराम : आप बार बार क्यों कहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री दिनेशराय डांगी : Don't speak ..

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दिनेशराय डांगी : ज्यादा समझदार हो गये हैं।

श्री नाथूराम : मेरे क्षेत्र की बात है, मैं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। बिराजिये।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष जी, आप चेयर पर बिराजे हैं। दूसरों को क्या अधिकार है इस तरह से? जिनको जमीन मिलनी चाहिये उनको नहीं मिली है। एक इंच भी जमीन नहीं मिली है। पहाड़ियों पर उनको बसाया जा रहा है। पुनर्वास बिलकुल नहीं हो रहा है। जंगलों को नष्ट कर दिया है। बीच में आपको बोलने का क्या अधिकार है? (श्री दिनेशराय डांगी से)

श्री दिनेशराय डांगी : (अश्रव्य) ...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो पुनर्वास के संबंध में कार्यक्रम चल रहा है उसके आधार पर मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं रहेगा कि बांध में पानी भर जाय उसको नियम पूर्वक न बसा सकें, जमीन अलॉट उसको न कर सकें। बांध बनने से पहले, बांध में पानी आने से पहले उनको बसा देंगे।

एक प्रश्न है गलियाकोट का। उसका भी करीब करीब फैसला हो गया है वहां के लोगों को दूसरी जगह बसायेंगे और उनको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कम्पेन्सेशन देने की बात की है और उस कार्यक्रम को हाथ में लेकर चलना चाहते हैं। ईदगाह और माताजी के मंदिर को, जो कि बांध की डूब में आते थे, बचाने के लिये अलग से व्यवस्था की है और एस्टीमेट बना लिये गये हैं और गुजरात सरकार ने सारा खर्चा अपनी ओर से दिया है और डेम का काम शुरू कर दिया गया है।

इस प्रकार से माही से आने वाले लोगों को बसाने के लिये योजना बन चुकी है। तय कर लिया गया है। पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है। नोर्म्स भी उसी आधार पर तय करने जा रहे हैं जैसे कडाना में किये हैं। जो कडाना के नोर्म्स हैं उसी हिसाब से माही में जिनको बसाया जाना है उनके लिये भी गुजरात सरकार को पैसा देना होगा।

राज्य सरकार कडाना और माही के लिये जागरुक है और जो उपयुक्त दृष्टि से कार्यवाही की जानी चाहिये और मेक्सिमम बैनिफिट मिलना चाहिये उसके आधार पर किया है। इसके विपरीत यहां कहा जाय और आधार लेकर चलें वह बात चलने वाली नहीं है। जो भी तय किया है उन्हीं बातों पर फैसला करके बसाने की कार्यवाही की जा रही है।

चम्बल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रोबलम्स रखीं। माननीय राजस्व मंत्री जीने जवाब दिया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि नहरों में सिल्ट आयी है जिससे उनकी कैपेसिटी में कमी आयी है और तेजी से पानी नहीं पहुंच सकता है। बहुत हद तक यह बात सही है। क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कठिनाइयां आई हैं। उनको ठीक करने की आवश्यकता है। काम करने के लिये नहर का क्लोजर देना पड़ता है और जब यह सवाल आता है तो किसानों की ओर से एतराज आते हैं। रवी व खरीफ दोनों में पानी चाहते हैं और रवी में चार बार पानी चाहते हैं। क्लोजर दिये बगैर काम नहीं चल सकता। इस क्षेत्र की नहरों को हम ठीक करना चाहते हैं तो पर्टीकुलर टाइम के लिये क्लोजर तो मंजूर करना चाहिये। वह होने से ही हो सकता है। कमाण्ड एरिया में काम हो रहा है उसमें गति नहीं हो पा रही है। कैनाल्स, ड्रेनेज को ठीक करना है। कुछ जगह लाइन्स को ठीक करना है। मौका तो मिले जिससे काम कर सकें। वह न मिलाने से नहरें नहीं ठीक कर पा रहे हैं और जो गति देनी चाहिये वह नहीं दे पा रहे हैं। कमाण्ड एरिया में जब से काम शुरू किया है गति मिली है। टेल पर पानी नहीं पहुंच पाया है। माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि राजस्थान कैनाल की तरह का वहां पर सिस्टम नहीं है। बारा बंदी न होने से जो किसान हैड सीपेज पर आते हैं वे नहरों को काट देते हैं और पानी ज्यादा लेते हैं। उसको रोक दें और वह पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है तो हमने कोशिश की कि उस क्षेत्र के अन्दर बारा बन्दी इण्ट्रोड्यूज करें, कितना पानी किसानों को चाहिए उसके हिसाब से कैनाल को रेगुलेट करें और उसी हिसाब से कैनाल की केपेसिटी को बनाये। आउटलेट बनाना होगा। जहां बड़े आउट लेट बने हुए हैं उनको छोटा करना पड़ेगा तो उससे पानी के फ्लो में फर्क आएगा और उसमें एतराज होना स्वाभाविक है। पहली बात तो यह है कि पानी फैलता है और ज्यादा पानी जाता है। जब बारबंदी कर देंगे तो जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देंगे। चूंकि वहां पर परम्परागत

(श्री हीरालाल देवपुरा)
तरीका बना हुआ है जिसको बदल कर नया इन्ट्रोड्यूज करने में समय लग सकता है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसको इंट्रोड्यूज करें और इन दिक्कतों को मिटा सकें। वहां पर वाटर लोगिंग को ठीक करना है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है। योजनाबद्ध तरीके से ये काम हाथ में लिए गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यह दिक्कतें दूर हों और जो पानी पूरे क्षेत्र में पहुंचना चाहिए वह पहुंचे। हैड और टेल तक पानी पहुंचा देवें। जो कुछ भी दिक्कतें हैं उनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया और उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज खास इरिगेशन रेट्स के बारे में कही गई है। अभी जो इरिगेशन रेट बढ़ाई है उसमें कई सदस्यों ने चिंता प्रकट की है। इरिगेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी और किसानों पर बहुत ज्यादा भार डाल दिया, यह भी कहा गया। इस विषय में बजट के ऊपर जब सामान्य बहस हुई थी उसका जवाब देते हुए, माननीय वित्त मंत्रीजी ने बोलते हुए इनके संबंध में काफी स्पष्टीकरण कर दिया था लेकिन आज पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया। इस संबंध में मैं भी निवेदन कर देना चाहता हूं। इरिगेशन रेट्स गत वर्ष हमने बढ़ाई थी उस वक्त भी यह चीज सामने आई थी। उस वक्त से हमारे आस पास स्टेटों में क्या रेट्स हैं और हमने क्या रेट्स बढ़ाई हैं, इसका माननीय वित्त मंत्रीजी ने तुलनात्मक स्टेटमेंट देते हुए बताया था कि राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, तीनों का एक लिंक है। चम्बल क्षेत्र में जो पानी राजस्थान में आता है वह मध्य प्रदेश से आता है। ऊपर, राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल और भाखरा में पंजाब और हरियाणा से आता है। तो इन स्टेट्स की रेटेस का कम्पेरिजन करें तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में रेट्स हरियाणा की जो रेट्स हैं उस हिसाब से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कोई भी रेट राजस्थान में ज्यादा नहीं है। हरियाणा के बराबर हैं। बल्कि कई जगह पर तो राजस्थान की रेटस हरियाणा से कम है। यू०पी० की रेट्स ज्यादा हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप हरियाणा की रेट मनवा देंगे? जो हरियाणा और पंजाब की और मध्य प्रदेश की रेट्स हैं उनका औसत लागू कर दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : सब की रेट्स का सवाल नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूं कि हरियाणा की क्या रेट्स हैं।

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय बचाने के लिए मैं तो एक ही कमिटमेंट चाहता हूं कि जो उनकी रेटस हैं वही एवरेज दे दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : I will tell you just now.

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आवश्यकता है माननीय मंत्री महोदय। यही स्वीकार कर लीजिए, हमको मंजूर है। आप हरियाणा की रेट्स हमारे यहां कर दीजिए हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जायेंगे।

(विराम)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एवरेज हरियाणा और पंजाब का कर दें। मध्यप्रदेश का तो ठीक से मालूम नहीं।

(विराम)

मैं दे दूं साहब।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी रेट्स गलत हैं, मैं आपको उनकी रेट्स बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो रेट्स बढ़ाई हैं। हमारी रेट्स, उपाध्यक्ष महोदय, चावल की राजस्थान की 25) रुपये थी उसको हमने 28) रु० की है और हरियाणा की रेट है 31) रुपया। शुगरकेन की रेट हमारी 35) रु० थी उसको 40) की है और हरियाणा की रेट्स शुगरकेन की 40) रुपया है। गेहूं की रेट 15 रु० थी, उपाध्यक्ष महोदय, हमने 21) रु० की है और हरियाणा की रेट्स 25) रु० है। ग्राम की रेट हमारे यहां पर दो थी, वन वाटरिंग और टू वाटरिंग। हरियाणा में एक ही रेट है। उनकी, हरियाणा की ग्राम की रेट 20) रु० है और हमारे यहां टू वाटरिंग की 20) रु० और सिंगल रेट 14) रु० है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, बार्ले की हमारी रेटस 11) रु० थी उसको 15) रु० की है और हरियाणा की रेट्स 27) रु० है। तो जो रेट्स हमने अभी बढ़ाई हैं, जो ईरिगेशन रेट्स बढ़ाई हैं, हरियाणा को कम्पेयर करके देखें तो केवल शुगरकेन है जहां पर हमारी रेट बराबर है अन्यथा हरियाणा से सब मामलों में रेट्स कम हैं। इसलिए माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि हरियाणा की रेट्स दे दीजिए तो वह पहले की रेट्स बोल रहे हैं; अभी बजट भाषण में ये रेट्स बढ़ाई हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखीं। भारत सरकार से हमारे ऊपर रेट बढ़ाने का प्रेशर आया था और हमसे कहा गया कि रेट बढ़ाओ तो पैसा देंगे। हमने कह दिया कि चूंकि पानी के हिसाब से हरियाणा और पंजाब से हम लिंक्ड हैं, मध्य प्रदेश लिंक्ड है, अगर उनकी रेट बढ़ती है तो हम भी रेट बढ़ायेंगे। अगर उन्होंने रेट नहीं बढ़ाई तो हम भी नहीं बढ़ायेंगे। भारत सरकार ने हरियाणा को कम्पेल किया और हरियाणा को रेट बढ़ानी पड़ी और हरियाणा ने जब ईरिगेशन रेट्स बढ़ा दीं तब हमने अपने यहां रेट्स बढ़ाई हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने पिछली बार बोलते हुए कम्परेटिव कास्ट आफ प्रोडक्शन बताई थी कि फ्लो आफ ईरिगेशन से क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन आता है और इलेक्ट्रिक मोटर से क्या कोस्ट आती है और डीजल पम्प हैं और परम्परागत तरीका है बुलक का या कुओं से काम चलाते हैं उनका रेश्यो क्या क्या है। वह था 1-15-30-50 जब एक रुपया हमारी फ्लो आफ वाटर से कास्ट बैठती है जहां पर 15) रु० का खर्चा जो इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं उसमें आता है और 30) रु० डीजल पम्प से आता है और 50) रु० बुलक से जो खेती करते हैं उसमें आता है तो यह खर्चे का रेश्यो 1-15-30-50 का है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखने की बात है कि इसमें कितना खर्चा आता है और इसके अलावा दूसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, यह फ्लो आफ वाटर कितने लोगों को मिल रहा है। फ्लो आफ वाटर केवल 7 पर्सेन्ट कल्टीवेटर्स को अवेलेबल है। जो कुल एग्रीकल्चर का 17 पर्सेन्ट हमारा ईरिगेशन एरिया है उसमें इनका रेश्यो 7.5 पर्सेंट या 8 पर्सेंट आता है और 8 पर्सेंट कल्टीवेटर्स हैं जिनके लिए राजस्थान कैनाल भाखरा सिस्टम, गंग कैनाल, चम्बल एरिया या हमारे

(श्री हीरालाल देवपुरा)
दूसरे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके कल्टीवेटर्स को यह फैसेलिटी है, जिनमें इनकी वजह से खुशहाली आई है। इन 7-8 पर्सेंट लोगों की वकालत करने के लिए वे भूल जाते हैं उन 92 प्रतिशत लोगों को....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर आपने गलत डिस्कशन शुरू कर दिया माननीय मंत्री महोदय, आप ऐसा करिये कि राजस्थान कैनाल.....

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन लोगों को ज्योग्राफिकल एडवांटेज की वजह से....

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री हीरालाल देवपुरा : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमने जो रेट्स में बढ़ोतरी की है और जो रेट्स बढ़ाई हैं वह कितनी बढ़ी है, कितना उनका इम्पेक्ट है, वह बढ़ाने के बाद पूरा नहीं पड़ता है और वह केवल सात पर्सेंट लोगों की बात कर रहे हैं और उस समय राजस्थान के 92 पर्सेंट काश्तकारों को भूल जाते हैं जो भी खेती करते हैं। उनके प्रोडक्शन का भाव भी वही मिलने वाला है जो सात पर्सेन्ट को मिलेगा। दोनों के प्रोडक्शन का भाव एक ही होने वाला है। उनके भावों में डिफरेंस होने वाला नहीं है। इनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होगी उनकी ज्यादा होगी। तो यह भी एक पहलू है और दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, आज इन प्रोजेक्ट्स पर जो खर्चा कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के खर्चे को अगर हम देखें तो वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि इनका इन्ट्रेस्ट और मेंटीनेंस मिला कर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने पर एकड़ कास्ट भी वर्क आउट की है पर्टीक्यूलर की ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : हम केवल नियर अबाउट मेंटीनेंस पूरा कर रहे हैं। मेंटीनेंस जितना पैसा भी नहीं मिल रहा है। इन्ट्रेस्ट का पैसा तो इन रेट्स के बढ़ाने के बाद भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से जो रेट्स बढ़ाई गई हैं वह किस तरह से काश्तकारों को महंगी पड़ रही हैं। क्योंकि इससे ज्यादा उत्पादन काश्तकारों को होगा कम खर्चा करके और इससे कम खर्चे से उत्पादन कर रहे हैं और उनको प्रोफिट बढ़ गया है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बातें जो यहां उठाई गई मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की है। एक माननीय सदस्य ने सिधमुख के बारे में कहा था, उसके सम्बन्ध में भी निवेदन कर दूं। सिधमुख योजना के लिए मैंने कल सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किया था कि राज्य - सरकार इस योजना को बहुत जल्दी पूरा करना चाहती है, लेकिन इन्ट्रेस्टेड मामला जहां होता है तो निश्चित रूप से मैं कह दूं कि फलां तारीख तक हो जायगा यह सम्भव नहीं हो सकता। सिधमुख के बारे में भाखरा सिस्टम से इस इलाके के अन्दर पानी लाने के बारे में पंजाब और राजस्थान के बीच में बात चल रही है और बहुत बातें हो चुकी हैं और कुछ बातें रहीं हैं, फाइनल डिसीजन उस चीज का नहीं हो पाया है। शीघ्र ही उसको पूरा कर देंगे। ज्योंही वह स्वीकार होगा तो सिधमुख का

(श्री हीरालाल देवपुरा)

काम शुरू कर देंगे ताकि इस क्षेत्र के अन्दर पानी आ जाय ....

श्री मोहरसिंह : कितने महीने लग जायेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : भाखरा सिस्टम की जसराना ब्रान्च में इन्टेंसिटी कम है; उसको भी पानी दे सकेंगे। उस क्षेत्र की इन्टेंसिटी हम बढ़ा सकेंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह था कि लिंक जसौर ब्रान्च का काम बन्द कर दिया गया है। उसमें यह सन्देह हुआ कि राजस्थान कैनाल की सेकण्ड स्टेज की कल्पना की थी। सेकण्ड स्टेज रामगढ़ तक जायगी और वहां तक पानी जाय और एरिया इर्रिगेट होगा बीकानेर का जैसलमेर का एरिया और, इसके आगे जसौर ब्रांच बन्द हुई तो यह शक पैदा हुआ कि राजस्थान कैनाल यहां पर रुक जाय और बचा हुआ पानी लिफ्ट के माध्यम से आस पास के इलाकों को दिया जाने वाला है। राजस्थान कैनाल को लिफ्ट करके आस पास के कितने इलाकों को सिंचित किया जा सकेगा, नागौर जिला, चूरू जिला, जोधपुर जिले के कुछ इलाके आते हैं जहां पर यह टेक्निकली इस आधार पर जो सर्वे किया गया प्रिलिमिनरी उस आधार पर ऐसा लगता है कि पानी को लिफ्ट किया जाय तो इन क्षेत्रों के अन्दर पानी आ सकता है, और इन क्षेत्रों की भूमि धोरों की जमीन उपजाऊ और समतल है। कुछ हल्की जगह आई हुई है उस भूमि का उपयोग हो और अगर उसको पानी मिलेगा तो जल्दी ही उसका रिटर्न मिल सकेगा और ज्यादा रिटर्न मिल सकेगा और उस इलाके को रिहेबिलिटेट करने में भी ज्यादा व्यय नहीं करना पड़ेगा, और इस इलाके के अन्दर बार-बार फेमीन का असर रहता है तो उससे भी इसको बचाया जा सकता है अगर यह योजना पासिबल है। पानी का उपयोग किया जाय, सारे के सारे पानी का उपयोग किया जाय या कुछ पानी का उपयोग किया जाय। 110 पर्सेंट की इन्टेन्सिटी को लेकर चलते हैं तो राजस्थान कैनाल में 110 पर्सेंट की इन्टेन्सिटी इर्रिगेशन की है उसमें कहीं कमी करनी पड़ेगी और कमी कर इस एरिया को कितना पानी दे सकेंगे। तो सर्वे कराया। उसके लिए कमेटी बैठाई है कंवरसेन की चैयरमेनशिप में। उनकी रिपोर्ट 30 मई तक मिलेगी। उस आधार पर फैसला कर पायेंगे कि लिफ्ट से इसको इर्रिगेट किया जा सकता है। अगर लिफ्ट से इर्रिगेट किया जा सकता है, और वह इकोनामिकली ठीक निकलती है तो उस हिसाब से राजस्थान कैनाल के आगे का कार्यक्रम लेना होगा, उसी हिसाब से कैनाल बनाना होगा, उसके हिसाब से ब्रान्चेज और माइनर्स बनानी होंगी। इसलिए फिलहाल इस काम को रोक रखा है। इसलिए नहीं रोका है कि उन इलाकों में पानी नहीं ले जाना चाहते हैं या पानी ले जाने पर बतौर ब्रान्च की केपेसिटी कम होगी और राजस्थान कैनाल की केपेसिटी कम होगी। यह ठीक तब हो पायेगा जब कि लिफ्ट में कितना पानी ले पायेंगे और किस किस जगह पर कितना कितना पानी दे सकेंगे, कोआर्डिनेट करने की दृष्टि से इसको रोका है। यह फैसला नहीं किया है बतौर बान्च नहीं बनेगी। यह टेम्प्रेरी फेज है क्योंकि बहुत जल्दी ही इसका फैसला करेंगे और उसके बाद जिन कार्यक्रमों को जो रोक रखा है उसको चालू करने की स्थिति में आ सकेंगे।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जो बातें माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की माइनर इरिगेशन के सम्बन्ध में रखी हैं और उन पर चर्चा की है, मैं समझता हूं कि जो जो महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे हाथ में हैं, चाहे वह मीडियम हो, चाहे माइनर हो, उनको हमने इस प्रगति रिपोर्ट में दे दिया है कि कब कब वे खत्म होंगी । गोगासपुरा और दूसरी चीजों के बारे में बता दिया है । जो नहीं हो सकती हैं मैंने प्रगति रिपोर्ट में साफ साफ बताया है । माइनर प्रोजेक्ट्स के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की बातें कहीं हैं वह मैंने नोट की हैं । उनके संबंध में जानकारी करूंगा और जहां पर प्रोजेक्ट बन सकते हैं उनको बनवा देंगे । प्रावधानों के बारे में माननीय सदस्य हमेशा मुझे यह कहते हैं कि मैं राजस्थान के बजट का बहुत बड़ा भाग लेकर चलता हूं और वह ठीक भी कहते हैं क्योंकि इरिगेशन और पावर को आज प्रायोरिटी में हम ले रहे हैं तो निश्चित तौर से इन पर अधिक खर्चा होगा...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और एलण्डर विदाउट डेन्जर पी० डब्ल्यू० डी० भी है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आज सारा खर्चा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 47 करोड़ रुपया इरिगेशन का है उसमें से 23॥ करोड़ राजस्थान कैनाल का है, 10 करोड़ रुपया व्यास पर है और 6 करोड़ रुपया माही पर है । इस तरह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तीन हैं उनमें बंटा हुआ है । उसमें से नये वर्क्स को हाथ में लेने के लिए पैसा नहीं बचता है । माइनर प्रोजेक्ट्स में 1 करोड़ 45 लाख रुपया इरिगेशन हैड पर मिलने वाला है उसमें माइनर इरिगेशन वर्क्स जो हाथ में हैं उनको पूरा करना है, और इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना के जो भी माइनर इरिगेशन वर्क्स साथ में हैं वह चालू हैं उनको पूरा करने के लिए लगभग साढ़े दस करोड़ मुझे चाहिए । उनका कहना है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना सीमित की हुई है और साढ़े सात करोड़ रुपया उसमें कम पड़ रहा है । जितना मिला है उसमें माइनर इरिगेशन जो हाथ में लिये हुए हैं उनको पूरा किया जा रहा है । शिलान्यास, यहां पर यह कहा गया है कि जोधपुर में रामप्रसादजी लढा द्वारा किया हुआ पड़ा है, हरिदेवजी द्वारा शिलान्यास किया हुआ पड़ा है और भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहनलालजी सुखाड़िया द्वारा किये गये शिलान्यास पड़े हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मेरे अपने क्षेत्र में और भी मेवाड़ा के दूसरे क्षेत्रों में माननीय सुखाड़ियाजी के किये हुए कई शिलान्यास हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जो पैसा आया हुआ है उसको कैसे उपयोग में लायें यह देखना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो शिलान्यास किये हुए प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वह किसी मंत्री के किये हुए हों या भूतपूर्व मुख्य मंत्री के किये हुए हों या वर्तमान माननीय मुख्य मंत्रीजी के किये हुए हों या वर्तमान सिंचाई मंत्रीजी के किये हुए हों या भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी के किये हुए हों उन कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी, मैं मानता हूं, हमारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें समय चाहिए और स्थिति बनने से उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं ।

यही कहते हुए मैं अन्त में एक बार फिर माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करते

(श्री हीरालाल देवपुरा)
हुए निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों मांगे जो मैंने प्रस्तुत की हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मोहरसिंह से) आपके सप्लीमेंट्री का जवाब आ गया।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : लेकिन राजस्व मंत्री के जवाब का क्या हुआ? वह जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक आधा मिनिट का टाइम देंगे तो कहूंगा कि राजस्थान कैनाल में जमीन का जो एलाटमेंट किया जा रहा है उसमें लाटरी सिस्टम क्यों नहीं रखा जाता है? उसको किसी तरह से मोड़ दें और हर गांव या पंचायत समिति के 15-20 लोग एक जगह आबाद हो सकते हैं तो वह एक दूसरे के सहयोग से खेती करने में कामयाब हो सकते हैं। यह वस्तु-स्थिति है। इसकी तरफ चलना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपने डिमाण्ड पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए इस बात को नहीं कहा है।

श्री मोहरसिंह : इस चीज को मैं मानता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे काम से बेहतर है मेरी खामोशी कि आपके सवाल की आबरू रख ली।

श्री मोहरसिंह : इसका जवाब बाद में दूंगा। मेरी गलती थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण चीज है इसका आपको जवाब देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो कुछ भी सुझाव दिया है तो आपका सुझाव जहां तक मैं समझता हूं वह यह है कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में अब जो पहले चरण के अंत में और दूसरे चरण के प्रारम्भ में बने डिफिकल्ट टेरेन हैं उस डिफिकल्ट टेरेन के अन्दर जो—आपने क्या वर्ड यूज किया है लेकिन हमारी तरफ बड़े वड़े गाजे कहते हैं, यह लोकल डाइलेक्ट है —आये हुए हैं उसमें खेती करना और वहां पर लोगों को रिहेबिलिटेट करना और बसाना दुश्कर काम है, इसलिए आप यह चाहते हैं कि एक गांवों के लोगों को सम्मिलित तौर पर वहां पर उनको बसाया जाय। अगर लाटरी डाल देंगे तो एक गांव के लोग एक जगह कैसे आयेंगे और वह एक दूसरे की उन घोरों में मदद कैसे कर सकेंगे? ....

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंट मैं और कहना चाहता हूं। मुख्य बात माननीय सदस्य ने यह उठाई थी कि सिंचित क्षेत्र में जमीन एलाट होने वाली है और कुछ इलाके ऐसे रहते हैं उन लोगों के लिए जो जमीनें एलाट कर रहे हैं गरीब लोगों को जिनके पास में स्थिति नहीं है उनको जमीन पर आबाद करने का हमने क्या सोचा है। उनका कैसे हो सकेगा। कुछ जगह ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट में नहीं आती हैं। उनके लिए केवल मात्र अण्डरग्राउन्ड वाटर ही हो सकता है। उस खेत में पानी आयेगा। एक आदमी जो कुआ नहीं खोद सकता है, कुआ खोदने की क्षमता नहीं रखता है तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा है माइनर स्कीम बनाने की सोच रहे हैं। राज्य सरकार के विचाराधीन है। कौन कौन से महकमें होंगे, इस पर जल्दी ही निर्णय लेंगे। जो कार्पोरेशन बनेगा वह इस मौके

(श्री हीरालाल देवपुरा)
पर उस क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करा सके, इसलिए लिफ्ट योजना की बात की गई। वह कुछ मंहगी पड़ती है। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं। जहां जहां ऐसे साधन हैं, वहां वहां लिफ्ट योजनाएं बनवा दें ताकि लोगों को फायदा दे सकें और वह लोग लाभ उठा सकें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक अनाउन्समेण्ट और करना है। मैं भूल गया। वह यह है कि सरकार का निर्णय यह है कि Rajasthan Colonisation (Allotment of land in Rajasthan Canal Colony) Rules, 1975

रूल्स में एक प्रायोरिटी दी हुई है। रूल 7 और रूल 13 में एडवाइजरी कमेटी है। उसमें यह दिया गया है—

The landless person of such Contiguous area of Rajasthan which has no major or medium irrigation projects....

जिसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। जिनकी अर्जियां आज बीकानेर में कन्सीडर हो रही हैं। वहां यह मांग थी कि एक हमारा सदस्य भी रहना चाहिए। यह पूरे जिले का शिड्यूल्ड कास्ट्स का सदस्य रहेगा। जो बीकानेर जिले के नोखा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वह किसी भी जिले में बैठ सकते हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इन तीनों जिलों में एक शिडयूल्ड कास्टस सदस्य, जो कि विधान सभा का मेम्बर है, एडजोनिंग डिस्ट्रिक्ट का सदस्य है, नॉमीनेट कर दिया जाय ताकि वह भी इसमें शामिल हो जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो एग्जिस्टिंग कमेटी है, उसके अलावा ?

श्री परसराम मदेरणा : उसके अलावा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,17,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 37 स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,05,00,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 45 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 19 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8-15 बजे, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 1976 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 141 की सूची)

सूची 'अ'

श्री पुरुषोत्तम दास ओझा, प्रसार अधिकारी, दौसा से कार्यालय से कथित अनुपस्थिति का विवरण :

क्र० सं०	दिनांक	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा अनुपस्थिति अंकित की गई
1	1-9-75 से 3-9-75	सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, दौसा ।

सूची-'ब'

श्री पुरुषोत्तम दास ओझा, प्रसार अधिकारी, दौसा की बिना पूर्व अनुमति के जयपुर की यात्राओं का विवरण:—

क्र० सं०	दिनांक
1.	30-7-75
2.	15-7-75 से 18-7-75
3.	4-8-75 से 6-8-75
4.	22-8-75 से 25-8-75
5.	2-9-75
6.	20-10-75
7.	24-10-75
8.	28-10-75
9.	29-10-75
10.	11-11-75
11.	12-11-75
12.	15-12-75 से 17-12-75
13.	4-1-76
14.	23-1-76 से 24-1-76

———

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 143 की सूची)

प्रश्न संख्या 2 के अनुसार बकाया बिक्री कर का विवरण

कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण के अनुसार कुल कर दायित्व	प्रपत्रों के अनुसार देय कर	जमा	बकाया
1	2	3	4	5
1965–66	22,864-49	—	कुल जमा	कुछ नहीं
1966–67	35,981-10	—	,,	,,
1967–68	35,004-49	—	,,	,,
1968–69	48,211-97	—	,,	,,
1969–70	74,421-03	—	,,	,,
1970–71	—	61,392-48	32,000-00	29,392-48
1971–72	—	प्रपत्र पेश नहीं हुआ	—	—
1972–73	—	44,606-41	44.606-41	कुछ नहीं
1973–74	—	58696-35	51,325-68	8,080-67
1974–75	—	53,565-84	53,542-13	23-71
1975–76	—	29,676-89	29,676-89	कुछ नहीं
1976–77 (प्रथम तिमाही)	—	8,193-93	3,193-93	5,000-00
			कुल बकाया	42,496-86

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

23 बी० बी० में पक्की ईंटों के भट्टों को अतिरिक्त पानी

145. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 23 बी० बी० में पक्की ईंटों के भट्टों को कितना कितना और कब कब से नहर का पानी किस किस को मिल रहा है ?

(2) क्या यह सच है कि उन भट्टों वालों को उनके कब्जे की भूमि का पानी भी मिल रहा है और भट्टों को अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) पानी भी ?

(3) जो अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) पानी मिल रहा है वह भी नाली से जितना पानी मिलना चाहिए, उससे अधिक मिल रहा है जैसे 25 बीघे को 2 घण्टे 36 मिनिट पानी मिल रहा है उस हिसाब से नाली का पानी जो भट्टों को मिल रहा है वह एक घण्टा 58 मिनिट होना चाहिये वह 2 घण्टे 23 मिनिट मिल रहा है ?

(4) यह फालतू पानी जो 23 बी. बी. के भट्टों को मिल रहा है इसकी जिम्मेवारी किसकी है ?

(5) जिस तरह किसान को यदि वह फालतू पानी लगा ले तो उस पर बड़े बड़े तावान कायम किये जाते हैं तो इस भट्टे वाली जमीन को फालतू पानी पर तावान कायम न करने और कोई किराया वसूल न करने के क्या कारण हैं और सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी और कब तक ?

उत्तर

(1) चक 23 बी. बी. में पक्की ईंटों के दो भट्टे हैं, और प्रत्येक भट्टे को 0.033 घनफुट प्रति सैकण्ड के अनुसार नहरी पानी दिया जाता है जिससे हर एक भट्टे को 2 घन्टे 26 मिनिट बारी दी जा रही है। एक भट्टा मैसर्स आगीराम निर्वदर्शनकुमार को तारीख 16-3-73 से व दूसरा भट्टा मैसर्स केहरसिंह कश्मीरसिंह को तारीख 15-9-74 से नहरी पानी दिया जा रहा है।

(2) मु० नं० 31 के भट्टे को भट्टे के अतिरिक्त पानी के अलावा उसके सिंचित क्षेत्र का भी पानी दिया जा रहा है। दूसरा भट्टा जो कि मु० नं० 46 में है वह असिंचित क्षेत्र में लगा हुआ है और उसको केवल भट्टे का ही पानी दिया जा रहा है।

(3) उपरोक्त (1) के अनुसार प्रत्येक भट्टे के लिए 0.033 घनफुट प्रति सैकण्ड पानी स्वीकृत है जिसकी बारी इस चक में 2 घन्टे 26 मिनिट बनती है। यह सही है कि इस चक में 25 बीघे रकबे को 2 घन्टे 37 मिनिट पानी की बारी दी जा रही है पर यह मानने योग्य नहीं है कि भट्टे के पानी की बारी 2 घन्टे 23 मिनिट के बजाय 1 घन्टा 58 मिनिट होनी चाहिए क्योंकि डिस्चार्ज के हिसाब से प्रत्येक भट्टे का हक इस चक में 2 घन्टे 26 मिनट की बारी का ही बनता है और दिया जा रहा है।

(4) चक 23 बी. बी. में भट्टों की स्वीकृति के अनुसार ही पानी दिया जा

(सिंचाई मंत्री)

रहा है। भट्टे के अन्तर्गत आई भूमि के गैर मुमकिन करार दिये जाने के संबंध में जिलाधीश कार्यालय के द्वारा दिनांक 31-1-76 को मिली है। अतः अतिरिक्त पानी को रोकने की कार्यवाही अमल है। इस संबंध में बारी संशोधन से करदी जायगी।

(5) भट्टे के लिए जो पानी दिया जा रहा है उसकी कीमत भट्टे के मालकान से नियमानुसार जमा करवाई जाती रही है और भट्टे का पानी भट्टे में ही उपयोग में लिया जा रहा है वैसे सिंचित रकबे का पानी इसी मुरब्बे के अन्य सिंचित रकबे में ही उपयोग में लिया जा रहा है। जिलाधीश कार्यालय से सूचना प्राप्त करली गई है और सिंचित रकबे के निमित्त पानी को रोकने की कार्यवाही की जा रही है अगली संशोधन बाराबन्दी में यह रोक लगा दी जावेगी।

भू० पू० सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सवाई माधोपुर के विरुद्ध आरोप

155

146. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि श्री कुंजबिहारी शर्मा, भू० पू० सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सवाई माधोपुर के खिलाफ महुआ, जिला सवाईमाधोपुर की किसी फर्म से रिश्वत लेने के गम्भीर आरोपों की शिकायत हुई है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री शर्मा ने रिश्वत एक चैक के द्वारा ली है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह भी सच है कि श्री शर्मा ने एक ग्राम सेवा सहकारी समिति की कन्ट्रोल वितरण की चीनी उपभोक्ताओं को वितरण न कराकर एक शादी में काम में ली है? यदि हां, तो उस ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम क्या है? तथा इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) श्री कुंजबिहारी लाल शर्मा, भू० पू० सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सवाई माधोपुर के विरुद्ध बंसल कृषि यंत्र भंडार, महुआ से 2,000) रु० का चैक रिश्वत के रूप में लेने की शिकायत श्री गंगासहाय त्रिवेदी ने दिनांक 7-1-76 को की है। इसकी जांच संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर द्वारा की जा रही है।

(2) बहरामडा खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, (पंचायत समिति, खंडार) की 12 बोरी चीनी में से 3 बोरी श्री कुंजबिहारी लाल द्वारा निजी उपयोग में लिये जाने संबंधी शिकायत है। जिसकी जांच संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

राज्य में शराब बन्दी कार्यक्रम

147. **श्री मोहन राज** (बाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार ने राज्य में शराब बन्दी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से (लोकल आप्शन) स्थानीय जनता की राय का नियम लागू किया है? यदि हां, तो

(श्री मोहनराज)
इस संबंध में लिये गये सरकारी निर्णय की एक प्रतिलिपि तथा जनता की राय जानने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के दस्तावेज की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है।

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 16 दिसम्बर, 1975

संख्या : जी०एस०आर० ———

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम 2, सन् 1950) की धारा 41 के खण्ड (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–(क) इन नियमों का नाम राजस्थान आबकारी (स्थानीय विकल्प द्वारा देशी मदिरा की दुकानें बन्द करना) नियम, 1975 है।

(ख) इनका प्रवर्तन राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशित होने पर होगा।

2. परिभाषाएं:–(का) इन नियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'कलक्टर' से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है,

(ख) 'मदिरा की दुकान' से देशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिये कोई दुकान अभिप्रेत है, और इसमें उसकी उप-दुकानें सम्मिलित हैं,

(ग) 'पंचायत' से राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अधीन स्थापित न्याय पंचायत अभिप्रेत है,

(घ) 'पंचायत क्षेत्र' से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर एक न्याय पंचायत की अधिकारिता का प्रयोग होता है,

(ङ) 'उप-खण्ड अधिकारी' तथा 'तहसीलदार' से क्रमशः राजस्व उप-खण्ड और तहसील का भार धारण करने के लिये नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है,

(च) 'मतदाता' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में दर्ज है, तथा

(छ) 'वर्ष' से 1 अप्रेल से प्रारम्भ होकर अगली 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है

(खा) इन नियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में जो परिभाषित हैं, उसके वही अर्थ होंगे पूर्वोक्त अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किये गये हैं।

3. यदि किसी पंचायत क्षेत्र के मतदाता उस पंचायत के मतदाताओं की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई भर्ती द्वारा उस पंचायत

(आबकारी मंत्री)
क्षेत्र में किसी मदिरा की दुकान को, इसमें इसके पश्चात अधिकाधिक रीति से बन्द करने का विकल्प करें, तो यह दुकान ऐसा मतदान करने के ठीक अगले वर्ष के प्रारंभ से बन्द कर दी जायेगी।

4. किसी भी पंचायत क्षेत्र में काम करने वाली मदिरा की किसी अथवा समस्त दुकानों या उप-दुकानों को बन्द करने के प्रश्न पर जनता की राय अभिनिश्चित करने के के लिये उस पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा संबंधित उप-खंड अधिकारी को प्रारूप 1 में आवेदन किया जा सकेगा।

परन्तु ऐसा कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक उप पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई मतदाताओं ने उस मांग के समर्थन में उक्त आवेदन पर अपने हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान न कर दिये हों।

5. उप-खण्ड अधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि उन आवेदकों की संख्या पंचायत क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या के दसवें भाग से कम नहीं है, जो उस पंचायत क्षेत्र में मतदाता हैं और जिन्होंने आवेदन पर अपने हस्ताक्षर किये हैं। अंगूठे का निशान लगाया है, तो वह उस आवेदन को तदर्थक पृष्ठांकन के साथ आबकारी आयुक्त के पास भेज देगा।

6. यदि आबकारी आयुक्त नियम 5 के अधीन उप-खण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के साथ आवेदन प्राप्त होने पर यह समझे कि आवेदन इन नियमों के अनुसार नहीं है। अथवा वह यह समझे कि इसमें उप-खण्ड अधिकारी को आगे और रिपोर्ट मंगाने की आवश्यकता है, तो यह जैसी मांग उस आवेदन में की गई है, मदिरा की दुकान बन्द करने के प्रश्न पर उस पंचायत क्षेत्र की जनता की राय मतदान द्वारा निश्चित करने के लिये संबंधित कलक्टर से अनुरोध करेगा।

परन्तु आबकारी आयुक्त की राय में यदि आवेदन इन नियमों के अनुसार न हो तो वह इसकी एक रिपोर्ट सरकार को भेजेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और उसे आवेदकों की सूचनार्थ पंचायत को सूचित करेगा।

7. कलक्टर तदुपरान्त प्रस्तावित मतदान की लोक सूचना प्रारूप 2 में जारी करेगा और उसे पंचायत के सूचना पट्ट पर और जैसा वह उचित समझे पंचायत क्षेत्र के अन्य स्थानों पर प्रकाशित करेगा। कलक्टर उक्त लोक सूचना के पंचायत क्षेत्र में प्रकाशन की तारीख और मतदान की तारीख के बीच कम से कम 15 दिन की कालावधि का अन्तर रखेगा।

8. कलक्टर, मतदान संचालित करने के लिये एक पीठासीन अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और मतदान संचालित करने में उसकी सहायता के लिये मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा।

9. मतदान यथावश्यक परिवर्तनों सहित उसी रीति से संचालित किया जायेगा जो राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अधीन विहित नियमों में पंचो के निर्वाचन हेतु अभिकथित की गई है।

(आबकारी मंत्री)

10. मतदान के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाने वाला मतपत्र प्रपत्र–3 में मुद्रित होगा।

11. पीठासीन अधिकारी, मतदान हो चुकने के पश्चात् मदिरा की दुकान बन्द करने के पक्ष और विपक्ष में डाले गये मतों की संख्या गिनेगा, परिणाम की घोषणा करेगा और मतदान के अभिलेख के साथ दो प्रतियों में एक रिपोर्ट प्रारूप–4 में कलेक्टर को भेजेगा।

12. कलक्टर उक्त रिपोर्ट की एक प्रति अपनी टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, आबकारी आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

13. यदि पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या के कम से कम 2/3 मतदाताओं ने उस दुकान को बन्द करने के पक्ष में मत दिया हो तो आबकारी आयुक्त पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत क्षेत्र की उस दुकान को, उस वर्ष के ठीक आगामी वर्ष के प्रारंभ से बन्द करने का आदेश देगा जिसमें मतदान हुआ हो।

14. यदि किसी मतदान से, जो उपरोक्त अभिकथित रीति से आयोजित किया गया हो, पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या के कम से कम 2/3 मतदाताओं ने किसी मदिरा की दुकान या उप-दुकान को बन्द करने के पक्ष में मत नहीं दिया हो तो उस दुकान या उप-दुकान को बन्द करने के लिये पंचायत क्षेत्र में जनता की राय अभिनिश्चित करने हेतु कोई भी आवेदन उस तारीख से, जिसको ऐसा मतदान पिछली बार हुआ था बारह मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व ग्रहण नहीं किया जावेगा।

15. निर्वाचन नामावलियों तथा प्रयुक्त एंव अप्रयुक्त मतपत्रों सहित मतदान का अभिलेख मतदान की तारीख के बाद बारह मास की कालावधि के लिये सुरक्षित रखा जावेगा जब तक कि सरकार या किसी समर्थ न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाय।

(संख्या एफ 2(3)एफसी/एक्स(73)
राज्यपाल के आदेश से,
एसडी /-
(बी०एल०पानगड़िया)
उप-शासन सचिव ।

(188)

प्रारूप–1

(राजस्थान आबकारी स्थानीय विकल्प द्वारा देशी मदिरा की दुकानें बन्द करना नियम, 1975 का नियम 4 देखिये)

सेवा में;

उप-खण्ड अधिकारी

महोदय,

हम, पंचायत ——————— तहसील——————— जिला ——————— के निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत मतदाता यह मांग करते हैं कि हमारी न्याय पंचायत क्षेत्र के भीतर देशी मदिरा की दुकान / उप-दुकान ——————— (स्थान का नाम उल्लेखित करें) बन्द कर दी जाय ।

हमारा अनुरोध है कि उपर्युक्त मांग पर हमारे पंचायत क्षेत्र में जनता की राय अभिनिश्चित करने के लिये मतदान करवा लिया जाय ।

भवदीय,

क्र० सं०	मतदाता का पूरा नाम	निर्वाचक नामावली में वह संख्या जिस पर मतदाता का नाम अंकित है	मतदाता के हस्ताक्षर बायें हाथ के अंगूठे की निशानी
1	2	3	4

प्रारूप-2

(राजस्थान आबकारी स्थानीय विकल्प द्वारा देशी मदिरा की दुकानें बन्द करना नियम, 1975 का नियम 7 देखिये)

मतदान की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पंचायत ——————— तहसील ——————— जिला ——————— के कार्यालय में

दिनांक ——————को —————— बजे के बीच पंचायत क्षेत्र में स्थित देशी मदिरा की दुकान ——————/ उप-दुकान ——————के बन्द करने के प्रश्न पर पंचायत क्षेत्र में जनता की राय अभिनिश्चित करने के लिए मतदान किया जाना है।

स्थान —————— कलेक्टर

दिनांक —————— जिला ——————

प्रारूप-3

(राजस्थान आबकारी स्थानीय विकल्प द्वारा देशी मदिरा की दुकानें बन्द करना नियम, 1975 का नियम 10 देखिये)

प्रारूप-3

ग्राम पंचायत क्षेत्र —————— में स्थित देशी मदिरा की दुकान ——————/उप-दुकान ——————बन्द कर दी जाय।

हां	नहीं

प्रारूप–4

(राजस्थान आबकारी स्थानीय विकल्प द्वारा देशी मदिरा की दुकानें बन्द करना नियम, 1975 का नियम 31 देखिये)

सेवा में,

कलेक्टर, ...

पंचायत क्षेत्र —————— तहसील —————— जिला —————— स्थित देशी मदिरा की दुकान ——————/उप-दुकान ——————को बन्द करने के लिये राजस्थान आबकारी (स्थानीय विकल्प द्वारा देशी मदिरा की दुकानें बन्द करना) नियम, 1975 के अधीन मतदान का परिणाम

मतदान की तारीख ——————

1. प्रवृत्त निर्वाचक नामावली के अनुसार पंचायत क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ——————

(190)

2. डाले गये मतों की कुल संख्या ____________

3. रद्द किये गये मतों की कुल संख्या ____________

4. डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या ____________

5. देशी मदिरा की दुकान बन्द करने के पक्ष में डाले गये मतों की कुल संख्या ____________

6. देशी मदिरा की दुकान बन्द करने के विपक्ष में डाले गये मतों की कुल संख्या ____________

पत्रों का लेखा

	संख्या में क्रम संख्या तक टिप्पणियां
1. प्राप्त मतपत्रों की कुल संख्या	____________
2. रद्द किये गये मतपत्रों की कुल संख्या	____________
3. मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की कुल संख्या	____________
4. बाकी	____________

____

(पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसकी मुहर)

____

पीठासीन अधिकारी का नाम तथा पदनाम

केलवाड़ा में कृषि उपज मण्डी

148. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :– क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति, शाहबाद के केलवाड़ा स्थान पर कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तहसील में दुबारा सेटलमेन्ट का कार्य

149. **श्री शंकर लाल** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट सन् 1973-74 में इस बात का उल्लेख है कि 104 तहसीलों में दुबारा सेटलमेंट के कार्य में देरी होने के कारण सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ ?

(2) यदि हां, तो क्या आडिट रिपोर्ट में बताई गई यह बात सही है ?

(3) इसके लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई व की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) सरकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने से एवं भू-प्रबन्ध विभाग के पास अपेक्षित मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से 104 तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य यथा समय नहीं कराया जा सका। उपरोक्त तहसीलों में से 17 तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और 6 तहसीलों में भू-प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ करने के लिए विज्ञप्ति जारी करदी गई है।

जयपुर जिले में लेवी का भुगतान

150. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की किस किस तहसील में कितना कितना रुपया लेवी के भुगतान का होना बकाया है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भुगतान अधिकारियों की गलती के कारण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो कौन अधिकारी दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के अलावा अन्य सभी तहसीलों में संग्रहीत खाद्यान्न का भुगतान हो चुका है। कोटपूतली में भी केवल 153 क्वि० गेहूं जो देर से कृषकों ने जमा करवाया था का भुगतान शेष रहा है। इस मात्रा की राशि के भुगतान हेतु भी तारीख 13-3-76 को राशि तहसीलदार, कोटपूतली को भेजी जाकर भुगतान करवाई जा चुकी है।

(2) इसमें किसी अधिकारी व कर्मचारी की गलती नहीं पाई गई। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत् कनेक्शन हेतु कैपेसिटर की व्यवस्था

151. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1976 में सभी जगह विद्युत् कनेक्शन हेतु यह आदेश जा चुके हैं कि, कैपेसिटर लगाने पर ही विद्युत् कनेक्शन दिया जाय ? यदि हां, तो क्या कैपेसिटर की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा सुलभ कराई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कैपेसिटर कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसलिये कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की गलत व्यवस्था क्यों की गई है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? ।

उत्तर

(1) जी हां । मंडल के नियमानुसार एल०टी० पावर कनेक्शन पर कैपेसिटर्स लगाना आवश्यक है । मण्डल ने कैपेसिटर्स खरीदे हैं और यदि उपभोक्ता चाहे तो इसकी कीमत देकर मंडल से ले सकता है ।

(2) कनेक्शन देना बन्द नहीं किया गया है परन्तु कैपेसिटर्स लगाने का आग्रह किया जा रहा है । कैपेसिटर्स नहीं उपलब्ध होने पर अण्डर टेकिंग लेकर कनेक्शन लिया जा सकता है ।

पुराने पेन्शनरों की पेन्शन में बढोत्तरी

152. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न श्रेणी के रिटायर्ड व्यक्तियों के लिये अलग-अलग पेन्शन रूल्स बने हुए हैं ? यदि हां, तो किस किस श्रेणी के लिये कौन कौन से, पेन्शन रूल्स हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि समय समय पर इन नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन किये हैं ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या संशोधन किये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि समय समय पर राज्य सरकार ने पेन्शनर्स की पेन्शन में वृद्धि की है ? यदि हां, तो कब कब कितनी कितनी वृद्धि हुई ? और क्या पुराने पेन्शन होल्डर्स को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुराने पेन्शनरों की पेन्शनों में वृद्धि नहीं की गई जब कि नये पेन्शनर्स में काफी वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार पेन्शन-होल्डर्स की पेन्शन में वृद्धि करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या केन्द्रीय सरकार के पेन्शनरों की पेन्शन में वृद्धि के अनुसार राज्य सरकार भी अपने पेन्शनरों की पेन्शन में वृद्धि करेगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि पेन्शन-होल्डर्स की एसोसिएशन ने पेन्शन वृद्धि हेतु प्रतिवेदन किये है ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम

(वित्त मन्त्री)

1951 लागू होते हैं तथा आई०ए०एस०/आई० एफ० एस०/आई० पी० एस० अधिकारियों पर भारत सरकार द्वारा बनाये गये अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 लागू होते हैं।

(2) जी हां, आदेश दिनांक 15-1-1951, 21-3-1959, 21-1-67, 29-4-70, 17-10-70 व 2-12-1974 के द्वारा पेन्शन नियमों में संशोधन किये गये हैं। इन आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां, उपरोक्त आदेशों के द्वारा 1-1-1951, 1-4-1959, 1-1-67 एवं 1-3-70 से पेन्शन में वृद्धि हुई है। जितनी वृद्धि हुई है वह उपरोक्त आदेशों में अंकित है। पुराने पेन्शनर्स को भी उपरोक्त आदेशों द्वारा समय समय पर वृद्धि का लाभ मिला है।

(4) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 2-12-74, द्वारा सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाओं को नियत करने हेतु संशोधित नियम निर्धारित किये गये हैं, जो 31-10-74 व इसके बाद सेवा-निवृत्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(5) प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(6) प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(7) जी हां। प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

डाई नदी (जिला टौंक) का पानी टोरडी सागर में डालने की योजना

153. **श्री अजीत सिंह** (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में पिलाई क्षेत्र बढ़ाने हेतु डाई नदी के पानी को एक नहर से टोरडी सागर में डालने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना का सर्वेक्षण हो चुका है और इसमें खर्चा कम है व पिलाई क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि लसाड़िया बांध के निर्माण के बाद भी इस नदी का बहुत पानी बेकार बह जाता है ? यदि हां, तो क्या इसका सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो कितना पानी फीडर से टोरडी सागर में डाला जा सकता है ? और फीडर के निर्माण पर क्या खर्चा आयेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस योजना का सर्वेक्षण किया गया था किन्तु लाभकारी सिद्ध नहीं होने के कारण इसे छोड़ दिया गया।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता

खाद्यान्नों के भावों में गिरावट

154. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में किसानों द्वारा उत्पादित प्रायः सभी खाद्यान्नों

(श्री मिठालाल मीणा)

के भाव न्यूनतम सरकारी दर से भी नीचे गिर गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उत्पादन में किसानों को आवश्यक खाद, बीज, विद्युत, डीजल, सिंचाई, मजदूरी आदि अन्य साधनों के मूल्य फसलों के मूल्यों के अनुपात में बिलकुल ही नहीं गिरे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त असंतुलन से किसान की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस असंतुलन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह सत्य नहीं है कि सभी स्थानों पर बाजार भाव सरकारी समर्थित मूल्य से नीचे गिर गये हों, हां, कुछ स्थानों पर बाजार भाव समर्थित मूल्य से अवश्य नीचे गिरे हैं।

(2) जी नहीं। डीजल, खाद व बीज के मूल्य में कमी की गई है।

(3) जी नहीं। जहां-जहां खाद्यान्नों के बाजार भाव सरकार समर्थित मूल्य से नीचे गिरे हैं, वहां सरकार ने समर्थित मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने की खाद्य निगम के माध्यम से व्यवस्था कर दी है।

पंचायत समिति सांगानेर के स्टाफ में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्ति

155. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, सांगानेर में कितने व्यक्तियों का स्टाफ है और उसमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति, सांगानेर में आरक्षण के कोटे के अनुसार सभी वर्गों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के हैं ? यदि नहीं हैं, तो कोटा कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(3) पंचायत समिति, सांगानेर के स्टाफ में से कब कब किस किस का स्थानान्तरण क्यों हुआ और किस कारण से कैंसिल किया गया ? इनमें तीन साल से अधिक वालों का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सांगानेर में 218 व्यक्तियों का स्टाफ है जिनमें से 3 अनुसूचित जाति एवं 3 अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति हैं।

(2) 176 अध्यापकों में से 3 अध्यापक अनुसूचित जाति एवं 2 अध्यापक अनुसूचित जन-जाति के हैं। 7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी अनुसूचित जन-जाति का है बाकी अन्य वर्गों में कोई अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का व्यक्ति नहीं है। जैसे जैसे अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्ति उपलब्ध होते जायेंगे निर्धारित कोटा पूरा किये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने एवं कैंसिल किये जाने के कारणों का उल्लेख कर दिया गया है। तीन साल से अधिक कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने के लिये स्वयं पंचायत समिति ही सक्षम है।

कार्यालय पंचायत समिति, सांगानेर (जयपुर)

क्र० सं० 1	नाम कर्मचारी 2	स्थानान्तरण का दिनांक 3	स्थानान्तरण का कारण 4	निरस्त करने का कारण 5
1.	श्री बाबूलाल गुप्ता, स० अ०	2-7-75	टी० वी० की व्यवस्था हेतु दो अध्यापक रखने के राज्य सरकार के आदेशानुसार	नहीं
2.	श्रीमती इन्द्रा भाटिया	3-7-75	,, ,, ,,	,,
3.	श्रीमती उषा गुप्ता	3-7-75	,, ,, ,,	,,
4.	श्री महेन्द्रकुमार शर्मा	24-7-75	यूनिसेफ विज्ञान की कक्षा 3 चलाने हेतु विज्ञान ट्रेण्ड अध्यापक की नियुक्ति हेतु	,,
5.	श्रीमती शान्तिदेवी शर्मा	27-8-75	प्रा० शा०, सीतारामपुरा में छात्र संख्या अधिक होने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से	,,
6.	श्रीमती हेमलता त्रिवेदी	27-8-75	सुश्री विमला सक्सेना के बी०एड० प्रशिक्षण में जाने से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु	,,
7.	श्री सेडूराम शर्मा	3-9-75	प्रशासनिक	,,
8.	श्री सत्यनारायण शर्मा	3-9-75	शासन व्यवस्था के क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु	,,
9.	श्री भूरामल टोडवाल	11-9-75	श्री गणपतिलाल के शिक्षा विभाग में जाने से रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु	,,

1	2	3	4	5
10.	श्री जगदीश नारायण	12-9-75	एक पद अध्यापक का प्रा० शा० वाटिका में अतिरिक्त होने के कारण (पृष्ठ संख्या 4 भी देखें)	नहीं
11.	श्री श्रवणसिंह चन्द्रावत	12-9-75	टी० वी० की व्यवस्था हेतु दो अध्यापक रखने हेतु	"
12.	श्रीमती उषा गुप्ता	18-9-75	गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अध्यापिकाओं को परेशान करने के कारण जिसकी रिपोर्ट थाना बगरू में दि० 12-9-75 को भिजवाई गई व स्थानान्तरण किये गये ।	"
13.	श्रीमती विशला जैन	18-9-75	" " "	"
14.	श्री गंगासहाय शर्मा	18-9-75	टी० वी० हेतु दो अध्यापक रखने हेतु	"
15.	श्री कैलाशचन्द्र कुम्हार	18-9-75	टी० वी० व्यवस्था व अध्यापिकाओं के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु	"
16.	श्री घनश्याम शर्मा	18-9-75	" " "	"
17.	श्री जगदीश नारायण	20-9-75	श्री मूलचन्द जैन के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु	स्थानान्तरिक स्थान रिक्त न होने से श्री मूलचन्द जैन के निरस्त के कारण
18.	श्री मूलचन्द जैन	20-9-75	प्रशासनिक	पत्नि की बीमारी के कारण स्वयं के प्रार्थना-पत्र पर ।

19.	श्री रामगोपाल शर्मा	30-9-75	प्रशासनिक		श्री विद्यालय निरीक्षक, जयपुर के सुझावानुसार किसान साक्षरता (समस्या मूलक केन्द्र), छीतराली चलाने के कारण
20.	श्री रामसहाय शर्मा	30-9-75	,,	—	पत्नि की बीमारी के कारण स्वयं के आवेदन पर ।
21.	श्री सत्यनारायण शर्मा	3-10-75	तीन अध्यापकों के शिक्षा विभाग में जाने से रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु		नहीं ।
22.	श्री वृद्धिचन्द शर्मा	6-10-75	प्रशासनिक		माताजी के वृद्ध होने के कारण स्वयं के आवेदन पर ।
23.	श्री नैनलाल चौसलिया	6-10-75	श्री वृद्धिचन्द्र के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु		रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाने से, वृद्धिचन्द के निरस्त होने के कारण ।
24.	श्री जयबिहारी लाल शर्मा	6-10-75	प्रशासनिक		पत्नि की डिलीवरी होने के कारण, स्वयं के आवेदन पर ।
25.	श्री स्वदेश कुमार	6-10-75	,,		स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वयं के आवेदन पर ।
26.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	6-10-75	,,		माताजी की बीमारी के कारण स्वयं के आवेदन पर ।
27.	श्री बाबूलाल जैन	6-10-75	,,		पत्नि की बीमारी के कारण स्वय के आवेदन पर ।
28.	श्री जीवणराम	8-10-75	प्रशासनिक		स्वयं की प्रार्थना पर उसकी अंधी दीदी की सेवा आदि के लिए ।
29.	श्री गंगासहाय शर्मा	8-10-75	,,		विद्यालय निरीक्षक जयपुर के सुझावानुसार स. म. कि. सा. केन्द्र चलाने के कारण ।

1	2	3	4	5
30.	श्री हनुमानसहाय शर्मा	8-10-75	प्रशासनिक	स्वयं का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण, स्वयं के आवेदन पर ।
31.	श्री बाबूलाल शर्मा	8-10-75	श्री हनुमान सहाय के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु	रिक्त स्थान न होने के कारण, श्री हनुमान सहाय का निरस्त होने के कारण ।
32.	श्री नारायणप्रसाद बाबोलिया	10-10-75	प्रशासनिक	स्वयं का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण, स्वयं के आवेदन-पत्र पर ।
33.	श्री बद्रीनारायण शर्मा	10-10-75	"	माताजी के वृद्ध रहने के कारण, स्वयं के आवेदन पर ।
34.	श्रीमती रूकमणी देवी गोस्वामी	6-11-75	प्र. सं. 12, 13 के अनुसार	नहीं ।
35.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	7-11-75	प्रशासनिक	नहीं ।
36.	श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा	7-7-115	रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु	नहीं ।
37.	श्रीमती देवी सेनानी	12-11-75	लूनियाबास में उ. प्रा. शा. होने के कारण समायोजन ।	"
38.	श्री जगदीशप्रसाद तेली	13-2-76	गांव वालों की शिकायत पर	"
39.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	13-2-76	श्री जगदीश प्रसाद तेली के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु ।	"

ग्राम सांथलका (टपूकड़ा सब-तहसील) का विद्युतिकरण

156. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तिजारा क्षेत्र में टपूकड़ा सब-तहसील के सांथलका ग्राम का विद्युतीकरण योजना में नहीं रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम विद्युतीकरण योजना इस गांव के इर्द-गिर्द उसकी सीमा तक पहुंच गई है ? यदि हां, तो इस अकेले गांव को विद्युत् लाभ से क्यों वंचित रखा गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार उस गांव को भी इस वर्ष की योजना में शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक आदेश जारी हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केवल सांथलका ग्राम ही नहीं अपितु इसमें लगे हुए कई ग्राम उक्त योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

(3) निगम की चालू योजना में यह ग्राम सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

श्री गंगानगर जिले में सीलिंग के मामले

157. **श्री ज्ञानसिंह** (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में कुल कितने खातेदार हैं ?

(2) गंगानगर जिले में पुराने तथा नए सीलिंग कानून के तहत कुल कितने मामले विचाराधीन थे और इनमें से कितने मामलों का फैसला कर दिया गया है ?

(3) गंगानगर जिले में कृषि भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी भूमि सरकारी कब्जे में लाई गई है तथा इस भूमि को किस श्रेणी के भूमिहीनों को कब तक आवंटित कर दिया जावेगा ?

(4) गंगानगर जिले में कृषि भूमि सीलिंग कानून के तहत कितने मामले ओपन किए गए हैं ? तहसीलवार सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में 136242 खातेदार हैं।

(2) गंगानगर जिले में पुराने कानून के तहत 12,929 तथा नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 17,649 मामले विचाराधीन थे जिनमें से पुराने कानून के अन्तर्गत 12,881 तथा नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 14,059 मामलों का फैसला किया जा चुका है।

(3) गंगानगर जिले में नये एवं पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 5157-58 एकड़ भूमि का वास्तव में कब्जा लिया जा चुका है तथा इस भूमि में से 234 भूमिहीनों को 1704 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा शेष भूमि का शीघ्र आवंटन कर दिया जावेगा।

(4) जिला गंगानगर में तहसील सादुलशहर के चार मामले रिओपन किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

ओपन किये गये मामलों की सूची जो राज्य सरकार के पत्र एफ 7(5) रेव/ग्रुप-–4/72 दि० 18-6-74 द्वारा रीओपन के आदेश दिये गये –

क्र०सं०			अनवान मुकदमा		
1.	सरकार	बनाम	जुगराज सिंह, सा० करडवाला, त० सादूलशहर, जि०गंगानगर		
2.	,,	,,	समराज सिंह, सा० करडवाला	,,	,,
3.	,,	,,	उदयसिंह, सा० ,,	,,	,,
4.	,,	,,	तल्लासिंह, पुत्र हरीसिंह, सा०करडवाला ,,		,,

गच्छीपुरा जसवन्तगढ़ में पानी की टंकियों के ठेकेदार को बकाया का भुगतान

158. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री त्रिलोकसिंह ठेकेदार को अजमेर सर्किल के गच्छीपुरा और जसवन्तगढ़ आदि में पानी की टंकियां बनाने हेतु ठेका दिया गया था ?

(2) क्या उस कार्य की समाप्ति 24-12-70 थी ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों ने बारी दरवाजों की ड्राइंग देरी से 6-1-72 को दी ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि इस दो वर्ष के अर्से के दौरान चीजों के भाव बढ़ गये थे ? जिसकी सूचना ठेकेदार ने सम्बन्धित अधिकारियों को दी कि मुझे उपरोक्त बचे हुए कार्यों को पूरा करने हेतु दुबारा रेट्स दो ?

(5) क्या यह सही नहीं है कि अधिकारियों ने यह कार्य दूसरे ठेकेदार से करवाया जिसकी उसने आपत्ति की ?

(6) क्या यह सही नहीं है कि उसके किये हुए काम के बकाया 40,000 रु० का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो कब तक कर दिया जायगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री त्रिलोकसिंह ठेकेदार को गच्छीपुरा एवं जसवन्तपुरा में 2 टंकियां बनाने का ठेका दिया गया ।

(2) ठेकेदार से किये गये अनुबंध के अनुसार गच्छीपुरा की टंकी का कार्य दिनांक 24-12-70 को एवं जसवन्तपुरा की की टंकी को दिनांक 1-3-71 को पूर्ण किया जाना था ।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं । ठेकेदार ने इस प्रकार की कोई मांग नहीं की थी व न ही इस प्रकार रेट बढाने की अनुबन्ध में कोई शर्त थी ।

(5) उक्त ठेकेदार को बार बार नोटिस देने के उपरान्त कार्य पूरा न करने पर यह कार्य दूसरे ठेकेदार द्वारा पूरा करवाया गया जिसके बाबत उसने कोई आपत्ति नहीं की ।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(6) जी नहीं। अनुबन्ध की शर्तों अनुसार उक्त ठेकेदार से कार्य पूरा कराने में खर्च की गई अतिरिक्त राशि एवं पैनल्टी की राशि वसूल की जानी बाकी है जो उनके बकाया की राशि से अधिक होने की संभावना हैं।

159. श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार का वर्ष 1975-76 में कृषकों के कुल कितने कुओं पर बिजली देने का लक्ष्य था एवं अब तक कितने कुओं पर बिजली पहुंचाई जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मनोहरथाना (जिला झालावाड़) के किसी भी काश्तकार को इस वर्ष बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के कृषकों को वंचित रखने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि निरन्तर मांग के उपरान्त भी उक्त क्षेत्र के किसी भी गांव का सन् 1972 के पश्चात् विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र के कृषि विकास हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1975-76 में 7,000 कुओं पर बिजली देने का कार्यक्रम था। पहुंचाई जा चुकी हैं।

(2) वर्ष 1975-76 में पंचायत समिति, मनोहरथाना में 7 किसानों के कुओं को कनेक्शन दिये गये हैं।

(3) जी हां। सब ट्रान्समिशन सिस्टम की अक्षमता व धनाभाव के कारण और गांवों को बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी। इस क्षेत्र के सिस्टम में सुधार के प्रयत्न जारी हैं।

जेल के कारखानों में आधुनिक मशीन

160. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान की जेलें जिन्हें सुधारगृह के नाम से पुकारा जाता है, उनमें दरी बुनने और अन्य काम लेने के पुराने ढंग ही काम में लिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस वैज्ञानिक युग में उनमें आधुनिक मशीनें लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) राजस्थान की प्रत्येक जेल में औसतन कितने बन्दी उनके कारखानों में काम करते हैं और प्रतिवर्ष कितना उत्पादन करते हैं ? प्रत्येक जेल का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान की कई जेलों में बन्दी कारखानें से अधिक हैं और उनमें बन्दियों के काम करने का स्थान नहीं है ? यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या योजना है ?

(कारागृह मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। दरी बनाने के काम का अभी आधुनिकरण नहीं हुआ है। पुराने तरीके से कम उपकरणों से उत्पादन सम्भव है जिससे रिहाई के बाद कम साधनों से भी बन्दी जीविकोपार्जन कर सकता है। सरकार शनैः-शनैः उत्पादन का आधुनिकरण करेगी।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

शादियों में गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर का उल्लंघन

161. **श्री ओंकार लाल चौहान** (डग) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में इस वर्ष शादियों के सम्बन्ध में गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर के उल्लंघन में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

(2) यदि हां, तो किस किस जगह इसका उल्लंघन हुआ है ? कितने लोग किस जगह पकड़े गये और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

सूची

क्र० सं०	नाम जिला	नाम स्थान जहां गेस्ट कण्ट्रोल आर्डर का उल्लंघन हुआ	उल्लंघन के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	कार्यवाही जो की गई
1.	झालावाड़	1. दांतीखेड़ा 2. नपानिया खेड़ा 3. पिड़ावा	–	एफ० आई० आर० थाने में दर्ज करवाई गई।
2.	कोटा	कोटा	3	कोर्ट में कार्यवाही जारी है।
3.	भीलवाड़ा	शाहपुरा	–	कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
4.	चूरू	चूरू	–	10 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत हैं।
5.	पाली	पाली	5	अदालत में कार्यवाही जारी है।
6.	बाड़मेर	1. कोल गांव	22	"
		2. अरनियासी	6	"

वन श्रमिक सहकारी समितियों के बेरोजगार कार्यकर्ता एवं सदस्य

162. **श्री नत्थीसिंह** (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति की कितनी वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं, और इन समितियों में कुल कितने सदस्य व कार्यकर्ता हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वन उपज का राष्ट्रीयकरण होने के कारण इन समितियों को कार्य नहीं मिला है ? यदि हां, तो इन समितियों के सदस्य व कार्यकर्ता जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या कितनी है ? जिलेवार पृथक्-पृथक् बतलावें।

(3) इन बेरोजगारों को राज्य सरकार ने अब तक कोई रोजगार देने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और की है, तो क्या की है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम छाण (तहसील सवाई माधोपुर) में नामान्तरकरण का मामला

163. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम छाण, तहसील सवाई माधोपुर की खसरा नम्बर 216/3 एवं 216/4 की भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26-2-75 को तस्दीक किया गया था ? यदि हां, तो नामान्तरकरण की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि इस नामान्तरकरण के मामले में राज्य सरकार के पास हलका गिरदावर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्रस्तुत हुई हैं ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा गिरदावर के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो कब और जांच रिपोर्ट के परिणाम क्या हैं ?

(स्थगित किया गया)

अचलपुर-सीलू-गोलासण की जल प्रदाय योजनायें

164. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि अचलपुर-सीलू-गोलासण जल प्रदाय योजना अभी तक अपूर्ण है ? अगर हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सीलू नल कूप का पानी खारा हो गया है ? अगर हां, तो क्यों, और अब मीठे पानी की सप्लाई कहां से किस प्रकार से की जायेगी ?

(3) उक्त जलप्रदाय योजना कब तक पूरी की जाकर सब गांवों में पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि दंवेड़ा-झाव वगैरह गांवों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भी अभी तक अपूर्ण है ? अगर हां, तो इन्हें कब तक पूरा करवाया जाकर सब गांवों में पानी सप्लाई शुरू करवा दी जायगी ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। योजना के अन्तर्गत 6 ग्रामों में भू-तल पर हौद बनाने का कार्य योजना के लिये आवश्यक मीठे जल का स्रोत एवं कुछ पाइप लाइन का कार्य बाकी है।

(2) जी हां। भू-तल में गहराई पर जल खारा होने के कारण नलकूप का जल खारा हो गया है इसके स्थान पर अन्य जल स्रोत के चयन के लिये भू-जल विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है।

(3) योजना के लिये उपयुक्त जल स्रोत मिल जाने की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष में सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

(4) जी हां। हेमागढ़ा एवं धरनावास के अतिरिक्त अन्य सभी 9 ग्रामों में जल उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष ग्रामों में अगले वित्तीय वर्ष में जल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

पलाना लिगनाइट का उपयोग

165. **श्री भीमसेन** ((लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पलाना लिगनाइट का उपयोग विद्युत् उत्पादन हेतु किया जा सकता है? अगर हां, तो राज्य सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या प्रयास किये तथा भविष्य में क्या ठोस कदम उठा रही है?

उत्तर

जी हां। इसकी सर्वे रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके अनुसार उपलब्ध कोयला 100 मेगावाट के सैट के लिये केवल 15 वर्ष के लिये ही पर्याप्त होगा। अतः वर्तमान में इस योजना को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं समझा जाता क्योंकि केवल 15 वर्ष के लिये इतनी बड़ी राशि खर्च करना ठीक नहीं समझा जाता।

ब्यावर विधान सभाई क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत

166. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में सड़कों की मरम्मत पर कितना कितना पैसा खर्च किया गया? हर वर्ष अलग अलग मार्ग पर खर्च किये गये ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में पिछले 4 वर्ष में सड़कों की मरम्मत पर कितना खर्च किया गया? वर्षवार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ब्यावर क्षेत्र में फैमिन के कार्य के अलावा किसी एक भी सड़क की मरम्मत क्यों नहीं की गई जब कि करीब 20 लाख रुपया जिले में सड़क मरम्मत के लिये हर वर्ष खर्च के लिये रखा जाता रहा है?

(4) क्या यह सही है कि सड़क की मरम्मत के वास्ते राज्य सरकार के पास समय समय पर लिखित मांग पेश की गई? यदि हां, तो फिर कौन से कारण थे कि किसी भी कार्य को नहीं किया गया?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विभाग में व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप-खण्ड के हिसाब से आंकड़े रखे जाते हैं। ब्यावर उप-खण्ड की सूची (अ) संलग्न है

(2) अजमेर जिले में वर्ष 1972-73 से 1975-76 तक व्यय की गई धनराशि के आंकड़े की सूची (ब) संलग्न है।

(3) ब्यावर उपखण्ड में सड़कों की मरम्मत उपलब्ध धनराशि के अनुसार की जाती रही है। व्यय धनराशि की सूची (अ) संलग्न है।

(4) उपलब्ध धनराशि के अनुसार मरम्मत कार्य कराये गये हैं।

सूची (अ)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ब्यावर उप-खन्ड द्वारा गत 5 वर्षों में व्यय की गई धनराशि

वर्ष	व्यय धनराशि
1971-72	3.43 लाख
1972-73	4.50 लाख
1973-74	3.74 लाख
1974-75	4.76 लाख
1975-76 फरवरी, 76 तक)	5.46 लाख

(सूची ब)

अजमेर जिले में सड़कों की मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि की सूची

वर्ष	व्यय धनराशि
1972-73	13.35 लाख
1973-74	13.97 लाख
1974-75	20.71 लाख
1975-76 (फरवरी तक)	25.94 लाख

ग्राम चौथवाड़ी (जयपुर) में ग्राम आधार योजना का उप-केन्द्र

167. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल, जयपुर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम आधार योजना, जयपुर के कुल कितने उप-केन्द्र कहां कहां कार्यरत हैं?

(2) गत 3 वर्षों में किस किस उप-केन्द्र में कितना–कितना कार्य हुआ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम चौथवाडी के निवासियों की मांग पर वहां पर एक उप-केन्द्र खोला गया था?

(4) क्या यह सही है कि इस कार्य हेतु वहां की जनता ने चन्दा एकत्रित कर करीब 10,000) रु० की लागत का एक मकान तैयार करवाया है?

(5) क्या यह सही है कि बिना किसी उचित कारणों के उस उप-केन्द्र को वहां से

Page No 206

(206)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
हटाकर चौमू जहां कि पहले से ही एक केन्द्र था स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम चीथवाडी पशुपालकों का प्रमुख गांव है जहां से जयपुर दुग्ध वितरण योजना को काफी मात्रा में दूध दिया जाता है एवं काफी मात्रा में जयपुर शहर में मावा सप्लाई किया जाता है ?

(7) क्या राज्य सरकार उक्त गांव में एक पशु डिस्पैन्सरी खोलने का विचार रखती है जहां के ग्रामवासी भवन उपलब्ध कराने को तैयार हैं ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम आधार योजना, जयपुर के 10 उप-केन्द्र हैं, उप-केन्द्रों के नाम की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) गत 3 वर्षों में उप-केन्द्रों में कितना-कितना कार्य हुआ उसकी सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । प्रयोगिक तौर पर खोला गया था ।

(4) मकान अभी तक अपूर्ण है ।

(5) ग्रामवासियों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान में रुचि नहीं लेने से व अब तक उपयुक्त भवन की व्यवस्था नहीं होने से बन्द कर दिया है ।

(6) जी हां । सम्पूर्ण चौमू क्षेत्र ही दुग्ध उत्पादन का अच्छा क्षेत्र है जहां से दुग्ध विकास निगम को दूध दिया जाता है एवं जयपुर शहर को मावा भेजा जाता है । इसी क्षेत्र का ही चीथवाडी ग्राम एक अंग है ।

(7) पशु औषधालय खोलने के लिये यदि ग्रामवासी भवन की उचित व्यवस्था करते हैं और 5,000/- रुपया दवाई एवं औजार आदि राज्य सरकार की नीति के अनुसार उपलब्ध करते हैं तो पशु औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकता है ।

सूची "क"

ग्राम आधार योजना, जयपुर के कुल उप-केन्द्र निम्न स्थानों पर कार्यरत हैं:—

1. झोटवाड़ा
2. हरमाडा (मुख्यालय नीड़)
3. सांगानेर
4. रामपुरा डाबड़ी
5. हीरापुरा
6. अरोल
7. बस्सी
8. कानोता
9. बांसखो
10. गांधीनगर

सूची "ख"

उप-केन्द्रों पर प्रगति का विवरण
(कृत्रिम गर्भाधान)

क्र० सं०	उप-केन्द्र का नाम	वर्ष 1972-73	वर्ष 1973-74	वर्ष 1974-75
1.	झोटवाड़ा	519	532	709
2.	हरभाडा	277	245	231
3.	सांगानेर	317	289	490
4.	रामपुरा डाबड़ी	632	460	623
5.	हीरापुरा	74	28	105
6.	अचरोल	59	140	270
7.	कानौता	350	262	342
8.	बस्सी	1441	912	1342
9.	बासंखो	217	342	683
10.	गांधीनगर	221	362	754

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 139 की सूची)

लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूची (जिला जयपुर) जिनको 1975-76 में कनेक्शन दिये गये हैं—

क्र० सं०	नाम उपभोक्ता	पंचायत समिति
1.	श्री भैंरू पुत्र मोती गुजर	जमवारामगढ़
2.	श्री मोती चूना	,,
3.	श्री मानसिंह देवीसिंह	,,
4.	श्री दीना पुत्र जमना	,,
5.	श्री यासीन अकबर पुत्र दूदू	शाहपुरा
6.	श्री भूरा पुत्र काना	,,
7.	श्री सूबेदार पुत्र नारायणसिंह	,,
8.	श्री जुगलकिशोर	फुलेरा
9.	श्री रामनिवास यादव	,,
10.	श्री त्रिपुरी लाल	दूदू
11.	श्री बन्ना पेमा	,,
12.	श्री अम्बालाल शर्मा	,,
13.	श्री बाल किशन	,,
14.	श्री नारायण पुत्र सेड,	गोविन्दगढ़
15.	श्री छीतर पुत्र भूथा जाट	,,
16.	श्री बिहारीलाल गजानन्द	गोविन्दगढ़
17.	श्री गंगा घीसा	,,
18.	श्री नारायण भूरा जाट	,,
19.	श्री मोहरु गोपी अहीर	,,
20.	श्री पूरा पुत्र गनेश	सांगानेर
21.	श्री छोटू पुत्र भैरु खटीक	,,
22.	श्री प्रभात पुत्र देवाराम	,,
23.	श्री गोपी पुत्र सुखा रेगर	,,
24.	श्री गुल्ला पुत्र नेनू रेगर	,,
25.	श्री गंगा सहाय सपुत्र सागरमल	,,
26.	श्री प्रताप पुत्र चांदा मीना	,,
27.	श्री बिहारी लाल रामचन्द्र	,,
28.	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा	,,
29.	श्री सविला विशना पुत्र भैरू	फागी
30.	श्री रामवर पुत्र बंशीधर	बांदीकुई
31.	श्री नानग राम पुत्र कल्याण	झोटवाड़ा
32.	श्री बोधराम पुत्र सुन्दरलाल	,,
33.	श्री दुर्गालाल चुन्नी लाल पुत्र लच्छूराम	,,
34.	श्री चौथमल पुत्र गंगाराम	,,

Page No 209

(209)

अनुसूचित जाति व जन-जाति के कृषकों के नाम की सूची (जिला जयपुर) जिनको 1975-76 में कनेक्शन दिये गये हैं:

क्र० सं०	नाम उपभोक्ता	पंचायत समिति
1.	श्री घीसालाल गोठवाल पुत्र झूठा	जमवारामगढ
2.	श्री राम गोपाल पुत्र जगदीशनारायण	,,
3.	श्री अर्जुन पुत्र गिरधारी मीणा	शाहपुरा
4.	श्री शिवबक्ष पुत्र नानू मीणा	,,
5.	श्री बारामित्र सिंह देव पुत्र रामचन्द्र	आमेर
6.	श्री गंगाराम रेगर	फुलेरा
7.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री सीयास	दूदू
8.	श्री माना राम पुत्र छोटूराम रेगर	(डिमान्ड नोटिस जारी किया जा चुका है।)
9.	श्री लालू बक्ष	गोविन्दगढ
10.	श्री प्रहलाद गोपाल	,,
11.	श्री रामेश्वर सावला भील	गोविन्दगढ
12.	श्री सीताराम राम नाथ	,,
13.	श्री देवी सहाय छोटे लाल	,,
14.	श्री शिवनारायण देघुनाथ भील	(एल फार्म नहीं दिया)
15.	श्री कालूराम लालाराम	गोविन्दगढ
16.	श्री सोहनलाल तेजा देवी	आमेर
17.	श्री नाथू लाल पुत्र रामचन्द्र	,,
18.	श्री गोपीराम पुत्र गंगाराम रेगर	कोटवाड़ा
19.	श्री रघुनाथ पुत्र किजा	,,
20.	श्रीमती मनभर	सांगानेर
21.	श्री भादा पुत्र पन्ना मीणा	,,
22.	श्री जमना लाल सुपुत्र नानगराम बैरवा	,,
23.	श्री लटूर पुत्र पांचू	बांदीकुई
24.	श्री मांगीलाल मीणा सुपुत्र हरपाल	,,

210

परिशिष्ट 5

(अ० ता० प्र० सं० 52 की सूची)

तालिका (क)

राजस्थान में गत पांच वर्षों में कुल 2,66,838 विदेशी आये। राष्ट्रीयता के आधार पर आंकड़े विभाग में संकलित नहीं किये जाते हैं। विदेशी पर्यटकों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	पर्यटकों की संख्या
1971	42,500
1972	48,350
1973	54,000
1974	55,781
1975	66,207
कुल	2,66,838

तालिका (ख)

विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की ओर लालायित करने के लिए जो कार्य किये गये एवं गत पांच वर्षों में प्रदान की गई सुविधाओं की सूची मय खर्च के:—

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये किये गये कार्य	1970 से 1975 तक व्यय की गई राशि
1. सूचना केन्द्रों की दिल्ली, आगरा व बंबई में स्थापना	2,74,193 रु०
2. ट्रैवल एजेन्टों एवं टी० वी० ग्रुप्स का राजस्थान के पर्यटक रुचि के स्थलों का परिचयात्मक भ्रमण	1,36,000 रु०
3. गणगोर, तीज एवं पुष्कर आदि मेलों को अधिक आकर्षक बनाने पर किया गया व्यय	89,000 रु०
4. चित्तौड़, नाथद्वारा, जैसलमेर, सरिस्का एवं भरतपुर में नये पर्यटक आवास गृहों व जयपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण एवं अन्य आवास गृहों का विकास	46.37 लाख
5. यातायात सुविधायें उपलब्ध कराई गईं	4,76,790 रु०
6. पर्यटक केन्द्रों पर प्रशिक्षित गाइडों की व्यवस्था	25,500 रु० की राशि स्वीकृत।
7. पर्यटन साहित्य का मुद्रण कराया जाना	1,75,000 रु०

तालिका (ग)

जी हां, पर्यटन विकास एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए निम्न कार्य किये गये:-

1. ट्रेवल एजेन्टों के माध्यम से इन स्थानों को देखने के लिए पर्यटकों को प्रेरित किया गया है।

2. राजस्थान सेन्चुअरीज पर फोल्डर्स मुद्रित कराया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

3. सेन्च्युरियों को देखने हेतु मिनी बस की व्यवस्था की गई है।

भविष्य की योजना

सन् 1976-77 में 5 लाख रुपये की लागत से एक पर्यटक आवास गृह बनाने की योजना है।

परिशिष्ट 6

(अ०ता०प्र०सं० 59 की सूची)

राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय चलित भावों पर

(रुपयों में)

	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आन्ध्र प्रदेश **	349	392	387	445	500	495*	521*	569*	602*	637*
2. आसाम (पुनर्गठित)	357	394	418	500	558	513	491	528	535*	..
3. बिहार	262	294	332	314	391	376	403*	437*	..	889*
4. गुजरात **	414	494	498	564	654	606*	696*	806*	83[illegible]*	733*
5. हरियाणा **	,,	,,	540	608	713*	635*	8[illegible]1*	844*	915*	982*
6. हिमाचल प्रदेश **	373	396	389	440	528	550	56[illegible]	639	,,	,,
7. जम्मू और काश्मीर **	300	331	317	409	449	446*	494*	520*	,,	,,
8. कर्नाटक	348	380	386	418	451*	483*	495*	530*	540*	587×
9. केरल **	304	362	417	447	488	507	550	590*	579×	,,
10. मध्य प्रदेश **	306	347	326	338	461	425	469	490	528	573
11. महाराष्ट्र **	485	526	534	610	676	700	752	788*	8[illegible]*	867*
12. मनीपुर **	201	212	272	442	421	487	425	393*	424*	,,
13. उड़ीसा **	313	342	329	395	435	464	491	496*	51[illegible]*	,,
14. पंजाब **	463	555	559	720	818	881	945	995	1054	1105
15. राजस्थान **	306	391	373	452	514	414	497	632*	563*	590*
16. तामिलनाडु **	353	389	406	466	485	494	540	62[illegible]	688	746*
17. उत्तर प्रदेश	287	370	364	446	506	476	521*	520*	591*	632*
18. पश्चिमी बंगाल ££	386	409	415	449	502	494*	522*	549*	585*	574*

*प्रारम्भिक/अन्तरिम।

**संशोधित पद्धति पर आधारित।

× वरित

££ अप्राप्त

परिशिष्ट 7

(अ० ता० प्रश्न सं० 70 की सूची)

(सूची-अ)

वर्ष 1971-72 से वर्ष 1974-75 तक सड़क निर्माण पर व्यय की गई धनराशि की सूची—

नाम वर्ष	व्यय धनराशि
1971-72	863.68 लाख
1972-73	1,108.00 लाख
1973-74	2,883.80 लाख
1974-75	1,053.47 लाख

(सूची-ब)

वर्ष 1971-72 से वर्ष 1974-75 तक जयपुर जिले की सड़कों पर व्यय की गई धनराशि की सूची ।

वर्ष	व्यय धनराशि
1971-72	73.44 लाख
1972-73	65.98 लाख
1973-74	147.65 लाख
1974-75	196.33 लाख

परिशिष्ट 8

(अ० ता० प्र० सं० 72 की सूची)

वर्ष 1960-61 से फरवरी 1975 तक बालाजी मेहन्दीपुर घाटी पर व्यय की गई धनराशि की सूची—

वर्ष	व्यय धनराशि
1960-61	65,520 रु.
1961-62	35,310 रु.
1962-63	20,852 रु.
1963-64	9,511 रु.
1964-65	—
1965-66	—
1966-67	—
1967-68	—
1968-69	—
1969-70	—
1970-71	—
1971-72	48,430 रु
1972-73	—
1973-74	—
1974-75	37,385 रु.
1975-76	33,056 रु.
योग ..	2,50,064 रु.

(214)

परिशिष्ट 9

(अ० ता० प्र० सं० 73 की सूची)

नगर संभाग प्रथम, नगर संभाग द्वितीय, और जिला खण्ड प्रथम और जिला खण्ड द्वितीय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर में कार्यरत अधिकारियों की सूची—

क्रम सं०	नाम	पद	कार्यभार संभालने की तिथि
1	2	3	4
		अधिशासी अभियन्ता	
1.	श्री ए०एस० चावला	अधिशासी अभियन्ता (नगर संभाग प्रथम), जयपुर।	8-5-1973
2.	श्री बी०एस० शर्मा	अधिशासी अभियन्ता (नगर संभाग-2), जयपुर।	4-6-75
3.	श्री आर०एस० माथुर	अधिशासी अभियन्ता (जिला खण्ड प्रथम), जयपुर।	16-6-75
4.	श्री डी०पी० शर्मा	अधिशासी अभियन्ता (जिला खण्ड-द्वितीय), जयपुर।	3-8-74
		सहायक अभियन्ता	
5.	श्री एस०एल० गुप्ता	सहा० अभि० (ए जोन-1), जयपुर।	17-11-75
6.	श्री गंगाधर फलोर	,, (ए जोन-2), जयपुर।	26-10-74
7.	श्री बी०के० अग्रवाल	,, (सी जोन—प्रथम), जयपुर।	20-11-75 (मध्यान्ह)
8.	श्री के०के० शर्मा	सहा० अभि० (ई०एच०टी० मेंटी०-1) जयपुर।	10-7-75
9.	श्री के०के० शर्मा (आफिसियेटिंग)	सहा० अभि० (बी जोन-प्रथम), जयपुर।	मार्च, 1976
10.	श्री सी०के० चतुर्वेदी	सहा० अभि० (बी जोन-द्वितीय), जयपुर।	30-6-75 (मध्यान्ह)

1	2	3	4
11.	श्री ए०के० शर्मा	सहा०अभि० (सी जोन-2), जयपुर।	5-11-72
12.	श्री महावीर कुमार जैन।	सहा०अभि० (इ०एच०टी०मेन्टी०-2), जयपुर।	17-11-75 (मध्यान्ह)
13.	श्री सी०पी० गुप्ता	सहा०अभि०; आमेर सब डिवीजन, जयपुर।	9-7-75
14.	श्री मोहर सिंह वर्मा	सहा०अभि० (ओ०एण्ड एम०), शाहपुरा।	24-6-75
15.	श्री एस०के० सतीजा	सहा०अभि० ((ओ० एण्ड एम०), सांभर।	28-10-74
16.	श्री जे० एल० गुप्ता	सहा०अभि० (ओ० एण्ड एम०), रेनवाल।	28-8-75
17.	श्री एम०एल० नरूला	,, (आर०ई०सी०), जमवा रामगढ़, जयपुर।	17-12-75
18.	श्री आर०पी० भटनागर	,, (सब डिविजन, सांगानेर, जयपुर)	26-6-75
19.	श्री डी० पी० गुप्ता	,, भाखरोटा, जयपुर।	21-11-75
20.	श्री एच०सी० जैन	,, (सब डिविजन, दौसा)	29-7-75
21.	श्री जीतेन्द्र कुमार चौधरी	,, (कन्ट्रक्शन-2), जयपुर।	18-12-75
22.	श्री एम०एल० गुप्ता	,, (आर०ई०सी०), बांदीकुई।	11-7-75 (मध्यान्ह)
23.	श्री एन०के० करनावट	,, (आर०ई०सी०), लालसोट।	16-6-75

कनिष्ठ अभियन्ता

24.	श्री एस० श्रीवास्तव	तक०सहायक अधि० अभियन्ता (सीडी-1)	9-1-74
25.	श्री वासुदेव सिंह	कनिष्ठ अभि० (ए जोन प्रथम)	21-12-72
26.	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	,, (प्रशिक्षण) ,,	16-9-75
27.	श्री डी०सी० खण्डेलवाल	,, (प्रशिक्षण) ,,	15-9-75
28.	श्री गोबिन्द सिंह कलाई	,, (ए० जोन-प्रथम), जयपुर।	18-8-71
29.	श्री प्रकाश चन्द्र	,, (ए० जोन द्वितीय), जयपुर।	21-11-72

1	2	3	4
30.	श्री आर०सी०पालनी	कनि० अभि० (ए जोन द्वितीय), जयपुर।	25-6-69
31.	श्री मनोहर गोबिन्द राजुरकार	,, ,, (प्रशिक्षण)	15-9-75
32.	श्री शान्ती लाल देवड़ा	,, (सी जोन प्रथम), जयपुर।	17-11-72
33.	श्री ए० के० भार्गव	,, ,,	15-9-75
34.	श्री लख सिंह	,, ,,	जनवरी, 76
35.	श्री गिरराज सिंह	,, अन्डर सस्पेन्शन	21-12-72
36.	श्री धर्मानन्द	इंजि० सुपरवाईजर (एच० टी० मेन्टी०), जयपुर।	1-10-65
37.	श्री लीलानन्द	,, —	—
38.	श्री आश करण सिंह	कनि० अभि० ,,	जुलाई, 75
39.	श्री आर० के० शर्मा	तक०सहा०अधि०अभि० (सी०डी०-2), जयपुर।	जून, 75
40.	श्री एम० के० जैन	कनि०अभि० (बी जोन-प्रथम), जयपुर।	जनवरी, 75
41.	श्री ए० के० शर्मा	,, ,,	22-12-71
42.	श्री आर० एस० गुप्ता	,, ,,	..
43.	श्री एस० सी० माथुर	,, (बी जोन-द्वितीय), ,,	अगस्त, 75
44.	श्री सुभाष चन्द जैन	,, ,,	जून, 75
45.	श्री मदन सिंघानाकर	,, (प्रशिक्षण) ,,	1-9-75
46.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	,, (सी जोन-द्वितीय), जयपुर।	नवम्बर, 75
47.	श्री ए० पी० दधीच	,, ,,	मार्च, 75
48.	श्री विजय सिंह राठौड़	,, ,,	31-3-73
49.	श्री एल० बी० राय	ट्रेनी (एच०टी० मेन्टी०, सब० डि०-2), जयपुर।	दिसम्बर, 75
50.	श्री गिरराज प्रसाद शर्मा	,, ,,	7-7-72
51.	श्री एच० एस० तिवाड़ी	,, ,,	जनवरी, 76

1	2	3	4
52.	श्री कन्हैया लाल गनेचा	ट्रेनी (एच०टी०मेन्टी०सब-डि०-27), जयपुर	फरवरी, 76
53.	श्री ठाकुर दत्त	इंजी० सुपर वा० (ओ० एण्ड एम० सब-डि०, भाखरोटा।	15-2-75
54.	श्री एम०सी० छाबरा	कनि ०अभि० ,,	दिसम्बर, 75
55.	श्री एम०एस० मुदगल	,, ,,	जनवरी, 76
56.	श्री के०सी० असरानी	,, ,,	अक्टूबर, 75
57.	श्री डी०सी० शर्मा	,, ,, सांगानेर	11-2-74
58.	श्री एल०सी० शर्मा	,, ,,	जुलाई, 75
59.	श्री राम अवतार गुप्ता	,, (प्रशिक्षण) ,,	16-9-75
60.	श्री जे०सी० अग्रवाल	,, ,, दौसा	फरवरी, 75
61.	श्री श्याम माथुर	,, ,, बांदी कुई	जनवरी, 76
62.	श्री बी०के० बघावा	,, ,, लालसोट	2-3-74
63.	श्री राम गोपाल कुलश्रेष्ठ	,, (कन्स्ट्र० सब-डि०), जयपुर।	19-2-73
64.	श्री डी०सी० भार्गव	,, (आर०ई०सी०), बांदीकुई।	10-8-74
65.	श्री दयाल भागचन्दानी	,, ,,	19-12-74
66.	श्री के०सी० शर्मा	,, ,,	अगस्त, 75
67.	श्री एम०सी० गौड	,, ,, लालसोट	2-7-75
68.	श्री ओम प्रकाश मेहता	,, (प्रशिक्षण) ,, ,,	16-9-75
69.	श्री ए०के० गुप्ता	तकनीकी सहा०अधि०अभि० (डी०डी०-1), जयपुर।	6-12-72
70.	श्री आर०के० शर्मा	क०अभि० (ओ० एण्ड एम० सब-डि०), मनोहरपुर।	जनवरी, 76
71.	श्री आर०आर०पी० शर्मा	,, ,, शाहपुरा	जुलाई, 75

(218)

1	2		3	4
72.	श्री जयसिंह भार्गव	क० अभि०	पी०पी०ए०, बैराठ।	सितम्बर, 75
73.	श्री एस०सी० माथुर	,,	,, पुरानाघाट	जून, 75
74.	श्री पी०सी० जैन	,,	,, आमेर	जून, 75
75.	श्री एस०पी० दुबे	,,	,, जमवा रामगढ़	जुलाई, 75
76.	श्री पी०के० जैन	,,	,, भानुपुरा कलां	16-9-75
77.	श्री पी०एल० चौधरी	,,	,, दूदू	अप्रेल, 75
78.	श्री वी०के० सैनी	,,	,, फुलेरा	16-9-75
79.	श्री कुलवन्त सिंह	,,	,, जोबनेर	नवम्बर, 75
80.	श्री पी०के० माली	,,	,, हिंगोरिया	अप्रेल, 75
81.	श्री जे०पी० सैनी	,,	,, रेनवाल	15-9-75
82.	श्री चौथमल पारीक	इंजी० सुपर०	(आर०ई०सी०), जमवारामगढ़, जयपुर।	अप्रेल, 75
83.	श्री आर०सी० अग्रवाल	कनि० अभि० (प्रशिक्षण)	,, बस्सी।	सितम्बर, 75
84.	श्री एस०के० शर्मा	,,	,, मनोहरपुर	अक्टूबर, 75
85.	श्री जे० के० मित्तल	,,	पी०पी०ए० स्कीम, बस्सी।	16-9-75

परिशिष्ट 10

प्रता०प्र०सं० 74 की सूची

जयपुर जिले में विद्युतिकृत ग्रामों की तहसीलवार सूची

क०स०	तहसील का नाम	ग्रामीण विद्युतिकरण (नोरमल प्रोग्राम)	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम	योग
1.	कोटपूतली	20	..	20
2.	बैराठ	26	34	60
3.	आमेर	111	52	163
4.	फुलेरा	63	13	76
5.	जयपुर	82	12	94
6.	जमवारामगढ़	68	41	109
7.	बसवा	24	21	45
8.	दूदू	15	..	15
9.	सांगानेर	141	29	170
10.	बस्सी	39	7	64
11.	दौसा	22	1	23
12.	सिकराय	13	13	26
13.	फामी	6	..	6
14.	चाकसू	15	..	15
15.	लालसोठ	19	9	28
	योग ..	664	232	896

220

सूची ब

ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा जयपुर जिले के लिये स्वीकृत योजनाओं में प्रस्तावित अविद्युतिकृत शेष ग्रामों की संख्या

क्र०सं०	योजना का नाम	स्वीकृत चालू योजनायें	स्वीकृत योजनायें जिनका कार्य शुरू होना बाकी है	योग
1.	जयपुर जिले की 11 तहसील	3	..	3
2.	बसवा सिकराय दौसा	39	..	39
3.	जमवारामगढ़	32	..	32
4/8.	बैराठ	2	..	2
5.	लालसोट	55	..	55
6.	बस्सी	3	..	3
7.	दौसा	..	68	68
8.	कोटवाड़ा	..	15	15
	योग ..	134	83	217

उपरोक्त के अतिरिक्त कोटपूतली रूरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव स्कीम में विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की संख्या—106।

शुद्धि-पत्र

गुरुवार, दिनांक 18 मार्च 1976

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
4	नीचे से 8	मासलन	मामला
14	नीचे पे 7	पेन्शनर का	पेन्शनर
17	नीचे से 9	रुपये 200	200 रुपये
22	ऊपर से 2	उहो	उन्हीं
22	नीचे से 7	रइट	राइट
32	नीचे से 7 व 6	(श्री मुन्शीलाल महावीर)	(श्री मुन्शीलाल महावर)
39	नीचे से 3	बकाय	बकाया
45	नीचे से 10	भूण्डों	भूखण्डों
78	नीचे से 3	पारियोजनाय	परियोजना
80	नीचे से 14	परीयोजनायें	परियोजनाएं
91	नीचे से 2	संक्या	संख्या
127 } 129 }	शीर्ष	(श्री गुरुदयालसिंह संधु)	(श्री दीपंकर)
209	ऊपर से 6	जनना	जनता
213	ऊपर से 12	आवश्कयता	आवश्यकता
218	ऊपर से 13	डाट	ड्राट
218	नीचे से 3	कीया	किया
246	नीचे से 6	अ वों	आवें
248	ऊपर से 2	महोहय	महोदय
248	ऊपर से 5	भारतीया	भारतीय
250	नीचे से 7	हसारी	हमारी
254	नीचे से 6	लियूट	लिफ्ट
278	ऊपर से 3	महोदह	महोदय
308	नीचे से 11	5722 ने	5722
308	नीचे से 9	लोगों 5722	लोगों ने 5722
329	ऊपर से 18	कृपया कि	कृपया
332	ऊपर से 11	पानी का	पानी
336	ऊपर से 11	आती	आती है